MAED-12

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

महिला शिक्षा

MAED-12

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)

महिला शिक्षा
Women Education

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

अध्यक्ष

प्रो. (डॉ.) नरेश दाधीच
कुलपति
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

संयोजक एवं समन्वयक

संयोजक

डॉ. दामीना चौधरी
सहआचार्य,शिक्षा
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

सदस्य

- **प्रो. सोहन वीर सिंह चौधरी**
  इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
- **प्रो. एस.पी. मल्होत्रा**
  कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
- **प्रो. डी.आर. गोयल**
  एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा, गुजरात
- **प्रो. मंजूलिका श्रीवास्तव**
  दूरस्थ शिक्षा परिषद
  इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
- **डॉ. अनिल शुक्ला**
  लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)

सम्पादन एवं पाठ्यक्रम-लेखन

संपादक

प्रो. स्मृति शंकर
महिला शिक्षा विशेषज्ञ
नई दिल्ली

पाठ लेखक

- **डॉ. मधु माथुर**
  वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय वनस्थली
- **डॉ. सुयश चतुर्वेदी**
  प्राध्यापक, एस.आई.ई.आर.टी.
  शिक्षक शिक्षा विभाग, उदयपुर
- **डॉ. वंदना गोस्वामी**
  वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय वनस्थली
- **डॉ. ज्योत्सना पाण्डेय**
  प्राध्यापक, एस.आई.ई.आर.टी.
  शिक्षक शिक्षा विभाग, उदयपुर
- **डॉ. अजय सुराणा**
  वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय वनस्थली
- **श्रीमती ज्योत्सना गौड़**
  अनुसंधान एवं शिक्षण सहायक
  वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रो. नरेश दाधीच	**प्रो. एम.के. घड़ोलिया**	**योगेन्द्र गोयल**
कुलपति	निदेशक	प्रभारी
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	**संकाय विभाग**	**पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग**

पाठ्यक्रम उत्पादन

योगेन्द्र गोयल
सहायक उत्पादन अधिकारी,**वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा**

पुनः उत्पादन - जून 2010 ISBN No. : 13/978-81-8496-092-1

इस सामग्री के किसी भी अंश को व. म. खु. वि., कोटा की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप मे 'मिमियोग्राफी' (चक्रमुद्रण) द्वारा या अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।व. म. खु. वि., कोटा के लिये कुलसचिव व. म. खु. वि., कोटा (राज.) द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	इकाई का नाम	पेज सं.
1	महिला शिक्षा - ऐतिहासिक अवलोकन	6
2	महिला शिक्षा - वर्तमान स्थिति	18
3	बालिका शिक्षा	30
4	राजस्थान मे महिला शिक्षा	50
5	प्राथमिक शिक्षा	70
6	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा	89
7	विज्ञान, तकनीकी एवं महिलाएँ	106
8	साहित्य, कला एवं मीडिया क्षेत्र मे महिलाएँ	115
9	शिक्षिक विकास नीतियाँ एवं कार्यक्रम	125
10	पंचवर्षीय योजनाएँ एवं महिला शिक्षा	149
11	स्वयं सेवी संस्थाएं और महिला शिक्षा	163
12	महिला सशक्तिकरण और शिक्षा	178
13	रोजगारोन्मुखी शिक्षा	186
14	विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों मे महिलाएँ	193
15	कार्यस्थल मे महिलाएँ	200
16	अनौपचारिक शिक्षा और महिलाएँ	208
17	लैंगिक परिप्रेक्ष्य : सैद्धान्तिक आधार	217
18	लिंग संवेदी अध्यापन - अधिगम प्रक्रिया	232
19	पाठ्यचर्या निर्माण : लैंगिक परिप्रेक्ष्य	244
20	लिंग संवेदी शिक्षक प्रशिक्षण	258

इकाई 1

महिला शिक्षा - ऐतिहासिक अवलोकन

Women Education : Historical overview

इकाई की रूपरेखा (Structure of the Unit)

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 वैदिक काल से आधुनिक काल तक महिला शिक्षा का स्वरूप महिला

1.3 शिक्षा का बदलता परिदृश्य

1.4 महिलाओं की शैक्षिक प्रस्थिति

1.5 सामाजिक - सांस्कृतिक कारक तथा उनका शिक्षा पर प्रभाव

1.6 महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने हेतु किये जाने वाले प्रयास

1.7 सारांश

1.8 संदर्भ ग्रंथ

1.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप जान सकेंगे कि -

- वैदिक काल से आधुनिक काल तक महिला शिक्षा की स्थिति की व्याख्या व विवेचना कर सकेगें।
- महिला शिक्षा के बदलते परिदृश्य पर अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे ।
- बदलते परिवेश में महिलाओं की शैक्षिक प्रस्थिति का विश्लेषण कर सकेंगे ।
- महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों की पहचान कर सकेंगे ।
- महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु किये गये प्रयासों का विश्लेषण कर सकेंगे ।

1.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय समाज में आधुनिक नारी की स्थिति तथा उसकी शिक्षा व प्रगति को सही प्रकार से समझने के लिए यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति व शिक्षा का चित्रण किस प्रकार किया गया है क्योंकि सामाजिक जीवन कभी भी देश व काल के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता है । ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारतीय समाज में स्त्रियों का काफी ऊँचा सम्मानजनक स्थान था । समय के साथ-साथ स्त्रियों की स्थिति में काफी उतार-चढ़ाव आये ।

जैसा कि हम सब जानते है कि भारतीय समाज पुरूष प्रधान समाज है । आरम्भ से लेकर अन्त तक स्त्री का जीवन पुरूष पर निर्भर रहता है । बाल्यावस्था में वह पिता के संरक्षण में, तत्पश्चात् भाई के संरक्षण में, विवाह के पश्चात् पति के संरक्षण में और वृद्धावस्था में पुत्रों के संरक्षण में जीवन व्यतीत करती है । उसकी अपनी अलग कोई पहचान नहीं वह आज भी किसी की पुत्री, किसी की बहिन, किसी की पत्नी या माँ के नाम से जानी जाती है । आज भी अपनी अस्मिता के लिये वह जूझ रही है । पहचान बनाने के लिये उसे खुद अपनी मंजिल करनी पड़ती है जो आसान कार्य नहीं है । पुरूष प्रधान समाज में नारी का स्थान सदैव ही दोयम दर्जे का रहा है ।

यदि हम भारतीय इतिहास पर दृष्टिपात करें तो यह पाते हैं कि भारतीय नारी ने परिवर्तनशील सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य पर अनेक उत्थान और पतन देखे हैं । विचित्र बात है कि पुरूष को जन्म देने वाली स्त्री, स्वयं पुरूष की दासता, गुलामी व शोषण की शिकार है । उसे कभी भी अपनी मन के अनुकूल स्वतंत्र व स्वछन्द जीवन जीने का अधिकार नहीं मिला ।

अत: सार रूप में यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की प्रस्थिति को भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जानना बहुत महत्वपूर्ण है तभी हम आधुनिक महिलाओं की स्थितियों व समस्याओं के बहुत सारे पहलुओं को भली-भाँति समझ सकते हैं ।

1.2 वैदिक काल से आधुनिक काल तक महिला शिक्षा या स्वरूप

वेदकालीन समाज व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी और सभी पितृसत्तात्मक । परिवारों में प्रचलित परम्परा के अनुसार घर का पुरूष ही परिवार के कुलपिता के अधिकार के साथ व्यवस्था करता था । प्राय: पितृसत्तात्मक परिवारों में उस युग में और आज भी कन्या का जन्म उल्लास का प्रसंग नही माना जाता है, पुत्र प्राप्ति के प्रयास होते रहते हैं ।

वैदिक काल में महिलाओं का विशिष्ट स्थान था । उन्हें विद्या अध्ययन करने के अवसर प्रदान किये जाते थे । पुत्र के समान पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था । उन्हें वेद पठन-पाठन की भी स्वतंत्रता थी । लगभग बीस विशिष्ट नारियों के नाम वेद ऋचाओं की रचियता के रूप में प्रसिद्ध है जिनमें कुछ प्रमुख नारियों जैसे - लोपामुद्रा, विश्वावरा, घोषा आदि नामों से हम परिचित हैं । उस युग में स्त्रियों के लिये अभ्यास का क्षेत्र खुला था । इसका एक ओर प्रमाण मिलता है । छात्रायें दो विभागों में विभाजित की गई थी: ब्रह्मवादिनी तथा सद्योछा । ब्रह्मवादिनी छात्रायें अधिकांशत: तत्वज्ञान में ही आमरण-रत रहती थी जबकि सद्योछा 15- 16 वर्ष की आयु तक अर्थात् विवाह होने तक ही अभ्यारत् रहती थी । मैत्रेयी, आत्रेयी, गार्गी आदि नाम विदुषी नारियों की कीर्तिगाथा के ज्वलन्त उदाहरण है । इसके अतिरिक्त स्त्री शिक्षिका तथा गुरूपत्नी के लिये संस्कृत भाषा में विशिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है जिससे स्त्री-शिक्षा के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है । स्त्री शिक्षकों को उपाध्याय कहा जाता था तथा गुरूपत्नी का उपाध्यायिनी । वैदिक काल में महिलाओं को विद्याअध्ययन का पूर्ण अधिकार था । अधिकांशत: माता-पिता या कुल पुरोहित लड़कियों को घर पर ही शिक्षा प्रदान करते थे । गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से पहले तक लड़कियाँ अध्ययन करती थी । परन्तु बाद में

स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा होने लगी । ऋषियों के गुरूकुलों में लड़कियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी । बाद में तो ऐसा लगने लगा कि वैदिक काल शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य केवल लड़कों को शिक्षा प्रदान करना है।

भारतीयत महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन मुगल साम्राज्य के बाद उल्लेखनीय रूप से देखा गया । पर्दा प्रथा का रिवाज चल पड़ा । उस समय स्त्री शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया । शाही हरम में भी पर्दा प्रथा का चलन था । हिन्दू स्त्रियों ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से पर्दा प्रथा अपनाया इस काल में स्त्रियाँ सजावट की वस्तु बन गई । मध्यकाल में केवल नूरजहाँ को इसके अपवाद रूप में देखा जा सकता है । वह किसी से भी पर्दा नही करती थी । परन्तु मुगलकाल में बहु विवाह का प्रचलन होने के कारण एक पुरूष को चार स्त्रियाँ रखने का अधिकार था । अत: हिन्दू माता-पिता अपनी लड़की का विवाह शीघ्रताशीघ्र करना श्रेयकर समझते थे । इससे बाल-विवाह को बढ़ावा मिला । स्त्री फिर शिक्षा से वंचित हो गई । इस प्रकार स्त्रियों की दशा शोचनीय होती चली गई । सृष्टि की इस अनुपम और अद्‌वितीय कृति को कदाचित चार दीवारी में बन्द करने का ही यह परिणाम है कि आज भारतीय समाज अशिक्षित, अमर्यादित और कुप्रथाओं का देश बनकर जनसंख्या विस्फोट जैसी गंभीरतम स्थितियों में पहुँच गया है । जिससे प्रदूषण, गरीबी, भूखमरी आदि समस्यायें स्वत: विकराल रूप धारण कर चुकी है ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ स्त्री जीवन के इतिहास में कई उतार चढ़ाव आये । हमारे देश के समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्‌यासागर, स्वामी विवेकानन्द स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गाँधी, जवाहर लाल नेहरू आदि ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिये तथा उनकी शिक्षा पर जोर दिये जाने की आवश्यकता पर काफी प्रयास किये परन्तु फिर भी स्त्रियों की शैक्षिक व सामाजिक स्थिति में अधिक संतोषप्रद बदलाव नहीं आ पाया लेकिन उस समय किये गये उनके प्रयास सराहनीय थे ।

1.3 महिला शिक्षा का बदलता परिदृश्य

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ देश में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक प्रस्थिति पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और इसके फलस्वरूप विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में स्त्री-शिक्षा पर बल दिया गया ।

संविधान के अनुच्छेद 14 में यह व्यवस्था की गई कि 6-14 वर्श तक के सभी बालक-बालिकाओं को बिना भेदभाव के अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी । यह माना गया कि महिलाओं के विकास व उत्थान के लिये उनका पढ़ना लिखना व शिक्षित होना अति आवश्यक है । विभिन्न सर्वेक्षणों के ऑकड़े यह बताते हैं कि शिक्षित महिलाओं की तुलना में अशिक्षित महिलाएँ शोषण का शिकार अधिक होती है ।

वर्तमान समय में लड़कियाँ, लड़कों की भाँति पढने हेतु विद्‌यालय जाती है । अभिभावकों की तथा समाज की सोच में बदलाव आने आरम्भ हो गये हैं । जहाँ पहले लड़कियाँ घर की चार-दीवारी में बंद रहकर घरेलू कार्य तक ही सीमित रहती थी अब व पढलिख कर अपने व्यक्तित्व का विकास करती है । अपने भले-बुरे की समझ उनके विकसित हो गई है यही वजह है कि समाज में पर्दा-प्रथा व बाल-विवाह जैसी कुरीतियाँ बन्द होती नजर आ रही है ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद गठित विभिन्न शिक्षा आयोगों व समितियों ने भी भारत में स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया है ।

कोठारी आयोग (1964-66) ने स्त्रियों की शिक्षा तथा उससे सम्बन्धित समस्याओं पर विस्तृत रूप से विचार । आयोग के अनुसार - "स्त्रियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिये तथा प्रमुख कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा जाना चाहिये और उन सभी समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिये, जो स्त्रियों की शिक्षा में बाधक हो । पुरूषों एवं स्त्रियों के बीच असमानता को समाप्त कर देना चाहिये ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने भी स्त्री-पुरूष सबको समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने की बात दुहराई है तथा यह माना है कि "लड़कियों को शिक्षा न केवल सामाजिक न्याय के लिये दी जानी चाहिये, अपितु इसलिए भी कि इससे परिवर्तन और विकास की गति भी तीव्र होती है ।"

मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है कि शिक्षा पर हर मानव का मौलिक अधिकार है, जिसका अवसर बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से सुलभ होना चाहिये ।

स्त्रियों की शिक्षा के विकास हेतु कई नवीन कार्यक्रम चलाये गये जिनमें प्रौढ़ शिक्षा,आँगन बाड़ी, सहशिक्षा आदि मुख्य है ।

1.4 बदलते परिवेश में महिलाओं की प्रस्थिति

"महिलाओं की स्थिति ही देश के स्वरूप को निश्चित करती है । "

पंडित जवाहरलाल नेहरू

किसी भी देश की खुशहाली के लिये वहाँ की महिलाओं का उल्लेखनीय योगदान होता है । राजाराम मोहन राय के स्त्री सुधारक आन्दोलनों से लेकर वर्तमान काल तक भारतीय महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन आया है । अपने ही बल पर महिलाओं ने अपनी स्थिति को सुधारा। है और समाज में अपनी एक पहचान बनाई है इसमें स्त्री शिक्षा का अभूतपूर्व योगदान रहा है । पुरूष-प्रधान समाज में अपनी जगह बनाने का प्रयास सराहनीय है जिसके लिये उसे कई बाधाओं व अग्नि-परिक्षाओं से गुजरना पड़ा है ।

यह सच है कि महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में स्वत्रंता के साठ दशक बीत जाने के पश्चात् भी उतना फर्क नहीं आया जितना आना चाहिये । इसका एक प्रमुख कारण स्त्री शिक्षा की कमी रहा है । महिलाओं के बारे में पुरूष प्रधान समाज में अभी तक स्पष्ट व ठोस धारणा नहीं बन पायी है । अधिकांश पुरूष, स्त्री की उन्नती एवं विकास को अपने प्रतिद्वन्दी के रूप में लेते हैं । स्त्रियों की प्रगति को लेकर वे कुण्ठाग्रस्त है । प्रकटरूप में कई पुरूष महिला उत्थान व शिक्षा की बड़ी-बड़ी बाते करते हैं उसके हिमायती बनते हैं परन्तु सच्चाई आने पर यह साफ जाहिर होता है कि उनके मन के किसी कोने में चोर बैठा है उन्हें डर है कि स्त्रियाँ शिक्षित होकर उनसे आगे निकल गई तो उन मान्यताओं, नियमों व प्रतिमानों का क्या होगा जो पुरूष समाज द्वारा स्त्रियों के लिये निर्मित की गई है । इन मान्यताओं ने महिला की स्वतन्त्रता एवं समानता को बाधित किया है । सामाजिक-आर्थिक स्तर पर महिला-पुरूष के लिये

नियम व सीमायें अलग-अलग है । पुरूष जीवन और समाज में सब कुछ करने के लिये स्वतन्त्र है और उसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है लेकिन महिला समाज में वही कर सकती है, जो पुरूष उसके लिए तय करता है । बदलते सामाजिक परिवेश में स्त्रियों की प्रस्थिति में अन्तर साफ दृष्टिगोचर होता है । जहाँ पहले बालिकायें शिक्षा से वंचित थी आज कोई ऐसा परिवार नहीं जहाँ बालिका-शिक्षा को प्राथमिकता ना दी जा रही हो । ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभिभावकों में बालिका की शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है। अभिभावक बालिका की शिक्षा से होने वाले लाभों को समझने लगे हैं उनका जीवन स्तर सुधरने लगा है । सकारात्मक सोच विकसित होने लगी है ।

बालिका शिक्षा हेतु केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा भी समय-समय पर विभिन्न योजनायें चलाई जा रही है । शिक्षा के सार्वजनिकरण के फलस्वरूप सबके लिए शिक्षा के अन्तर्गत 6-14, वर्ष के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

शिक्षा प्राप्त करने को संविधान द्वारा मौलिक अधिकार करार दिये जाने से, स्त्री-शिक्षा में अपेक्षाकृत बहुत बदलाव आया है । विद्यालयों, महाविद्यालयों में महिला-नामांकन में बढ़ोत्तरी हुई है । लड़कियाँ विभिन्न व्यावसायिक पाठ्क्रमों का अध्ययन कर रही हैं । आज के समय में कोई ऐसा व्यवसाय नहीं जहाँ स्त्रियों ने अपनी बौद्धिक क्षमता व सूझबूझ का परचम नहीं फहराया हो ।

सारांश रूप में कहा जा सकता है कि बदलते सामाजिक-आर्थिक परिवेश में स्त्री-शिक्षा के प्रति सभी का रूझान बढ़ा है । स्त्री-शिक्षा की साक्षरता का प्रतिशतांक बढ़ा है । आने वाले समय में ये प्रतिशत मात्रा बढ़ती ही जायेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 वैदिक काल एवं आधुनिक काल में स्त्रियों की शिक्षा प्रस्थिति की तुलनात्मक विवेचना करे ।

2 महिला शिक्षा की दशा सबसे खराब किस युग में थी करण बताइये ।

3 महिलाओं की स्थिति ही देश के स्वरूप को निश्चित करती हैं । इस कथन से आप क्या तात्पर्य है !

1.5 सामाजिक-सांस्कृतिक कारक तथा उनका महिला शिक्षा पर प्रभाव

किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास तभी संभव होगा, जब उसमें महिलाओं की भागीदारी बराबर की हो । भारतीय समाज में महिलाओं की लगभग आधी आबादी है । देश की आधी आबादी को विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाये बगैर हम देश की समृद्धि, सुदृढ़ सामाजिक संरचना एवं सर्वांगीण विकास की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? यह एक विचारणीय प्रश्न है ।

देश व समाज की सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों का स्त्री-शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है जिन्हें अध्ययन करने की दृष्टि से हम निम्न बिन्दुओं के रूप में देख सकते हैं -

1. **पितृसत्तात्मक परिवार -** परिवार का मुखियॉ पिता होता है । परिवार के लिये निर्णय लेने का अधिकार उसे ही होता है । वर्तमान समय में परिवार में महिला सदस्यों की राय भी ली जाती है परन्तु फिर भी 90 से 95% तक आज भी भारतीय समाज पुरूष प्रधान समाज है ।

   आज भी लड़कियों की शिक्षा से ज्यादा लड़कों की शिक्षा पर व्यय किया जाता है ।

2. **लिंग भेद -** भारतीय समाज में आरम्भ से ही लड़के व लड़की में फर्क किया जाता रहा है । लड़के के जन्म पर अधिक खुशियॉ मनाई जाती है । पुत्रियाँ होने के पश्चात् भी पुत्र-प्राप्ति के लिये प्रयत्न किये जाते हैं ।

   लड़कियों को आरम्भ से ही पराया-धन माना गया है । अत: कई परिवारों में लड़कियों को पढ़ाने के बजाय घरेलू-कार्यो में दक्ष करना अधिक अच्छा माना जाता है । एक निश्चित उम्र होते ही उनकी शादी कर दी जाती है । अत: वह पढने की उम्र में, घरेलू संसार में कैद होकर रह जाती है। ऐसा प्राय: ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखा जा सकता है ।

3. **समाज का दृष्टिकोण -**बालिका-शिक्षा के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त वातावरण नहीं है । यदि कोई अभिभावक अपनी पुत्री को पढने के लिये विद्यालय भेजता है तो समाज व पास-पड़ौस के लोग उस पर व्यंग कसते हैं पढ़ लिख कर लड़की से नौकरी करवानी है क्या? या ज्यादा लड़की को पढाओंगे तो उसके लिये उपयुक्त वर नहीं मिलेगा या फिर पढ़-लिख कर लड़की का दिमाग फिर जायेगा ।

   इस प्रकार के नकारात्मक व्यवहार अभिभावकों को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि घर से दूर विद्यालय में भेजने का डर, उपयुक्त वर न मिलने का डर आदि उन्हें बालिका को नामांकन करने से दूर रखता है ।

4. **महिला अध्यापिकाओं का अभाव -** ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिला अध्यापिकाओं का अभाव होने से, अभिभावक उन्हें शाला में भेजने से कतराते हैं ।

5. **सामाजिक कुरितियॉ -** प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में कुछ कुरीतियाँ प्रचलित रही है । अनमेल विवाह, बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा, रूढिवादिता, अन्धविश्वास, जाति-प्रथा आदि ।

   इन सब कुरीतियों का प्रभाव बालिका-शिक्षा पर भी नजर आता है । गाँवों में अल्पआयु में ही कन्या की शादी कर दी जाती है । अत: वह अपनी शिक्षा व व्यक्तित्व विकास पर ध्यान नहीं दे पाती है ।

6. **विद्यालय की स्थिति -** यह समस्या मुख्य रूप से ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों में आती है । जहाँ जनसंख्या कम व छितरी होने के कारण विद्यालयों की केन्द्रीय स्थिति नहीं बन पाती है । घर से विद्यालय दूर व सुनसान इलाके में होने से अभिभावक अपनी कन्या को विद्यालय भेजने से डरते हैं ।

7. **पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता -** विद्यालयों में प्रचलित पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। छात्रायें पढने में रूचि नहीं ले पाती है। कन्याओं से विषयों का समावेश किया जाना आवश्यक है । गृह-विज्ञान, सिलाई-कढ़ाई, नृत्य-संगीत आदि विशयों का अध्ययन करवाकर समस्या का निराकरण किया जा रहा है ।

8. **विद्यालय का नीरस वातावरण -** राजकीय विद्यालयों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है, वहाँ का विद्यालयी वातावरण बालिकाओं को अध्ययन हेतु आने के प्रेरित नहीं कर पाता है । अध्यापकों की संख्या, अध्यापकों का अपने नैतिक दायित्वों के प्रति दृष्टिकोण, भौतिक संसाधनों की कमी, कतिपय अध्यापकों का छात्राओं के साथ गलत व्यवहार, छात्राओं को शिक्षालय में आने से रोकता है । परिणामस्वरूप अपव्यय व अवरोधन की समस्या का आरम्भ हो जाता है ।

9. **भौतिक संसाधनों की कमी -** ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय भवन में उपयुक्त बैठने की व्यवस्था नहीं है विद्यार्थियों के लिये पीने के पानी तथा शौचालयों की व्यवस्था नहीं है अत: बालिका के लिये विद्यालय में 4-5 घंटे व्यतीत करना मुश्किल हो जाता है । सरकार अब इस ओर ध्यान देने का प्रयास कर रही है ।

10. **आर्थिक निर्भरता -** भारतीय समाज में पारिवारिक ढांचा इस प्रकार का है कि भारतीय स्त्री हमेशा पुरूष पर निर्भर रहती है । बचपन में वह पुत्री कहलाती है बड़े होने पर बहिन, युवा होने पर पत्नी, पुत्र जन्म के बाद माँ आदि अर्थात उसकी अपनी अस्मिता व पहचान पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है । शिक्षित नहीं होने के कारण वह आर्थिक रूप से परतन्त्र होती है । आर्थिक परतन्त्रता भी स्त्री के व्यैक्तिक विकास में बाधा पहुँचाती है ।

11. **स्वयं से अनभिज्ञ -** स्त्री शिक्षा व विकास में सबसे बड़ी बाधा स्त्री का अपने स्वयं के प्रति नजरियॉ है । वह अपनी क्षमताओं और शक्तियों से अनभिज्ञ है । वह अपने स्वंय के प्रति जागरूक नहीं है । इसलिये वह प्रत्येक बात के लिये पुरूष पर निर्भर है । अशिक्षा से स्त्रियों के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है ।

12. **अन्याय को सहन करते जाना -** स्त्री-शिक्षा में बाधक सामाजिक व सांस्कृतिक एक महत्वपूर्ण पहलू है कि स्त्री सभी विपदाओं और समस्याओं तथा अन्याय को चुपचाप ऑसू बहाती हुई सहन करती जाती है । उसे लगता है पुरूष प्रधान समाज में यही उसकी नियति है । अपनी तकदीर का वह स्वयं तभी बदल सकती है जब वह शिक्षित हो जाये ।

महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों से वह अनभिज्ञ होती है । अत: आसानी से शोषण का शिकार बन जाती है । सामाजिक बदनामी के डर से वह चुप रहती है ।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव स्त्री शिक्षा पर पड़ता है । बदलते समय में स्त्रियाँ शिक्षित होने लगी है ।

स्वतंत्रता के बाद स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर प्रयास किये गये । 1991 में महिला साक्षरता 39 .42 प्रतिशत हो गई । कन्या शालाओं की स्थापना, महिला अध्यापिकाओं में वृद्धि एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत चौदह वर्ष तक की

बालिकाओं को शिक्षित करने की योजनायें बनाई गई । औद्योगीकरण के कारण समाज में गतिशीलता आई है । शहरी महिलाओं के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है । तथा उन्होंने प्राचीन व सांस्कृतिक रूढियों को अपनाने से बेहतर शिक्षा का मार्ग चुन लिया है । आज शिक्षित महिला विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत होकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है ।

1.6 महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु किये गये प्रयास

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत में बालिकाओं की स्थिति सन्तोषप्रद नहीं थी। अत: वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं, शिक्षा की सुव्यवस्था हेतु गठित आयोगों एवं समितियों की सिफारिशों और विशेष योजनाओं द्वारा स्त्री शिक्षा को उन्नत करने का प्रयास किया गया है ।

1. राधाकृष्णन आयोग (1948-49)

राधाकृष्णन आयोग का गठन विश्वविद्यालयी स्तर पर शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु किया गया था । परन्तु इस आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति पर विचार-विमर्श कर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की । आयोग द्वारा स्त्रियों की पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियों पर भी विचार किया गया तथा निम्नलिखित सिफारिशें की गई -

(1) निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाये ।

(2) बालिकाओं को विशेष साधन-सुविधाऐं प्रदान की जाये ।

(3) महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति अधिक से अधिक की जाये ।

(4) बालिकाओं के अध्ययन हेतु अलग बालिका-विद्यालयों की स्थापना की जाये ।

(5) बालिकाओं को गृह-विज्ञान गृह-व्यवस्था, संगीत व नृत्य सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करने हेतु पाठ्यक्रम बनाये जाये ।

2. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53)

माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालिय आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन में बालिका शिक्षा पर जोर दिया गया तथा बालिकाओं के लिये गृहविज्ञान विषय पढाये जाने की अनुशंसा की गई।

3. दुर्गाबाई देशमुख समिति (1958-59)

इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित रही -

(i) केन्द्र व राज्य स्तर पर स्त्री शिक्षा परिषदों की स्थापना की जाये ।

(ii) प्रत्येक राज्य द्वारा स्त्री निदेशालय की पृथक व्यवस्था की जाये ।

(iii) केन्द्र व राज्य सरकारें स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करें।

(iv) अध्यापिकाओं की कमी को दूर करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये तथा इस हेतु, निवास आदि का प्रबन्ध किया जाये ।

(v) मानव संसाधन मंत्रालय में स्त्री शिक्षा विभाग की स्थापना की जाये ।

4. हंसा मेहता समिति (1962)

बडौदा के गायकवाड विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर की अध्यक्षता में, केन्द्र सरकार द्वारा एक और समिति का गठन स्त्री-शिक्षा के लिये किया गया । इस समिति की अध्यक्षा हंसा मेहता थी तथा इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी -

(i) लड़के व लड़कियों के पाठ्क्रम में अंतर करना सही नहीं है ।

(ii) गृह विज्ञान विषय को स्वैच्छिक विषय के रूप में लागू किया जाये ।

(iii) संगीत व कला विषयों को भी पढ़ाया जाये ।

(iv) तार्किक विषयों जैसे गणित, विज्ञान हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाये ।

5. भत्तावत्सलम् समिति (1963)

राष्ट्रीय स्त्री परिषद द्वारा इस समिति का गठन किया गया । इस द्वारा सह-शिक्षा पर बल दिया गया तथा यह माना गया कि जनता व सरकार के सामूहिक प्रयास ही बालिका शिक्षा का विकास संभव है । बालिका शिक्षा के प्रसार हेतु उसे समाज से जोड़े जाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु पाठ्यक्रम व प्रशिक्षण के स्वरूप में बदलाव की अनुशंसा की गई ।

6. राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा परिषद (1964)

केन्द्र सरकार द्वारा 1959 में गठित समिति को पुन: संगठित किया ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री-शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया । इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्न है:-

(i) बालिका शिक्षा के लिए जन-सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना ।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं एवं अध्यापिकाओं के रहने की व्यवस्था करना ।

(iii) छात्राओं के लिए पाठ्यसामग्री, वस्त्रादि की व्यवस्था ।

(iv) निजी सहयोग से बालिका शिक्षा हेतु विद्यालय भवनों की स्थापना, निर्माण व रख-रखाव करना ।

(v) जिला स्त्री शिक्षा समितियों एवं महिला मंडलों की स्थापना हेतु जनमत तैयार करना ।

7. कोठारी कमीशन आयोग (1964-66)

डॉ. दौलतसिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की स्त्री-शिक्षा के लिये भी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं हैं जो निम्नलिखित है -

(i) महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति अधिक संख्या में की जाये ।

(ii) पाठ्यक्रम को बालिकाओं की रूचि के अनुकूल बनाया जाये ।

(iii) लड़कों के समान लड़कियों को भी विभिन्न व्यवसायों में आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया जाये ।

(iv) बालिकाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास, वस्त्र तथा पाठयक्रम सामग्री की व्यवस्था की जाये ।

(v) विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाने हेतु तथा अपव्यय व अवरोधन को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाये ।

(vi) स्त्री-शिक्षा से सम्बन्धित षोध कार्य किये जाये ।

8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बालिकाओं की शिक्षा से सम्बन्धित प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित है-

(i) बालिकाओं के नामांकन को अनिवार्य बनाया जाये ।

(ii) बालकों के समान ही बालिकाओं को भी शैक्षिक अवसर प्रदान किये जाने चाहिये ।

(iii) बालिकाओं की शिक्षा को निःशुल्क किया जाना चाहिये तथा उन्हें अतिरिक्त सुविधाऐं एवं छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिये ।

(iv) बालिकाओं की शिक्षा हेतु पृथक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिये ।

(v) बालिकाओं को व्यवसायिक कौशलों की जानकारी प्रदान की जानी चाहिये तथा उनके लिए तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जाये ।

महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समय-समय पर अन्य प्रयास भी किये गये । इनमें प्रमुख है -

(1) **राष्ट्रीय महिला आयोग (1992)-** सुश्री जयंती पटनायक की अध्यक्षता में 31 जनवरी 1992 में इस आयोग की स्थापना की गई I इस आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाना तथा अमानवीय व्यवहार से संरक्षण प्रदान करना I

(2) इस आयोग का कार्यक्षेत्र महिला सम्बन्धी कानूनों की समीक्षा करना तथा महिलाओं में कानून सम्बन्धी जागरूकता पैदा करना I

(3) **महिला कल्याण एवं विकास कार्यक्रम -** महिला एवं बाल-विकास विभाग द्वारा महिला कल्याण एवं विकास कार्यक्रम संचालित होते हैं । महिलाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है । विभिन्न व्यवसायिक कौशलों को सीखने के उपरान्त महिलाएँ रोजगार प्राप्त कर अपने स्तर में सुधार करती है I

(4) **महिलाओं के लिये राष्ट्रीय ऋणकोष -** महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसकी स्थापना की गई I 15 जुलाई 1993 से 8 करोड़ राशि के साथ यह कार्यक्रम शुरू किया गया I इस कार्यक्रम को 1999 में पुन: नवीनीकृत किया गया I

(5) **बालिका शिक्षा -** केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समाज में बालिकाओं / महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार हेतु योजनाएँ संचालित है । जिले में बालिका शिक्षा में अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त करने हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्न दो योजनाऐं संचालित हैं-

1. कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय : ड्रापआउट बालिकाओं हेतु ।
2. एन.पी.ई.जी.ई.एलः योजना : विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु ।

बालिका शिक्षा में वांछित प्रगति प्राप्त करने हेतु एवं समाज में महिला की स्थिति में अपेक्षित सुधार हेतु केन्द्र एव राज्य सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के तहत "कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय" योजना आरम्भ की गई है ।

इस योजना के अन्तर्गत आरंभिक स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा अल्पसंख्यक तथा बी.पी.एल. परिवारों की वे छात्रायें नामांकित की जाती है जिन्होंने किसी कारणवश विद्यालय छोड़ दिया हो अर्थात ड्रापआउट बालिकायें या फिर ऐसे गाँव की बालिकायें जहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित नहीं है ।

इन विद्यालयों में बालिकाओं को कक्षा VI से VIII तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है विद्यालय से यूनिफॉर्म एवं शिक्षण सामग्री जैसे- स्कूल बैग, कॉपी, पैन, पैन्सिल, आदि भी निःशुल्क वितरित किये जाते हैं !

एन.पी.ई.जी.ई.एल. (National Programme for Education of girls at Elementry Level) अर्थात प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों में संचालित किया जा रहा है । राजस्थान में यह 186 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में चलाया जा रहा है । इस कार्यक्रम की क्रियान्वित के लिये क्षेत्रों / ब्लॉकों का निर्धारण ग्रामीण महिला साक्षरता एवं जैण्डर गैप के आधार पर किया गया है ।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है-

(i) प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर बालिकाओं की पहुँच सुनिश्चित नामांकन में जैण्डर असमानता को कम करना ।

(ii) नामांकित बालिकाओं को विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित हेतु आधारभूत सुविधाओं को विकसित एवं प्रौन्नत करना ।

(iii) शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं तथा बालिकाओं की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करना ।

सार्क देशों ने 1990 को बालिका वर्ष घोषित कर विशेष कार्यक्रम चलाए ।

इन सभी प्रयासों का ही परिणाम है कि 1950-51 में पूरे देश की कुल। बालिका नामांकन स्थिति जहॉ 60 लाख थी, जो 1999 में 7.81 करोड़ हो गई है ।

इसी भाँति बालिकाओं द्वारा विद्यालय छोड़ने की स्थिति में भी सुधार हुआ है । 1980-81 में 62.5 प्रतिशत की स्थिति थी जो 1998-99 में 37.6 प्रतिशत रह गई है । बालिका' की शिक्षा में आए रचनात्मक परिवर्तन ने महिला की अध्यापक के रूप में नियुक्ति को प्रभावित किया है । ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में 57.6% महिलाओं को अध्यापक पद पर नियुक्तियाँ दी गई ।

राजस्थान राज्य में बालिका फाउण्डेशन, सरस्वती योजना, जानकी योजना, महिला शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बीश, गुरू मित्र योजनाओं ने भी सार्थक परिणाम प्रस्तुत किए है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. पितृसत्तात्मक परिवार क्या है और महिला शिक्षा मे इसकी क्या भूमिका होती है!

2. संक्षिप्त टिप्पणी लिखे

(क) कोठारी कमीशन आयोग

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग

1.7 सारांश

अभी तक आपने इस इकाई में जो कुछ पढ़ा, अब हम उसकी पुनरावृत्ति करेगें । इस इकाई का आरम्भ हमने महिला शिक्षा के ऐतिहासिक अवलोकन से किया । हमने वैदिक कौल से आधुनिक काल तक महिला-शिक्षा के स्वरूप को जानने का प्रयास किया ।

प्राचीन काल में महिलाओं की समाज में प्रस्थिति कैसी थी । आधुनिक काल में उस प्रस्थिति एवं महिला-शिक्षा में क्या बदलाव आया । महिलाओं की शैक्षिक प्रस्थिति कैसी है ।

इसके साथ-साथ हमने विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन किया जो स्त्री शिक्षा को प्रभावित करते हैं । सरकार एवं समाज द्‌वारा स्त्री शिक्षा को बढ़ाने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये है उसकी की विवेचना भी की गई ।

मूल्यांकन प्रश्न

1. वैदिक काल में महिलाओं की प्रस्थिति की विवेचना करिये ?
2. उन प्रमुख सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों का उल्लेख उदाहरण देकर करिये जिन्होंने महिला-शिक्षा को प्रभावित किया ?
3. महिला-शिक्षा के बदलते परिदृश्य को अपने शब्दों में व्यक्त करिये ।
4. महिला शिक्षा को बढ़ाने हेतु किये जा रहे प्रयासों का उल्लेख करिये ।
5. "क्या वास्तव में स्त्री-शिक्षा समाज का आईना है", तर्क सहित विवेचना करिये ।

1.8 संदर्भ ग्रंथ

1. Digumati Bhaskara Row, Education for Women, Discovery Publishing House, New Delhi - 110002
2. Rao, R.K.,Women and Eduacation, Kalpaz Publication, New Delhi - 110052
3. कटारिया कमलेश, नारी जीवन : वैदिक काल से आज तक, यूनिक ट्रेडर्स, जयपुर
4. Pantjali, PC., Development of Woment Education in India, Shree Publishers, Ansari Road, New Delhi - 110002

इकाई 2

महिला शिक्षा - वर्तमान स्थिति

Women Education : Present status

इकाई की रूपरेखा (Structure of the unit)

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 वर्तमान में महिलाओं की शैक्षिक प्रस्थिति

2.3 सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का शिक्षा पर प्रभाव

(अ) ग्रामीण सन्दर्भ में

(ब) शहरी सन्दर्भ में

(स) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यकों के सन्दर्भ में

2.4 महिला-शिक्षा की प्रगति -गुणात्मक एवं संख्यात्मक विश्लेषण

2.5 शैक्षिक विकास में लैंगिक अनुपात का असन्तुलन

2.6 सारांश

2.7 संदर्भ ग्रंथ

2.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- वर्तमान में महिलाओं की शैक्षिक प्रस्थिति की व्याख्या कर सकेंगे ।
- ग्रामीण सन्दर्भ में महिलाओं की शिक्षा पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभावों की विवेचना कर सकेंगे ।
- शहरी सन्दर्भ में महिलाओं की शिक्षा पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभावों का उल्लेख कर सकेंगे ।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों के सन्दर्भ में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का स्त्री-शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेगें ।
- महिलाओं की गुणात्मक एवं संख्यात्मक शैक्षिक प्रगति का विश्लेषण कर सकेगें ।
- शैक्षिक विकास में लैंगिक असन्तुलन की व्याख्या कर सकेगें ।

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

पिछली इकाई में आपने महिलाओं की शिक्षा एवं समाज में उनकी प्रस्थिति का अध्ययन किया है। वैदिक काल से वर्तमानकाल तक यदि हम महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति एवं शिक्षा का अध्ययन करें तो विभिन्न कालों में उनकी शैक्षिक प्रस्थिति में अन्तर पाते हैं ।

सदियों से नारी जाति शोषण, पुरूष की अधीनता, दासता और अत्याचारों की शिकार रही है । बचपन में पिता अथवा भाई, शादी के बाद पति एवं पति की मृत्यु के बाद पुत्र का संरक्षण ही उसका जीवन रहा है । उसे कभी भी स्वतंत्र एवं स्वच्छन्द वातावरण में जीने का अवसर नहीं मिला है । आजादी से पूर्व एवं आजादी के बाद हमारे देश के कई अग्रणी नेताओं, समाजसुधारकों जैसे राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, ईश्वरचन्द विद्‌यासागर, महात्मा गाँधी, महात्मा ज्योतिराव फुले, जवाहर लाल नेहरू आदि ने महिलाओं की स्थिति मे सुधार लाने हेतु तथा उनकी शिक्षा पर बल देते हुए काफी प्रयास किये । समाज व पुरूषों की मानसिकता को बदलना आसान कार्य नहीं था । फिर भी इनके प्रयासों से समाज में प्रचलित कई कुरितियॉ समाप्त हो गई । उन पर कानून भी बने । इस प्रकार अधिकांश कुप्रथाओं का अन्त हुआ जिनसे स्त्री का जीवन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था । क्योंकि पहला प्रश्न जीवन के अस्तित्व का है । कन्या के जनम लेने के बाद उसे कुछ ही घंटों में मौत की नींद सुला देना, बाल-विवाह, सती-प्रथा, जिसमे स्त्री को अपनी पति की चिता के साथ जिन्दा जलने के लिये मजबूर किया जाता था । आज ये सब बातें हमें किस्से-कहानियों की तरह लगती है लेकिन जरा ईमानदारी से विचार कर देखें कि प्राचीन युग की नारी कितने अत्याचारों को सहने के लिये विवश थी । जिसकी जिन्दगी पर उसका अपना कोई बस ना हो वह कितनी पर बस य लाचार रही होगी । ऐसे मे शिक्षा लेने की उसकी चाहना किस सीमा तक पूरी होती होगी, ये समझना मुश्किल नहीं है ।

2.2 वर्तमान में महिलाओं की शैक्षिक प्रस्थिति

वर्तमान समय में महिलाओं की शैक्षिक प्रस्थिति मध्यकाल की महिलाओं की तुलना में बेहतर कही जा सकती है । शिक्षा का स्वरूप गतिशील है । समाज में होने वाले सामाजिक-आर्थिक व राजनैतिक परिवर्तन शिक्षा को निरन्तर प्रभावित करते रहते है ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के याद भारत ने विभिन्न क्षेत्रो में काफी प्रगति व उन्नति की है परन्तु जहाँ तक महिलाओं की शिक्षा का सवाल है । यह उन्नति इस दिशा मे सराहनीय नहीं कही जा सकती है । निरक्षरता के कारण महिला सर्व गुण सम्पन्न होते हुए भी स्वयंसिद्ध बनने से वंचित रही । समाज का एक बड़ा हिस्सा स्त्री-शिक्षा को बढ़ाया देने से हिचकिचा रहा था । पुरूष-प्रधान भारतीय समाज में पुरूषो की मानसिकता से यह साफ जाहिर हो रहा है कि प्रकट रूप मे जो स्त्रीशिक्षा के हिमायती बनते हैं उनमें से अधिकांश व्यक्ति यह नहीं चाहते कि समाज में स्त्रियों का वर्चस्व बढ़ जाये ।

विकास और शिक्षा का गहरा रिश्ता है । किसी भी देश की संस्कृति, उसका विकास व प्रगति वहाँ रहने हाले व्यक्तियों की सांस्कृतिक उन्नति, उनके विकास व प्रगति पर निर्भर करता है । महिलाएँ कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग होती है अत: जिस समाज मे आधी जनसंख्या निरक्षर हो वह समाज प्रगति कैसे कर क्षमता है ।

भारत मे अनेक ऐसे विद्‌वान, चिन्तनशील व समाज सुधारक हुये है जिन्होंने नारी की महत्ता को जाना, पहचाना व माना है । इन लोगों के आगे आने से तथा नेतृत्व से भारत मे

स्त्री-शिक्षा पर बल दिया गया । प्राचीनकाल से अब तक के इतिहास को देखे तो वर्तमान समय में नारी शिक्षा में बढ़ोत्तरी हुई है ।

जहां पहले समाज मे लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता था तथा यह माना जाता था कि लड़की है, पढ़ कर क्या करेगी? इसे तो घर गृहस्थी के कार्य सिखने चाहिये । पढ़ाई सिर्फ लड़को के लिये हैं उन्हे आगे चलकर नौकरी करनी है । लेकिन इतिहास साक्षी है कि जब-जब समाज या राष्ट्र ने नारी को अवसर व अधिकार दिये हैं, तब-तब नारी ने विश्व के समक्ष अपनी श्रेष्ठतम रूप को प्रस्तुत किया है । शिक्षा के क्षेत्र में गार्गी, मैत्रेयी, केशा और विश्वपारा जैसी विदुषियॉ आज भी शिक्षा में अपनी अमूल्य योगदान के लिये पूजनीय है ।

वर्ष 1956 मे महिला शिक्षा राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई, जिसने स्त्रियों की शिक्षा से सम्बन्धित विविध समस्याओं और बाधाओं की ओर ध्यान आकृष्ट क्रिया । समिति का सुझाव था कि लड़कों के समान ही लड़कियों को शिक्षा दी जानी चाहिये । समिति के अनेक सुझावों सरकार ने स्वीकार किया । समिति के मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे:-

1. लड़कियों की प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाये ।
2. उनकी शिक्षा में बाधक पारम्परिक नियमों को समाप्त किया जाये ।
3. महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति अधिक से अधिक की जाये ।
4. माध्यमिक स्तर तक लड़कियों के लिये अलग शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था की जाये ।
5. जब तक विद्‌यालयों में 6-11 वर्ष की 80% छात्राओं का नामांकन न हो जाये, तब तक केन्द्र द्‌वारा राज्यों को सहायता दी जाये ।
6. लड़के व लड़कियों के शिक्षा के अन्तराल को शीघ्र समाप्त किया जायें ।

विश्वविद्‌यालय अनुदान आयोग द्‌वारा लड़कियों की शिक्षा के लिये विशेष आर्थिक सहायता हेतु राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करना भी उल्लेखनीय है ।

स्त्री-पुरूष के शिक्षा के बीच अन्तर के कारणों तथा उसके निराकरण के लिये 1963 में बालक और बालिकाओं के पाठ्‌यक्रम विभेदीकरण समिति की स्थापना की गयी । समिति का सुझाव था कि प्रारम्भिक स्तर तक लड़के एवं लड़कियों के लिये एक ही विषय वस्तु की व्यवस्था होनी चाहिये । जूनियर हाई स्कूल तक लड़के और लड़कियों दोनों के लिये गृह-विज्ञान जैसी विषय वस्तु का समावेश किया जाना चाहिये जो एक से हो । माध्यमिक स्तर तक भी दस्तकारी और हथकरघा जैसे विषय दोनों के लिये समान रूप से चलाये जाने चाहिये ।

भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने स्त्रियों की शिक्षा तथा उससे सम्बन्धित समस्याओं पर विस्तृत रूप से विचार किया और उन सभी उद्देश्यों पर पुन: ध्यान दिया जो पहले के शिक्षा के आयोगों के समक्ष थे । आयोग ने सुझाव दिया कि -

“स्त्रियों की शिक्षा को प्रमुख कार्यक्रम के अन्तर्गत रखना चाहिये और उन सभी समस्याओं को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये, जो स्त्रियों की शिक्षा में बाधक हो । पुरूषों एवं स्त्रियों के बीच की असमानता को समाप्त कर देना चाहिये !"

शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर शिक्षा आयोग द्‌वारा 1986 में नीति का निर्धारण किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य था, देश के राष्ट्रीय एकीकरण स्त्रीपुरूष सबको शिक्षा का

अवसर प्रदान करने की बात दुहराई गयी । विज्ञान व तकनीकी जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया । साथ ही नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों की बात भी उठाई गयी । इस शिक्षा नीति के अनुसार "लड़कियों की शिक्षा न केवल सामाजिक न्याय के लिये दी जानी चाहिय, अपितु इसलिए भी दी जानी चाहिए कि इससे परिवर्तन और विकास की गति भी तीव्र होती है ।"

इन आयोगों और समितियों का एक उल्लेखनीय लाभ यह रहा कि स्त्री-शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कम से कम सैद्धांतिक स्तर पर परिवर्तन आया । स्त्री-शिक्षा को विकास से जोड़ने की बात सोची जाने लगी । यह अनुभव किया जाने लगा कि विकास और अभिवांछित सामाजिक परिवर्तन तब तक सम्भव नहीं हो सकेगा, जब तक स्त्री शिक्षा को उससे नहीं जोड़ा जायेगा । यही कारण है कि मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है कि शिक्षा हर मानव का मौलिक अधिकार है, जिसका अवसर बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से सुलभ होना चाहिये !

भारतीय संविधान ने 14 वर्ष तक के बच्चो के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की, जिसे एक दशक में पूरा करने का संकल्प लिया गया । इसका आगामी पंचवर्षीय योजनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा । प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश के समुचित विकास के लिये शिक्षा को प्रमुख आधार स्वीकार किया गया । फलत: संविधान के निर्देशानुसार तथा विश्वविद्यालय आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया ।

स्त्रियों की शिक्षा के पिछड़ेपन का आभास वास्तव में तब होता है जब हम शिक्षा के विविध स्तरों पर ध्यान देते हैं । शिक्षा के प्रमुख तीन स्तर होते हैं - प्राथमिक, माध्यमिक, तथा विश्वविद्यालयी । सम्पूर्ण भारतीय स्तर पर प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में नामांकन दो दशकों तक लगभग अपरिवर्तित रहा और माध्यमिक स्तर पर स्थिति में ह्रास हुआ । हालांकि स्त्री शिक्षा के आकड़ों का ग्राफ पिछले वर्षो के मुकाबले मे बढा है फिर भी आशातीत सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है ।

भारत में शिक्षा के विकास के परिप्रेक्ष्य में स्त्री-शिक्षा की स्थिति का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि स्त्री-शिक्षा में काफी प्रगति हुई है फिर भी स्त्रियों और पुरूषों की शिक्षा का अन्तराल बना हुआ है ।

2.3 सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का शिक्षा पर प्रभाव

(अ) ग्रामीण सन्दर्भ में - भारत की लगभग 80% जनसंख्या गॉवों में निवास करती है । ग्रामीण समाज में शिक्षा का प्रचार-प्रसार शहरों की तुलना में कम है । लोग परम्परागत सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में अधिक विश्वास रखते हैं । पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में उतना नजर नही आता जितना कि शहरी सामाजिक जीवन में दृष्टिगत होता है।

महिला साक्षरता की दृष्टि से देश में सबसे कम साक्षरता 20.84 प्रतिशत राजस्थान राज्य में है । 1991 की जनगणना सर्वेक्षण में यह पाया गया कि देश की कुल 84 करोड़ जनसंख्या के 33 करोड़ 22 लाख निरक्षरों में से बीस करोड़ 21 लाख महिलाएं निरक्षर थी । ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 75 प्रतिशत से अधिक महिलाएं निरक्षर है ।

महिलाओं के निरक्षरता का कारण समाज में प्रचलित रूढ़िवादी परम्पराएं, सामाजिक कुरीतियाॅ सामाजिक पिछड़ापन, दोषपूर्ण रीतिरिवाज, धार्मिक मान्यताओं के नाम पर प्रचलित कई अन्धविश्वास, आर्थिक गरीबी, अशिक्षा आदि है ।

ग्रामीण समाज में आज भी लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है । दरअसल भारतीय परिवारों के अनुसार कन्या पराया धन है । अत: माता-पिता अपनी कन्या का विवाह शीघ्रातिशीघ्र करना चाहते हैं । अत: गाँवों में आज भी बाल-विवाह करवाये जाते हैं । परिवार में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है । उनके पालन-पोषण व शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता । यही नहीं लड़कियों के होश संभालते ही उन्हें घर के काम काज में जोत दिया जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों में माँ-बाप खेती करने चले जाते हैं और नन्हीं बेटी अपने से छोटे भाई-बहिनों का ख्याल रखती है । घर के काम-काज संभालती है । कभी-कभी गाय-बकरी भी चराने जाती है । इसका प्रभाव यह होता है कि लड़की अपनी पढ़ाई की बात सोच नहीं पाती और यदि वह पाठशाला जाती भी है तो विभिन्न कार्यो में दबकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाती है ।

लड़कियों की पढ़ाई को अवरूद्ध करवाने में सामाजिक मान्यताओं व रूढ़ियों का बहुत हाथ होता है। पिछड़े व रूढ़िवादी समाज में लड़कियों का पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता । उन्हें लगता है कि लड़की को घर के कार्य ही करने चाहिये वह पढ़ लिख कर क्या करेगी । उसे आगे चलकर नौकरी थोड़ी करनी है । या फिर समाज की यह सोच कि यदि लड़की पांचवी तक भी पढ़ ली तो उसके दिमाग चढ़ जायेंगे वह घर के काम काज में हाथ नहीं बटाएगी गया पढ़ी लिखी लड़की के लिये योग्य वर ढूंढने में परेशानी होगी ।

अत: ऐसे समाजों में लड़कियों का विवाह छोटी उम्र में ही कर दिया जाता है ।

महिलाओं के विकास व उन्नति के जरूरी है कि निरक्षरता का समूल नाश किया जाये । सर्वेक्षण बताते हैं कि शिक्षित महिलाओं की तुलना में अनपढ़ स्त्रियाँ बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा, दहेज-प्रथा, अनमेल विवाह, तलाक वैश्यावृत्ति या बलात्कार की ज्यादा शिकार होती है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत कुल ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या का एक चौथाई भाग है । सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि स्वतन्त्र भारत में वे तीन चौथाई निरक्षर है । भारत के गरीब अभिभावक बालिकाओं को पढ़ाने भेजने के लिये असमर्थ है । बालिकाएं बचपन से ही शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्कूल में जाने के बजाय दूसरों के घरों में काम करके परिवार के लिये आर्थिक रूप से मददगार सिद्ध होती है । ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी व भुखमरी से विवश होकर भी कई परिवारों में बालिकाऐ भी अपनी अभिभावकों के साथ मजदूरी पर जाती है । आज भी ग्रामीण एवं शहरी गरीब अभिभावक बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्कूल भेजने को प्राथमिकता देना नही चाहते इसके बजाय वह उसे बाल-श्रमिक के रूप में कार्य पर भेजने की प्राथमिकता समझते हैं ।

(ब) शहरी सन्दर्भ में - स्त्री शिक्षा को यदि शहरी सामाजिक मूल्यों व सांस्कृतिक मूल्यों के सन्दर्भ में देखा जाये तो हम पाते है कि शहर के लोग अपने पुत्र व पुत्री में कोई फर्क नहीं करते हैं तथा समान रूप से उनके लिये शिक्षा की व्यवस्था करते हैं । समाज की सोच भी व्यापक होती है । समाज पढ़ा लिखा व सुलझे हुये विचारों को मान्यता देता है । लड़कियाँ

लड़कों के समान सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है उन पर सामाजिक बन्धन उतने कसे हुए नहीं है जितने की ग्रामीण समाज में । निरक्षरता का प्रतिशत शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में अधिक पाया जाता है ।

संविधान के अनुच्छेद 14 में यह व्यवस्था की गई है कि 6-14 वर्ष तक के सभी बालक-बालिकाओं को बिना भेदभाव के अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी । परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षा बाद भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये है ।

यशपाल समिति के आकलन के अनुसार पहली कक्षा में दाखित सौ लड़कियों में से चालीस लड़कियाँ ही पाँचवी कक्षा तक पहुँच पाती है । दर्जा पाँच तो मात्र अठारह लड़कियाँ ही पार कर पाती है । विश्वविद्यालय तक मात्र तीन प्रतिशत लड़कियाँ पहुँच पाती है ।

देश में महिलाओं की कुल जनसंख्या लगभग 40 करोड़ 71 लाख 1991 की जनगणना के अनुसार है तथा महिला साक्षरता कुल साक्षरता का 52.11% थी । पुरूषो की 63.86%साक्षरता के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता 39.42% आंकी गई ।

बड़े-बड़े शहरों में शिक्षित नारी उपभोक्तावादी संस्कृति का शिकार बन रही है । इस दृष्टि से देखे तो आज शिक्षित नारी, अशिक्षित नारी की अपेक्षा कही अधिक शोषित नजर आती है । वह विभिन्न सौन्दर्य साबुन, शैम्पू चाय व अन्य विज्ञापनों के माध्यम से अश्लीलता के जाल में फंसती जा रही है । सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों में ह्रास दिखाई देता है। (पैसा तथा झूठी प्रसिद्धि पाने के लालच में कई शिक्षित नारियाँ किसी भी हद तक जा सकती है।)

(स) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्याकों के सन्दर्भ में

शिक्षा ज्ञान का प्रसार करती है । समाज में व्याप्त पाखण्ड, समस्याओं, बुराईयों, कुरीतियों व रूढ़िवादियों से मुक्ति दिलवाती है और उसके स्थान पर वैज्ञानिक विचारो की स्थापना करती है । शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक विकास के क्षेत्र में होती है ।

संविधान के अनुच्छेद 14 में यह व्यवस्था की गई है कि 6-14 वर्ष तक के सभी बालक-बालिकाओं को बिना भेदभाव के अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी । ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 75 प्रतिशत से अधिक महिलाऐं निरक्षर है । इनमें भी निम्न गरीब तबके, अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों की 90 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ निरक्षर है । देश के 17 जिलों में महिला साक्षरता 50 प्रतिशत से कम है । तथा 73 जिलों में महिला साक्षरता 20 प्रतिशत से भी कम है ।

आज भी करोड़ों बालिकायें कभी भी स्कूल नहीं जा पाती । इनमें से अनुसूचित जाति की महिलाऐं सबसे अधिक शिक्षा से वंचित है । यूनिसेफ की एक रिर्पोट के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों के बच्चों के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं पहली से चौथी तक में नामांकन दर केवल 15.79 प्रतिशत है इनमें 39.46 कन्यायें है और इनमें भी प्राथमिक शिक्षा के बाद आधी लड़कियॉ स्कूल छोड़ देती है । स्कूल छोड़ने वालों में सर्वाधिक 68.73 प्रतिशत जनजाति की लड़कियाँ है । स्पष्ट है कि देश में देहाती बालिकाओं विशेषकर अनुसूचित व पिछड़ी जातियों की साक्षरता दर आज भी काफी नीचे है । हालांकि देश में शिक्षा सम्बन्धी काफी सुधार किये गये हैं । फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है । राष्ट्रीय शैक्षिक

अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद के पाँचवे अखिल भारतीय सर्वे (1989)के अनुसार देश के 60% प्राथमिक स्कूलों में सभी कक्षाओं 'पहली से चौथी' के लिये मात्र एक-एक अध्यापक तैनात है । देश के 5.29 लाख प्राईमरी स्कूलों में से आधों में स्वच्छ पेयजल की सुविधाएँ भी नहीं हैं । 85% स्कूलों में कोई शौचालय नहीं है और 71000 स्कूलों में भवन के नाम पर कोई कच्ची या पक्की इमारत नहीं है ।

सामाजिक व सांस्कृतिक रूढ़ियाँ भी बालिका-शिक्षा के मार्ग को अवरूद्ध करती हैं । अनुसूचित जाति व जनजातियों में तथा अल्पसंख्यक समुदाय में बालिका-शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है। माता-पिता स्वयं निरक्षर होते हैं' तथा वे परम्परागत मान्यताओं में ज्यादा विश्वास रखते हैं । इन समाजों में लड़कियों का विवाह प्राय: छोटी उम्र में कर दिया जाता है । कहीं-कहीं बाल-विवाह कर, लड़की के किशोरावस्था आने पर गौना कर उसे ससुराल भेजा जाता है । अत: लड़कियाँ स्कूल में अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती है । माता-पिता के घर रहकर भी उसे घरेलू कार्यो में हाथ बटाना होता है । सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार लड़कियों की दुनियाँ घर-परिवार तक ही सीमित होनी चाहिये ।

माता-पिता गरीब होने के कारण भी बालिका शिक्षा पर ध्यान नहीं देते अत: बालिकाओं को शिक्षित करने से पहले अभिभावकों की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है तथा बालिकाओं को सीखो कमाओं' जैसी योजना से सह-संबंध करने की आवश्यकता है, जिससे गरीबी की रेखा के नीचे निचले स्तर पर जी रहे लोगों को बालिकाओं को शिक्षा हेतु विद्यालय भेजने का मन बन सके ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 महिला शिक्षा राष्ट्रीय समिति का गठन कब हुआ और इसके क्या सुझाव थे ।

2 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तुलना में करते हुए वर्तमान साक्षरता परिदृश्य पर टिप्पणी किजिए ।

3 भारत में ग्रामीण साक्षरता की निम्न दर का वर्णन करो ।

2.4 महिला शिक्षा की प्रगति (गुणात्मक एवं संख्यात्मक विश्लेषण)

सभ्यता के आदिमयुग मनुवादी व्यवस्था प्रागैतिहासिक काल में नारी की स्थिति पुरूष से बेहतर थी । आर्यों की सभ्यता संस्कृति के प्रचार-प्रसार में स्त्रियों का विशेष योगदान था । उस समय स्त्रियाँ शिक्षा अर्थात ब्रहम ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ थी ।

प्राचीन काल के विकासक्रम पर दृष्टिपात करे तो यह तत्व सामने आता है कि यदि महिलाओं के योगदान को हटा दे तो इतिहास का स्वरूप ही बदल जाता है । इतिहास महत्वहीन, सारहीन हो जाता है । उदाहरण के तौर पर यदि रामायण से सीता को, महाभारत से द्रौपदी, कुन्ती, गन्धारी को, भागवत से देवकी, यशोदा, राधा, रूक्मिणी व गोपियों के चरित्र को हटा दें तो राम कृष्ण एक साधारण पुरूष ही रह जाते है ।

नारी शिक्षा का जीता जागता उदाहरण पण्डित मण्डन मिश्र के आने पर उनकी पत्नी का शंकराचार्य से तत्वज्ञान से सम्बन्ध में शास्त्रार्थ है ।

शैक्षिक सुविधाओं के विकास हेतु सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा 4 नवम्बर 1948 को राधाकृष्णन आयोग 'विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग की स्थापना की गई । आयोग ने "पढ़ी-लिखी माता घर की भाग्य-विधाता" के आदर्शपुरूष वाक्य को स्वीकार करते हुये स्त्री शिक्षा के विकास कार्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य बताया । आयोग के अनुसार स्त्रियों को कुशल मातृत्व सफल, गृहिणी व परिवार के सफल वित्तमंत्री बनाने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें गृह अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, गृह प्रबन्धन व मातृ शिशु कल्याण विषयों की शिक्षा उच्च प्राथमिकता के आधार पर दी जाये ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) के प्रारम्भिक वर्षो में देश की साक्षरता दर मात्र 18.33%थी । जिसमें 1961 में तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-66 में साक्षरता का दर 28.30% था जिसमें पुरूष व स्त्री साक्षरता क्रमशः 40.4% व 15.3% रही । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) में महिला साक्षरता का प्रतिशत 21.97% रहा । उस समय प्रति हजार पुरूषों पर मात्र 440 महिलाएँ ही साक्षर थी । छटी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के आरम्भ में 1981 में साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर 43.57% हो गया । व 29.67% हो गया । इस काल में स्त्री शिक्षा में विशेष सफलता प्राप्त हुई जिसमें पुरूष-स्त्री साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 56.38% व 29.67% हो गया । परिणामस्वरूप पुरूष व महिला साक्षरता के मध्य अन्तर घटकर दो गुने से भी कम हो गया । 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया साथ ही तकनीकी व व्यावसायिक क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1991 में साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर 52.2 प्रतिशत हो गया । पुरूष व स्त्री साक्षरता प्रतिशत भी बढ़कर क्रमशः 64.13% व 39.29% हो गया ।

इस प्रकार प्रति हजार पुरूषों पर साक्षर महिलाओं की संख्या 569 होगा ।

महिला साक्षरता की दर में देश के विभिन्न भागों में भारी अन्तर दिखाई देता है । जिसे निम्न तालिका द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है-

तालिका 2.1

महिला साक्षरता का प्रादेशिक स्वरूप

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	1991 में महिला साक्षरता (प्रतिशत में)	2001में महिला साक्षरता (प्रतिशत में)
1.	केरल	68.13	87.86
2.	मिजोरम	78.60	86.13
3.	लक्षद्वीप	72.89	81.13
4.	चंडीगढ़	72.34	76.65
5.	गोवा	68.09	75.51
6.	दिल्ली	66.99	75.00

7.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	65.46	75.29
8.	पाण्डिचेरी	65.63	74.13
9.	दमनद्वीप	59.40	70.37
10.	हिमाचल प्रदेश	52.13	68.08
11.	महाराष्ट्र	52.32	67.51
12.	त्रिपुरा	49.65	65.41
13.	तमिलनाडू	51.33	64.55
14.	पंजाब	50.41	63.65
15.	नागालैंड	54.75	61.92
16.	सिक्किम	46.69	61.45
17.	उत्तरांचल	-	60.26
18.	प.बंगाल	46.56	60.22
19.	मेघालय	44.60	60.41
20.	मणिपुर	47.60	59.70
21.	गुजरात	48.64	58.60
22.	कर्नाटक	44.34	57.45
23.	हरियाणा	40.47	59.70
24.	असम	43.03	56.31
25.	छत्तीसगढ़	-	52.40
26.	आंध्रप्रदेश	32.72	51.17
27.	उड़ीसा	34.68	50.97
28.	मध्यप्रदेश	28.85	50.28
29.	राजस्थान	20.24	44.34
30.	अरुणाचल	29.69	44.24
31.	दादर व नगर हवेली	26.98	42.99
32.	उत्तरप्रदेश	25.31	42.98
33.	जम्मू कश्मीर	-	41.82
34.	झारखण्ड	-	39.38
35.	बिहार	20.44	33.57

(Sensex of Media 1991-2001)

सेन्सस ऑफ इण्डिया 1991-2001

महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा अनेक विकास कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जैसे द्वारका योजना (1982), महिला समाख्या योजना (1989), किशोरी बालिका योजना (1992), ग्रामीण महिला विकास परियोजना (1996),

बालिका समृद्धि योजना (1997) एवं स्वंय सिद्ध योजना (2001) आदि । इन परियोजनाओं व कार्यक्रमों के फलस्वरूप महिलाओं की साक्षरता दर मे वृद्धि हुई है !

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वर्तमान मे महिला साक्षरता पिछले 10 वर्षो में 39.29% से बढ़कर 54.16% हो गई है । इस प्रकार पिछले एक दशक में 14.87% की वृद्धि संभव हो सकी है।

2.5 शैक्षिक विकास में लैंगिक अनुपात का असन्तुलन (Gender inbalance in Education Development)

महिला शिक्षा की संख्यात्मक व गुणात्मक विवेचना करने के उपरान्त यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ मे आ जाती है कि आरम्भ से ही बालक व बालिका के शैक्षिक विकास में अन्तर पाया गया है । भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) ने स्त्रियों की शिक्षा तथा उससे सम्बन्धित समस्याओं पर विस्तृत रूप से विचार किया । आयोग के सुझाव अनुसार "स्त्रियों की शिक्षा को प्रमुख कार्यक्रम के अन्तर्गत रखना चाहिये और उन सभी समस्याओं को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये, जो स्त्रियों की शिक्षा में बाधक हो ।" पुरूषों व स्त्रियों के बीच की असमानता को समाप्त कर देना चाहिये ।

मानव-अधिकार के सार्वभौमिक घोषणापत्र में उल्लेख किया गया है कि शिक्षा हर मानव का मौलिक अधिकार है, जिसका अवसर बिना किसी भेदभाव के सभी को समानरूप से सुलभ होना चाहिये ।

इन सभी प्रयासों से स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित तीन पक्ष उभर कर सामने आये हैं - 1. विद्यालयों के विषयवस्तु का पुनर्निरीक्षण करना, ताकि किसी प्रकार लिंग के आधार पर पक्षपात न हो और साथ ही विद्यालयों में लिंगों की समानता के विचार को प्रोत्साहित करना । 2. शिक्षकों की भावनाओं को लिंग 'समानता से ओतप्रोत करना और 3. स्त्रियों की संख्या को हर क्षेत्र में बढ़ावा देना तथा उनकी समस्याओं से सम्बद्ध कार्यक्रमों पर अध्ययन और शोध को प्रोत्साहित करना ।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि प्रजातान्त्रिक राज्य में जहाँ हर नागरिक का समान नागरिक अधिकार तथा सामाजिक उत्तरदायित्व है, वहाँ लड़की तथा लडकियों की शिक्षा में अन्तर पाया जाता है, जो वांछनीय नहीं है ।

स्त्री शिक्षा के प्रति इस प्रकार के प्रगतिशील मूल्यों के होने पर भी स्त्रियों और पुरूषों की शिक्षा में अन्तर रखने की संस्तुति विविध स्तरों पर दी जाती रही है ।

1971-81 के दशक में स्त्री-शिक्षा में 6.1 की वृद्धि हुई, 1971 में 18.7% स्त्रियाँ शिक्षित थी, जबकि 1981 में शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत बढ़कर 24.8% हो गया ।

निम्न सारणी में स्त्रियों और पुरूषों की शिक्षा दर को दर्शाया गया है ।

तालिका - 2.2

भारत में शिक्षा का विकास - 1951-81 तक प्रतिशत में

वर्ष	कुल जनसंख्या मे से दर जनसंख्या में से शिक्षित पुरूषों प्रतिशत में	दशक विकास दर	कुल महिला जनसंख्या मे से शिक्षित महिला प्रतिशत मे	दशक विकास दर	साक्षरों का लिंग अनुपात
1951	24.94	अनु.	7.93	अनु.	301
1961	34.43	61.36	12.95	98.08	351
1971	39.43	43.78	18.71	71.08	941
1981	46.59	43.94	24.83	61.35	494

स्त्रोत : सामयिक जनसंख्या योग, 1981

2. लेख ii, 5 प्रतिशत प्रतिदर्श आकड़ों पर आधारित विशेष रिर्पोट एवं तालिका, भारत जनगणना (1981)

अनु : अनुपलब्धता का अभिसूचक है ।

* आसाम की जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया गया है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 राधाकृष्ण आयोग क्या है ?

2 लैंगिक भेदभाव से आप क्या समझते है !

विगत 60 वर्षो के प्रयासों के बावजूद भी स्त्रियों की निरक्षता खत्म नहीं हो पा रही है । 1961 में 18.5 करोड़ थी, 1971 में 21.5 करोड़ 1981 में 24.1 करोड, 1981 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अशिक्षित महिलाऐं राजस्थान में (85.12%), उसके बाद बिहार में (86.47%), उत्तर प्रदेश में (88.58%) मध्यप्रदेश (84.47%), जम्मू कश्मीर (84.12%) थी ।

सारणी में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर स्त्री और पुरूष की शिक्षा दर की तुलना की जा सकती है ।

तालिका - 2.3

भारत में साक्षरता व महिला साक्षरता (1901 से 2001)

वर्ष	कुल साक्षरता	पुरुष साक्षरता प्रतिशत मे	महिला साक्षरता प्रतिशतमे	साक्षर महिलाओं प्रतिशत में	100 साक्षर की करोड़
1901	5.35	8.83	0.69	0.10	80
1911	5.92	10.56	1.05	0.16	94
1921	7.16	12.21	1.81	0.28	140
1931	9.50	15.59	2.93	0.42	1.75
1941	16.10	24.90	7.30	1.05	235
1951	18.33	27.16	8.86	1.37	299
1961	28.30	40.40	15.35	2.76	354

1971	34.45	45.96	21.97	4.03	440
1981	43.57	56.38	29.76	8.21	494
1991	52.21	64.13	39.26	13.17	569
2001	65.38	75.85	54.16	26.76	684

स्त्रोत. सेन्सस ऑफ इण्डिया,1951,1961,1971,1981,1991 तथा 2001

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में स्त्री-शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है।

2.6 सारांश (Summary)

अभी तक इकाई में जो कुछ आपने पढ़ा अब हम उसकी पुनरावृत्ति करेगें । इस इकाई में हमने महिलाओं की शैक्षिक प्रस्थिति के बारे में जानकारी ली ।

हमने यह भी जाना कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है । इसके अन्तर्गत हमने शहरी, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्या के सन्दर्भ में विशेष अध्ययन किया ।

महिला शिक्षा की प्रगति का गुणात्मक एवं संख्यात्मक विश्लेषण कर उसका आकलन किया ।

साथ ही इरा इकाई में हमने शैक्षिक विकास में लैंगिक असन्तुलन का भी अध्ययन किया ।

मूल्यांकन प्रश्न

1. वर्तमान में महिलाओं की शैक्षिक प्रस्थिति की चर्चा कीजिये।
2. ग्रामीण सन्दर्भ में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? उल्लेख करिये।
3. महिला-शिक्षा की प्रगति पर अपने विचार व्यक्त करिये।
4. शैक्षिक विकास में लैंगिक असन्तुलन के क्या कारण हो सकते हैं? तर्क दीजिये।

2.7 संदर्भ ग्रंथ

1. Digumati Bhaskar Raw, Education for Women, Discovery Publishing, New Delhi - 110002,
2. Aggarwal, J.C. Modern Indian Education, Shipra Publications, Delhi.2001.

इकाई 3

बालिका शिक्षा (Education of Girl Child)

इकाई की संरचना (Structure of the Unit)

3.0 उद्देश्य

3.1 बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति

3.2 बालिकाओं की कम भागीदारी एवं विद्यालय छोड़ने की ऊँची दर के कारण

3.3 सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य एवं उनका प्रभाव निम्न संदर्भ में

(अ) ग्रामीण परिवेश

(ब) शहरी परिवेश

(स) पिछड़े वर्ग

3.4 सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालिका शिक्षा

3.5 बालिका शिक्षा की स्थिति में परिवर्तन

3.6 सारांश

3.8 संदर्भ

3.0 उदेश्य (Objectives)

इस इकाई को पढने के पश्चात् आप -

- भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति का वर्णन कर पायेंगे ।
- बालिकाओं की शिक्षा में कम भागीदारी के कारणों की व्याख्या कर पायेंगे ।
- बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने की ऊँची दर के कारण बता पायेंगे ।
- भारतीय सांस्कृतिक-सामाजिक मूल्यों के बालिका शिक्षा पर प्रभाव की व्याख्या कर पायेंगे ।
- सर्वशिक्षा अभियान के तहत बालिका शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों का वर्णन कर पायेंगे ।
- भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति में 2002 के पश्चात् परिवर्तन का विश्लेषण कर सकेंगे ।

3.1 बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति (Educational Status of Girl Child)

प्राचीन भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध थीं । अनेक प्राचीन युग की विदुषी महिलाएँ गार्गी, मैत्रेयी आदि इसका प्रमाण हैं । कालान्तर में महिला शिक्षा की दशा अवनत होती गई । मुस्लिम काल में देश की महिलाओं को अनेक कुरीतियाँ जैसे पर्दा, बाल विवाह, आदि का सामना करना पड़ा जो महिला-शिक्षा के मार्ग में बाधक बनी ।

अंग्रेजी-शासन काल में इस दिशा में सुधार हेतु कुछ प्रयास हुए किन्तु वे नगण्य रहे । एक अंग्रेज एडम्स (Adams) के शब्दों में तत्कालीन स्थिति इस प्रकार प्रकट होती है- "समस्त शिक्षा - संस्थाएँ पुरुषों के लाभार्थ है, समस्त महिला वर्ग अज्ञानता के अन्धकार में भटक रहा है।" ईसाई धर्म प्रचारकों (Christian Missionaries) ने कलकत्ता में 1820 में एक महिला विद्यालय खोला किन्तु इसमे जन-साधारण की लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त न कर सकीं । 1854 में वुड्स घोषणा पत्र ने स्त्री-शिक्षा के प्रसार पर बल दिया । 1882 मे हंटर आयोग ने देश में केवल 2 प्रतिशत लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करते हुए पाया । इस आयोग ने अनेक सुझाव दिये किन्तु सरकार की शिक्षा के प्रति उपेक्षा के कारण सिफारिशों पर कोई अमल नहीं हुआ ।

19वीं व 20वी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में देश में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण की लहर फैली । राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द आदि इस आन्दोलन के अग्रदूत बने । 'आर्य समाज', रामकृष्ण मिशन' आदि संस्थाओं ने महिला शिक्षा संस्थाएँ खोलीं । श्रीमती एनीबिसेन्ट ने 1914 में बनारस में तथा महर्षि कार्वे ने 1916 में पूना में महिला शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की । सन् 1917 में सैडलर आयोग (Saddler Commission) ने महिलाओं हेतु पृथक् पाठ्यक्रम व व्यावसायिक प्रशिक्षण की सिफारिश की । महात्मा गाँधी ने भी बालिका शिक्षा हेतु काफी प्रयास किये । देश की स्वाधीनता के बाद महिला-शिक्षा में अभूतपूर्व प्रगति हुई । शिक्षा के समान अवसरों के प्रावधान को पूरा करने हेतु महिला-वर्ग की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । महिला शिक्षा का महत्त्व पं. जवाहरलाल नेहरु के शब्दों में इस प्रकार है- "एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है किन्तु एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है । " डॉ. राधाकृष्णन् आयोग (1948) ने कहा है - "शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता । यदि सामान्य शिक्षा को पुरुष या महिलाओं तक ही सीमित किया जाये, तो यह अवसर महिलाओं को दिया जाना चाहिए । क्योंकि ऐसा करने से शिक्षा का प्रसार अगली पीढ़ी तक हो सकेगा । "

भारतीय संविधान व विभिन्न शिक्षा आयोगों व समितियों ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है । संवैधानिक प्रावधान - संविधान की धारा - 15 के अनुसार "राज्य किसी नागरिक के प्रति वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा । (The State shall not discriminant against any citizen or grounds of race, caste, sex, place of birth or any of them) उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधान ने बालिका शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया । केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर विभिन्न शिक्षा आयोगों जैसे - डी. राधाकृष्णन् विश्वविद्यालय आयोग (1948-49), दुर्गाबाई देशमुख राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958-59) श्रीमती हंसा मेहता स्त्री शिक्षा समिति (1962), भक्तवत्सलम् समिति (1963) आदि की स्थापना की थी, उन सभी ने महिला शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक अभिशंसाएँ की हैं ।

उपर्युक्त समितियों, परिषदों तथा आयोगों की अभिशंसा के अनुसार महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता की दिशा में सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयास किये जा रहे हैं ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में महिला-शिक्षा हेतु संविधान की धारा 45 में शैक्षिक अवसरों की समानता के अवसर देने का प्रयास किया गया । पूर्वोलिखित समितियों, परिषद् एवं आयोगों ने महिला-शिक्षा के विकास में बाधक तत्त्वों के निराकरण एवं उसकी प्रगति सम्बन्धी सुझाव दिये । देश की पंचवर्षीय विकास योजनाओं में इस हेतु प्रयास किये गये ।

शिक्षा मानव संसाधन के विकास का महत्वपूर्ण साधन हैं । इसी कारण भारत की महिलाओं के सबलीकरण हेतु शिक्षा को एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है । शिक्षा के विकास में लोगों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति, अभिवृत्ति, मूल्य तथा संस्कृति कई बार बाधाएँ बनकर सामने आती। हैं । भारत में बालिकाओं की शिक्षा के विकास में बाधक के रूप में इन्हें अधिक जाना जाता है । ब्रिटिश काल में शिक्षा को ब्रिटिश शासन के सहायता हेतु एक छोटे से समूह को शिक्षित करने के साधन के रूप में देखा गया था । उस समय भी सामाजिक-धार्मिक परिस्थितियाँ अत्यन्त हावी थीं। अत: बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था विकट स्थिति में थी । 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधारकों ने बालिका शिक्षा की पैरवी की । आजादी के पश्चात् भी नीति निर्धारकों ने बालिका को बालक के समान शिक्षा प्रदान करने की नीतियों का निर्माण किया लेकिन बालिकाओं को शिक्षित करने के कार्य में व्यावहारिक प्रगति 20वी शताब्दी के अन्त तक अनेक प्रयासों एवं कारको के प्रभाव स्वरूप हुई है । इसी प्रगति का एक विहंगावलोकन हम करेंगे ।

1) साक्षरता की स्थिति - वर्ष 1951 से लेकर वर्ष 1981 तक महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि 7.93 से लेकर 24.82 प्रतिशत रही । लेकिन जनगणना आकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप निरक्षर महिलाओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुईहै । 1980-81 के उपलब्ध आकड़ों के अनुसार स्थिति इस प्रकार है- 1981 की जनगणनानुसार देश में उस समय महिलाएँ 29.75 प्रतिशत ही साक्षर थीं । जबकि पुरुषों का प्रतिशत 56.37 प्रतिशत अर्थात लगभग पुरुषों से आधी संख्या में ही महिलाएँ साक्षर थीं जो कुल महिला जनसंख्या का एक-चौथाई भाग ही था । वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल निरक्षरों में से लगभग 61 प्रतिशत महिलाएँ थी । और यह दर ग्रामीण इलाकों में लगभग 70 प्रतिशत थी । चिन्ताजनक यह है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निरक्षरों में से महिला निरक्षरता का प्रतिशत बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया । महिला और पुरुष साक्षरता दर के मध्य वर्ष 1951 में अन्तर 18.30 प्रतिशत बिन्दुओं का था जो वर्ष 1981 में बढ़कर 26.62 प्रतिशत हो गया । वर्ष 2001 तक यह अन्तर पुन: घटकर 21.70 प्रतिशत बिन्दु तक हो गया है ।

1991 की जनगणनानुसार देश में महिलाएँ 39.42 प्रतिशत साक्षर थीं तथा पुरुष 63.85% साक्षर थे । सत्र 2001 की जनगणनानुसार देश में महिलाएँ 54.16% साक्षर तथा पुरुष 75.85% साक्षर थे । अर्थात् साक्षरता में लिंगभेद सार्थक रूप से मौजूद हैं, साथ ही निरक्षरता में यह गिरावट बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति में हो रही प्रगति का द्योतक है । इस

स्थिति को निरन्तर बनाये रखने की आवश्यकता है । ताकि वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करवाने के वर्तमान लक्ष्य की प्राप्ति हो सके ।

2) क्षेत्रीय विषमताएँ - भौगोलिक, सामाजिक एव सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत एक विशाल देश है । भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में बालिका शिक्षा की दृष्टि से अनेक विषमताएँ पाई जाती है । जनगणना वर्ष 1981 के अनुसार केरल में 73 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर थीं, वही राजस्थान में केवल 12 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर थीं । मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे अनेक राज्य बालिका शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए माने जाते हैं । वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जहाँ कुल महिला साक्षरता दर 24.8 प्रतिशत थी । लेकिन ग्रामीण (18%) एव शहरी इलाकों में (47.8%) भी भारी विषमता थी । वर्ष 2001 की जनगणना में भी केरल मे लगभग 88 प्रतिशत महिला साक्षरता पाई गयी जबकि बिहार की साक्षरता दर लगभग 30 प्रतिशत सबसे कम थी । राजस्थान, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड आदि कुछ ऐसे प्रदेश थे जिनकी महिला साक्षरता दर 50% से भी कम थी । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण इलाकों (46.55%) तथा शहरी इलाकों (72.99%) के मध्य महिला साक्षरता में भारी अन्तर विद्‌यमान था ।

3) नामांकन - देश की स्वतंत्रता से पूर्व अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की संख्या में काफी विषमता थी । 100 बालकों के पीछे 35 बालिकाएँ प्राथमिक स्तर पर, 14 बालिकाएँ माध्यमिक स्तर पर तथा 12 विश्वविद्‌यालय स्तर पर अध्ययनरत थीं । व्यावसायिक, शिक्षा में बालिकाओं की शिक्षा सर्वाधिक न्यून थी । वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 6-11 वर्ष उम्र की 96.3 प्रतिशत जनसंख्या विद्‌यालयों में नामांकित थी । लेकिन लड़कों के मुकाबले लड़कियों का नामांकन कम पाया गया । वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार विद्‌यालय के बाहर रहे बच्चों में से 70 प्रतिशत लड़कियाँ थी । वर्ष 1997-98 में प्राथमिक स्तर पर जहाँ लड़की की सकल नामांकन दर लगभग 100 प्रतिशत थी । वहीं लड़कियों की केवल 81 प्रतिशत थी । (वार्षिक प्रतिवेदन 1999, एम.एच.आर.डी)

बालक व बालिकाओं की शिक्षा के मध्य भेद निरन्तर कम हो रहा है । प्राथमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन मे 23 वर्ष 2002-03 में जहाँ यह अन्तर 5.5% प्रतिशत था, वही 2006-07 में यह अन्तर केवल 2 प्रतिशत रह गया है । इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक व बालिकाओं के नामांकन में अन्तर वर्ष 2002-03 मे 10.7 प्रतिशत था, वही वर्ष 2006-07 में यह अन्तर मात्र 3.5 प्रतिशत रह गया है ।

एम.एच.आर.डी. की रिपोर्ट 11thPlan Working Group Report के अनुसार वर्ष 2001-02 से लेकर वर्ष 2004-05 की अवधि में लड़कियों की विद्‌यालय छोड़ने की दर 39.88% प्रतिशत से लेकर 24.82% प्रतिशत हो गई है । अर्थात् लगभग 15 प्रतिशत बिन्दु की कमी हुई है ।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति - विद्यालयी शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा भी महिलाओं के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है । वर्ष 1950-51 में जहाँ प्रत्येक 100 पुरुषों के मुकाबले केवल 14 महिलायें उच्च शिक्षा में नामांकित थीं, वहीं वर्ष 2001-02 प्रत्येक 100 पुरुषों के मुकाबले 66 प्रतिशत महिलाएँ नामांकित थी । इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात् उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है ।

3.2 बालिकाओं की कम भागीदारी एवं विद्यालय छोड़ने की ऊँची दर के कारण

बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को बढ़ाने हेतु किये गए अनेक प्रयासों के बावजूद शैक्षिक संस्थाओं में बालिकाओं के नामांकन की स्थिति पुरुषों के मुकाबले कम है । विद्यालय छोड़ने की दर बालिकाओं में बालकों के मुकाबले सार्थक रूप से अधिक है । ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो कि बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को प्रभावित करते हैं । इन कारकों को तीन विस्तृत क्षेत्रों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है -

(1) पारिवारिक सामाजिक कारक ।

(2) शैक्षणिक सुलभता तथा इसको प्रदान करने वाली व्यवस्थाओं में कमी ।

(3) शिक्षा की विषयवस्तु का महिलाओं की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होना ।

सर्वप्रथम ये कारक क्या हैं ? इसका अध्ययन हम करेंगे -

1) पारिवारिक एवं सामाजिक कारक-

इसके अन्तर्गत चार प्रमुख कारण है जो बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करते हैं -

(अ)पारिवारिक परम्पराएँ एवं कम उम्र में शादी

(आ) पर्दा प्रथा

(इ) सामाजिक एवं पारिवारिक अपेक्षाएँ

(ई) शिक्षा का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष उच्च व्यय

2) शैक्षणिक सुलभता तथा इसको प्रदान करने वाली व्यवस्थाओं में ।कमी -

(अ) घर से विद्यालयों की अधिक दूरी

(आ) विद्यालयी समय सारणी में लचीलेपन का अभाव

(इ) महिला अध्यापिकाओं की कमी ।

(ई) बालिका विद्यालयों की अनुपस्थिति ।

3) शिक्षा की विषयवस्तु का बालिकाओं की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होना -

(अ) अव्यावहारिक शिक्षण विधियाँ

(आ) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों में बालिकाओं की उपेक्षा ।

(1) पारिवारिक एवं सामाजिक कारक - सर्वप्रथम हम बालिका शिक्षा को प्रभावित करने वाले मुख्य पारिवारिक एवं सामाजिक कारकों का अध्ययन करेंगे ।

(अ) पारिवारिक परम्परायें एवं कम उम्र में शादी - बालिका चाहे किसी भी सामाजिक - आर्थिक परिस्थिति की हो उसकी शिक्षा विचारों और धारणाओं से प्रभावित होती है ।मध्यकाल से ही

महिलाओं को घरेलू अर्थात् घर की देखभाल करने की जिम्मेदार माने जाने की परम्परा भारतीय समाज में रही है । अधिकतर भारतीय परिवारों में महिलाओं के लिए घरेलू कामकाज, परिवार की देखभाल, बच्चों की देखभाल आदि को ही परम्परागत माना जाता है । इन्हें स्त्रियोचित या महिलाओं के लिए पुश्तैनी कार्य माना जाता है । दूसरों की देखभाल करने के अलावा स्वयं हेतु किए जाने वाले कार्यो या घर के बाहर के कार्यो का स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना जाता है । बालिकाओं को घर से बाहर पढने के लिए भेजना घर के कार्यो में बाधा माना जाता है । इस प्रकार ये परम्परागत कार्य वितरण बालिकाओं की शिक्षा में एक प्रमुख बाधा का कार्य करता है।

इसी प्रकार देश के विभिन्न हिस्सों में बालिकाओं की कम आयु मे शादी करने की प्रथा पाई जाती है । वर्ष 1930 तक बालिकाओं के लिए शादी की वैधानिक आयु केवल 14 वर्ष थी जिसे वर्ष 1950 में बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया । लेकिन कानूनी व्यवस्था के बावजूद वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार तात्कालिक शादीशुदा महिलाओं में से लगभग 53 प्रतिशत 18 वर्ष से कम आयु की थीं और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्व वर्ष 1993-94 के अनुसार लगभग 33 प्रतिशत शादीशुदा महिलाओं की उम्र 15 वर्ष थी । राजस्थान में " आखातीज त्योहार" पर हर साल लगभग 50,000 से ज्यादा बच्चों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है । उत्तरी भारत के राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दक्षिण भारत के राज्यों कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश आदि में कम उम्र में शादी आम बात है ।

कम उम्र में शादी के कारण बालिका पर अनेक पारिवारिक एवं सामाजिक बन्धन लागू कर दिये जाते हैं, जो उसकी शिक्षा में सर्वाधिक बाधक हो जाते हैं ।

(आ) पर्दा प्रथा तथा सामाजिक रिवाज - कुछ कम कुछ ज्यादा लगभग पूरे भारत में बालिकाओं के यौवनारंभ (Onset of Puberty) से ही चाहे विवाहित हो या नहीं पर्दे में अथवा लड़कों से अलग रखने की प्रथा पाई जाती है । सर्वप्रथम बालिका को घर में ही माहवारी के दौरान निर्जन स्थान पर या अन्य गतिविधियों से अलग रखना प्रारम्भ हो जाता है । बालिका एवं महिलाओं के यौन विषय को परिवार की इज्जत के साथ देखा जाता है । जो कि उनकी बाह्य गतिविधियों को सीमित कर देता है । इस प्रकार के रिवाज बालिकाओं को विद्यालय अथवा महाविद्यालय से दूर रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । कम उम्र में शादी के बाद भी ससुराल में पर्दा आवश्यक माना जाता है, जो कि विद्यालय जाने में महिलाओं में ॠणात्मक भाव उत्पन्न करता है ।

(इ) सामाजिक एवं पारिवारिक अपेक्षाएँ - 19वीं शताब्दी से सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं की शिक्षा दीक्षा क्या होनी चाहिए, क्या यह लड़कों के समान होनी चाहिए? इस पर निरन्तर बहस चल रही है । आजादी के पश्चात् लगभग सभी समितियों एवं आयोगों ने लड़कों के समान ही लड़कियों की शिक्षा की वकालत की है । लेकिन वास्तविक हालात इनसे कुछ भिन्न हैं । थोड़ी सी उन लड़कियों को छोडकर जिनको अपने विषय या कार्य क्षेत्र चुनने की स्वतंत्रता है । उनके अलावा अधिकतर बालिकाओं को कार्यक्षेत्र या विषय चुनने के बाध्य होना पड़ता है । क्योंकि वह क्षेत्र या विषय उसके सामाजिक तथा पारिवारिक भूमिकाओं के लिए उपयुक्त है । कला विषय के प्रति महिलाओं का रुझान स्पष्ट दिखाई देता है । व्यावसायिक विषयों में मुख्यत: शिक्षण तथा

नर्सिंग जैसे विषय ही महिलाओं को आकर्षित करते हैं । विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बालिकाओं का आकर्षण कम दिखाई देता है । पिछले एक दशक मे, इन रुझानों में कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं । इलेक्ट्रोनिक्स तथा साफ्टवेयर जैसे तकनीकी क्षेत्रो में बालिकाओं का रुझान बढ़ा है । लेकिन अभी भी सामाजिक एवं पारिवारिक अपेक्षाओं के बोझ तले बालिकाओं एवं महिलाओं को परम्परागत महिलान्मुख पाठ्यक्रम अधिक आकर्षित करते हैं । विषय चयन की इस भूमिका में निवेश के पारिवारिक स्रोत भी भूमिका अदा करते हैं । मध्यमवर्गीय परिवार बालिकाओं के वजाय बालकों की तकनीकी शिक्षा हेतु निवेश करने में प्राथमिकता देता है, चाहे दोनों की अभिवृत्ति समान क्यों नहीं हो । विद्यालय छोड़ते समय के परिणाम की अपेक्षा बहुत सारे अन्य अशैक्षणिक कारक एवं परिस्थितियाँ बालिकाओं को विज्ञान तथा तकनीकी उच्च शिक्षा से अलग रखने में अपनी भूमिका अदा करते हैं । ये अशैक्षणिक कारक मुख्यत: बालिका के जीवन की भूमिका हेतु पारिवारिक एवं सामाजिक अपेक्षाओं से ही सम्बन्धित होते हैं । अधिकतर यह पाया गया है कि बालिकाओं को एक अच्छी पत्नी एवं एक समर्पित माता की भूमिका में ही होना चाहिए और उसके पास यदि समय है तो वह शिक्षक या क्लर्क का कार्य कर सकती हैं । यही सोच बालिकाओं की उच्च शिक्षा में बाधा का कारण है ।

(ई) शिक्षा में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष उच्च व्यय - अनेक शोध यह दर्शाते हैं कि शिक्षा के प्रति अरुचि तथा गरीबी दो प्रमुख कारण है जो बालिकाओं को शिक्षा से दूर रखने का कार्य करते हैं । अधिकतर गरीब परिवारों में बालिकायें घर का कार्य देखती है, छोटे बच्चो का ख्याल रखती हैं, पशुओं को चराने के कार्य करती हैं, खेतों में छोटे- मोटे कार्यो मैं सहयोग देती है । इससे परिवार को प्रत्यक्ष रूप से आय तो नही होती है, किन्तु गरीब परिवारों मे जहाँ माता एव पिता दोनो श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं वही ये कार्य भी महत्वपूर्ण होते हैं । इन कार्यो को पूरा करवाने का लालच ही बालिकाओं को विद्यालय जाने से रोकता है । दूसरी ओर विद्यालय मे, शिक्षा प्राप्त करने के याद किसी प्रकार के कोई रोजगार की आशा नही होती है ।

इसी प्रकार दहेज जैसी कुप्रथाओं के कारण सक्षम मध्यवर्गीय परिवारो के मातापिता भी बालिकाओं के शिक्षा मे निवेश करने के बजाय विवाह में दहेज आदि के रूप मैं खर्च करना उपयुक्त समझते हैं । बालिकाओं को शिक्षित करने पर माता-पिता को एक तो उसके समान पढा लिखा वर ढूँढ़ने की जिम्मेदारी आ जाती है । दूसरी ओर उनको प्रत्यक्ष आय प्राप्त नहीं होती । भारत के लगभग सभी समाजों मे यह प्रथा है कि लड़की की आय को उसके ससुराल के परिवार का माना जाता है। उससे किसी प्रकार का पैसा लेना माता-पिता अपनी इज्जत के विरूद्ध समझते हैं । इसके वजाय लड़की की शादी मे दहेज में धन देने (जो उनके सामाजिक एव आर्थिक प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है) को अधिक महत्त्व देते हैं । इस प्रकार के पारिवारिक सामाजिक दायरो मे बालिका की शिक्षा के खर्च को व्यर्थ माना जाता है । लेकिन पिछले एक दशक में उच्च मध्यमवर्गीय परिवारों में इस प्रवृत्ति में बदलाव आया है । बालिकाओं को रोजगार के अवसर मिलने एव उनकी नियमित आय होने के कारण शिक्षित बालिका को समाज तथा परिवार में अच्छी दृष्टि से देखा जाने लगा है ।

(2) शैक्षिक सुलभता तथा इसको प्रदान करने व्यवस्थाओं में कमी - सामाजिक एवं पारिवारिक कारको के अलावा भी अनेक कारण हैं जो कि बालिका शिक्षा को प्रभावित करते हैं, इसमें महत्त्वपूर्ण बालिकाओं के लिए शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता है ।

(अ) घर से विद्यालयों की दूरी - पारिवारिक पद सामाजिक प्रतिबन्धों के कारण एक निश्चित आयु के बाद बालिकाओं का घर से दूर विद्यालय में जाना सम्भव नहीं हो पाता है । इस कारण से अनेक बालिकायें विद्यालय बीच में ही छोड़ देती है । छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (वर्ष1992) के अनुसार लगभग 7 प्रतिशत आबादी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय एक किलोमीटर से दूर था और लगभग 3 प्रतिशत आबादी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय 2 किमी से दूर था । इस प्रकार एक ओर छोटी आयु की बालिकाओं का दूर विद्यालय भेजने में बाधाएँ है तथा दूसरी ओर बड़ी आयु की बालिकाओं का सामाजिक कारणों से दूर विद्यालय भेजने में बाधाएँ हैं ।

(आ) विद्यालय समय सारणी का कम लचीला होना - विद्यालय की वार्षिक एवं दैनिक समय सारणी का बालिकाओं के घरेलू कार्य के ढाँचे एवं मौसम की परिस्थितियों के अनुकूल न होना भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन को प्रभावित करता है । बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय समय सारणी को लचीला बनाये जाने की आवश्यकता है ।

(इ) महिला अध्यापिकाओं की कमी - पूर्व में उल्लेखित शिक्षण बिन्दुओं से स्पष्ट है कि अनेक सामाजिक एवं पारिवारिक रीति-रिवाज बालिका के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, ऐसे में विद्यालयों में कम महिला शिक्षकों की उपस्थिति बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने में नकारात्मक प्रभाव डालती है । अनेक सामाजिक एवं धार्मिक वर्गो खासकर अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गो में पुरुष शिक्षकों से शिक्षा दिलवाने में नकारात्मक अभिवृत्ति दिखाई पड़ती है ।

वर्ष 1991 तक प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 29 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 33 प्रतिशत तथा सैकण्डरी विद्यालयों में लगभग 32 प्रतिशत महिला अध्यापिकाएँ मौजूद थीं । वर्ष 2001 में महिला अध्यापिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई जिनकी संख्या प्राथमिक विद्यालयों में 35 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 38 प्रतिशत हो गई है । माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2001 में भी वही स्थिति है । इस प्रकार अधिक महिला अध्यापिकाओं को उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता बनी हुई है । (वार्षिक प्रतिवेदन 2002-03; एम.एच.आर.डी, नई दिल्ली)

(ई) बालिका विद्यालयों की अनुपस्थिति - भारत में अनेक धार्मिक, सामाजिक एवं अल्प संख्यक वर्ग ऐसे हैं जो बालिकाओं को बालक के साथ सह शिक्षा प्रदान करवाने को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में अलग बालिका विद्यालय की आवश्यकता महसूस की जाती है लेकिन ऐसे विद्यालयों की संख्या मात्र 10 से 15 प्रतिशत है ।

उपर्युक्त मुख्य कारकों के अलावा अन्य कारक जैसे- भौतिक संरचना एवं उपकरणों की अपर्याप्तता, प्रेरित करने वाले योजनाओं की अपर्याप्तता तथा छोटे बच्चों की देखभाल की सुविधा का अभाव आदि भी बालिका शिक्षा को प्रभावित करते हैं ।

(3) शिक्षा की विषयवस्तु का बालिकाओं की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होना - शिक्षा की विषयवस्तु का बालिकाओं की आवश्यकता के अनुरूप न होना भी एक मुख्य कारण है जो कि बालिका शिक्षा को प्रभावित करता है ।

(अ) अव्यावहारिक शिक्षण विधियाँ -विद्यालयों का आधार अनेक नियम एवं कानून जो नामांकन, उम्र परीक्षा में उत्तीर्णता, निश्चित पाठ्यपुस्तकों से पढ़ाई, समय सारिणी, पुरस्कार, दण्ड आदि से सम्बन्धित होते हैं । ये नियम, कानून पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यक्रम आदि किसी एक तरीके को लागू कर लिखे गये होते हैं । प्रत्येक परिस्थिति में इनका प्रभावी होना आवश्यक नहीं है खासकर ग्रामीण, आदिवासी, परिस्थितियों तथा महिलाओं के लिए एक भिन्न प्रकार के संदर्भ की आवश्यकता महसूस की जाती है । इस संदर्भ के अभाव में अनेक नामांकित बालिकाएँ विद्यालय के वातावरण में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाती हैं जो उनके विद्यालय छोड़ने का कारण बनती हैं ।

(आ) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में बालिकाओं की उपेक्षा - ऐसा पाया जाता है कि व्यक्ति व्यवहार में धर्म, वर्ग, जाति आदि चरों के साथ-साथ लिंग भी पूर्वाग्रह उत्पन्न करता है । एक शिक्षक भी उससे अछूता नहीं रह सकता । इसी प्रकार पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम में भी पुरुष वर्चस्व वाले समाज का असर दिखाई देता है ।

पाठ्यपुस्तकों एवं पाठ्यक्रम का बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप न होने के कारण बालिकाओं का अरुचिपूर्ण लगता है जो कि शिक्षा के प्रति उनकी अभिवृत्ति को प्रभावित करता है।

3.3 सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य एव उनका प्रभाव (socio-Cultural Values and their impact)

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, प्रत्येक क्षेत्र, समुदाय के सामाजिक- सांस्कृतिक मूल्य, परम्पराएँ उसके नागरिकों के जीवन को अवश्य प्रभावित करती हैं ।

(अ) ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में - भारत की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है । ग्रामीण सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभाव बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करता है । भारत के अधिकतर ग्रामीण इलाकों में अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराएँ विद्यमान हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिंग आधारित कार्यो का विभाजन होता है । ग्रामीण इलाकों में सामाजिक अधिकतर लगभग प्रत्येक समाज लड़के एवं लड़कियों के रहन-सहन, लालन-पालन एवं अन्य मानकों यहाँ तक की खान-पान में भी अन्तर करता है । भारत में ग्रामीण इलाकों में सामाजिक ढाँचा लगभग पूरी तरह से पुरुष केन्द्रित पाया जाता है । महिलाओं को एक तरह से पुरुष एवं परिवार की सहायक रूप में द्वितीय नागरिक के रूप में मान्यता पाई जाती है ।

महिलायें अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाती है । वित्त एवं अन्य कानूनी अधिकार भी पुरुषों के हाथ में होते हैं । प्रारम्भ में नैतिक एवं सांस्कृतिक रूप से महिला को पुरुष की अर्द्धांगिनी के रूप में बराबर का दर्जा दिया जाता था । लेकिन मध्य काल एवं उसके पश्चात् इस प्रकार की परम्परायें विकृत होती गई । इस समय भारत में ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की

स्थिति सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है । चाहे कोई सामाजिक-आर्थिक अथवा जाति वर्ग का हो, सभी में कमोबेश यही स्थिति पाई जाती है !

इस प्रकार का सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण ही ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा बालिकाओं के पिछड़ेपन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कहा जा सकता है ।

(ब) शहरी परिवेश के संदर्भ में - भारत की लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है और शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत निरन्तर बढ़ रहा है । अधिकतर शहरी जनता किसी न किसी ग्रामीण परिवेश से जुड़ी है लेकिन शहरी जनसंख्या के मध्य शनै: शनै: सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव दिखाई दे रहे हैं । खान-पान, रहन-सहन, आदि में पश्चिम के अन्धानुकरण के कारण निरन्तर बदलाव आ रहे हैं । साथ ही शहरों में अलग-अलग ग्रामीण इलाकों से आए लोगों में सम्मिलित संस्कृति दिखाई देती है । शहरों में सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार के परिणामस्वरूप सामाजिक बन्धनों एवं मूल्यों की जकड़न से निकलने की छटपटाहट भी दिखाई देती है ।

इसके साथ ही शहरों में उपलब्ध शिक्षा की सुविधाएँ भी शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आकर्षित करती हैं । शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् जब महिलाओं में सक्षमता का विकास होता है तब एक दूसरे प्रकार के सामाजिक- सांस्कृतिक बदलाव को देखा जाता है । परिणामस्वरूप शहरों में विभिन्न कार्य क्षेत्रों में महिलायें, पुरुषों के समान ही भाग लेने लगी हैं । शहरी क्षेत्रों में पर्दा-प्रथा जैसी बुराइयाँ ग्रामीण इलाकों के मुकाबले कम पाई जाती हैं । पहनावा तथा घर से बाहर निकलने में भी महिलाओं को अधिक छूट स्वीकार की जाने लगी है । लेकिन इन सबके बावजूद शहरों में पश्चिमी संस्कृति के अन्धानुकरण के फलस्वरूप आई अनेक बुराइयों के कारण बालिकाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है । शहरी क्षेत्र में आए सामाजिक एवं सांस्कृतिक बदलाव के प्रभाव स्वरूप बालिका की शिक्षा की स्थिति ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा अच्छी कहीं जा सकती है ।

(स) पिछड़े वर्ग के संदर्भ में - भारत में मुख्यत: दो प्रकार के पिछड़े वर्ग मौजूद हैं जो सामाजिक, आर्थिक व अन्य कारणों से अन्य वर्गो के मुकाबले पिछड़े हुए माने जाते हैं । ये है- (1) जातिगत तथा धार्मिक वर्ग (2) भौगोलिक कारणों से पिछड़े वर्ग । इन्हें भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आदि के रूप में जाना जाता है ।

अनुसूचित जाति के अन्तर्गत वे वर्ग है जो वर्षो से भारत की जाति आधारित सामाजिक प्रणाली के अन्तर्गत निम्न जाति वर्ग के कहे जाते रहे हैं । इनमें से अधिकतर सफाई आदि कार्यो में लगे हरिजन, चमड़े के कार्यो को करने वाले चमार, भूमि हीन मजदूर आदि जातियाँ जो भारत में अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग नामों से प्रचलित हैं, आती हैं । ये जातियाँ वर्षो से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई रही हैं । इन जातियों के पिछड़ेपन का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1981 में अनुसूचित जाति की मात्र 11 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर थीं। सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण अनेक सामाजिक बुराईयाँ इन वर्गो में विद्यमान रही हैं । पुरुष केन्द्रित पारिवारिक व्यवस्था, छुआछूत पर्दा प्रथा एवं गरीबी के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों की बालिकायें विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाती हैं । इन वर्गो में

पुरुषों के साथ महिलायें भी परम्परागत रोजगार में हाथ बँटाती हैं, इस कारण से छोटी बालिकाओं पर घर की जिम्मेदारी, छोटे बच्चों की देखभाल आदि आ जाती है । जिससे वे विद्यालय नहीं जा पाती हैं । कम उम्र में विवाह भी अनुसूचित जाति की बालिकाओं के कम शिक्षित होने का कारण है । अनेक सरकारी प्रयासों एवं आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं के बावजूद अनुसूचित जाति की महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है । वर्ष 1991 में अनुसूचित जाति की मात्र 23 प्रतिशत महिलायें साक्षर थी ।

अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत भारत के सुदूर एवं पहाड़ी प्रदेशों में स्थित आदिवासी एवं आधुनिकता से दूर, प्रकृति पर निर्भर, वनों में रहने वाले वर्गो को रखा जाता है । अधिकतर जनजाति वर्गो में पुरुष एवं महिलायें समान रूप से अपने पारम्परिक कार्यो में संलग्न रहते हैं । इनकी आजीविका मुख्यत: पहाड़ों एवं वनों की प्राकृतिक सम्पदा से जुड़ी होती है । इनकी दिनचर्या मौसम के अनुकूल एवं जटिल परिस्थितियों में कड़ी मेहनत वाली होती है । जिनमें महिलाओं की भागीदारी होती है । पारम्परिक कार्यो में संलग्न रहने के कारण औपचारिक शिक्षा में रुचि नहीं लेते हैं । सुदूर जंगली एवं पहाड़ी इलाकों में बसावट होने के कारण विद्यालय एवं शिक्षकों की व्यवस्था करना भी मुश्किल कार्य है । इस कारण अनुसूचित जनजाति की महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक पिछड़ी हुई कही जा सकती हैं । वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 8 था जो वर्ष 1991 में बढ़कर लगभग 18 प्रतिशत हुआ है । इस प्रकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर उनकी शिक्षा के अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है ।

अल्पसंख्यक वर्गो के अन्तर्गत धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक वर्ग लिए जाते हैं । इनमें ईसाई, पारसी, जैन मुस्लिम वर्ग प्रमुख है । इन अल्पसंख्यक वर्गो में सबसे बड़ा भाग मुस्लिम वर्ग का है तथा मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग ही भारत में शैक्षिक रूप से अधिक पिछड़ा माना जाता है मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक रूप से पिछड़े होने का मुख्य कारण उनके धार्मिक एवं सामाजिक रीति-रिवाज हैं । अधिकतर परिवारों से महिलाओं का सामाजिक जीवन अनेक सामाजिक एवं परम्परागत बन्धनों से बन्धा होता है । बालिकाओं को बालकों के विद्यालय में नहीं भेजा जाता है । यौवनारम्भ से ही बालिकाओं को बुरका पहनना अनिवार्य होता है । पुरुष अध्यापकों से शिक्षा ग्रहण करने में संकोच किया जाता है । यह देखने में आया है कि परिवार नियोजन को मुस्लिम समुदाय में ठीक नहीं माना जाता है, जिससे महिलाओं पर बहुत सारे बच्चों के लालन-पालन की जिम्मेदारी आ जाती है । जो उन्हें शिक्षा एवं रोजगार आदि से वंचित करने में मुख्य भूमिका अदा करता है । बड़ी बालिकाओं को भी बच्चों की देखरेख में लगा दिया जाता है । जिससे वे विद्यालय छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं । मुस्लिम समाज में महिलाओं के घर से बाहर रोजगार आदि में हिस्सा लेने को भी ठीक नहीं समझा जाता है । अधिकतर मुस्लिम महिलायें घर का कामकाज ही देखती है, इससे शिक्षा ग्रहण करने में उनकी रुचि कम पाई जाती है । सर्व शिक्षा अभियान के तहत इनकी शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1	बालिका शिक्षा मे विषमता से आप क्या समझते है ?
2	बालिकाओं की शिक्षा मे कम भागीदारी के कोई तीन कारण लिखए !
3	ग्रामीण सामाजिक एवं संस्कृतिक परम्पराओं का बालिका शिक्षा पर क्या प्रभाव रहा है!

3.4 सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालिका शिक्षा (Girl Education in Sarva Shiksha Abhiyan)

सर्व शिक्षा अभियान वास्तव में एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें केन्द्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार की सहभागिता है । सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य बल विभिन्न व्यूह रचनाओं के द्वारा विद्यालयों से बाहर रहने वाले बच्चों को मुख्य धारा के विद्यालयों में नामांकित करने एवं 6- 14 आयु वर्ग के बच्चों को आठ वर्ष की जिम्मेदार शिक्षा उपलब्ध कराने पर है । इसमें लिंग एवं सामाजिक भेदों को पाटने एवं विद्यालयों में सभी बच्चों के शत-प्रतिशत ठहराव पर जोर दिया गया है । विद्यालय तंत्र में समुदाय के स्वामित्व के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ सम्पूर्ण देश में किया गया है । वास्तव में यह सम्पूर्ण देश में गुणवत्तापूर्ण बेसिक शिक्षा उपलब्ध करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को पूर्ण करने का एक प्रयास है । सर्व शिक्षा अभियान मिशनरी भावना के साथ समुदाय के स्वामित्व वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा सभी बालक-बालिकाओं की मानवीय योग्यताओं को सुधारने के लिए एक सुअवसर प्रदान करने का एक प्रयास है । बेसिक शिक्षा के द्वारा सामाजिक न्याय को उत्प्रेरित करने का यह एक प्रयास है । इसके द्वारा प्रारम्भिक विद्यालयों के प्रबन्धन में पंचायत राज संस्थाओं, विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समितियों, अभिभावक अध्यापक संगठनों, मातृ-अध्यापक संगठनों एवं अन्य ग्रास रूट की संस्थाओं को प्रभावी रूप से सम्मिलित करने का एक प्रयत्न किया या सर्व शिक्षा अभियान एक वृहत योजना है । यह डीपीईपी, लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी बोर्ड, जनशाला इत्यादि सभी बड़ी शैक्षिक व्यूह एवं सभी कार्यक्रम बोर्ड, जनशाला इत्यादि जैसी सभी बड़ी शैक्षिक व्यूह रचनाओं एवं सभी कार्यक्रमों को अपने अन्तर्गत समाहित कर लेगी ।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य - सर्व शिक्षा अभियान का, विद्यालय तंत्र के समुदाय के स्वामित्व के द्वारा वर्ष 2010 तक 6- 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है । विद्यालय प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता के साथ सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लिंग भेद को पाटने का भी इसका एक दूसरा लक्ष्य रहा है । इसका लक्ष्य बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में इस प्रकार से सीखने एवं पूर्ण ज्ञान कराने का है जो मूल्य आधारित शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों ही रूपों में उनकी मानवीय क्षमताओं को पूर्णत: विकसित कर सके। सर्व शिक्षा अभियान पूर्ण प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल के महत्त्व का अनुभव करता है । यह 0- 14 की आयु को लगातार कड़ी के रूप में देखता है । इसलिए इस अभियान के अन्तर्गत आईसीडीएस केन्द्रों अथवा ऐसे विशेष पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों जो

आईसीडीएस के क्षेत्र में नहीं हैं, का पूर्व प्राथमिक शिक्षा में सम्बल देने हेतु सभी प्रयास किये जावेंगे और इस तरह के प्रयत्न महिला एवं विकास विभाग के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के पूरक होंगे ।

सर्व शिक्षा अभियान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

- सभी बच्चे, विद्यालयों, शिक्षा गारण्टी केन्द्रों, वैकल्पिक विद्यालयों तथा "बैक टू स्कूल" कैम्पों में वर्ष 2003 तक नामांकित हो जावें ।
- वर्ष 2007 में सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा के पांच वर्ष पूर्ण कर लेवें ।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा के आठ वर्ष पूर्ण कर लेवें ।
- सबके लिए शिक्षा पर जोर देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्रारम्भिक शिक्षा पर जोर दिया जावे ।
- वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर एवं वर्ष 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर सभी लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों के भेद पाट दिए जावें ।
- वर्ष 2010 तक सार्वजनीन ठहराव हो जावे ।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालिकाओं की शिक्षा में सहभागिता तथा उपलब्धि हासिल करना एक प्रमुख लक्ष्य है । सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित लगभग प्रत्येक कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बालिकाओं के लिए विशिष्ट प्रबन्ध किये जाने के प्रावधान हैं । इसके साथ ही दो प्रमुख कार्यक्रम "प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम" (NPEGL) तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (KGBV) को बालिकाओं को केन्द्रित कर बनाया गया है । इसी प्रकार से महिला समाख्या कार्यक्रम को भी सर्व शिक्षा अभियान के साथ समन्वय के साथ चलाया जा रहा है ।

प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल) - एनपीईजीईएल सर्व शिक्षा अभियान का एक अभिन्न अंग है तथा इसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पृथक् अस्तित्व के रूप में क्रियान्वित किया गया है । ये कार्यक्रम Gender component plan of SSA के नाम से भी जाना जाता है । कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक, जिनमें ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत (48.13) की तुलना में कम है तथा जेण्डर गेप राष्ट्रीय औसत(21.50) से अधिक है का चयन किया गया है।

उदेश्य - 1.) प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर बालिकाओं की पहुँच सुनिश्चित कर नामांकन में लिंग असमानता को कम करना । 2.) नामांकित बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने हेतु आधारभूत सुविधाओं को विकसित एवं प्रौन्नत करना । 3.) शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं तथा बालिकाओं की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करना ।

एन पी ई जी ई एल कार्यक्रम की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के अनुसार राज्यों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली विभिन्न गतिविधियों की प्रभावित आयोजना को सुनिश्चित किया जाता है । चयनित ब्लॉक के प्रत्येक पुनर्गठित संकुल में पूर्व मे स्थित एक ऐसे विद्यालय का किया जायेगा, जहां पर एस सी / एस टी जनसंख्या घनत्व अधिक हो तथा महिला साक्षरता दर न्यूनतम हो । इस विद्यालय को बालिकाओं के लिए मॉडल कलस्टर विद्यालय की तरह

उपयोग किये जाने का प्रावधान है । जिसे एक मुश्त अनुदान के रूप में अधिकतम 2 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है । बालिका आदर्श कक्षा - मॉडल कलस्टर विद्यालय को आदर्श बनाने के लिए शिक्षिका, बालिकाएं एवं समुदाय की पहल सुनिश्चित करने की योजना है तथा इनमें निम्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है- सकुल स्तरीय विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति की बैठक, सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों एवं शिक्षकों को (पुरस्कार वितरण, बालिकाओं के लिए उपचारात्मक कक्षायें, व्यावसायिक प्रशिक्षणों का आयोजन, महिला बैठकों का आयोजन, बालिकाओं हेतु स्वास्थ्य चर्चा, जेण्डर संवेदनशीलता शिक्षक प्रशिक्षण, मीना सी डी प्रदर्शन, एम टी ए एवं पी टी ए बैठकें बाल मेलों का आयोजन, प्रतियोगिताएँ, उत्सव एवं त्यौहार आदि । व्यावसायिक प्रशिक्षण -

जिलें में चयनित विकास खण्डों के मॉडल कलस्टर स्कूलों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है । बालिकाओं में कौशल विकसित करने के उद्देश्य से बालिकाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा सकेगा जिसमें उन्हें कटिंग टेलरिंग का प्रशिक्षण कालीन अवकाश में दिया जाएगा तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण शीतकालीन अवकाश में आयोजित किया जाएगा दोनों ही प्रशिक्षण गैर आवासीय होंगे ।

कस्तूरबा गॉधी बालिका आवासीय विद्यालय (KGBV) - सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों की योजना चलाई जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाते हैं । कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों के मॉडल निम्न हैं -

मॉडल नं. 1 - 100 बालिकाओं के लिए बोर्डिंग सुविधाओं सहित आवासीय विद्यालय की स्थापना।

मॉडल नं 2 - वर्तमान में संचालित बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 50 बालिकाओं के लिए (उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बोर्डिंग सुविधा सहित आवासीय विद्यालय में परिवर्तन) ।

उद्देश्य - इन विद्यालयों का उद्देश्य वंचित वर्ग की उन बालिकाओं को जोडना है, जो कठिन परिस्थितियों और दुर्गम वासस्थलों में रहते हुए किसी कारणवश (यथा सामाजिक, पारिवारिक आदि) विद्यालय नहीं जा सकीं अथवा जिनकी आयु कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं से अधिक हो चुकी है । ऐसी बालिकाओं को निर्धारित ब्लॉक से चयन कर इन विद्यालयों में प्रवेश दिलाये जाने का प्रावधान है ।

प्रवेश हेतु बालिकाएँ एवं प्राथमिकता - चयनित ब्लॉकों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग व गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले किसी भी वर्ग / जाति के परिवारों की बालिकाएँ । बड़ी उम्र की बालिकाएँ जो विद्यालय में नामांकित नहीं हैं तथा किसी कारणवश प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकी हैं । दुर्गम क्षेत्रों (पलायन करने वाली जनसंख्या, बिखरे हुए वासस्थान जो प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु मापदण्ड पूरे नहीं करते हैं) की बालिकाओं को भी लक्ष्य समूह में रखे जाने का प्रावधान है ।

योजना का क्रियान्वयन - ये आवासीय विद्‌यालय सरकारी भवन अथवा किराये के भवन में जहाँ 50 या 100 बालिकाओं के लिए 4-6 बड़े कमरे, 1 रसोईघर एवं पर्याप्त शौचालय व्यवस्था उपलब्ध होगी ऐसे किराये के भवन में कमरों का उपयोग कक्षा कक्ष एवं डोरमेट्री के रूप में किया जाने का प्रावधान है । एस.एस.ए. के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के संदर्भ में विशेष प्रावधान किए गए हैं जो निम्न लिखित हैं -

- जिलों में बालिकाओं के लिए आवासीय ब्रिज कोर्स संचालित किए जाने का प्रावधान है । इनमें लाभान्वित होने वाली बालिकाएँ वे होंगी जो विद्‌यालयों में नामांकित नहीं हैं ।
- बालिकाओं के लिए तीन माह के ब्रिजकोर्स आयोजित किए जाने का प्रावधान हैं । इनमें लाभान्वित होने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की वो बालिकाएँ, जो अनामांकित या ड्राप आउट हैं।
- बालिकाओं के लिए तीन-तीन माह के गैर आवासीय कैम्पस आयोजित किए जाने का प्रावधान है।
- लिंग आधारित कार्यशालाएँ आयोजित किए जाने का प्रावधान है इनमें मातृ अध्यापक संगठनों एवं सहायता समूहों के सदस्य लाभान्वित होंगे ।
- मुख्य विषयों जैसी अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत एवं हिन्दी में कमजोर
- बालिकाओं की कठिनाईयों को दूर करने के लिए 7 दिवस के अतिरिक्त आवासीय कैम्पस आयोजित किए जाने का प्रावधान है ।
- बालिकाओं को अध्यापन अधिगम सामग्री (12 कॉपिया ज्योमेट्री बॉक्स, स्कूल बैग तथा 2 पेन)
- उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है ।

इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में बालिकाओं के लिए विशेष लक्ष्य के साथ कार्य कर रहा है । सर्व शिक्षा अभियान का विस्तृत अध्ययन हम इकाई 9 के अन्तर्गत करेंगे ।

3.5 बालिका शिक्षा की स्थिति में परिवर्तन (Changes in Status of Girls Education)

आजादी के पश्चात्‌ नीति निर्धारकों ने बालिका को बालक के समान शिक्षा प्रदान करने की नीतियों का निर्माण किया । लेकिन बालिकाओं को शिक्षित करने के कार्य में व्यावहारिक प्रगति 20वी शताब्दी के अन्त तक अनेक प्रयासों एवं कारकों के प्रभाव स्वरूप हुई है । वर्ष 2002-07 के दौरान इसी प्रगति का अवलोकन करेंगे । प्राथमिक स्तर पर बालक व बालिकाओं के मध्य नामांकन के लिंग भेद में कमी आई है । वर्ष 2002-03 में जो 5.5 प्रतिशत अंक का अन्तर था । वर्ष 2005-06 में 42 प्रतिशत अंक रह गया । इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर यह अन्तर वर्ष 2002-03 में प्रतिशत था । जो कि वर्ष 2005-06 में 8.8 प्रतिशत बिन्दु रह गया । इसी प्रकार लड़कियों की विद्‌यालय छोड़ने की दर जो वर्ष 2002-03 में 39.88 प्रतिशत थी वह भी घट कर 24.82 प्रतिशत रह गई । लेकिन इस दर को और कम करने की

आवश्यकता है । लड़कों के मुकाबले लड़कियों के नामांकन को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले लिंग समानता सूचकांक (Gender Parity Index GPI) में परिवर्तन निम्न प्रकार से दृष्टिगोचर होता है -

सारणी 3.1 लिंग समानता सूचकांक (Gender Parity Index)

कक्षा	**कुल**	**ग्रामीण क्षेत्र**	**शहरी क्षेत्र**
2002-2003			
I-V	0.89	0.89	0.94
VI-VII/VIII	0.79	0.76	0.92
I-VII/VIII	0.87	0.86	0.93
2003-04			
I-7	0.90	0.90	0.93
VI-VII/VIII	0.82	0.79	0.93
I-VII/VIII	0.88	0.87	0.93
2004-05			
I-V	0.91	0.90	0.92
VI-VII/VIII	0.83	0.80	0.91
I-VII/VIII	0.89	0.88	0.92
2005-06			
I-V	0.92	0.91	0.92
VI-VII/VIII	0.84	0.82	0.91
I-VII/VIII	0.90	0.89	0.92
2006-07			
I-V	0.93	0.93	0.92
VI-VII/VIII	0.87	0.85	0.92
I-VII/VIII	0.91	0.91	0.92

स्रोत : MHRD 2008

लिंग समानता सूचकांक यह दर्शाता है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों के नामांकन से केवल उच्च प्राथमिक पर ग्रामीण क्षेत्रों में सार्थक परिवर्तन दिखाई दे रहा है बाकि अन्य क्षेत्रो में इन वर्षो में बहुत अन्तर दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है तथा इसके लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है । इसी प्रकार कुल नामांकन में लड़कियों की सहभागिता को प्रतिशत नामांकन के रूप में देखा जा सकता है जो कि सारणी संख्या 3.2 में दर्शाया गया है -

सारणी 3.2 कुल नामांकन में लड़कियों की सहभागिता (%)

कक्षा	**कुल**	**ग्रामीण क्षेत्र**	**शहरी क्षेत्र**	**सरकारी विद्यालय**	**निजी विद्यालय**
2002-03					

I-V	47.18	46.98	48.41	47.55	45.14
VI-VII/VIII	44.20	43.08	47.97	44.44	44.57
I-VII/VIII	44.56	46.15	48.28	46.94	4.94
2003-04					
I-V	47.47	47.31	48.22	48.07	44.71
VI-VII-VIII	45.02	44.06	48.12	45.21	44.64
I-VII-VIII	46.90	45.61	45.61	47.51	44.69
2004-05					
I-V	47.52	47.45	47.87	48.27	44.37
VI-VII/VIII	45.32	44.54	47.78	45.82	44.31
I-VII/VIII	46.99	46.79	47.84	47.76	44.35
2005-06					
I-V	4.779	47.75	47.95	48.57	44.46
VI-VII/VIII	45.80	45.17	47.70	46.49	44.65
I-VII/VIII	47.27	47.12	47.87	48.20	44.53
2006-07					
I-V	48.09	48.16	47.82	49.09	44.86
VI-VII/VIII	46.51	46.08	47.82	47.38	45.19
I-VII/VIII	47.67	47.64	47.82	48.71	44.98

आँकड़ो से स्पष्ट है कि कुल नामांकन से बालिकाओं का नामांकन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तर पर कम है और निरन्तर लगभग एक समान बना हुआ है । सरकारी विद्यालयों में लड़कियों का नामांकन निजी विद्यालयों के मुकाबले अधिक पाया जाता है । स्पष्ट है कि लड़कियों के नामांकन में वृद्धि के उपाय किए जाने की आवश्यकता है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका नामांकन की ओर देखे तो जहाँ वर्ष 2002-03 में कुल नामांकन का लगभग 80 प्रतिशत नामांकन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में हुआ वही वर्ष 2006-07 में यह नामांकन 79.64 प्रतिशत ही रह गया ।

एम.एच.आर.डी.(2008) के अनुसार देश में जहाँ कुल मुस्लिम जनसंख्या 13.4 है, वहीं मुस्लिम बच्चों का नामांकन उच्च प्राथमिक स्तर पर लगभग 9 प्रतिशत है । इसमें लड़कियों का हिस्सा लगभग 49 प्रतिशत है । दूसरी ओर अन्य पिछड़े वर्ग में लड़कियों का नामांकन कुल नामांकन में से लगभग 47.62 प्रतिशत है । अर्थात् अल्प संख्यक वर्ग मुस्लिम लड़कियों का प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग की अपेक्षा अधिक है । अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं हेतु भी अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है ।

शारीरिक रूप से विकलांग एवं अक्षम बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है । इस प्रकार की बालिकाओं का लिंग समानता सूचकांक (Gender

Parity Index) अर्थात् बालकों के मुकाबले बालिकाओं का अनुपात सारणी संख्या 3.3 में दिया गया है ।

सारणी संख्या 33 : अक्षम बालिकाओं के नामांकन हेतु लिंग समानता सूचकांक (उच्च प्राथमिक स्तर तक)

वर्ष	कुल	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
2002-03	0.65	0.64	0.71
2003-04	0.69	0.69	0.74
2004-05	0.69	0.66	0.80
2005-06	0.70	0.69	0.74
2006-07	0.72	0.70	0.80

स्रोत : एम.एच.आर.डी 2008

उपर्युक्त आँकडों से स्पष्ट है कि अक्षम बालिकाओं के लिए विद्यालय में शिक्षा हेतु किए जाने वाले प्रयासों में सार्थक उपलब्धि हासिल हुई है लेकिन इसके लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है । एम. एच. आर. डी (2008) के अनुसार भारत में प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं की विद्यालय छोड़ने की दर लगभग 8.12 है । यह दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पाई गई है । उड़ीसा जैसे राज्यों में दर लगभग 21 है । दूसरी ओर राजस्थान के लिए यह दर लगभग 15 है ।

प्रारम्भिक शिक्षा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का हिस्सा जाति के कुल नामांकन का लगभग 47% जो कि बालिका शिक्षा के लिए एक अच्छा संकेत है लेकिन कुछ विशेष राज्य में इसकी स्थिति ठीक नहीं है । अण्डमान निकोबार तथा पाण्डिचेरी जैसे केन्द्र शासित प्रदेशों में यह प्रतिशत लगभग 35 ही है । जिसे सुधारने की आवश्यकता है।

वर्ष 1999=2000 में जहाँ प्राथमिक स्तर पर 35.6 प्रतिशत महिला अध्यापिकाएँ उपलब्ध थीं, वहीं वर्ष 2006-07 में लगभग 41 प्रतिशत हो गई । उच्च प्राथमिक स्तर पर जहाँ वर्ष 1999-2000 में अध्यापिकाओं का प्रतिशत 36.1 था वह वर्ष 2006-07 में 38.52 प्रतिशत हो गया । बालिकाओं के नामांकन के लिए महिला अध्यापिकाओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है ।

बालक व बालिकाओं के नामांकन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में लिंग भेद अर्थात नामांकन में अन्तर को निम्न सारणी में देखा जा सकता है ।

सारणी संख्या 3.4 : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नामांकन में लिंगभेद -

शिक्षा स्तर	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
	2002-03	2003-04	2004-05	2003-04	2003-4	2004-5
कुल	5.2	4.8	4.7	10.0	8.8	8.3
अनुसूचित जाति	5.8	5.3	5.0	15.2	12.6	10.8
अनुसूचित जनजाति	7.5	6.5	6.1	19.1	14.9	13.5

स्रोत : एम.एच.आर.डी2008

स्पष्ट है कि इन दोनों पिछड़े वर्गो के बालक तथा बालिकाओं के नामांकन अन्तर में कमी दृष्टिगोचर हो रही है । इस प्रकार दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 के दौरान बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार हुआ है, जिसे निरन्तर बनाये रखने की आवश्यकता है ।

3.6 सारांश (Summary)

1. देश की स्वतंत्रता से पूर्व अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की संख्या में काफी विषमता थी। ब्रिटिश काल में भारत में बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था विकट स्थिति में थी । जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप निरक्षर महिलाओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है । साक्षरता में लिंगभेद सार्थक रूप से मौजूद है । भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में बालिका शिक्षा की दृष्टि से अनेक विषमताएँ पाई जाती हैं । बालिकाओं को शिक्षित करने के कार्य में व्यावहारिक प्रगति 20वी शताब्दी के अन्त तक अनेक प्रयासों के एवं कारकों के प्रभाव स्वरूप हुई है । बालक व बालिकाओं की शिक्षा के मध्य भेद निरन्तर कम हो रहा है ।
2. ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो कि बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को प्रभावित करते हैं । इन कारकों को तीन क्षेत्रों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है - 1) पारिवारिक सामाजिक कारक, 2) शैक्षणिक सुलभता तथा इसको प्रदान करने वाली व्यवस्थाओं में कमी, 3) शिक्षा की विषयवस्तु का महिलाओं की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होना ।
3. सामाजिक-साँस्कृतिक वातावरण ही ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा में बालिकाओं के पिछड़ेपन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कहा जा सकता है । शहरी क्षेत्र में आए सामाजिक एवं साँस्कृतिक बदलाव के प्रभाव स्वरूप बालिका की शिक्षा की स्थिति ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा अच्छी कही जा सकती है । अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षिक रूप से पिछड़े होने का मुख्य कारण उनके धार्मिक एवं सामाजिक रीति-रिवाज हैं । अनुसूचित जनजाति वर्गो में पुरुष एवं महिलायें पारम्परिक कार्यो में संलग्न रहने के कारण औपचारिक शिक्षा में रुचि नहीं लेते हैं । पुरुष केन्द्रित पारिवारिक व्यवस्था, छुआछूत पर्दा प्रथा एवं गरीबी के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों की बालिकायें विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाती हैं ।
4. सर्व शिक्षा अभियान का विद्यालय प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता के साथ सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लिंग भेद को पाटने का लक्ष्य है । दसवीं पंचवर्षीय योजना 2003-07 के दौरान बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार हुआ है, जिसे निरन्तर बनाये रखने की आवश्यकता है ।

मूल्यांकन प्रश्न (Evaluatory Questions)

1. अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग की सामाजिक एवं साँस्कृतिक परम्पराओं से शिक्षा पर क्या
2. प्रभाव पड रहा है ?
3. भारत में बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का वर्णन करें ।

4. बालिकाओं के औपचारिक शिक्षा प्रणाली में कम भागीदारी तथा विद्‌यालय छोड़ने की ऊँची दर के कारणों की विवेचना करें ।
5. ग्रामीण, शहरी तथा पिछड़े वर्गों के सन्दर्भ में बालिका शिक्षा पर सामाजिक-साँस्कृतिक कारकों के प्रभाव की व्याख्या करें ।
6. सर्वशिक्षा अभियान के तहत् बालिका शिक्षा हेतु किये जाने वाले प्रयासों का वर्णन करें ।
7. बालिका शिक्षा में वर्ष 2002 के पश्चात् आये परिवर्तनों की विवेचना करें ।

3.7 संदर्भ (References)

1. पारीक, मथुरेश्वर, सम्पादक (2002) : “राजस्थान में शिक्षा'' राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
2. वर्मा, सांवलिया बिहारी, एम.एल. सोनी एवं संजीव गुप्ता, (2005) ''महिला जाग्रति और सशक्तीकरण'', आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर।
3. M.H.R.D. (2008): “Elementary Education in India –Analytical Report 2006-07,”NUEPA and Department of School education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi.
4. Goel Aruna (2004): “Education and Socio-Economic Pespectives of Women Development and Empowerment,” Deep Publications, New Delhi.
5. Panigrahi, L.K. (2003): “Women and child Education,” Abhishek Publication, Chandigarh.
6. Sharma, Nirmala (2006): “Women and Education issues and Approches,” Alfa Publication,New Delhi.
7. Sharma, Usha, B.M. Sharma (1995): “Women Education in Modern India”, Women and Educational Development Series-5, Common Wealth Publishers, New Delhi.
8. Satya,B.R.(2003): “Trends in Education”, Anmol Publication, New Delhi
9. http://WWW.educationforallinindia.com

इकाई 4

राजस्थान में महिला शिक्षा

(Women Education in Rajasthan)

इकाई की संरचना (Structure of the Unit)

4.0 उद्देश्य

4.1 राजस्थान में महिला शिक्षा की स्थिति

4.2 राजस्थान में सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य तथा उनका महिला पर प्रभाव (ग्रामीण, शहरी तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों का संदर्भ)

4.3 समाज तथा परिवार का महिला शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

4.4 राजस्थान में महिला शिक्षा का विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक (Qualitative and Qualitative), एवं शैक्षिक स्तरों में सहभागिता

4.5 सारांश

4.6 संदर्भ ग्रंथ ।

4.0 उद्देश्य (Objectives) -

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- राजस्थान में महिला शिक्षा की स्थिति का वर्णन कर सकेंगे ।
- राजस्थान में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य तथा उनका महिला शिक्षा पर प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे ।
- राजस्थान में समाज तथा परिवार का महिला शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट कर सकेंगे ।
- राजस्थान में महिला शिक्षा के गुणात्मक तथा मात्रात्मक विकास को स्पष्ट कर सकेंगे ।
- राजस्थान के शैक्षिक विकास एवं साक्षरता दर के असंतुलन की व्याख्या कर सकेंगे ।

4.1 राजस्थान मे महिला शिक्षा की स्थिति (Status of Women Education in Rajasthan)

राजस्थान में आधुनिक शिक्षा प्रणाली प्रारम्भ होने से पूर्व परम्परागत शिक्षा का काफी प्रसार था । परम्परागत शिक्षा का ध्येय ज्ञान उपार्जन, व्यतिगत कल्याण और जीविका निर्वाह के साधन उपलब्ध कराना था । शिक्षा सामान्यत: डब्ल्यू ब्राह्मणों द्वारा संचालित होती थी । हिन्दू चटशालायें पौशालायें, जैन उपासरें, वानिका, मुस्लिम मकतब एवं मदरसे-शिक्षा संस्थायें थीं जिन्हें स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त था । शासकों, सामन्तों, सेठों एवं सम्पन्न वर्ग द्वारा समय-समय पर भूमि, अनुदान, भत्ते, दान पुण्य के रूप में शिक्षकों और शिक्षण संस्थाओं को

आर्थिक सहायता दी जाती थी । 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं में व्यावहारिक और व्यावसायिक शिक्षा, प्रारम्भिक धार्मिक शिक्षा अत्यन्त उच्च कोटि की थी । संस्कृत, हिन्दी, फारसी, और उर्दू भाषा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था थी । विभिन्न अंग्रेज अधिकारियों ने शिक्षा के उच्च स्तर एवं संस्थाओं की अच्छी स्थिति के सम्बन्ध में लिखा है । इस क्रम में 1864 में कैप्सन (डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन, एम. डब्ल्यू. पी.) ने अजमेर क्षेत्र की ओसवाल जाति में स्त्री शिक्षा के प्रचलन एवं महत्व की चर्चा की । पीसांगन पोखर एवं गोविन्दगढ आदि स्थानों पर स्कूलों में जैन ओसवाल और ब्राह्मण जाति एवं सौ पन्तों की लड़कियाँ पढ़ती थी । शिक्षा सम्बन्धी उपरोक्त विवरण से यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि औपचारिक शिक्षा के प्रसार के पूर्व राजस्थान में परम्परागत स्त्री शिक्षा का प्रसार लेकिन यह कुछ वर्गो तक ही सीमित था ।

राजस्थान में स्त्री शिक्षा विभिन्न सामाजिक वर्ग में भिन्न-भिन्न प्रकार की थी ! अत: परम्परागत शिक्षा व्यवस्था, मौखिक एवं व्यावहारिक ज्ञान, चरित्र निर्माण आदि लक्ष्यों को ध्यान में रखकर स्थापित थी । उच्च तथा साधन सम्पन्न वर्ग में स्त्री शिक्षा का सामान्यत: अधिक प्रचलन था । इस वर्ग की लड़कियों की शिक्षा का प्रबन्ध घरों में ही किया जाता था ।

सामान्यतया राजघरानों एवं ठिकानों में रानियों तथा ठकुरानियों को मौखिक शिक्षा के माध्यम से कुलीय परम्परा के प्रचलित रीति रिवाजों एवं परिवार के तौर तरीकों तथा सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से अवगत कराया जाता था । उन्हें चरित्र निर्माण, वीरता, सच्चाई वफादारी एवं निष्ठा से सम्बन्धित धार्मिक एवं ऐतिहासिक साहित्य सम्बंधी पुस्तकें पढ़ाई जाती थी । उदाहरणार्थ, जयपुर की बाई रूपकंवरी ने रघुराम कवि रचित सभासागर नाटक, बाई फूलकंवर और फतेहकंवर ने नागरीदास और बिहारीदास की कृतियां-उषास्वप्न विलास एवं बिहारी सतसई भाषा ग्रन्थों का अध्ययन किया । महारानी भटियाणी गुमानकंवर ने 'गीत गोविन्द' और चन्द्रावत ने एकादशी माहात्म्य कथा संग्रह पढ़े । महारानी नरुवकी ने कविता भवानीस्तुती खरीदी । जयपुर महाराजा के म्यूजियम पुस्तकालय के हस्तलिखित दस्तावेजों से उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होती है । इस प्रकार शिक्षा का प्रचलन उस समय के सोपान में बहुत नीचे तक था । अजमेर से रूपा बडारण (सेविका) और वृन्दावन से केसर बडारण के माजी चन्द्रावत को लिखे गये पत्र पातर महताब राय, सुकंठराय अलापरा, सुजानराय, नीरतरंग आदि के जयपुर महाराजा को लिखे गये पत्रों से उनके साहित्यिक स्तर का अन्दाजा लगाया जा सकता है । शिक्षा व्यवस्था के लिए अनुभवी ब्राह्मण अध्यापिका, पुरोहितानी एवं ब्राह्मण अध्यापक तथा पुरोहित नियुक्त किय जाते थे । ड्योढी की पातरौ की नृत्य संगीत की शिक्षा के लिए गुणीजनखाना के उस्ताद रखे जाते थे । इन्हें जनानी ड्योढी से वेतन एवं सुविधायें उपलब्ध कराई जाती थी । मेजर निक्सन को यह जानकर बेहद आश्चर्य हुआ था कि जोधपुर महाराजा ने जनानी ड्योढी की सभी स्त्रियों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध किया था तथा चार स्त्री सचिव इस उद्देश्यों के लिए नियुक्त थीं ।

स्वर्ण महिला शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य गौण था । उनकी शिक्षा का लक्ष्य उन्हें अधिक कुशल गृहणी, माता, बनाना होता था ।

अत: घरेलू शिक्षा-सिलाई कढ़ाई, पाक कला और धार्मिक शिक्षा तथा परिवार के तौर-तरीकों, कुल के मान मूल्यों की जानकारी आदि घरों में ही दी जाती थी, नृत्य संगीत की शिक्षा वर्ग विशेष तक ही सीमित थी, क्योंकि अभिजात्य वर्ग की स्त्रियों के लिए नाचना-गाना हेय समझा जाता था । अत: परम्परागत परिवेश के संदर्भ में ही महिला शिक्षा की यथार्थता स्पष्ट हो सकती है ।

मिशन स्कूलों में मुख्यतया ईसाई, गरीब, अनाथ और निम्न वर्ग की छात्रायें थी । जनता में ये स्कूल लोकप्रिय नहीं हुए । मिशन स्कूलों का मुख्य ध्येय धार्मिक शिक्षा प्रदान करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना रहा । निम्न शैक्षणिक स्तर और छात्राओं की नगण्य उपस्थिति के परिणामस्वरूप 1893 में अधिकांश स्कूल बन्द कर दिये गये ।

इससे मिशन स्कूलों के प्रति जन सामान्य की अरुचि और अलोकप्रियता का अन्दाजा लगाया जा सकता हे । महिला शिक्षा के संदर्भ में मिशन स्कूलों के प्रति संदेह और अधिक था । 1866 में जयपुर में प्रथम सरकारी महिला स्कूल खोला गया । औपचारिक स्कूली शिक्षा के द्वारा महिलाओं को शिक्षित करने में राजस्थान में गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है । इसका प्रारम्भ राजस्थान में बीसवीं सदी के प्रारम्भ से शुरु हुआ ।

राजस्थान में ऐतिहासिक गैर सरकारी स्कूल

स्थापना वर्ष संस्था		
1898	दयानन्द अनाथालय	जीविकोपार्जन की शिक्षा का प्रबन्ध था ।
1898	गुलाब देवी कन्या पाठशाला	1912 में आर्य समाज को सौंप दिया ।
1913-14	सावित्री गर्ल्स स्कूल	1940 में हाई स्कूल का दर्जा दिया ।
1915	आर्यकन्या पाठशाला	
1926-27	पीसांगन स्कूल	महाजन छात्राएँ थी।
1926-27	दो मुस्लिम स्कूल, अजमेर	
1927	हटूण्डी	राष्ट्रीय विचारधारा का स्कूल

गैर सरकारी स्कूल जनता में लोकप्रिय रहे तथा इनका शिक्षा स्तर भी अपेक्षाकृत अच्छा रहा । 1912 में दयानन्द अनाथालय में 41 और 1914 में गुलाबदेवी पाठशाला में 61 छात्राएँ थीं । 1932 में गुलाबदेवी स्कूल को मिडिल स्तर का दर्जा दिया । इसमें 210 छात्राएँ पढ़ रही थीं ।

राजस्थान का निर्माण 1949 मार्च में हुआ था । उस समय इस राज्य में 429 बालिका संस्थान थे जिनमें से 4 महिला कॉलेज थे जो सामान्य शिक्षा प्रदान करते थे, 7 उच्च विद्यालय थे, 66 माध्यमिक विद्यालय थे, 331 प्राथमिक विद्यालय थे, व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालय थे और 18 विद्यालय विशिष्ट शिक्षा के थे ।

स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतवर्ष में सबसे बडा राज्य राजस्थान 3,42,239.वर्ग किलोमीटर भूमि पर फैला हुआ है जो मैदान जीवकोपार्जन एवं ग्रामीण क्षेत्रो में बिखरी हुई बस्तियों के प्रकारों के अर्थ में विविधताओं से परिपूर्ण है । वर्ष 2001 की भारत की जनगणना के अनुसार, राजस्थान की जनसंख्या 5,64,73,122 है जिसमें पुरूष एवं महिलाएँ

क्रमशः 2,93,81,657 एवं 2,70,91,465 है । प्रशासनिक रूप से राज्य 6 संभागों एवं 33 जिलों मे विभक्त है ।

साक्षरता की स्थिति- सन् 1991 की जनगणनानुसार राजस्थान में साक्षरता दर 38.55 प्रतिशत थी जो देश में सबसे नीचे से द्वितीय स्थान पर थी । महिला साक्षरता दर 20.44 प्रतिशत होने के कारण देश में सबसे कम थी । परन्तु गत दशक में राज्य में सन् 1991 के 38.55 समग्र साक्षरता प्रतिशत को सन् 2001 में 61.03 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि करके तथा विशेष रूप से सन् 1991 के 20.44 महिला साक्षरता प्रतिशत को सन् 2001 में 44.34 प्रतिशत की वृद्धि करके साक्षरता परिदृश्यने साक्षरता की स्थिति में उत्साहवर्द्धक विकास अंकित किया हैं । यह वृद्धि भारत सरकार राजस्थान सरकार क्या सभी लोगों के सतत् प्रयासों से प्राप्त की गई है । विभिन्न संचालित परियोजनाओं / कार्यक्रमों जैसे-लोक जुम्बिश परियोजना शिक्षाकर्मी बोर्ड साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) जनशालाएँ इत्यादि ने भी राज्य के पुरुष एवं महिला साक्षरता प्रतिशत मे ही नहीं अपितु नामांकन, ठहराव एवं शिक्षा की गुणवत्ता में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है । विभिन्न स्तरों पर महिला शिक्षा की राज्य में प्रगति इस प्रकार हुई-

रियासत काल में बालिकाओं की शिक्षा की बड़ी दयनीय दशा थी इसके कई कारण थे । जनता में जागरूकता की कमी, गरीबी, पर्दा प्रथा आदि इसके अलावा इनकी शिक्षा के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी और न ही अध्यापिकाओं की सुविधा थी । 1951 की जगणना में लडकियों की साक्षरता का प्रतिशत मात्र 3 प्रतिशत था । इस समय स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं की संख्या भी नगण्य थी । इस स्थिति में राज्य सरकार ने छात्राओं की शिक्षा के लिए नामांकन अभियान चलाये, ताकि संख्यात्मक दृष्टि से इसमें वृद्धि हो सके । स्कूलों, अध्यापिकाओं की संख्या में वृद्धि, लड़कियों की स्कूलें अलग से खोलने, के साथ-साथ स्कूल आने वाली छात्राओं को कुछ विशेष सुविधाएँ भी दी गई तालिका में 1950-51, 1984-85 तथा 1987-88 की स्थिति दर्शायी गई है-

स्तर		**बालिकाओं की संख्या (लाखों मे)**	
	1950-51	1984-85	1987-88
प्राथमिक	0.55	10.78	8.26
उच्च प्राथमिक	0.09	2.02	5.28
माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक	0.02	0.94	2.66

बालिका शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु राज्य सरकार ने राष्ट्र शिक्षा कमेटी सन् 1958-59 तथा भक्तवत्सलम् कमेटी (1963-64) द्वारा की गई अभिशंसाओं को ध्यान में रखते हुए कई परियोजनाएँ चलाई जैसे छात्रवृतियाँ एवं वजीफे, छात्रा भर्ती अभियान, सह-शिक्षा विद्यालयों में विशिष्ट सुविधाएँ, विद्यालय माताओं की नियुक्तियाँ, लड़कियों की शालाएँ छात्रावास की सुविधाएँ, विशिष्ट पाठ्यक्रम की व्यवस्था आदि ।

ऐसा भी महसूस किया गया है कि अगर अध्यापिकाओं को प्रोत्साहन नहीं दिया गया तो बालिका शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने में वांछित सफलता का संदेह रहेगा क्योंकि बालिका शिक्षा

परोक्ष रूप से अध्यापिकाओं की सुविधाओं से जुड़ी हुई है । इस सन्दर्भ में राज्य सरकार ने कुछ विशेष निर्णय लिए-ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था, अन्य विशिष्ट सुविधाएँ पृथक् प्रशासनिक ढाँचा, पृथक शिक्षक प्रशिक्षक विद्यालय आदि ।

बालिका शिक्षा की विद्यालय स्तर पर हुई प्रगति निम्नांकित सारणी से ज्ञात होती है- -

स्तर	नामांकन (लाखों मे) वर्ष 1988-89					वर्ष 1995-96
	छात्रा	छात्रा	योग	छात्रा	छात्रा	योग
प्राथमिक स्तर	31.70	13.10	44.80	40.49	21.83	62.32
उच्च माध्यमिक	10.08	2.55	12.63	14.40	5.32	19.72
माध्यमिक /उच्च माध्यमिक स्तर	5.08	1.11	6.19	7.70	2.36	10.06

विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन की इस अवधि में निरन्तर वृद्धि होती रही । लेकिन यह वृद्धि तत्कालीन वर्षो की इन स्तरों पर विद्यालय प्रवेश योग्य बालिकाओं की संख्या के अनुपात में अत्यल्प थी । वर्ष 1995-96 तथा अगामी वर्षो में भी बालिका शिक्षा के तीनों स्तरों के नये विद्यालय अधिक संख्या में खोले गए तथा उनका क्रमोन्नयन अगले स्तर के विद्यालय में किया गया ।

अनेक योजनाएँ राज्य में आरम्भ की गई स्कूल छोड़ने वाली तथा स्कूल से बाहर की बालिकाओं के नामांकन बढाने हेतु अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों द्वारा प्रयास किया गया जिससे 56 प्रतिशत बालिकाओं नामांकन हुआ । ठहराव को सुनिश्चित करने हेतु कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित करने की योजना प्रारम्भ हुई । 1994 में बालिका फाउण्डेशन की स्थापना की गई। सभी 6 सम्भागीय मुख्यालयों पर बालिका छात्रावासों का निर्माण हुआ । वर्ष 1987 में प्रवर्तित शिक्षा कर्मी योजना द्वारा संचालित विद्यालयों में 40 प्रतिशत बालिकाएँ हो गई तथा सरस्वती योजना वर्ष 1994-95 में 8 जिलों में प्रारम्भ की गई जो वर्ष 95-96 में अन्य जिलों में प्रारम्भ की गई ।

विद्यालयी स्तर पर बालिका शिक्षा की वर्तमान स्थिति - " राजस्थान में महिला शिक्षा की स्थिति गम्भीर चिन्ता का विषय है । आजादी से पूर्व बालिका शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। फलस्वरूप समृद्ध परिवारों की बालिकाएँ ही शिक्षा ग्रहण करती थी । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सामान्य शिक्षा के साथ-साथ बालिका शिक्षा के विकास के भी निरन्तर प्रयास किये जा रहे है जिसके फलस्वरूप बालिका शिक्षा की राज्य में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है । सन् 1951 में राज्य का महिला साक्षरता प्रतिशत 3 था जो 1991 की जनगणनानुसार बढ़कर 20.44 प्रतिशत तथा 2001 की जनणनानुसार 44.34 प्रतिशत हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रो का महिला साक्षरता 37.74 प्रतिशत है जबकि शहरी क्षेत्र की महिला साक्षरता 65 .42 प्रतिशत है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 ओपचारिक शिक्षा के प्रारम्भ से पूर्व राजस्थान मे महिलाओं की किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी ?

2	राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र मे किन परम्पराओं का विपरीत प्रभाव महिलाओं की शिक्षा पर पड़ रहा है ?

4.2 राजस्थान मे सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों का महिला शिक्षा पर प्रभाव (Socio-Cultural Values in Rajasthan and their Impact on Women's Education)

(1) ग्रामीण क्षेत्र में - राजस्थान में मध्य युग से ही सामाजिक सांस्कृतिक तानाबाना पुरुष केन्द्रित रहा है । खासकर ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति-रिवाज को महिलाओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं । राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में समाज एवं परिवार में महिलाओं की भूमिका घर को सम्भालने, बच्चों के लालन-पालन तथा धार्मिक क्रिया-कलापों तक ही सीमित रही हैं । कुछ समुदायों जैसे कृषक परिवारों में महिलाएँ भी पुरुषों की मदद करती है लेकिन अधिकतर भूमिका पुरुषों की ही महत्वपूर्ण होती है । व्यापार लेन-देन, भूमि के अधिकार आदि के क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका न के बराबर थी । ग्रामीण इलाकों में पर्दा प्रथा एवं बाल विवाह जैसी परम्परायें वर्षो ढ़े चली आ रही हैं । इसी प्रकार दहेज प्रथा जैसी कुरीति लगभग सभी समाजों में व्याप्त हैं । राजस्थान में जाति प्रथा की जड़े अत्यधिक मजबूत है । जाति विशेष के अपने सामाजिक मूल्य एवं परम्परायें पाई जाती हैं । कुछ समाजों जैसे राजपूत, वैश्य आदि में महिलाओं के विवाह, रिश्तेदारी आदि को अपनी पारिवारिक इज्जत से जोड़ कर देखा जाता है । अपने से नीची जाति वाले व्यक्ति से विवाह सम्बन्ध इत्यादि निषेध माने जाते हैं । इन्हीं कुरीतियों के कारण पश्चिमी राजस्थान के कुछ भाग में बालिकाओं के जन्म लेते ही मार देने की वीभत्स परम्पराएँ आज भी विद्यमान है । ऐसे बहुतसे गांव है जहां पर कुछ विशेष समाजों में वर्षो से कोई बारात नहीं आई है । इस प्रकार राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य तथा परम्परायें बालिकाओं व महिलाओं के लिए अनुकूल नहीं है । यही कारण है कि राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र वर्षो तक महिला शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ रहा है । यहाँ पर बालिका का शिक्षा पर व्यय करने की बजाय माता-पिता उसके दहेज पर व्यय करने को अधिक प्राथमिकता देते हैं । महिलाओं का अनेक धार्मिक एवं परम्परागत रीति-रिवाजों में गौण स्थान होने का खामियाजा भुगतना पड़ता रहा है । माता-पिता की अन्तिम क्रिया के लिए पुत्र का होना आवश्यक हैं । पुत्र को ही परिवार को आगे चलाने वाला वाहक माना जाता है । राजस्थान में कुछ समाजों में नाता-प्रथा भी विद्यमान है जिसे विवाहित महिलाओं की समाज में माना अप्रत्यक्ष रूप से खरीद फरोख्त की जाती है । महिलाओं के अशिक्षित होने के कारण ऐसी परम्पराओं को बढ़ावा मिलता है । महिलाओं द्वारा

किए जाने वाले घर के कार्य, बच्चों के लालन-पालन को अनार्थिक कार्य के रूप में कम महत्व दिया जाता है । इसके लिए आवश्यक कौशलों को परम्परागत रूप से घर में ही सीखने पर बल दिया जाता है । इससे महिलाओं को औपचारिक आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रखा जाता है । खासकर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का पिछड़ापन इन्हीं सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित हुआ है। यहाँ यह कहना प्रासंगिक होगा कि पिछले एक दशक में सरकार की नीतियों, महिलाओं के उपलब्ध रोजगार के अवसरों एवं महिलाओं के आरक्षण के फलस्वरूप ग्रामीण इलाकों के उच्च सामाजिक आर्थिक वर्गो में महिलाओं को शिक्षित करने में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया है । लेकिन इसके लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है ।

(2) शहरी क्षेत्र में - शहरी क्षेत्रों में भी परम्परागत कुरीतियाँ, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, कुछ कम-कुछ अधिक अलग-अलग समुदायों में व्याप्त हैं । शहरों में घर है आधुनिकीकरण का महिलाओं पर अच्छा प्रभाव भी हुआ है तो साथ-साथ अनेक दुष्प्रभाव भी नजर आये है । शहरों में महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्याएँ वैश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना जैसे जुर्म अधिक पाये जाते हैं । आधुनिक तकनीकी के सहारे गर्भ में पल रही लड़कियों को मार देना कुछ समय पहले तक आम था । भ्रूण लिंग परीक्षण पर रोक के परिणामस्वरूप अब इससे कुछ कमी आयी है । शहरों में तलाक लेने की घटनाएँ बढ़ रही है । एकल परिवार के दायित्वों से महिलाओं को ही जूझना पड़ रहा है । घर एवं नौकरी के दोहरे दायित्वों को निभाना पड़ रहा है ।

इस सबके बावजूद शहरों में अधिक सुविधाएँ, रोजगार की उपलब्धता, दूसरे समुदायों के साथ मेल-मिलाप पश्चिमी संस्कृति के अनुकरण, कार्य संस्कृति के फलस्वरूप वर्षो के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में बदलाव दिखाई दे रहे हैं । जिसका प्रभाव महिला शिक्षा पर सकारात्मक रहा है । आज शहरों में गांवों की अपेक्षा अधिक बालिकाएं औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रही है । महिलाओं के लिए अधिक खुलापन तथा सुविधाएँ हैं । पर्दा प्रथा में कमी आई हैं । महिलाओं तथा बालिकाओं को घर से बाहर निकलने में अधिक स्वतंत्रता है । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाएँ शहरी क्षेत्रों में प्रगति कर रही हैं । विवाह की आयु में बढ़ोत्तरी से उन्हें अधिक अवसर मिलने लगे हैं । शहरी युवा दहेज के बजाय नौकरी करने वाली पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना अधिक पसन्द करता है । इस प्रकार सामाजिक एवं सांस्कृतिक बदलाव के कारण शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा में प्रगति आई है, साथ ही महिलाओं के शिक्षित होने के कारण भी रूढ़िवादी परम्परागत मूल्यों में कमी आई है ।

(3) पिछड़े वर्ग में - राजस्थान के मुख्य पिछड़े वर्गो में अनुसूचितजाति, अनुसूचितजनजाति एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदाय प्रमुख हैं । राजस्थान में अनुसूचित जातियों में, चमार, आदि जातियाँ प्रमुख हैं । इसी प्रकार अनुसूचितजनजाति के वर्गो में सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले भील, मीणा आदि समुदाय मौजूद हैं । इसी प्रकार से अल्पसंख्यक समुदायों में ईसाई, मुस्लिम, जैन आदि समुदाय है । जिनकी जनसंख्या लगभग 10 प्रतिशत से भी कम है । में

हिन्दू समुदाय की बहुलताराजस्थान के अनुसूचितजातियों में कठोर जाति प्रथा के परिणामस्वरुप अन्य जातियों, समुदायों में अलगाव सर्वव्याप्त हैं । परम्परागत रूप से चले आ रहे अपने कार्यो (जिन्हें निम्न कोटि का माना जाता है ।) में इन समुदायों में पुरुषों के साथ-साथ महिलायें भी हिस्सा लेती है । पर्दा प्रथा, दहेज-प्रथा, बाल विवाह जैसी प्रथायें, अनुसूचित जातियों में भी मौजूद है । लेकिन घर से बाहर कार्यो में पुरुषों के समान भागीदारी के कारण इनको अपने परिवार में महत्वपूर्ण माना जाता है । एवं परम्परागत कार्यो में संलग्नता का प्रभाव इनके शैक्षिक स्थिति को अधिक प्रभावित करता है । छुआछूत जैसी प्रथाओं के कारण बालिकाएं शिक्षा से वंचित है ।

अनुसूचित जनजातियों में से अधिकतर जातियां या तो खानाबदोश या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली आदिवासी जातियाँ है । इन जातियों का अन्य समुदायों से बहुत अधिक मेल-मिलाप नहीं रहा है । अपने जीवन यापन के लिए प्रकृति एवं परम्परागत कार्यो पर अधिक निर्भर हैं । अलग-अलग आदिवासी समुदायों से अलग-अलग परम्परागत तथा रीति-रिवाज पाये जाते हैं ।

अनेक अध्ययनों से ज्ञात होता है कि कुछ आदिवासी समुदायों में महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है । तलाक लेने, विधवा विवाह, अपना पति स्वयं चुनने आदि के रिवाज पाये जाते हैं । मीणा जैसे समुदायों जो की सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में न रहकर गांवों तथा शहरों में निवास कर रहे है, उनकी महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक सुधार देखा गया है । लेकिन सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली आदिवासी जातियों को शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता तथा भाषा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । सर्व शिक्षा अभियान तथा महिला समाख्या जैसे कार्यक्रमों के फलस्वरूप इनको शिक्षित करने के प्रयासों में भी तेजी आयी है । कुछ खानाबदोश अनुसूचित जनजातियों जैसे गाड़िया लुहारों आदि के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं । एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहने की परम्परा भी महिलाओं की शिक्षा को प्रभावित कर रही है। राजस्थान की अल्पसंख्यक जातियों में मुस्लिम समुदाय की बहुलता है । राजस्थान के कुछ प्रदेशों जैसे अजमेर, टोंक, आदि में इनकी शासकीय भूमिका होने के बावजूद सामाजिक एवं सांस्कृतिक रुढ़ियों एवं परम्पराओं के चलते इस समुदाय की महिलायें शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई है । मुस्लिम समुदाय में बुरका प्रथा एवं महिलाओं को गैर-पुरुषों के साथ काम करने में पाबन्दी के कारण मुस्लिम महिलाएं औपरिचारिक शिक्षा में भाग नहीं ले पाती है । मुस्लिम समुदाय में महिलाओं को घर की चारदीवारी के अन्तर्गत होने वाले कार्यो एवं बच्चों के लालन-पालन के कार्यो की ही इजाजत दी जाती है । अधिकतर मुस्लिम परिवारों में बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण महिलायें इनके लालन-पालन में ही व्यस्त रहती है । मुस्लिम समुदाय में परिवार नियोजन के साधनों के उपयोगी की परम्परा नहीं हैं । अधिकतर मुस्लिम बालिकाओं को घर पर ही धार्मिक कार्यो एवं घरेलु कौशलों की शिक्षा प्रदान की जाती है । अधिकतर मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक रूढ़िवादिता के चलते प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक स्तर के बाद विद्यालय छुड़वा दी जाती हैं । इस प्रकार सामाजिक परम्पराओं एवं

सांस्कृतिक रुढ़िवादिता के चलते अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 अनुसूचित जाति की बालिकाओं के शिक्षित न होने के क्या कारण है ?

2 राजस्थान के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में महिला साक्षरता में क्या अन्तर है ?

4.3 समाज तथा परिवार का महिला शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण (Attitude of Society and Family Towards Women's Education)

अभी तक के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि राजस्थान में महिला शिक्षा की स्थिति प्रारम्भ से ही अत्यन्त शोचनीय रही है । इसका मुख्य कारण यहां का सामाजिक तथा पारिवारिक परिवेश रहा है। समाज में महिलाओं की जिम्मेदारी घर परिवार, बच्चों एवं पशुओं की देखभाल तक ही सीमित थी । पर्दा एवं दहेज प्रर्था जैसी कुरीतियों का बोलबाला था । जिससे बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय करना एक प्रकार से व्यर्थ माना जाता था । यहां तक की उच्च आय वर्ग के परिवारों में भी महिलाओं को शिक्षा केवल इसलिए दी जाती थी, ताकि वे धार्मिक क्रियाकलापों के दायित्वों को पूराकर सकें धार्मिक पुस्तकों को पढ़ सकें ।

स्वतंत्रता के पश्चात् अनेक प्रयासों एवं परिस्थितियों में बदलाव के फलस्वरूप धीरे-धीरे महिला शिक्षा के प्रति समाज एवं परिवार के दृष्टिकोण में बदलाव महसूस किया जा रहा है ।

उच्च एवं सामान्य वर्ग की स्त्री का घर से बाहर निकल कर गैर मर्दों के बीच किन्हीं शैक्षिक, आर्थिक या व्यावसायिक गतिविधियों में सहभागिता करना सुरक्षित नहीं माना जाता था । निम्न आय वर्ग यथा किसान एवं मजदूरों की स्त्रियाँ अपने पुश्तैनी कार्यो में परिवार के बीच हाथ बंटाती थी । खेती, पशुपालन आदि में महिलाएं अपने परिवार के पुरुष सदस्यों का पुरा सहयोग करती थी। लेकिन इस हेतु उनकी शिक्षा की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती थी । परिवार की किशोर बालिकाएँ, माताओं को सहयोग करने हेतु छोटे बच्चों की देखभाल करती थी, ताकि माताएं खेती एवं पशुपालन के कार्यो को देख सकें । इस कारण इनको पढने के लिए विद्यालय भेजना अनार्थिक माना जाता था । इसके विपरीत चूंकि लड़कों को बड़े होकर घर के बाहर के कार्यो तथा आर्थिक - व्यावसायिक हितों को पूरा करना होता था, अत: उनको विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने हेतु भेजना अधिक ठीक माना जाता था । इसके साथ ग्रामीण एवं दूरस्थ इलाकों मे बालिका विद्यालयों का अभाव एवं महिला शिक्षिकाओं की अनुपलब्धता महिला शिक्षा में बाधक थी । यदि शहरी क्षेत्रों को छोड़ दें, तो आज भी राजस्थान की सामाजिक मान्यताएँ इस प्रकार की हैं कि लड़कियों को, लड़कों के विद्यालय में भेजना एवं पुरुष शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करवाना मान्य नहीं है । लड़कियों को घर से दूर दराज विद्यालय भेजने में भी परिवार संकोच करते हैं । विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के चलते विद्यालयों की संख्या बढ़ी है ग्रामीण इलाकों में लगभग 1 किमी दूरी के अन्दर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध

करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं । वैज्ञानिक प्रगति, भूमण्डलीकरण एवं संचार के साधनों के परिणामस्वरूप सामाजिक सोच में भी बदलाव महसूस किया जा रहा है । आज अभिभावक, खासकर मध्यमवर्गीय एवं निम्न मध्यमवर्गीय भी अपनी बालिकाओं को पढ़ना चाहते हैं लेकिन वर्तमान समय में भी महिला शिक्षा के प्रति सामाजिक एवं पारिवारिक दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले अनेक कारक जैसे गरीबी, रुढ़ीवादी मान्यताएँ, परिवार में महिलाओं की परम्परागत भूमिका, महिलाओं की आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों की उपलब्धता, रोजगार की अनुपलब्धता आदि है ।

गरीबी एक प्रमुख कारण जिससे परिवार का महिला शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण प्रभावित होता है । गरीब परिवारों की प्राथमिकता अपनी रोजी-रोटी कमाने की रहती है । अत: बालिकाओं की शिक्षा में निवेश के प्रति उनका दृष्टिकोण नकारात्मक रहता है । हालांकि गरीबी उन्मूलन के अनेक प्रयास किये गये हैं, परन्तु तीव्र जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप गरीब परिवारों की संख्या में अधिक कमी नहीं हो पाई । दोपहर का भोजन, निःशुल्क बालिका शिक्षा, निशुल्क पाठ्यपुस्तकें आदि अनेक योजनाएं हैं, जिनकी सहायता से परिवार एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास किया जा रहा है । यहां तक की किशोर लड़कियों के जिम्मे डाले जाने वाला शिशुओं के लालन-पालन का कार्य भी आगनबाड़ी केन्द्रों को दिया जा रहा है ताकि बालिकाएं पढ़ सकें ।

सामाजिक रुढ़िवादी मान्यताओं में प्रमुख है बाल-विवाह राजस्थान में ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह बहुतायात से प्रचलित है, छोटी आयु में शादी कर दिये जाने की मान्यता के कारण अभिभावक बालिका की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके अनुसार लड़की पराया धन है । उनकी शादी कर देना ही उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है । इस प्रकार की सोच महिला शिक्षा हेतु घातक साबित हो रही है । परिवार में यह दृष्टिकोण पाया जाता है कि लड़कियों को प्राथमिक या मिडल स्कूल तक ही शिक्षा देना पर्याप्त है जिससे की वे अपने घरेलू हिसाब-किताब आदि आसानी से कर सकें । चाहे कोई आर्थिक सामाजिक स्थिति वाला वर्ग हो, राजस्थान में वर्षो तक सामाजिक मान्यता रही है कि महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर-परिवार तक ही सीमित है । इसी सोच के कारण ही महिलाओं को माध्यमिक एवं उच्च स्तर की शिक्षा से वंचित रखा जाता रहा है । यदि कोई महिला अधिक शिक्षित होती तो भी यही मान्यता रहती है की कोई पारिवारिक आपात् परिस्थिति में नौकरी करने में सक्षम होंगी । समाज की महिला शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच के पीछे एक प्रमुख कारण यह भी है कि औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं की पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं थे । परिवार का मानना था कि यदि बालिकाओं को विद्यालयों में पढने भेजा जायेगा तो वे न अपने परम्परागत पुश्तैनी कार्य करने के लायक नहीं रहेगी या नहीं सीख पायेंगी । पिछले दो दशक में नगरीय एवं बाजारवादी संस्कृति के फलस्वरूप महिला शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव महसूस किया जा रहा है । आज अपने बच्चों को पढ़ाने के पीछे आर्थिक समृद्धि को पाने तथा आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करने की मंशा हावी है । यह सोच निश्चित् ही महिलाओं की शिक्षा के प्रति परिवार तथा समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने की ओर अग्रसर होगी ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. राजस्थान मे बालिका शिक्षा का बढ़ावा देने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे है ?
2. राजस्थान मे बालिकाओं की बजाय बालको को विद्‌यालय भेजने मे प्राथमिकता दिये जाने का क्या कारण है ?

4.4 राजस्थान मे महिला शिक्षा का विकास (Progress of Women's Education in Rajasthan)

मात्रात्मक विकास (Quantitative Development) एवं शैक्षिक स्तरों में सहभागिता - राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्‌यालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्‌वारा जारी प्रारम्भिक शिक्षा के विकास की रिपोर्ट (Elementry Education in India : Analytical Tables 2006-07) के अनुसार प्राथमिक स्तर पर (कक्षा 1 से 5) अखिल भारतीय स्तर नामांकन में लिंग समानता सूचकांक 0.93 हैं जबकि राजस्थान में लिंग समानता सूचकांक (Gender Parity Index) 0.88 पाया गया है । यह सूचकांक लड़कों के मुकाबले लड़कियों के नामांकन को दर्शाता है। स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर राजस्थान में लिंग भेद अखिल भारतीय स्तर से अधिक है । इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर राजस्थान में लिंग समानता सूचकांक मात्र 0.66 है । ग्रामीण क्षेत्र में और भी कम मात्र 0.64 पाया जाता है । जबकि अखिल भारतीय स्तर पर इसका मान 0.87 है । इस प्रकार राजस्थान में उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कों के लड़कियों का नामांकन बहुत कम पाया जाता है । अखिल भारतीय स्तर के मुकाबले राजस्थान में उच्च प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण इलाकों में नामांकन अत्यधिक कम पाया जाता है । राजस्थान में वर्ष 1981 केवल 14 प्रतिशत महिलायें साक्षर थी, जिनकी संख्या वर्ष 1991 में बढ़कर 20.44 प्रतिशत हो गई । वर्ष 2001 में यह 44.34 प्रतिशत हो गई । ग्रामीण इलाकों में वर्ष 1991 में महिला साक्षरता दर 11.59 प्रतिशत तथा शहरी इलाकों में 50.24 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर ग्रामीण इलाकों में 37.74 प्रतिशत तथा शहरी इलाकों में 65.42 प्रतिशत हो गई है ।

सारणी : राजस्थान में महिला साक्षरता दर (प्रतिशत मे)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	कुल
1991	11.59	50.24	20.44
2001	37.74	65.42	44.34

स्रोत - जनगणना 2001 प्रोवीजनल

स्पष्ट है कि 20वी सदी के अन्तिम दशक में राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई है । लेकिन राह अभी भी बहुत कम है । शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर में अभी बहुत अधिक अन्तर है । पुरुष साक्षरता दर (कुल 74.46 प्रतिशत) के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता दर में अभी भी बहुत अन्तर है ।

राजस्थान में ग्रामीण एवं शहरी साक्षरता दर (प्रतिशत मे)

वर्ष				कुल		ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	कुल		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिलाकुल
1991	54.99	20.44	38.55	47.64	11.59	30.37	78.50	50.24	65.33
2001	76.46	44.34	61.03	72.96	37.74	55.92	87.10	65.42	65.42

स्रोत - जनगणना 2001 प्रोविजनल

साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक अच्छी स्थिति शहरी पुरुषों की है । जबकि सबसे कम साक्षरता दर ग्रामीण महिलाओं की है, जो दषकों से निरन्तर बरकरार है । वर्ष 2001 की जनगणना जालौर एवं बांसवाड़ा जैसे जिले भी है जहां पर महिला साक्षरता दर मात्र 27 एवं 28 प्रतिशत ही है ।

राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर वर्ष 1991 की जनगणनानुसार क्रमश: 8.31 तथा 4.42 प्रतिशत थी । जो कि अन्य सभी राज्यों से कम है । सामान्य महिला साक्षरता दर 20.44 प्रतिशत से भी यह बहुत कम है । इस प्रकार जाति वर्गो के मध्य राजस्थान में शैक्षिक भेद बहुत अधिक रहा है ।

जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर के क्षेत्रीय असंतुलन भी देखने में आता है । जहां झुंझनू एवं सीकर जिलों में महिला साक्षरता दर 62 से 68 प्रतिशत तक पाई जाती है, वहीं उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में यह मात्र 11.14 प्रतिशत पाई गई थी । इसी प्रकार उदयपुर, बांसवाड़ा के कुछ अन्य ग्रामीण इलाकों में महिला साक्षरता दर मात्र 18 व 19 प्रतिशत पाई गयी थी । जबकि उदयपुर शहर में महिला साक्षरता दर 81.02 प्रतिशत पायी गयी थी ।

लिंग समानता सूचकांक, राजस्थान (Gender Parity Index, Rajasthan)

वर्ष	**I-V**	**VI-VIII**	**IX-XII**
2001-02	0.60	0.47	0.44
2002-03	0.91	0.59	0.49
2003-04	0.91	0.64	0.47
2004-05	0.93	0.65	0.48
2005-06	0.95	0.68	0.52

स्रोत : एम.एच.आर डी. 2008

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर लिंग भेद निरन्तरं कम हो रहा है लेकिन उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अभी भी लड़कियों के नामांकन हेतु अधिक प्रयास की आवश्यकता है ।

प्रत्येक 100 लड़कों पर लड़कियों का नामांकन राजस्थान

वर्ष	**I-V**	**VI-VIII**	**IX-XII**
2001-02	56	42	38
2002-03	82	53	42

2003-04	82	57	40
2004-05	84	58	42
2005-06	86	61	46

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर पर वर्ष 2005-06 । में 100 लड़कों पर मात्र 46 लड़कियाँ ही शिक्षा ले रही थी । वर्ष 2001-02 से तुलना करने पर यह स्पष्ट है कि राजस्थान में बालिका शिक्षा के प्रयासों के फलस्वरूप बालिका शिक्षा में भेद निरन्तर कम हो रहा है ।

माध्यमिक स्तर पर राजस्थान में बालिकाओं का नामांकन बालकों के मुकाबले आधे से भी कम रहा है । खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन की स्थिति बहुत पिछड़ी थी । निम्नलिखित आकड़ों से स्थिति स्पष्ट है ।

राजस्थान में माध्यमिक स्तर पर नामांकन

वर्ष	कुल नामांकन		ग्रामीण क्षेत्रो मे नामांकन		शहरी क्षेत्रो मे नामांकन	
छात्र	छात्र	छात्र	छात्र	छात्र	छात्र	छात्र
1998-99	816590	299030	402361	97131	414229	201899
2000-01	941000	357000	474582	30673	466418	226327
2003-04	1182357	475213	625083	207357	557354	267862
2005-06	1321891	606146	715764	303487	606127	302665

अप्रकाशित शोध ज्योत्सना गौड़ (2008) के अनुसार राजस्थान 2020 तक माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु बालिकाओं के नामांकन की गति तीन गुना करने की है ।

राजस्थान में लड़कियों के नामांकन (लाखों मे) की वर्तमान में स्थिति (2006-2007)

		ग्रामीण			कुल छात्र	छात्रा	कुल
छात्र	छात्र	कुल		प्राथमिक			40.61
35.84	76.46	48.70	42.80	91.51			
	(53.12%)	(46.88%)	(100%)	(53.22%)	(46.78%)	(100%)	
उच्च प्राथमिक	16.13	10.30	26.44	19.90	13.20	33.10	
	(55.15%)	(44.85%)	(100%)	(53.05%)	(44.95%)	(100%)	

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर छात्र-छात्रा के नामांकन में भेद निरन्तर कम हो रहा, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है ।

7वें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (2002) के अनुसार पहली कक्षा में प्रत्येक 100 नामांकित बालिकाओं में से राजस्थान में मात्र बालिकायें 3.8 उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेती थी । मात्र 12 बालिकायें 9वीं कक्षा में प्रवेश लेती थी ।

पहली कक्षा में 100 नामांकन के तुलना में राजस्थान में अन्य कक्षाओं में नामांकन

कक्षा	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
छात्र	100	71	60	53	48	47	42	38	28

छात्रा	100	63	48	38	32	27	23	19	12
कुल	100	67	54	45	40	38	32	29	20

इस प्रकार हम देखते है कि छात्रों के मुकाबले बहुत कम छात्राऐं प्रवेश ले पाती हैं । **<u>उच्च शिक्षा</u>** के क्षेत्र में- उच्च शिक्षा **<u>के क्षेत्र में</u>** राजस्थान में छात्राओं के नामांकन में सत्र 2005-06 में 11.08 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है जो 2006--07 में बढ़कर 15.60 प्रतिशत हो गयी है ।

राजस्थान में विश्वविद्यालयों की स्थिति

प्रकार - विश्वविद्यालय	वर्ष 2003	वर्ष 2007 तक
विश्वविद्यालयवत् संस्थाएँ	04	08
विश्वविद्यालय	09	14

1 राजस्थान में पिछले 3-4 वर्षो में विश्वविद्यालयों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है । राजस्थान में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की छात्राओं को जिनके माता-पिता आयकर नहीं देते हैं उनको पुस्तक बैंक योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक 22.00 लाख रुपये की राशि राजकीय महाविद्यालयों को आवंटित की गई है । 25 राजकीय महिला महाविद्यालयों में निजी सहभागिता से छात्रावास प्रारम्भ करने हेतु भूमि व भवन निर्माण की सहमति दी है । राजकीय महिला महाविद्यालय सहायता प्राप्त करने में सबसे आगे रहे हैं । राजस्थान में कॉलेजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है ।

राजस्थान में कॉलेजों की संख्या में वृद्धि

<u>वर्ष</u>	**<u>कॉलेज की संख्या</u>**
1955-56	23
1988-86	139
1995-96	198
2003-04	509
2004-05	737
2005-06	751

स्रोत : कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2000 के पश्चात् राजस्थान में उच्च शिक्षा के कॉलेजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है । कुल 751 कॉलेजों में से 273 कॉलेज केवल छात्राओं के लिए तथा बाकी अन्य सहशिक्षा वाले हैं । इनमें से केवल 33 महिला महाविद्यालय राजकीय है बाकी अन्य निजी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं । वर्ष 2005-06 में 201085 लड़कों के मुकाबले 126199 लड़कियां महाविद्यालयों में अध्ययनरत थी ।

राजस्थान में लड़कियों का नामांकन (उच्च शिक्षा मे)

सत्र 2005-06

विषय /संकाय	प्रतिशत%	लड़को का नामांकन (संख्या)	लड़कियों का नामांकन(संख्या)

कला	68.17	128057	86027
विज्ञान	15.04	30561	18983
गृहविज्ञान	0.74	0	933
वाणिज्य	11.55	26683	14579
विधि	1.76	9743	2220
कृषि	0.04	1149	52
डिप्लोमा	2.50	4288	3156
अन्य	0.20	604	249

100%

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि राजस्थान में लड़कियाँ उच्च शिक्षा के अन्तर्गत कला संकाय में अधिक रुचि लेती हैं । विज्ञान तथा वाणिज्य संकायों में प्रवेश लेने वाली लड़कियों की संख्या, लड़कों के मुकाबले लगभग आधी हैं । सत्र 2005-06 में 201 लड़कियों ने एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि में नामांकन करवाया, जो लड़कों की संख्या (231) के लगभग समान है । इसी प्रकार स्नात्तकोत्तर अंतिम वर्ष में 5100 लड़को के मुकाबले 5384 लड़कियों का नामांकन एक अच्छा संकेत है । महाविद्यालयों में बालिका नामांकन दर में वृद्धि निरन्तर तेज हो रही है ।

सारणी : राजस्थान में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि (उच्च शिक्षा)

वर्ष	लड़कियों का नामांकन
1982-83	19686
1990-91	22576
1995-96	44692
2000-01	83464
2005-06	126199

अजमेर, जयपुर, झुझनु, श्री गंगानगर आदि जिलों में बालिकाओं का नामांकन (8000 से अधिक) महाविद्यालयों में उच्च है जबकि जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही आदि पश्चिमी राजस्थान के जिले इस दृष्टि से पिछड़े हुए हैं । जहाँ बालिकाओं का महाविद्यालय- में नामांकन 1000 से भी कम है । शिक्षा के निम्न स्तरों में बालिकाओं की भागीदारी में वृद्धि के पश्चात् उच्च शिक्षा में भी अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है ।

गुणात्मक विकास (Qualitative Development)

बालिकाओं की शिक्षा हेतु राज्य सरकार ने विभिन्न आयोगों तथा समितियों द्वारा की गई अभिशंसाओं को ध्यान में रखते हुए कई परियोजनाएं चलाई हैं -

(क) छात्र वृत्तियाँ एवं वजीफे - (1) कक्षा में अधिकतम उपस्थित रहने वाली लड़कियों को छात्रवृत्तियां (2) पाठ्यपुस्तकें क्रय करने हेतु छात्रवृत्तियां,, (3) शिक्षक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्तियां हेतु विशिष्ट भर्ती अभियान चलाये गये ।

(ख) छात्रा भर्ती अभियान -ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बालिकाओं के नामांकन हेतु विशिष्ट भर्ती अभियान चलाये गये ।

(ग) सह शिक्षा विद्‌यालयों में विशिष्ट सुविधाएं -सह शिक्षा विद्‌यालय में पढने वाली छात्राओं के लिए पृथक् शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था की गई तथा उनके लिये विशिष्ट खेल और अन्य कार्यक्रमों का प्रावधान किया ।

(घ) विद्‌यालय माताओं की नियुक्तियां -शिशु विद्‌यालयों में छोटी-छोटी बालिकाओं की सुविधा हेतु विद्‌यालय माताओं की नियुक्ति की गई । (1) निःशुल्क शिक्षा - राज्य में प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक बालिकाओं एवं स्त्रियों हेतु निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है ।

(2) बालिकाओं के लिए बस की व्यवस्था - राज्य के लगभग सभी जिला मुख्यालयों में लड़कियों को राजकीय बसों से रियायती दरों पर स्कूल से लाने ले जाने की व्यवस्था है ।

(ड) लड़कियों की शालाएं - उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शालाएं खोलते समय लड़कियों की शालाओं को उच्च प्राथमिकता दी जाती है ।

(च) छात्रावास की सुविधाएं - राजस्थान के 5 क्षेत्रीय मुख्यालयों बीकानेर, कोटा, जयपुर और उदयपुर में छात्राओं के लिए पृथक् छात्रावास की सुविधाएँ विद्‌यमान है । इन छात्रावासों में ऐसी अध्यापिकाओं के रहने की भी व्यवस्था है, जिनके पास आवास सुविधा न हो ।

(छ) विशिष्ट पाठ्‌यक्रम की व्यवस्था - राज्य के माध्यमिक और उच्च कन्या विद्‌यालयों में अलग से कुछ पाठ्‌यक्रम निर्धारित किये गये हैं । छात्राएं अपनी रुचि के अनुसार उनमें से चयन कर सकती हैं ।

महिला अध्यापिकाओं को प्रोत्साहन योजना - ऐसा भी महसूस किया है कि अगर अध्यापिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिये नहीं किया गया तो बालिका शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने में वांछित सफलता मिलने में संदेह रहेगा, क्योंकि इनकी शिक्षा परोक्ष रूप से अध्यापिकाओं की सुविधाओं से जुडी हुई है । इस संदर्भ में राज्य सरकार ने कुछ विशेष निर्णय लिये हैं ।

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था -ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के लिए व्यवस्था की नितान्त आवश्यकता होती है, अन्यथा वे वहां रहने में संकोच करती हैं । इस कमी को दूर करने के लिए पंचायत समितियों के लिए विशेष वित्त व्यवस्था की गई, ताकि वे अध्यापिकाओं के मकान बना सकें ।

(ख) अन्य विशिष्ट सुविधाएं - (1) सेवारत पति-पत्नी को एक स्थान पर रखने का प्रयत्न किया जाता है । (2) पब्लिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है । (3) महिला अध्यापिकाओं के लिए नियुक्ति की आयु 35 वर्ष कर दी गई है ।

(ग) पृथक प्रशासनिक ढांचा -मंडल एवं जिला स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के द्रुत विकास हेतु निदेशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत अलग ही प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया है ।

(घ) पृथक शिक्षण प्रशिक्षण विद्‌यालय - महिला अध्यापिकाओं के सेवा पूर्व प्रशिक्षण हेतु पृथक् शिक्षण प्रशिक्षण विद्‌यालय एवं महाविद्‌यालय को संचालन भी राज्य में किया जा रहा है ।

मातृ अध्यापकों-संगठनों (एम.टी.ए.) का गठन- बालिका नामांकन, ठहराव एवं प्रोत्साहन के लिए मात अध्यापक-संगठन सबसे अधिक सफल व्यूह रचनाओं में से एक है । सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, मदरसों, ईजीएस केन्द्रों तथा वैकल्पिक विद्यालयों में इनका गठन किया जा चुका है । इन सभी औपचारिक एवं वैकल्पिक विद्यालयों में मात-अध्यापक-संगठनों की बैठकें प्रतिमाह होती हैं तथा नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सम्बन्धी स्थिति की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान स्थिति में आवश्यक सुधार हेतु अग्रिम योजना बनाई जाती है । यही नहीं, विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं जैसे शौचालय, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, हैण्डपम्प / पीएचईडी कनेक्शन, कक्षाकक्ष, इत्यादि की उपलब्ध एवं उनके उपयोग की भी समीक्षा की जाती है तथा यदि कोई आवश्यकता होती है तो स्थिति को सुधारने हेतु प्रयत्न किए जाते हैं । परन्तु इन मातृ अध्यापक संगठनों का मुख्य बल बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव पर होता है। यदि कभी भी नामांकित नहीं होने वाली बालिकाओं के मामले होते हैं । अथवा ड्रॉप आउट के मामले होते हैं तो इन मात अध्यापक संगठनों के सदस्यों द्वारा इन बालिकाओं के माता-पिता से सम्पर्क किया जाता है तथा उत्पेरित करने एवं समझाइए के द्वारा इन बालिका विद्यालयों / वैकल्पिक विद्यालयों में नामांकित / पुन: प्रविष्ट कराया जाता है । इस तरह सार्वजनीन शिक्षा विशेषकर बालिकाओं के लिए शिक्षा प्रदान करने में मात अध्यापक-संगठन बहुत योगदान देते हैं ।

बालिका शिक्षा के लिए विद्यालय / संकुल स्तर पर महिला बैठकें प्रति माह आयोजित की जाती है । उनके परिणामस्वरूप नामांकन एवं ठहराव की समस्याओं का सुलझाने में महिला समूह सक्रिय हो गये । इन बैठकों का मुख्य बल बच्चों के, विशेषकर बालिकाओं एवं अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के बच्चों के नामांकन एवं ठहराव पर था। इन महिला बैठकों की विद्यालयों, मदरसा, ईजीसी केन्द्रों तथा वैकल्पिक विद्यालयों में बच्चों की, विशेषकर उन बच्चों की जो घर पर छोटे बच्चों की देखभाल करने, पशु चराने तथा की सहायता के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

बालिका मंच - बालिका मंच बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं वे वास्तव में विद्यालय एवं बालिकाओं के माता-पिता के मध्य समन्वय की कड़ी है । उनकी भूमिका के महत्व को दृष्टि में रखकर उनकी सदस्याओं को क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किए गए हे । बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जिसमें विशेष चिन्ता वंचित वर्गों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों की बालिकाओं की है इस उद्देश्य से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक पढने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों की प्रत्येक बालिका का 70 रुपये के मूल्य का अध्यापन-अधिगम-सामग्री (टीएलएम) एसडीएमसी के द्वारा वितरित किया गया था । एसडीएमसी इन बालिकाओं को टी.एल.एम. बैग, अभ्यास पुस्तिका, पेन्सिल, ज्यॉमैट्री बॉक्स देती है । यह व्यूह रचना नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में बहुत सफल सिद्ध हुई हैं ।

राजस्थान में शिक्षा के विकास के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के उपरान्त भी, राज्य अभी इस क्षेत्र में विशेषकर महिलाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत पिछड़ा हुआ है । राजस्थान की महिला साक्षरता दर देश में 29वे स्थान पर हैं । यहाँ की जिलेवार साक्षरता दर यह प्रदर्शित करती है कि जालौर एवं बांसवाड़ा जिलों में महिला साक्षरता दर राज्य में सबसे कम (मात्र 27 से 28%) है । सन् 1991 एवं 2001 के मध्य राजस्थान में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर का अन्तर लगभग 20 प्रतिशत बिन्दु हो गया है । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जन जाति की महिला साक्षरता दर से सम्बन्धित स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है । राजस्थान में आदिवासी महिलाओं के शैक्षिक विकास हेतु सरकार ने वर्ष 2008 में अनेक घोषणाएं की है -

1. आदिवासी क्षेत्रों में बालकों की शिक्षा के लिए 12 हजार सरकारी स्कूल खोले गए हैं ।
2. आदिवासी बालिकाओं को शिक्षा के साथ सरकार की ओर से कई सुविधाएं जैसे निःशुल्क पुस्तकें, भोजन की व्यवस्था की गई ।
3. जनजाति क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए निजी क्षेत्र में स्कूल खोलने पर डिपोजिट में पचास फीसदी छूट देने का निर्णय किया है ।
4. 4. राज्य के 52 उपखण्डों जहां कॉलेज नहीं वहां भी कॉलेज खोलने पर निजी क्षेत्र को विशेष रियायतें देने का निर्णय किया है । इन उपखण्डों में कॉलेज खोलने पर एफ.डी.आर. दस लाख की जगह दो लाख रुपये की देनी होगी । महिला कॉलेज के लिए केवल पचास हजार की सीमा ही रखी गई हे । यह छूट दी गई है कि कॉलेज के लिए भवन नहीं है तो सरकारी स्कूल में तीन साल तक दूसरी पारी में कॉलेज चला सके और तब तक अपना भवन तैयार कर ले । ऐसे निर्णय के पीछे उद्देश्य यही है कि लोगों को उच्च शिक्षा गांवों में ही आसानी से प्राप्त हो सकें, जिससे उनका विकास हो सकें ।

इससे स्थिति में गम्भीरता प्रतिबिम्बित होती है, जिससे इस क्षेत्र में और अधिक से अधिक प्रयास करने की आवश्यकता हो गई है । राजस्थान में ग्रामीण बालिकाएँ प्राय: प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा में आगे नहीं जाती है, चाहे उनके घर के समीप ही उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित हों । तारुण्य अवस्था पर पहुँचने के पश्चात् एक लड़की को उसके पति के घर भेज दिया जाता है और इस तरह पढने की किसी भी सम्भावना को समाप्त कर दिया जाता है । बालिकाओं को विद्यालय जाने से रोकने वाला एक बड़ा कारण यह है कि विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं की कमी है । बालिकाओं के माता-पिता अपने बेटियों को लड़कियों के स्कूलों में पढने भेजना चाहते हैं । बालिका शिक्षा के लिए राज्य में रुढ़िवादी एवं दकियानूसी वातावरण के फैलने के उपरान्त भी गत वर्षो में बहुत प्रगति की गई है । सन् 2001 की 44.34 प्रतिशत महिला साक्षरता की तुलना में सन् 1951 में महिला साक्षरता दर मात्र 3 प्रतिशत ही थी । इस तरह यह स्पष्ट है कि राजस्थान राज्य अपने कठोर सांस्कृतिक मानकों को तोड़ने के लिए एवं बालिकाओं - लिए बुनियादी शिक्षा प्रदान करने में दीप्त भविष्य सुनिश्चित करने हेतु घोर संघर्ष कर रहा है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे है ?

4.5 सारांश (Summary)

- राजस्थान में स्त्री शिक्षा विभिन्न सामाजिक वर्ग में भिन्न-भिन्न प्रकार की थी । उच्च तथा साधन सम्पन्न वर्ग में स्त्री शिक्षा का सामान्यत: अधिक प्रचलन था । औपचारिक स्कूली शिक्षा के द्वारा महिलाओं को शिक्षित करने में राजस्थान में गैर सरकारी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है ।
- राजस्थान में महिला शिक्षा की स्थिति गम्भीर चिन्ता का विषय है । आजादी से पूर्व बालिका शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था ।
- माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का पिछड़ापन सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित हुआ है । सरकार की नीतियों, महिलाओं के उपलब्ध रोजगार के अवसरों एवं महिलाओं के आरक्षण के फलस्वरूप ग्रामीण इलाकों के उच्च सामाजिक आर्थिक वर्गो में महिलाओं को शिक्षित करने में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया है ।
- सामाजिक एवं सांस्कृतिक बदलाव के कारण शहरी क्षेत्रों में महिला की शिक्षा में प्रगति आई है, साथ ही महिलाओं के शिक्षित होने के कारण भी रूढ़िवादी परम्परागत मूल्यों में कमी आई है ।
- राजस्थान के अनुसूचित जातियों में गरीबी एवं परम्परागत कार्यो में संलग्नता का प्रभाव इनके शैक्षिक स्थिति को अधिक प्रभावित करता है । छुआछूत जैसी प्रथाओं के कारण बालिकाएं शिक्षा से वंचित है ।
- सामाजिक परम्पराओं एवं सांस्कृतिक रुढ़िवादिता के चलते हुए अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई ।
- राजस्थान में वर्षो तक सामाजिक मान्यता रही है कि महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर-परिवार तक ही सीमित है । इसी सोच के कारण ही महिलाओं को माध्यमिक एवं उच्च की शिक्षा से वंचित रखा जाता रहा है ।
- बालिका शिक्षा के लिए राज्य में रुढ़िवादी एवं दकियानूसी के फैलने के उपरान्त भी गत वर्षो में बहुत प्रगति हुई है ।

मूल्यांकन प्रश्न -

1. राजस्थान में आजादी से पूर्व महिलाओं हेतु किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी । वर्णन कीजिए।
2. राजस्थान में सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्परा में एवं मूल्य किस प्रकार महिलाओं की औपचारिक शिक्षा को प्रभावित कर रहे है ? व्याख्या कीजिए ।
3. "राजस्थान में समाज एवं परिवार का दृष्टिकोण महिला शिक्षा के प्रति सकारात्मक नहीं है । "क्या आप इससे सहमत है ? अपने मत का औचित्य स्पष्ट कीजिए ।
4. "राजस्थान शैक्षिक विकास की दृष्टि से निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है ।" महिलाओं की शिक्षा के संदर्भ में विवेचना कीजिए ।

4.6 संदर्भ (References)

1. http://www.educationforallinindia.com
2. http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in
3. M.H.R.D. (2008)"Elementary Education in India -Analytical Report 2006-07," NUEPA and Department of School education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi.
4. Satya, B.R. (2003): "Trends in Education", Anmol Publication, New Delhi.
5. Sharma, Usha B.M. Sharma (1995): "Girl's Education", Women and Educational Development Series-6", Common Wealth Publishers, New Delhi.
6. Verma, G.C. (1984): "Modern Education, Growth and Development in Rajasthan", Publication Scheme, Jaipur.
7. www.education.nic.in
8. शिक्षा विभाग (2008), वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

इकाई 5

प्राथमिक शिक्षा (Prmiary Education)

इकाई की संरचना (Structure of the unit)

5.0 उद्देश्य

5.1 भारत में प्राथमिक शिक्षा

5.2 विभिन्न आयोगों एवं समितियों की अनुशंसाएँ एवं संवैधानिक प्रावधान

5.3 भारत में सबके लिए शिक्षा

5.4 प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति

5.5 प्राथमिक शिक्षा में बालिका सहभागिता

5.6 पंचवर्षीय योजनाओं में बालिका शिक्षा

5.7 कक्षा पारगमन दर

5.8 ड्राप आउट की समस्या

5.9 प्राथमिक शिक्षा में बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु सरकारी प्रयास

5.10 सारांश

5.11 संदर्भ ग्रन्थ

5.0 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- भारत में प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता जान पाऐंगे ।
- प्राथमिक शिक्षा हेतु आयोगों / समितियों की अनुशंसाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे ।
- भारत में सबके लिए शिक्षा के उद्देश्य एवं प्राथमिक शिक्षा हेतु नियोजन को जान पाऐंगे।
- प्राथमिक शिक्षा में बालिका सहभागिता को स्पष्ट कर पाऐंगे ।
- प्राथमिक स्तर पर ड्राप-आउट एवं पारगमन दर की व्याख्या कर पाऐंगे ।
- प्राथमिक शिक्षा में बालिका द्वारा विद्यालय छोड़ने के कारण स्पष्ट कर सकेंगे ।
- प्राथमिक शिक्षा में बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु सरकारी प्रयास स्पष्ट कर सकेंगे ।

5.1 भारत में प्राथमिक शिक्षा (Primary Education in India)

प्राथमिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था का आधार होती है । जीवन की सफलता के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, वह और उसके चरित्र का निर्माण इसी स्तर से प्रारम्भ हो जाता है । फ्रायड और उनके अनुयायी भी यही विचार व्यक्त करते हैं कि व्यक्ति कों व्यक्तित्व के सभी आवश्यक गुण जीवन के इन प्रारम्भिक वर्षो में उसके व्यक्तित्व में जुड जाते हैं तथा आगामी वर्षो में उनका विकास मात्र होता है । इसी कारण प्राचीन भारत में संस्कारों का प्रचलन और पश्चिमी देशों द्वारा प्राथमिक शिक्षा में विशिष्ट नियोजन के प्रयास दृष्टव्य होते हैं ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत की विशाल जनसंख्या हेतु प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना महान् चुनौती सिद्ध हुई किन्तु फिर भी राष्ट्रीय सरकार द्वारा इसे प्रमुखता प्रदान किए जाने की दिशा में सतत्, अथक किन्तु सफल प्रयास किए गये । प्राथमिक विद्यालयों की संख्या विद्यार्थियों और शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रम में विविधता एवं रोचकता और कक्षा-कक्ष की व्यवस्था में निरन्तर वृद्धि हुई है । प्राथमिक स्तर पर प्राय: सह शिक्षा की व्यवस्था की गई किन्तु जनसंख्या विस्तार तथा उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अनेक राज्यों ने बालिका विद्यालयों की पृथक व्यवस्था भी की है ।

भारत में भी प्राथमिक शिक्षा को महत्त्वपूर्ण मानते हुए संवैधानिक प्रावधान किए हैं तथा आयोगों एवं समितियों ने अपनी अनुशंसाओं में इस शिक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए विशिष्ट प्रावधान किए जाने की अनिवार्यता पर बल दिया है ।

5.2 विभिन्न आयोगों एवं समितियों की अनुशंसाएँ एवं संवैधानिक प्रावधान

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) - इस आयोग का मुख्य कार्यक्षेत्र माध्यमिक शिक्षा था किन्तु प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में इनका सुझाव था कि इस स्तर की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को मानवीय ज्ञान से परिचित कराना हो । कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा पूरक हो । उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा सामान्य हो ।

शिक्षा आयोग (1964-88) - प्रो.डी.एस कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग ने देश के सम्पूर्ण शैक्षिक ढांचे की समीक्षा की तथा आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए । प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को उत्तरदायी एवं उपयोगी नागरिक बनाना है । प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता को बताते हुए प्रत्येक बच्चे को 1 किमी के दायरे में विद्यालय सुलभता की बात की ।

पाठ्यक्रम पुनरीक्षण समिति (1977) - श्री ईश्वरभाई पटेल की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने अक्षरज्ञान, संख्याज्ञान और शारीरिक कुशलताओं के विकास के साथ-साथ विद्यालय, परिवार एवं समाज में सहयोगी व्यवहार और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के विकास को प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य अंग बताया ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद् (1983)- द्वारा प्रकाशित पुस्तक Psychology of the Child and curriculum में प्राथमिक शिक्षा द्वारा बालक का अधिगमकर्ता नागरिक, भावी उत्पादक और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने पर संकेन्द्रण किया है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) - द्वारा प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता पर बल देते हुए अनुच्छेद 45 के लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त करने की योजना बनायी गयी । साथ ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाने की अनुशंसा की । राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर बल दिया ।

भारत में प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक संशोधनों के आधार पर मुख्य प्रावधान इस प्रकार किए गये हैं ।

- 14 वर्ष से कम सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा ।
- शिक्षा केन्द्र तथा राज्यों की संयुक्त जिम्मेदारी अत: समवर्ती सूची में शामिल ।
- स्थानीय संस्थाएँ - यथा पंचायती राज संस्थाएँ, नगर पालिकाओं की शिक्षा में उल्लेखनीय भूमिका (मुख्यतया, विद्यालयीन, प्रौढ़ तथा औपचारिक शिक्षा) राज्य सरकारें तथा स्थानीय संस्थाएँ प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में अध्ययन हेतु आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराऐंगी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1986 ने शिक्षा व्यवस्था में समानता लाने हेतु एक समान शैक्षिक ढांचा दिया । साथ ही शिक्षा की सार्वभौमिक उपलब्धता, प्रारम्भिक शिक्षा में व गुणात्मकता बालिका शिक्षा पर विशिष्ट बल, उच्च माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। राज्यों में मुक्त विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना व प्रभावी मूल्यांकन विधियों की खोज सम्मिलित हैं ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रमों के साथ स्थानीय व क्षेत्रीय
- आवश्यकताओं को समाहित करने की लचीली व्यवस्था हो ।,
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, CABE (Central Advisory Bond of Edu.) के पुनर्गठन पर बल देती है जो 1920 में स्थापित हुई थी व शिक्षा की सर्वोच्च सलाहकार संस्था है ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति. के अनुसार CABE (राष्ट्रीय शैक्षिक सलाहकार) सभी शैक्षिक परिवर्तनों में केन्द्रीय भूमिका निभाएगी तथा मानवीय संसाधन के विकास के पदों में समन्वय लाएगी । अतएव जुलाई 2004 में CABE का पुनर्गठन किया गया है । इस बोर्ड मे लोक सभा व राज्य सभा के चयनित सदस्य, भारत सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होंगे ।
- प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) जिम्मेदार होगा ।
- प्राथमिक शिक्षा की महत्ता और अनिवार्यता के साथ-साथ देश में किए जा रहे प्रयासों के बाद कुल नामांकन प्रतिशत (Gross Enrollment Ratio) में बढ़ोतरी तो हुई है । साथ ही सबके लिए शिक्षा (Education for All) के कारण प्राथमिक शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित हो पाई है। परन्तु बुनियादी स्तर पर अधिक अन्तर नहीं आया है ।

5.3 सबके लिए शिक्षा

सबके लिए शिक्षा सम्बन्धी विश्व घोषणा पत्र और 'ज्ञानार्जन सम्बन्धी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के कार्य की रूपरेखा' पर देश में नीति निर्माण के सर्वोच्च निकाय, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने 1991 और 1992 में विचार किया था । के.शि.स.प ने माना कि स.लि.शि (EFA) सम्बन्धी विश्व घोषणा पत्र, हमारे राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारम्भिक शिक्षा को दी गई प्राथमिकता की अभिपुष्टि ही थी

। के.शि.स.प ने घोषणा पत्र का समर्थन किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के माध्यम से शुरु की गई प्रक्रियाओं को और अधिक बल प्रदान करने की मांग की । के.शि.स.प ने स.लि.शि. के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय साधन बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया । इसने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने की परियोजनाएँ शुरु करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों सें वित्तीय सहायता प्राप्त करने की एक व्यापक रूपरेखा तैयार की । साथ ही, इस बात पर बल दिया कि बाहय सहायता से जुटाए गए अतिरिक्त संसाधनों का शैक्षिक पुनर्गठन के लिए किया जाए और यह शैक्षिक पुनर्गठन, परम्परागत उपायों, जैसे - नए विद्यालय खोलना, विद्यालय का निर्माण और शिक्षकों की नियुक्ति से कहीं बढ़कर हो ।

शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा (शै.का.दे.शि) - शैशवकालीन शिक्षा (शै.का.शि.) को बच्चों के परिवेश को प्रेरणास्प्रद बनाकर आरम्भ में घर पर अपेक्षित माहौल से वंचित की कमियों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है । जहां एक ओर इससे प्राथमिक पाठ्यचर्या की मांगों को पूरा करने के लिए बच्चे को आवश्यक रूप से पूर्णत: तैयार करने और अनुभव की दृष्टि से भी पुष्ट करने की आशा की जाती है, वहीं दूसरी ओर इससे छोटे भाई-बहनों को वैकल्पिक देखभाल की सुविधा प्रदान कराकर बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालयों में भरती और उनकी शिक्षा जारी रखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है । इस कार्यक्रम को शारीरिक मानसिक और पोषण सम्बन्धी सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है । इस नीति द्वारा इसे खेल आधारित बनाने पर भी बल दिया गया । इस प्रकार कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण को पढने, लिखने और गिनने तक सीमित रहने के प्रति सचेत किया गया । शै.का.दे.शि की समग्रतापूर्ण और समन्वित अवधारणा में यह भावना स्पष्ट झलकती है ।

यद्यपि समेकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम के माध्यम से बड़े पैमाने पर शैशेवकालीन देखभाल कार्यक्रम चल रहे हैं, तथापि हाल के वर्षो में इन केन्द्रों के कार्यकलापों में शैशवकालीन शिक्षा को शामिल करके और विद्यालय पूर्व आयु वर्ग के बच्चों को संस्थागत शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयास शुरु किए गए हैं । शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैलती जा रही विद्यालय पूर्व शिक्षा अधिकांशत: निजी क्षेत्र के नियंत्रण में हैं । इन पर सरकार का खास पर्यवेक्षेण अथवा समर्थन नहीं हैं । इस आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए जरुरी संसाधनों की विपुल मात्रा को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य साधारण ही रहा है ।

प्रारम्भिक शिक्षा - प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य को वर्ष 1950 से एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है । भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्त में चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में समग्र लक्ष्य सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता वाली निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है । इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा को एक व्यापक रूप में स्पष्ट किया गया है । इसमें नामांकन से अधिक भागीदारी और शिक्षा जारी रखने पर खास बल है । सभी बच्चों के लिए संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान को शामिल करके सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य का विस्तार किया गया था ।

सार्वजनिक सुलभता - समग्र आकड़ों को देखने से पता चलता है कि स.लि.शि के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अच्छी खासी प्रगति हुई है । फिर भी, प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए और अधिक कड़े व सतत प्रयास जरूरी हैं । इसमें सबसे बड़ी अड़चन क्षेत्रीय और वर्गीय विषमताएँ हैं इसलिए इस नीति का लक्ष्य वंचित वर्गो तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाने के प्रयासों को तीव्र करना रहा है । स.लि.शि के सार्वजनिक सुलभता के लक्ष्यों के मुख्य कार्यकारी बिन्दु निम्नलिखित हैं -

- बालिकाओं, विकलांग बच्चों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों सहित सभी व्यवस्था करना ।
- बीच में विद्यालय छोड़ने वाले, कामकाजी बच्चों और औपचारिक विद्यालय न जा सकने वाली बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था करना ।

सार्वजनिक धारण क्षमता -

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, देश में बुनियादी शिक्षा की सुलभता के क्षेत्र में खासी प्रगति हुई है । अनेक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 95 प्रतिशत जनसंख्या को एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा मिल रही है । नामांकन में भी भारी बढ़ोतरी देखने में आयी है तथापि, विद्यालयी शिक्षा नियमित रूप में लेने वाले और शिक्षा के प्रथम चक्र को पूरा करने वाले बच्चों की संख्या में काफी सुधार अपेक्षित है । शुरु-शुरु में विद्यालय में दाखिल अनेक बच्चे विविध कारणों से प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते । इसमें भी विभिन्न राज्यों में व्यापक असमानताएँ हैं । उदाहरण के लिए, केरल, गोवा और मिजोरम राज्यों में प्राथमिक विद्यालय की शुरु की कक्षाओं में दाखिल अनेक बच्चे विविध कारणों से प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नही कर पाते हैं । इस प्रकार इन नीतियों में, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाने पर पुन: बल दिया गया है -

- कक्षा 1 से 5 और कक्षा 1 से 8 के बीच पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना । इन दरों को नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1997-2002) के दौरान प्राप्त करने के लिए लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया था ।

गुणवत्ता में सुधार - राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1986 में प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता पक्ष पर विशेष ध्यान देने के महत्व पर बल दिया गया है । इस प्रयोजन के लिए अनेक नीतिगत दिशा-निर्देश बनाए गए हैं ।

विद्यालय व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार - विद्यालय व्यवस्था के विस्तार के साथ, प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक, सामाजिक और शैक्षिक व्यवस्था विशयक आधारभूत मानदण्डों के निर्धारण का प्रयास किया गया है । यह परिकल्पना की गई हैं कि इससे व्यवस्थाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार लाने में मदद मिल सकेगी । ये मानदण्ड प्राथमिक शिक्षा के लिए अतिरिक्त विद्यालय सुविधाएं जुटने के मार्गदर्शी सिद्घांत के रूप में काम करते हैं ।

अधिगम परिणामों पर बल केन्द्रित करना - विद्यालय में उन्नत सुविधाओं की व्यवस्था के साथ-साथ नीति निर्माताओं ने विद्यालय जाने वाले बच्चों द्वारा प्राप्त अधिगम स्तरों पर भी अपना ध्यान केन्द्रित किया है । 1990 के दशक की शुरूआत में भारत सरकार ने इस सम्बन्ध

में विशेषज्ञों को एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया था । इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के लिए 'न्यूनतम अधिगम स्तर' बनाए थे । यह माना गया कि इससे शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने में मार्गदर्शन मिलेगा कि सीखने-सिखाने की प्रक्रिया कितनी कारगर है और सभी बच्चे अपेक्षित अधिगम संप्राप्ति किस स्तर तक कर रहे हैं ।

शिक्षक की क्षमता का विकास - गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी और अधिक बारीकी से ध्यान केन्द्रित किया गया है । आधारित संरचना की तरह व्यवस्था के व्यापक विस्तार से भी शिक्षकों की गुणवत्ता और उनके काम में उनका मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद सहायक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है । विगत दशक में सबसे बडे नीतिगत हस्तक्षेपों में प्राथमिक शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए जिला और उप जिला स्तरों पर संस्थागत सुविधा की व्यवस्था है । इसमें खास जोर प्रशिक्षण प्रबंध के विकेन्द्रीकरण तथा शिक्षकों को सतत मार्गदर्शन एवं उनका समर्थन करने पर है ।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी सबके लिए शिक्षा के प्रयासों पर बल दिया गया तथा 2010 तक सभी के लिए शिक्षा सुलभ कराने हेतु सरकार कृत संकल्प है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1. प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने की दिशा मे क्या-क्या सरकारी प्रयास किए गए है !
2. CAB क्या है ?
3. शैशवकालीन रेखाकाल और शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस तरह परिभाषित किया गया है !

5.4 प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति

शिक्षा में सार्वजनीकरण के परिणामस्वरूप नामांकन में निश्चिततः बढ़ोतरी तो हुई । जिसे तालिका 5.1 में स्पष्टतः देखा जा सकता है ।

तालिका : 5.1 प्राथमिक कक्षा स्तरों में राज्यवार बालक बालिका नामांकन प्रतिशतता ।

(2006-07)

क्र.सं. Vi-Viii		राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश कक्षा i-viii		कक्षा I-V			कक्षा
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	आंध्रप्रदेश	50.71	49.29	51.80	48.20	51.07	48.93
2	अरुणाचल प्रदेश	52.34	47.66	52.85	47.15	52.46	47.54
3	असम	50.73	49.27	50.60	49.40	50.70	49.30
4	बिहार	54.11	45.89	58.34	41.66	54.83	45.17
5	छत्तीसगढ़	51.12	48.88	52.71	47.29	51.54	48.46

6	गोवा	51.99	48.01	53.34	46.66	52.53	47.47
7	गुजरात	53.19	46.81	55.32	54.68	53.70	46.30
8	हरियाणा	52.69	47.31	51.82	48.18	52.41	47.59
9	हिमाचल प्रदेश	52.71	47.29	52.84	47.16	52.76	47.24
10	जम्मू व कश्मीर	53.85	46.15	55.19	44.81	54.31	45.69
11	झारखण्ड	51.41	48.59	54.76	45.24	51.96	48.04
12	कर्नाटक	51.60	48.40	52.04	47.96	51.72	48.28
13	केरल	50.54	49.46	51.75	48.25	51.00	49.00
14	मध्यप्रदेश	51.25	48.75	54.97	45.03	52.21	47.79
15	महाराष्ट्र	52.69	47.31	52.93	47.07	52.77	47.23
16	मणिपुर	50.16	49.84	50.67	52.44	49.27	50.73
17	मेघालय	49.65	50.35	47.56	52.44	49.27	50.73
18	मिजोरम	51.78	48.22	51.17	48.83	51.64	48.36
19	नागालैण्ड	50.93	49.07	51.22	48.78	51.01	48.99
20	उड़ीसा	52.36	47.64	53.61	46.39	52.67	47.33
21	पंजाब	54.13	45.87	53.95	46.05	54.06	45.94
22	राजस्थान	53.22	46.78	60.12	39.88	55.05	44.95
23	सिक्किम	50.36	49.64	46.90	53.10	49.46	50.54
24	तमिलनाडु	51.61	48.39	51.86	48.14	51.70	48.30
25	त्रिपुरा	52.15	47.85	51.22	48.78	51.88	48.12
26	उत्तरप्रदेश	51.14	48.86	52.71	47.29	51.46	48.54
27	उत्तरांचल	51.16	48.84	51.44	48.56	51.24	48.76
28	पश्चिम बंगाल	50.70	49.30	50.44	49.56	50.63	49.37
29	अण्डमान निकोबार, द्वीप समूह	50.92	49.08	52.42	47.58	51.50	48.50
30	चण्डीगढ	55.42	44.58	54.81	45.19	52.21	44.79
31	दादरा एवं नगर हवेली	52.35	47.65	58.38	41.62	53.54	46.46
32	दमन व दीव	52.12	47.88	52.32	47.68	52.18	47.82
33	दिल्ली	53.27	46.73	53.18	46.82	53.24	46.76
34	लक्षदीप	52.06	47.94	50.08	49.92	51.34	48.66
35	पांडिचेरी	51.58	48.42	52.17	47.83	51.81	48.19
	भारत	51.91	48.09	53.49	46.51	52.33	47.67

स्रोत. एलीमेन्ट्री एजूकेशन इन इण्डिया - एनालिटिकल टेबल 2006-09 एन.यू.ई.पी.ए (NUEPA)

5.5 प्राथमिक स्तर पर बालिका सहभागिता

भारत में तथा कथित शैक्षिक उन्नति के बाद भी आज हम वहाँ नही पहुँचे जहां होना चाहिए था । आज भी 80: महिला / बालिका अशिक्षित हैं । इसमें से अधिकतर स्कूल या किसी अन्य शैक्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुई है । पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के पश्चात् हुए सर्वेक्षणों में, अधिक विशिष्ट परिणाम सामने नहीं आये है । Census of India (2001) तथा HRD Survey 1993-94, National Sample Survey 1993-94 देश में विभिन्न भागों में छोटे-छोटे स्तर पर किये गए शोध अध्ययनों में भी यही प्रवत्ति देखने में आयी ।

राजस्थान में लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट में स्कूल मेपिंग की गयी तथा कक्षा में वास्तविक नामांकन 70-75: देखने में आया । अत: प्रश्न उठता है कि 6- 14 वर्ष की उम्र में कितने बच्चे स्कूल में नहीं है ? अनुमानत: 60% जव 77% इनकी संख्या हो सकती है । तथा इन विद्यालय विहीन बच्चों में 70: बालिका है ।

सैन्सस के आकड़े एक नितान्त भिन्न दृश्य प्रस्तुत करते हैं । इसमें -

(1) क्षेत्रीय कारक - शहरी-ग्रामीण विभेद मुख्यत: देखने में आता है ।

(a) ग्रामीण भारत में 30.2%' बालिका (5 -9 आयु वर्ग) तथा 44.6% (10- 14 आयु वर्ग) किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले रही हैं ।

(b) उत्तरी भारत में स्थिति में थोड़ा सुधार प्रतीत होता है तथा 5-9 आयु वर्ग में 52.9% तथा 10-14 आयु वर्ग में 73.8% शैक्षिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं ।

(2) सामाजिक आर्थिक कारक - (1994) HRD Survey- में ग्रामीण बालिका नामांकन 64.8% देखा गया । HRD Survey “National Council of Applied Economic Research” (NCAER) द्वारा 1993-94 में किया गया, जिसमें बालिका शिक्षा में अनेक समानताएँ देखने में आयी । लड़कियों का नामांकन (Enrolment) व स्कूल में ठहराव (Retention) पारिवारिक आय बढ़ने व सामाजिक स्तर में उन्नति के साथ बढ़ता गया ।

(3) लैंगिक कारक - सभी आयु समूहों में लैंगिक भेद देखने में आए, विशेषकर राजस्थान में । राजस्थान में एक चिन्ताजनक तथ्य यह सामने आया कि 5-9 वर्षीय आयु समूह में 49.8: बालिकाएं व 10- 14 वर्षीय आयु समूह में 35-5% बालिकाएं शिक्षित नहीं है । तथा अधिकांशत: किसी भी औपचारिक तथा अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम में नामांकित नहीं हैं ।

विभिन्न आकड़ों व सर्वेक्षण द्वारा केवल यह प्रदर्शित होता है, कि जब तक प्रत्येक बालिका को विद्यालय जाने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, तब तक प्राथमिक जिला का सार्वजनीकरण का सपना पूरा नहीं हो पाएगा तथा भारत के साक्षर व शैक्षिक परिदृश्य में कोई अन्तर नहीं आ पाएगा ।

NSS Survey तथा HDI Survey से प्राप्त आँकड़े यह प्रदर्शित करते है कि ग्रामीण निर्धन बालिकाएँ, निम्न आय वर्गीय महिलाएँ, तथा वंचित वर्गो (SC.ST,etc) से सम्बन्धित बालिका ही अधिक अशिक्षित हैं ।

तात्कालिक विद्यालयी उपस्थिति भी यह प्रदर्शित करती है कि निकट भविष्य में इस स्थिति में विशेष सुधार आने की संभावना कम ही है । इस प्रकार वर्तमान में स्वतंत्रता के अर्द्ध शतक के बाद, 50 : लड़कियां शिक्षा प्राप्ति के अवसरों से रहित है तथा उनका नामांकन ही नहीं है तथा अधिकाधिक संभावना इस बात की है कि उनमें से निर्धन तथा वंचित वर्ग की लड़कियाँ बीच में ही विद्यालय छोड़ जाएंगी ।

5.6 पंचवर्षीय योजनाओं में बालिका शिक्षा

अभी तक पंचवर्षीय योजनाओं में लैंगिक विभेद दूर करने हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)- में कहा गया कि महिलाओं को पुरुष के समान अवसर मिलने चाहिए ताकि वे रुचि के व्यवसायों व उन सेवाओं में जा सकें । द्वितीय तृतीय, तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1956-61,1966-69,1969-74) में महिलाओं की माध्यमिक व उच्च शिक्षा में अनुपात बढ़ाने पर बल दिया गया ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79)- में निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के साथ मुफ्त यूनिफोर्म पुस्तकें व छात्रवृत्ति का प्रावधान रखा गया ।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)- में बाल वाड़ियों का समुन्नयन कर बालिकाओं की शिक्षा की उन्नति व प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की बात कहीं ।

सातवीं व आठवीं योजना (1986-1991 व 1992-1997)- लचीली विद्यालयों व्यवस्था, द्वारा बालिकाओं की सहायता की गयी ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बालिकाओं हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों अशिक्षा से छुटकारा, व्यावसायिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा इसे शहरी व ग्राम्य आवश्यकताओं से अनुकूलित करने की बात कहीं गयी । बालिकाओं के लिए 100: केन्द्रीय सहायता द्वारा (NFE) अनौपचारिक केन्द्र स्थापित करने में खर्च किए गए ।

नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)- में महिला सशक्तिकरण की संकल्पना की । साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा (Elementry Education) पर पुन: बल दिया गया । जो देश की लिए शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा को प्रकट करता है । नवीं पंचवर्षीय योजना में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न बातें प्रस्तावित की गयी । ।

(1) प्रारम्भिक शिक्षा को आधारभूत अधिकार बनाने के संवैधानिक संशोधन

(2) शिक्षा की योजना, निरीक्षण तथा प्रबन्ध का जिले, ब्लॉक व गांव की स्थानीय संस्थाओं द्वारा विकेन्द्रीकरण ।

(3) स्थानीय समुदायों का प्रौढ़ साक्षरता हेतु अभियान व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देकर सामाजिक प्रतिस्थापन ।

(4) शिक्षा के सार्वभौमीकरण से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं का एकीकरण ।

(5) गैर सरकारी संस्थाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों की सुदृढ़ भागीदारी ।

(6) अत्यधिक पिछड़े इलाकों व पहुंच से दूर इलाकों में विद्यालयी बाहर बच्चों के लिए अनौपचारिक व वैकल्पिक शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना

(7) सार्वभौमिक नामांकन में स्थापन सार्वभौमिक सहभागिता व ठहराव (Retention) पर बल देना।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) - में सरकार ने महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा का उद्देश्य सामने रखा तथा प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर लैंगिक विभेद क्रम करने के प्रयास किए। तब भी 2005-06 में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ठहराव या: व 46: रहा जो लड़कों (52:) की तुलना में कम था ।

तालिका 52 : प्राथमिक स्तर पर बालिका नामांकन प्रतिशतता

सत्र

कक्षा स्तर	2003.2004	2004.2005	2005.2006	2006.2007
I-V	47.47	47.52	47.79	48.09
VI-VII / VIII	45.02	45.32	45.80	46.51
कुल नामांकन	46.90	46.99	47.27	47.67

स्रोत एलीमेन्ट्री एजूकेशन इन इण्डिया - एनालिटिकल टेबल 2006-09 एन.यू.ई.पी.ए (NUEPA

5.7 कक्षा पारगमन दर

यद्यपि पिछले कुछ वर्षो में बालिका नामांकन में काफी वृद्धि हुई है, फिर भी समय के साथ-साथ बालक-बालिका असमानता कम होती प्रतीत नही होती । आंकडे बताते हैं कि 6-14 वर्ष के आयु वर्ग की जितनी बालिकाएं विद्यालय जाती हैं उतनी ही बालिकाएं ऐसी है जो विद्यालय नहीं जाती है । बिहार, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान तथा उत्तरप्रदेश जैसे कुछ राज्यों में इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है । वस्तुत: उत्तरप्रदेश में 6-11 वर्ष के आयु वर्ग में 10 में से 2 बालिकाएं भी प्राथमिक विद्यालय नहीं जाती है !

यह सर्वविदित है कि बच्चों को विद्यालयी शिक्षा मुहैया कराने और उनको नामांकित कर लेने मात्र से सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता हे । इनके साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के समुचित उपाय भी करने होंगे कि बच्चे विद्यालय में टिके और प्राथमिक शिक्षा पूरी करें । भारत के अधिकांश राज्यों ने अधिकाधिक बच्चों को स्कूल में नामांकित करने में सफलता पाई हैं । मगर बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने के लिए विद्यालयों में पर्याप्त क्षमता का अभाव एक गम्भीर समस्या है । पिछले अनेक दशकों से यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि विद्यालय में नामांकित होने के बाद बच्चे पढ़ाई छोडकर न जाएं ।

उच्च प्राथमिक शिक्षा के विस्तार का एक महत्वपूर्ण सूचकांक पारगमन दर है । शिक्षा के प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर पारगमन दर को 2006-07 में कक्षा 5 व 6 में कुल

नामांकन में से कक्षा दुबारा पढने वालों की संख्या को घटाकर (05-06) कक्षा 5 व 6 के गत वर्ष के नामांकन से भाग देकर 100 से गुणा करके ज्ञात की जा सकती हैं ।

पारगमन दर = 2006-07 में नामांकन - दुबारा पढ़ने वालों की संख्या 100 गत वर्ष में कुल नामांकन

तालिका : 5.3 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा पारगमन दर को दर्शाया गया है ।

तालिका : 5.3 प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर पर

कक्षा पारगमन दर 2002-03 - 2005-08

सत्र	जिलों की संख्या	लड़के	लड़कियाँ	कुल
2002-03	461	65.96	62.73	64.48
2003-04	539	79.96	75.78	78.01
2004-05	581	83.66	80.64	82.24
2005-06सभी क्षेत्र	604	84.59	82.75	83.72
ग्रामीण क्षेत्र	604	79.83	77.60	78.78

स्रोत : एलीमेन्ट्री एजूकेशन इन इण्डिया - एनालिटिकल टेबल 2006-09 एन.यू.ई.पी.ए

तालिका 5.3 से स्पष्ट है कि लड़के और लड़कियों की पारगमन दर में विशेष अन्तर नहीं है । जहां 2005-06 में लड़के एवं लड़कियों की पारगमन दर क्रमश: 84.59 व 82.75: है, वही अन्तर इससे पूर्व के वर्ष में दिखाई दिया है ।

तालिका 5.4 राज्यवार पारगमन दर से यह स्पष्ट है कि बिहार, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, में 2005-06 में निम्न पारगमन दर द्रष्टव्य है वही आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ गुजरात, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में उच्च पारगमन दर तथा केरल, कर्नाटक में यह दर 100: से भी अधिक दिखाई दे रही है । बिहार, मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश में बालिकाओं की पारगमन दर भी अति-न्यून है । शहरी क्षेत्र में लगभग प्रत्येक विद्यार्थी प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर पारगमित हो जाता हैं । किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं हो पाता है। इसी प्रकार राज्यवार कक्षावार पारगदन दर तालिका 5.4 में प्रदर्शित किया गया है ।

तालिका 5.4 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर राज्यवार कक्षा पारगमन दर 2005-06

क्र.सं.	राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश	बालक	बालिका	कुल	ग्रामीण क्षेत्र
1	आंध्रप्रदेश	92.59	89.51	91.07	86.55
2	अरुणाचल प्रदेश	90.21	90.34	90.27	83.60
3	बिहार	66.96	67.33	97.11	65.50
4	चंडीगढ़	97.97	93.02	95.72	82.82
5	छतीसगढ़	72.54	71.64	72.11	72.10
6	दमन एव द्वीप	71.12	76.59	73.63	59.24
7	गोवा	88.92	87.53	88.29	87.14
8	गुजरात	93.76	90.18	92.07	87.83

9	हरियाणा	93.95	96.30	95.07	89.48
10	हिमाचल प्रदेश	96.77	92.64	94.80	91.42
11	जम्मू व कश्मीर	98.53	96.21	97.48	94.87
12	झारखण्ड	77.22	78.42	77.76	73.44
13	लक्षद्वीप	75.86	88.62	81.47	78.23
14	मध्यप्रदेश	69.84	63.92	67.03	57.73
15	मणिपुर	94.89	92.67	93.83	87.61
16	महाराष्ट्र	89.63	89.87	89.74	85.75
17	उड़ीसा	90.13	85.61	87.95	88.08
18	राजस्थान	90.26	77.70	84.71	79.83
19	सिक्किम	72.72	79.32	76.17	74.01
20	तमिलनाडु	98.16	96.36	97.30	91.94
21	त्रिपुरा	78.20	80.23	79.16	75.05
22	उत्तरप्रदेश	64.38	65.5	64.93	64.41
23	उत्तरांचल	82.45	79.69	81.08	77.85
24	पश्चिम बंगाल	89.25	87.32	88.28	82.04
25	सभी राज्य	84.59	82.75	83.72	78.78

स्रोत : एलीमेन्ट्री एजूकेशन इन इण्डिया - एनालिटिकल टेबल 2008-09 एन.यू.ई.पी.ए (NUEPA)

5.8 ड्राप आउट की समस्या

यह मानते हुए कि बालिकाएं लगातार शिक्षा सुविधा से वंचित रहती हैं, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है । बालिकाओं की सामाजिक-भावनात्मक और शैक्षिक जरुरतों को पूरा करने के लिए नए-नए प्रयास किए जा रहे हैं । यह उल्लेखनीय हैं कि बालिकाओं की विद्यालयी शिक्षा में उच्चतर भागीदारी के रास्ते में सांस्कृतिक कारण भी बाधक होते हैं । इसे ध्यान में रखकर, राज्य और केन्द्र सरकारें जहां आवश्यक होता है बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय संचालित करती है, बालिकाओं को विशेष छात्रवृत्तियाँ दी जाती है, अनेक राज्यों में, विश्वविद्यालयी शिक्षा सहित बालिकाओं की शिक्षा सभी स्तरों पर निःशुल्क है । साथ ही, लगभग सभी राज्यों में शिक्षकों की भरती प्रक्रिया में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि कम से कम 50: पद महिला शिक्षकों से भरे जाएं ।

प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के न्यून नामांकन तथा ड्राप आउट के कारण -

(1) शैक्षिक उपलब्धता (s) की समस्या

(2) कार्यकारी विद्यालय

(3) विद्यालयों की गुणवत्ता

(4) शिक्षकों की प्रेरणा

(5) बहुमार्गीय व्यवस्था - औपचारिक / अनौपचारिक / पत्राचार / सैटेलाइट / आवासीय

(6) विद्‍यालयी कैलेण्डर व समय

पाठ्यक्रम / शैक्षिक प्रक्रिया से सम्बन्धित तथ्य व समस्याएँ -

(1) लैंगिक भेद

(2) पाठ्यक्रम की सार्थकता

(3) भाषा

(4) आनन्दपूर्ण अधिगम का अभाव

(5) पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता

(6) सम्बन्धित सामग्री, उपकरणों का अभाव

अर्थ, समाज तथा संस्कृति से सम्बन्धित

(1) गरीबी,

(2) निशक्तता

(3) महिला का सामाजिक स्तर

(4) बाल श्रम / गृह कार्य

(5) कृषि / गैर कृषि कार्य

(6) जीवन संघर्ष

(7) स्वयं के प्रति दृष्टि कोण

(8) बाल विवाह

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर को तालिका 5.5 में अवलोकित किया सकता है ।

तालिका 5.5 : प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट 2005-06

क्र.सं	राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश	बालक	बालिका	कुल
1	आंध्रप्रदेश	5.37	5.46	5.42
2	अरुणाचल प्रदेश	5.37	5.46	5.42
3	असम	9.97	8.66	9.32
4	बिहार	10.55	7.81	9.34
5	छतीसगढ़	10.27	10.69	10.48
6	दमन एव द्वीप	11.48	3.77	7.83
7	गोवा	1.58	0.65	s1.14
8	गुजरात	5.59	5.93	5.75
9	हरियाणा	13.46	10.27	11.94
10	हिमाचल प्रदेश	1.91	1.79	1.85
11	जम्मू व कश्मीर	5.48	5.00	5.26
12	झारखण्ड	8.62	7.49	8.09
13	कर्नाटक	6.75	6.75	6.75

14	केरल	1.64	1.97	1.80
15	मध्यप्रदेश	4.87	5.65	5.25
16	महाराष्ट्र	6.07	6.21	6.14
17	मणिपुर	20.68	19.73	20.21
18	मेघालय	18.99	18.56	18.77
19	मिजोरम	4.92	6.15	5.52
20	नागालैण्ड	2.69	3.53	3.10
21	उड़ीसा	20.53	21.55	21.02
22	पंजाब	1.86	2.81	2.30
23	राजस्थान	12.66	14.81	13.67
24	सिक्किम	9.73	6.85	8.30
25	तमिलनाडु	1.67	1.41	1.54
26	त्रिपुरा	7.72	6.95	7.35
27	उत्तरप्रदेश	14.16	10.34	12.33
28	उत्तरांचल	10.07	10.07	10.07
29	पश्चिम बंगाल	9.82	9.05	9.44
	सभी जिले	9.06	8.12	8.61

स्रोत : एलीमेन्ट्री एजूकेशन इन इण्डिया - एनालिटिकल टेबल 2006-09 एन.यू.ई.पी.ए (NUEPA)

तालिका 5.5 प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर को देखने से स्पष्ट होता है कि गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु में ड्राप आउट दर अति निम्न है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, राज्यों में बालक-बालिकाओं की ड्राप आउट दर उच्च द्रष्टव्य है । इससे क्षेत्र विशेष की समस्याओं तथा संस्कृति एवं सामाजिक कारणों की ड्राप आउट दूर पर प्रभाव की संभावना व्यक्त की जा सकती है।

5.9 प्राथमिक शिक्षा में बालिका उन्नयन हेतु सरकारी प्रयास

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) - 'सर्व शिक्षा अभियान' राज्य शिक्षा मंत्रियों की कांफ्रेन्स जो अक्टूबर 1978 में हुई थी, के सुझावों से आरम्भ की गयी । जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा (Universal Elementry Education) को मिशन के रूप में चलाना था । भारत सरकार द्वारा इस योजना को 2001 में लागू किया गया ।

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) योजना के उद्देश्य -

- शिक्षा गारंटी योजना एवं ब्रिज कोर्स योजना में 6-14 वर्ष तक के सभी बच्चे 2003 तक !
- 6-14 वर्ष तक में सभी बच्चे 2007 तक पूर्ण रूपेण प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करें ।

- 6-14 वर्ष तक सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करें ।
- संतोषजनक स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा के साथ जीवन हेतु शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना ।
- सभी लिंग व सामाजिक जाति के लोगों को ब्रिज कोर्स करते हुए 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 प्रारम्भिक शैक्षिक स्तर पर लाना ।
- सार्वभौमिक ठहराव (Unviersal Retantion) SSA अभियान के अन्तर्गत प्रोग्राम सम्मिलित है !

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के बहुप्रतीक्षित उद्देश्य को निर्धारित समय सीमा में प्राप्ति की दिशा में यह ऐतिहासिक पहल हैं । यह कार्यक्रम राज्यों के सहयोग से चलाया जाएगा, जिसके अन्तर्गत देश के प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने, संकल्प, वर्ष 2010 तक, 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चो को उपयोगी एवं स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल हैं । कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार-

(i) बालिकाओं पर विशेषत: अनुसूचित जाति / जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं पर ध्यान

(ii) विद्यालय छोडकर जा चुकी बालिकाओं को वापिस लाने अभियान चलाना ।

(iii) लडकियों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें ।

(iv) बालिकाओं हेतु विशेष प्रशिक्षण (कोचिंग) और तैयारी कक्षाओं का आयोजन और सीखने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना ।

(v) शिक्षा के समान अवसर को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक जागरुकता कार्यक्रम ।

(vi) 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों की नियुक्ति । National Programe for Education of Girls at Elementry Level (NPEGEL) प्रारम्भिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम व Education Guarantee Scheme and Alkenative and Innovative Education (EGSAIE)

NPEGEL - यह सर्वशिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण भाग है । तथा शैक्षिक रूप में पिछड़े वृत्तों में कन्या शिक्षा को सुदृढ़ किया जाता है । तथा पिछड़ी बालिकाओं को यूनिफॉर्म, स्टेशनरी व अन्य सुविधाएँ दी जाती है । सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की वर्तमान योजना के अधीन एनपीईजीएल प्राथमिक स्तर पर सहायता प्राप्ति से वंचित पिछड़ी बालिकाओं हेतु अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराता है । यह कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े उन विकास खण्डों में चलाया जा रहा है, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है और लैंगिक भेदभाव राष्ट्रीय औसत से अधिक है । साथ ही यह कार्यक्रम ऐसे जिलों के विकास खण्डों में भी चलाया जा रहा है, जहां कम से कम 5 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति/ जनजाति की है और जहां अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता की दर 1991 के आधार पर राष्ट्रीय औसत से 10 प्रतिशत कम है ।

EGS-AIE- ये सुदूर क्षेत्रों में तथा विद्यालयी बाहर बच्चों के लिए रचित है । इस योजना में लचीली विधियों जैसे ब्रिज कोर्स, आवासीय परिसर, ग्रीष्म कैम्प तथा उपचारात्मक शिक्षण द्वारा बच्चों की सहायता की जाती है ।

MHRD- के अनुसार 2004-05 में इस योजना द्वारा 66 लाख बच्चों को शिक्षा दी गयी । तथा Cut of School बच्चों की संख्या 2001 में 32 मिलियन से सितम्बर 2004 में 8.1 मिलियन रह गयी ।

मध्यान्ह भोजन योजना (Mid Day Meal Programm)- इसके अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पका भोजन उपलब्ध कराया जाता है । ताकि नामांकन बढ़े व उपस्थिति संख्या बढ़े साथ ही बच्चों का पोषण स्तर भी सुधरे ।

मध्यान्ह भोजन योजना नामांकन उपस्थिति बढ़ाने तथा ड्राप आउट दर घटाने में अत्यन्त कारगर सिद्ध हुई है । इससे 5: वार्षिक तक ड्राप आउट दर घट रही हैं । जिससे प्रतिवर्ष 1.5 लाख बच्चों में भी अधिक विद्यालय में रुक रहे होते हैं । इस कार्यक्रम को अधिक कुशल क्रियान्वयन, प्रबन्धन तथा राज्य, जिला ब्लॉक स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता है ।

इस योजना के क्रियान्वयन में वृहद् अन्तर्राज्यी भिन्नताएँ हैं । कर्नाटक में गैर सरकारी संगठनों का सहयोग प्रशंसनीय रहा है ।

केन्द्रीय बजट 2007-08 में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि मध्याह्न भोजन योजना 2007-08 में 3427 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को लाभान्वित करने हेतु बढ़ाई जाएगी । इसके लिए 7324 करोड़ रु के बजट का प्रावधान किया गया है ।

शिक्षाकर्मी योजना - शिक्षकों की कमी तथा सुदूर क्षेत्रों में उनकी नियुक्ति में कठिनाई में चलते इस योजना से पैरा टीचर्स का सम्प्रत्यय आया । गांव में युवा लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है । एन.जी.ओ. की सहायता से उपलब्ध संसाधनों से उन्हें शिक्षक के रूप में तैयार किया जाता है । इस योजना में 3 तरह में विद्यालय आते हैं । (1) शिक्षा कर्मी द्वारा अधिकष्त दोषपूर्ण प्राथमिक विद्यालय, जिन्हें वे डे स्कूल के रूप में चलाते हैं । (2) प्रहर पाठशाला रात को या शाम को बालिकाओं तथा कार्यकारी बच्चों हेतु । जो शिक्षा कर्मी दिन में डे स्कूल चलाते हैं वही प्रहर पाठशाला भी । (3) आंगन पाठशाला (1992 से आरम्भ) ये लड़कियों के लिए घर से नियोजित दूरी पर । एक स्त्री को शिक्षक के रूप में चुनकर, घर के अहाते (आंगन) में विद्यालय की व्यवस्था की जाती है । इसमें सामुदायिक सहायता रहती है ।

महिला समाख्या - महिला समाख्या कार्यक्रम (Education for women's Equality-1989) महिला शिक्षा व सशक्तिकरण हेतु ग्रामीण इलाकों में आरम्भ हुआ । यह 15800 से अधिक गांवों, 63 जिलों व राज्यों यथा आन्ध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, उत्तरप्रदेश व उत्तरांचल में चल रहा है । दो नये राज्यों मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में 2006-07 से चलाया गया ।

महिला समाख्या योजना के उद्देश्य -

1) महिला की आत्म छवि व आत्म विश्वास को बढ़ाना।

2) प्रबन्ध के लिए विकेन्द्रीकृत व सहभागितापूर्ण रास्ता अपनाना।

3) महिला संघ को सक्रिय रूप से शैक्षिक क्रियाओं के करने तथा प्राथमिक विद्‌यालय प्रौढ़ व

4) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में योग्य बनाना।

5) महिला तथा किशोरियों को आवश्यक सुविधाएँ व शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।

6) महिला तथा बालिकाओं की औपचारिक तथा अनौपचारिक शैक्षिक व्यवस्था में अधिकाधिक सहभागिता बढ़ाना।

इस योजना में महिला शिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाते हैं, जो युवा व किशोर लड़कियों को सीखने में अवसर देते हैं । इसमें उच्चस्तरीय लघुकालिक कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं तथा विभिन्न जीवन कौशल विकसित किए जाते हैं । सहयोगिनी (10 गांवों का समन्वयक) द्‌वारा महिलाओं को संगठित किया जाता है ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी) - ये केन्द्रीय सरकार द्‌वारा अनुदानित कक्षा 1 से 5 तक सम्पूर्ण विकास हेतु योजना है । इसके निम्नलिखित तीन उद्देश्य हैं-

1) ड्राप आउट दर 10% से कम करना।

2) नामांकन व अधिगम उपलब्धियों में लैंगिक तथा सामाजिक विषमताओं को 5% से कम कराना।

3) अधिगम उपलब्धियों के स्तर को ऊंचा करना।

कार्यक्रम से पहले 18 राज्यों में DPEP 273 जिलों मे चलायी गयी। वर्तमान में इसे SSA में शामिल कर दिया गया है।

4) शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को 1982 में प्रारम्भ किया गया ताकि प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को सेवारत व सेवा पूर्व प्रशिक्षण मिलें ।

इस योजना मे निम्न घटकों को केन्द्रीय सरकार द्‌वारा अनुदान दिया जाता है -

(1) जिला-शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान (DIET) की स्थापना।

(2) माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थानों का शिक्षक शिक्षा महाविद्‌यालयों (CTEs) के रूप में सुदृढ़ीकरण।

(3) उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान (IASEs) की स्थापना।

(4) राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERTs) का सुदृढ़ीकरण।

1987 के बाद 556 DIETs/DRESCS व 135 CTEs/IASEs पूरे देश में स्थापित हो चुके हैं ।

सरस्वती योजना (1995) - स्थानीय महिला पर केन्द्रित है जिसने 8th पास किया है इन्हें ट्रेनिंग व वित्तीय सहायता देकर आंगन में विद्‌यालय खोला जाता है । राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1994-95 में सरस्वती योजना लागू की गई । ग्रामीण

क्षेत्र की 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को उनके निवास स्थान के निकट प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने, ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षित महिलाओं को बालिका शिक्षा हेतु प्रोत्साहित कराने तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाने के उदेश्य से सरकार ने सरस्वती योजना का शुभारम्भ किया ।

लोक जुम्बिशे प्रोजेक्ट के भी महिला शिक्षा केन्द्र तथा महिला शिक्षा फोरम खोले गए ताकि पिछड़े तबके की महिलाओं को आगे लाया जाए ।

राजस्थान में राज्य स्तर पर चलाई जाने वाली परियोजनाओं में लोक जुम्बिश (सभी के लिए शिक्षा के लिए जन अभियान) परियोजना के लिए स्वीडिश अंतरराष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (सीडा) वित्तीय सहायता प्रदान करता है । इस परियोजना का मूल उद्देश्य लोगों की गतिशीलता तथा उनकी सहभागिता के माध्यम से सन् 2000 तक सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना था ।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय - कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वंग और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के साथ 750 विद्यालय खोले जा रहे हैं। यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े (ईबीबी) केवल ऐसे विकास खंडों में लागू की जाएगी, जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम और लैंगिक भेदभाव का स्तर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है । ऐसे विकास खण्डों में कम महिला साक्षरता जिले तथा स्कूल न जाने वाली अधिकतर बालिकाओं वाले जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न - 2

संक्षिप्त टिप्पणी लिखें

1 नवीं पंचवर्षीय योजना ।

2 सर्व शिक्षा अभियान ।

3 महिला समस्या ।

5.10 सारांश

बालिकाओं के सम्बन्ध में गहन शैक्षिक वंचना एक वास्तविकता है । यह उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां जाति तथा पितृसत्तावाद के नियम प्रचलित हैं । साथ ही पाठ्यक्रम सम्बन्धी चुनाव, फण्ड की अनुपलब्धता, शैक्षिक योजनाओं का गलत क्रियान्वयन तथा लिखित तथा वास्तविकता में अन्तर इस बात को बढ़ावा देते है । शिक्षा को महिला के स्तर में सुधार हेतु एक औजार के समान इस्तेमाल करना चाहिए । शिक्षा, एक जन सामान्य का साधन होने के कारण, इसमें भेदभाव रहित, समानता तथा न्याय के सिद्धान्तों का इस्तेमाल होना चाहिए । यह बिक्री की कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए, जो खरीदकर पायी जा सके । ये एक प्रकाश व अधिकार के रूप में हो, जो राज्य द्वारा सुनिश्चित हो । इसे बालिका के विकास में मील के पत्थर के

रूप में देखना चाहिए । विशेषकर प्राथमिक शिक्षा को, जो आधारभूत है । भारत का एक सुपर पॉवर बनने का व 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में आने का स्वप्न, सार्वजनीन लिंग-भेद मुक्त शिक्षा के बिना असंभव हो जाएगा ।

मूल्यांकन प्रश्न

1 विभिन्न आयोगों एवं समितियों की अनुशंसाओं के संदर्भ में भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति स्पष्ट कीजिए ।

2 भारत में 'सबके लिए शिक्षा ने प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं सहभागिता को बढ़ाया है ।' इस कथन पर अपनी टिप्पणी लिखिए ।

3 सबके लिए शिक्षा उदेश्य एवं नियोजन को स्पष्ट कीजिए ।

4 प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट एवं पारगमन दर ज्ञात करने की विधि बताइये ।

5 भारत में बालिका ड्राप आउट एवं पारगमन पर बताइए हुए प्राथमिक शिक्षा में बालिका सहभागिता पर टिप्पणी लिखिए ।

6 प्राथमिक शिक्षा में बालिका नामांकन बढ़ाने में सर्व शिक्षा अभियान नींव का पत्थर साबित हुआ हैं । कैसे स्पष्ट कीजिए ।

7 आपके अनुसार प्राथमिक शिक्षा में बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु कौन से दो कार्यक्रम सर्वाधिक प्रभावशाली है? कारण सहित उत्तर दीजिए ।

5.11 संदर्भ ग्रन्थ

1. ऐलीमेन्ट्री एजूकेशन इन इण्डिया - एन एनालिटिकल टेबल्स 2006-07 प्रोग्रेस टूवर्ड्स यू.ई.ई. न्यूपा, न्यू देहली, पृष्ठ 81, 88, 114, 117, 118
2. भारत 2008 - वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ, पब्लिकेशन डिवीजन, सूचना एव प्रसार मंत्रालय, भारत सरकार
3. वर्गीज एन. दी. आर गोविन्द - प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता : अनुभवाश्रित अध्ययन, शैक्षिक योजना और प्रशासन, नीपा 1992
4. सिंह जगमाहन : वर्तमान संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा, भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन.सी.बी.ई.आर.टी., न्यू देहली ।
5. सारस्वत स्वप्निल, महिला विकास : एक परिदृश्य, नयन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005
6. सबके लिए शिक्षा आकलन वर्ष 2000 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीपा - दिल्ली।
7. टुवर्ड्स एजूकेशन फॉर ऑल इण्डिया मूविंग अहैड, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेन्ट, न्यू देहली ।

इकाई 6

माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा शिक्षा
(Secondary & Higher Education)

इकाई की संरचना (Structure of the unit)

6.0 उद्देश्य

6.1 भारत में महिला शिक्षा की स्थिति

6.2 महिला शिक्षा में बाधक तत्व

6.3 विभिन्न आयोगों एवं समितियों की अनुशंसाएँ

6.4 माध्यमिक शिक्षा में बालिका सहभागिता

6.5 माध्यमिक शिक्षा में बालिका नामांकन

6.6 राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा में महिलाओं का शैक्षणिक विकास

6.7 उच्च शिक्षा में महिला सहभागिता

6.8 उच्च शिक्षा में महिला नामांकन

6.9 राजस्थान में उच्च शिक्षा में महिलाओं का शैक्षणिक विकास

6.10 महिला शिक्षा के उन्नयन हेतु सरकारी प्रयास

6.11 समाहार

6.12 संदर्भ ग्रंथ

6.0 उद्देश्य (Objective)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन द्वारा विद्यार्थी -

- भारत में महिला शिक्षा की स्थिति को जान पाऐंगे ।
- भारत में महिला शिक्षा हेतु आयोगों एवं समितियों की अनुशंसाओं से परिचित हो पाऐंगे।
- महिला शिक्षा में बाधक तत्त्वों को स्पष्ट कर सकेंगे ।
- माध्यमिक शिक्षा में बालिका नामांकन से अवगत हो सकेंगे ।
- माध्यमिक शिक्षा में महिला सहभागिता को स्पष्ट कर पाऐंगे ।
- उच्च शिक्षा में महिला नामांकन द्वारा महिला सहभागिता को जान पाऐंगे ।
- भारत में महिला शिक्षा हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयासों को स्पष्ट कर सकेंगे ।

6.1 भारत में महिला शिक्षा की स्थिति (Education status of Women in India)

शिक्षा किसी भी देश के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है । यह एक ऐसा सशक्त साधन है जिसके माध्यम से मानव-समाज में चेतना जाग्रत कर उसकी कार्य-कुशलता में वृद्धि की जा सकती है । शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र उच्चस्तरीय पूर्ण विकसित जन समूह का

पयार्य नहीं बन सकता । शिक्षा पुरुष व महिला दोनों के लिए अत्यन्त आवश्यक है । वरन् यह कहना अधिक तर्कसंगत होगा कि शिक्षा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं हेतु अधिक उपयोगी है । निस्संदेह स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर महिला शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है । वर्तमान में महिला साक्षरता व पुरुष साक्षरता में अन्तर दृष्टव्य है- ।

सारणी 1 : भारत में साक्षरता दर (1951-2001) प्रतिशत मे

जनगणना वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिला	पुरुष- महिला (साक्षरता मे अन्तर)
1951	18.30	27.20	08.90	18.30
1961	28.30	40.40	15.40	25.00
1971	34.50	46.00	22.00	24.00
1981	43.60	56.40	29.80	26.60
1991	52.20	64.10	39.30	24.80
2001	64.80	75.30	53.70	21.60

स्रोत - भारत 2008, प्रकाशन, विभाग, भारत सरकार, 2007

सारणी 1 से स्पष्ट है कि महिला साक्षरता दर निरन्तर बढ़ती जा रही है तथा यह ध्यान देने योग्य बात है कि 1991-2001 की अवधि के दौरान महिला साक्षरता दर में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । जबकि पुरुष साक्षरता दर में केवल 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । जनगणना 2001 के तथ्यों से पता चलता है कि केरल में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक (87.7 प्रतिशत) जबकि बिहार से सबसे कम (33.1 प्रतिशत) है । लेकिन यह स्पष्ट है कि सत्र 1991 की अपेक्षा सत्र 2001 से प्रत्येक राज्य में महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है । भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति तक महिलाओं की शिक्षा सामान्यत: निजी प्रयासों पर ही निर्भर थी और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा मात्र शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थी । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर महिला सहभागिता में वृद्धि होने लगी । विभिन्न सत्रों में महिला नामांकन की प्रतिशतता इस प्रकार रही ।

सारणी 2. महिला नामांकन कुल नामांकन की प्रतिशतता के रूप में ।

सत्र	माध्यमिक स्तर	उच्च स्तर
1950-51	13.30	10.90
1970-71	25.00	22.10
1990-91	32.90	31.60
1995-96	36.10	35.90
2000-01	38.60	39.40

सारणी 2 से स्पष्ट है कि शिक्षा के माध्यमिक व उच्च स्तर पर महिला नामांकन की प्रतिशत में पर्याप्त वृद्धि हुई है लेकिन अभी भी इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता क्योंकि शिक्षा के किसी भी स्तर पर यह प्रतिशतता 50 प्रतिशत तक भी दृष्टव्य नहीं है । अनेक सरकारी व

निजी प्रयासों के उपरान्त भी महिला साक्षरता व महिला नामांकन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है । जबकि यह सर्वमान्य तथ्य है कि कोई भी समाज महिला शिक्षा की उपेक्षा करके विकास नहीं कर सकता । भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा महिला शिक्षा पर पर्याप्त व्यय करने के उपरांत भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएँ हैं जो माध्यमिक स्तर एवं उच्च शिक्षा में महिला सहभागिता में बाधक सिद्ध हो रही हैं ।

6.2 महिला शिक्षा में बाधक तत्त्व

(1) पारिवारिक आर्थिक स्थिति - महिला शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण अवरोधक माता पिता की निर्धनता है । अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण, उनके लिए अपने सभी पुत्र व पुत्रियों को शिक्षा दिलवाना कठिन हो जाता है । हालांकि सरकार की ओर से लड़कियों की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं तथापि केवल सरकार को लड़कियों की शिक्षा का सम्पूर्ण भार उठाने के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता । इस प्रकार माता-पिता की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण, बालिका शिक्षा के प्रति, उनके उत्साह में कमी आ जाती है ।

(2) अभिभावकों की अशिक्षा - हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर अभिभावक निरक्षर / अशिक्षित है, जीवन में शिक्षा के महत्व के प्रति, उनमें अपर्याप्त ज्ञान के कारण उनकी मान्यता होती है कि लड़कियों को अधिक शिक्षा देने पर वे संस्कारित नहीं रहेगी । वे लड़कियों को घर से बाहर भेजने में भी संकोच करते है तथा उनकी उच्च शिक्षा प्राप्ति के विरोधी होते है । ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों को खूब पढ़ाओ, वह योग्य बनेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और वह परिवार का पालन-पोषण करेगा एवं परिवार का नाम रोशन करेगा । किन्तु लड़की तो बड़ी होकर पराई हो जायेगी, विवाहोपरान्त दूसरे घर चली जाएगी अत: लड़कियों की उच्च शिक्षा पर धन व्यय करना व्यर्थ है, उनके समकक्ष वर ढूँढने में कठिनाई होगी जबकि घर के कार्य में दक्ष लड़की का विवाह करना अधिक सरल है । इस भ्रांति के कारण माता-पिता महिला शिक्षा की उपेक्षा करते हैं ।

(3) बाल विवाह का प्रचलन - अधिकांश भारतीय धार्मिक विचारधारा के होते हैं भगवान (ईश्वर) में उनकी गहन आस्था होती है । उनका महिला शिक्षा के प्रति संकुचित व कठोर दृष्टिकोण होता है । वे लड़कियों को अधिक शिक्षा दिलवाना पसन्द नहीं करते व सदैव लड़कियों के कम उम्र में विवाह के बारे में सोचते है । विशेषकर माताएँ अशिक्षित होने के कारण अपनी लड़कियों को पढ़ाना जरुरी नहीं समझती, उनकी मान्यता होती है कि घर चलाने के लिए ज्यादा पढने की क्या जरुरत है, विवाह के बाद खाना पकाना, सफाई एवं बच्चों को जन्म देना ही लड़कियों का कार्य होता है । आज भी महिला शिक्षा सामाजिक दुष्प्रभावों से मुक्त नहीं हो सकी, अभिभावकों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपनी बालिकाओं की शिक्षा-दीक्षा के महत्वपूर्ण संदर्भ को उनके विवाह एवं उचित वर की प्राप्ति तक ही सीमित मानता है । जिसकी परिणति बाल विवाह के रूप में द्रष्टव्य होती है ।

(4) शैक्षिक सुलभता की अपर्याप्तता - महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण बाधक तत्त्व, ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के साधनों की सुविधाओं का अभाव है । ऐसे बहुत से ग्रामीण

क्षेत्र / पहाड़ियाँ व सुदूर क्षेत्र है जहां आवागमन के साधन उपलब्ध कराना आसान नहीं होता है । महिला शिक्षिकाएँ ऐसे स्थानों पर पैदल नहीं जा सकती, फलस्वरूप लड़कियों की शिक्षा प्रभावित होती है । शिक्षा संस्थानों की दूर स्थिति, बालिका विद्यालयों / महाविद्यालयों की न्यूनता, विविध विषयों की कमी भी शिक्षा को प्रभावित करती है ।

(5) योग्य महिला शिक्षकों का अभाव - हमारे देश में योग्य महिला शिक्षकों की कमी है । प्रशिक्षित एवं अनुभवी महिला शिक्षकों को तैयार करने में हम असफल रहते हैं । महिला शिक्षिकों के अभाव में अनेक विषयों जैसे गृह विज्ञान, चित्रकला, ललित कला आदि का सुचारु अध्ययन संभव नहीं हो पाता । अनेक योग्य शिक्षिकाएँ घर-गृहस्थी व विवाहोपरान्त स्वयं की जिम्मेदारियों की वजह से, अपनी उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण का यथा संभव लाभ उठाने व देने में असमर्थ रहती हैं । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार गांवों में सह-शिक्षा का उतना विरोध नहीं है, जितना महिला शिक्षकों की कमी पर आपत्ति होती है ।

(6) भौतिक सुविधाओं का अभाव - शहरों में तो महिला शिक्षा की समस्या उतनी गम्भीर नहीं है परन्तु गांवों की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है जहां प्राचीन रुढ़ीवादी परम्पराएं आज, भी मौजूद है । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अनेक शिक्षण संस्थान भौतिक आवश्यक जैसे आवास, प्रयोगशाला, आवागमन के साधन, शौचालय इत्यादि उपलब्ध नहीं करवा पाते । शिक्षण संस्थानों में आवासीय व्यवस्था होने के साथ, उनकी सुरक्षा का पूर्णतया प्रबन्ध नहीं होता । अनेक अभिभावक दूरस्थ शिक्षण-संस्थानों में अपनी लड़कियों को भेजना नहीं चाहते हैं ।

(7) अनुकूल पाठ्यक्रम का अभाव - सभी शिक्षण-संस्थान एक सामान्य पाठ्यक्रम को अपनाते है जो छात्र एवं छात्रा दोनों के लिए होता है । फलस्वरूप लड़कियाँ भी, लड़कों के समान ही नौकरी अथवा व्यवसाय वाले क्षेत्रों में जाने के लिए विवश होती है । वे केवल पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर पाती हैं, जिसमें उनकी कम रुचि होती है । लड़कियों के अनुकूल (रुचि, क्षमता अपेक्षानुकूल) पाठ्यक्रमों का अभाव बालिका शिक्षा को प्रभावित करता है ।

(8) सह-शिक्षा की समस्या - सरकार के लिए विभिन्न स्तरों पर छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग शिक्षण संस्थान खोलना, बेहद कठिन होता है इसलिए सह शिक्षण संस्थान खोले जाते है । प्राथमिक स्तर पर सह-शिक्षण संस्थान खोलने में समस्या नहीं आती है, किन्तु माध्यमिक स्तर पर विशेषत: भारतीय संदर्भ में सह-शिक्षा को नकारा जाता है क्योंकि इस स्तर पर किशोर एवं किशोरियों में भावात्मक अस्थिरता पाई जाती है । अत: प्राय: सह-शैक्षिक विद्यालयों में माता-पिता लड़कियों को विद्यालय नहीं जाने देते हैं ।

(9) अपव्यय की समस्या - लड़कियों की शिक्षा में अपव्यय के अनेक कारण है इसमें, माता-पिता की लड़कियों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक विचारधारा प्रमुख है । यद्यपि सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा बालिका शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च किया जा रहा है, परन्तु इनमें से बहुत कम प्रतिशत बालिकाएँ ही शिक्षा का लाभ उठा रही हैं ।

(10) घरेलू एवं सामाजिक कारण - ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को घर के कामों में अपनी माँ की मदद करनी पड़ती है, उनके ऊपर ही अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल का बोझ होता है, वे ही पानी और जलाने के लिए ईधन ढूँढ कर लाती है जिस कारण उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता । इसके अतिरिक्त जातिगत भेदभाव के कारण भी लड़कियाँ शिक्षा प्राप्ति से वंचित रह जाती हैं ।

6.3 विभिन्न आयोगों एवं समितियों की अनुशंसाएँ

(1) विश्वविद्यालय आयोग - 4 नवम्बर 1948 को राधाकृष्णन आयोग (वि. वि. शिक्षा आयोग) की स्थापना की गई । आयोग ने "पढ़ी लिखी माता घर की भाग्य विधाता" के आदर्श वाक्य को स्वीकार करते हुए स्त्री शिक्षा के विकास कार्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य बताया । इस आयोग मे महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ देने के साथ ही गृह प्रबन्ध की शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करने के सुझाव दिए ।

(2) माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) - इस आयोग ने माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं हेतु पृथक विद्यालय खोलने तथा माध्यमिक स्तर पर गृह-विज्ञान की शिक्षा हेतु व्यवस्था करने के सुझाव दिए ।

(3) राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958-59) - इस समिति ने महिलाओं से शिक्षा के प्रसार हेतु विविध कार्यक्रम बनाकर उनके क्रियान्वयन हेतु सिफारिश की ।

(4) राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद (1959-60) - भारत की तात्कालिक परिस्थितियों में महिलाओं को शिक्षा हेतु घर से बाहर भेजा जाना उचित नहीं समझा जाता था, ऐसी स्थिति में इस परिषद् ने महिला शिक्षा के संदर्भ में जनमत तैयार करने का कार्य किया ।

(5) भक्त वत्सलम समिति (1963-65) - इस समिति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा के प्रति जन-सहयोग के कारणों का पता लगाना था ।

(6) हंसा मेहता समिति एवं शिक्षा आयोग (1964-65) - भारत में लड़कियों की कम उम्र में शादी कर देने तथा अनेकानेक परम्परागत रीति-रिवाजों के कारण अनेक अभिभावक अपनी बेटियों को शिक्षित नहीं कर पाते थे । अत: हंसा मेहता समिति एवं शिक्षा आयोग ने बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की ।

(7) फुलेरनु गुहा समिति (1974) - इस समिति का मुख्य उद्देश्य सभी स्तरों पर सह शिक्षा वाले विद्यालयों की स्थापना करना था ।

(8) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) - इसके द्वारा महिलाओं में शिक्षा के विस्तार हेतु गतिशील प्रबंधकीय ढाँचे का निर्माण किया गया ।

(9) जनार्दन रेड्डी समिति (1992) - इस समिति द्वारा महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति हेतु विशेष
सुविधाएँ और प्रोत्साहन दिया गया ।

(10) कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना (2004) - कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों

की बालिकाओं हेतु दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के साथ 750 विद्यालय खोले जा रहे हैं । यह योजना केवल ऐसे विकास खण्डों में लागू की जा रही है, जहाँ वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम और लैंगिक भेदभाव का स्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक है ।

(11) महिला समाख्या कार्यक्रम (1989) - यह कार्यक्रम महिलाओं की शैक्षिक पहुँच और उनकी उपलब्धियों के विषय के लिए कायम परम्परागत लैंगिक विषमता का निराकरण करता है । ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित विशेषकर, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण हेतु चलाया जाने वाला यह एक ठोस कार्यक्रम है । यह कार्यक्रम 9 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, उत्तरप्रदेश और उत्तराखण्ड) के 63 जिलों के 15800 गाँवों में चलाया जा रहा है । सत्र 2006-07 में इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में महिलाओं और किशोरियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में महिलाओं और बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित महिला शिक्षण केन्द्रों ने महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है । इन महिला शिक्षा केन्द्रों को विशेष रूप से नए सघन गुणवत्ता पाठ्यक्रम और दक्षता विकास कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ताकि यहाँ महिलाएँ अपनी शिक्षा जारी रख सके और जीवन का हुनर सीख सकें ।

(12) नवोदय विद्यालय समिति - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) - इसमें देश के हर जिले में एक आदर्श विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया था जिसके अन्तर्गत सहशिक्षा आवासीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए । नवोदय विद्यालय माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करने वाले पूर्ण आवासीय सह-शिक्षा विद्यालय है । इन विद्यालयों में मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे प्रतिभावान छात्रों का चयन कर विकास करने का प्रावधान है, जिन्हें इन विद्यालयों के अभाव में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों से वंचित रहना पड़ता है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों में से कम से कम 33% बालिकाएँ हों ।

एक शिक्षित समाज में महिलाओं का शिक्षण में नामांकन व ठहराव कम होना गम्भीर समस्या है। घर का वातावरण व घर के सदस्यों का नजरिया महिलाओं की शिक्षा को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है । शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ अपनी योग्यतानुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सामान्यत: सफल हो जाती है । लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएँ अभी भी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर तक की ही शिक्षा प्राप्त कर पा रही हैं ।

6.4 माध्यमिक शिक्षा मे बालिका सहभागिता

विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है। माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के माध्यम सेतु का कार्य करती है । सन् 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का दायित्व था । संविधान द्वारा 1976 से किए गए संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया । इसके दूरगामी परिणामों के फलस्वरूप आधारभूत, वित्तीय एवं प्रशासनिक उपायों को राज्यों एवं केन्द्र सरकार के बीच विभाजित किया गया । दोनों सरकारों द्वारा महिलाओं हेतु शिक्षा की महत्ता को स्वीकारा गया तथा समय-समय पर

विभिन्न कार्यक्रम चलाकर महिला शिक्षा की दशा व दिशा को सुदृढ़ बनाने हेतु सकारात्मक प्रयास किए गए ।

6.5 माध्यमिक शिक्षा में बालिका नामांकन

राज्यवार माध्यमिक स्तर पर महिला नामांकन की प्रतिशतता (2002-03)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	कक्षा 9 व10	कक्षा 11 व 12
1	आंध्रप्रदेश	44.10	39.26
2	अरुणाचल प्रदेश	42.13	38.52
3	असम	48.09	41.81
4	बिहार	31.34	26.39
5	छतीसगढ़	37.65	36.05
6	गोवा	47.91	50.09
7	गुजरात	40.20	41.77
8	हरियाणा	41.84	39.18
9	हिमाचल प्रदेश	47.36	44.86
10	जम्मू व कश्मीर	42.62	41.04
11	झारखण्ड	36.58	33.58
12	कर्नाटक	46.37	44.50
13	केरल	50.03	55.01
14	मध्यप्रदेश	34.68	35.22
15	महाराष्ट्र	44.69	42.41
16	मणिपुर	48.88	46.91
17	मेघालय	51.47	48.24
18	मिजोरम	50.56	49.34
19	नागालैण्ड	48.04	43.68
20	उड़ीसा	44.24	38.94
21	पंजाब	47.69	46.58
22	राजस्थान	29.33	30.16
23	सिक्किम	49.57	49.05
24	तमिलनाडु	48.55	49.57
25	त्रिपुरा	46.55	41.09
26	उत्तरप्रदेश	34.73	40.90
27	उत्तरांचल	41.81	44.92
28	पश्चिम बंगाल	44.18	38.39

29	अण्डमान निकोबार, द्वीप समूह	48.11	49.83
30	चण्डीगढ	46.96	46.01
31	दादरा एवं नगर हवेली	41.42	39.68
32	दमन व दीव	44.43	41.89
33	दिल्ली	46.37	47.34
34	लक्षदीप	48.34	47.09
35	पांडिचेरी	48.67	51.50
	भारत	41.51	41.24

स्रोत : सातवां अखिल भारतीय विद्यालय शैक्षिक सर्वेक्षण

तालिका से स्पष्ट है कि मात्र केरल ही ऐसा राज्य है जिसमें माध्यमिक व उच्च माध्यमिक दोनों ही स्तरों पर महिला नामांकन की प्रतिशतता 50% से अधिक है । अन्य राज्यों में यह प्रतिशतता बढाने हेतु अपेक्षित प्रयासों में वृद्धि की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता । राजस्थान राज्य में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशतता अत्यन्त कम है ।

6.6 राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा में महिलाओं का शैक्षणिक विकास

राजस्थान में माध्यमिक स्तर पर महिलाओं की शिक्षा हेतु अनेक प्रयास किए गए है, इसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का महत्वपूर्ण योगदान है । माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा को आधुनिक वैज्ञानिक व प्रगतिशील बनाने में इस बोर्ड की सम्पूर्ण देश में एक विशिष्ट छवि है । राजस्थान में विविध कारणों से अभिभावक, अपनी पुत्रियों को शिक्षा नहीं दिला पाते हैं लेकिन विगत परीक्षा परिणामों से स्पष्ट है कि राज्य में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर नामांकित विद्यार्थियों में से बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत, बालकों के उत्तीर्ण प्रतिशत से अधिक रहता है ।

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशतता

सत्र	माध्यमिक स्तर		उच्च माध्यमिक स्तर	
	छात्र	छात्र	छात्र	छात्र
2001-01	51.67	54.25	64.13	73.45
2001-02	54.62	55.94	65.92	76.13
2002-03	58.39	59.89	72.95	82.36
2003-04	52.80	55.35	70.29	79.57

(स्रोत : बोर्ड परीक्षा परिणाम एक विश्लेषण, मा.शि. बोर्ड, राजस्थान,अजमेर, 2001 से 2004 तक)

राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु निम्न योजनाएँ जारी हैं -

1. विश्व बैंक की सहायता से सभी जिलों में बालिकाओं की स्वस्थ एवं शिक्षा से परिपूर्ण बनाने हेतु किशोर बालिका योजना चलायी जा रही है ।

2. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बालिका समृद्धि योजना लागू की गयी । इस योजना के तहत् गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों में 15 अगस्त 1997 या इसके बाद जन्म लेने वाली दो बालिकाओं के नाम खाता खोलकर 5000 रु की राशि जमा करवायी जाती है । बालिका का स्कूल जाना आरम्भ करने पर कक्षा 1 से 18 तक उसे 300 रुपये से 1000 रुपये तक की छात्र वृत्ति प्रतिवर्ष दी जाती है ।

3. राजस्थान में बालिकाओं के स्कूल-कॉलेज में ले जाने के लिए राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गयी है ।

4. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दूरस्थ शिक्षा द्वारा दूर दराज के ऐसे छात्र-छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध करा रहा है, जो अपनी विभिन्न परिस्थितियों के कारण शिक्षा जारी नहीं रख सकते ।

5. ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर की सुविधा देने के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर 6 बालिका छात्रावासों के निर्माण का प्रावधान है ।

6. राजस्थान में बालिका उच्च शिक्षा फाउण्डेशन की स्थापना की गई है, इसमें कक्षा 10 में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक अर्जित करने वाली छात्रा को गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता हैं ।

7. बालिकाओं को शिक्षण शुल्क में छूट का प्रावधान है ।

8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं हेतु छात्र विधि शुल्क में 50% छूट का प्रावधान है ।

9. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की जिन बालिकाओं के माता पिता या दोनों की मृत्यु हो चुकी है, के लिए अपणी बेटी' योजना लागू की गई है, जिसके अर्न्तगत आठवीं एवं नवी से बारहवीं कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं को क्रमशैः 1100 रुपये एवं 1500रु की सहायता प्रदान की जाती है ।

इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में महिला साक्षरता दर जो कि सन् 1951 से मात्र 31% थी वह सन् 1961 से बढ़कर लगभग दुगनी तथा सन् 1971 में तिगुनी हो गई । वर्ष 1981 में महिला साक्षरता की दर 11.42% तथा 1991 में 20.42% व वर्ष 2001 में 44.34% हो गई है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न -1

1 माध्यमिक शिक्षा में बालिका सहभागिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है ?

2 बालिका समृद्धि योजना क्या है ?

6.7 उच्च शिक्षा में महिला सहभागिता

भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत सन् 1818 में अंग्रेजी शासन द्वारा की गई । सन् 1857 में तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में खोले गए जिनका उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा अपने लोगों को शिक्षित करना था, किन्तु आजादी के समय तक उच्च शिक्षा की प्रगति बहुत ही धीमी रही और 90 साल में मात्र 18 विश्वविद्यालय ही देश में खोले गए । स्वतंत्रता के बाद निजीकरण एवं उदारीकरण का दौर आया और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई । उच्च शिक्षा की प्रगति पर यदि नजर डाली जाए तो स्वतंत्रता के तुरन्त बाद 1950-51 में जहां केवल 27 विश्वविद्यालय थे, वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 357 हो गई है । इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कुल 9427 कॉलेज, 1068 इंजीनियरिंग कॉलेज, 782 मेडिकल कॉलेज व 900 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित हो चुके है ।

यह सत्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में पर्याप्त विस्तार हुआ है, लेकिन उच्च शिक्षा की प्रगति पर यदि दृष्टि डालें तो पता चलता है कि यह वृद्धि संख्यात्मक रूप से तो उल्लेखनीय है किन्तु इसमें गुणात्मक रूप से ह्रास हुआ है । वर्तमान उच्च शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन सही रूप से न होने के कारण उच्च शिक्षा की कमजोरियों के लिए आर्थिक मजबूरियों को दोषी माना जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उच्च शिक्षा हेतु संसाधनों की उतनी कमी नहीं है जितनी कि अच्छे प्रबंधन की कमी है । महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में चाहे जितना खर्च कर ले तब तक सुधार संभव नहीं होगा, जब तक अच्छे प्रबन्धन के प्रयास नहीं किए जाएंगे । उच्च शिक्षा का उद्देश्य प्रशासन, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय तथा ज्ञान-विज्ञान में उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए समाज में सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना बनाए रखना है । यदि किसी राष्ट्र में मानवीय संसाधनों के त्वरित विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता तो वह राष्ट्र अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी समुचित विकास नहीं कर पाता है । मानवीय संसाधन के रूप में पुरुष हो या महिला हो इनके ज्ञान, कुशलता, क्षमता और दक्षता में वृद्धि, शिक्षा द्वारा ही संभव है । वर्तमान में बढ़ती हुई विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या में आलीशान भवन एवं भौतिक संरचना पर तो पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है । लेकिन उनमें मानवीय संसाधन के विकास की और उपेक्षा की जा रही है तथा इस उपेक्षा का प्रभाव पुरुष की अपेक्षा महिला शिक्षा पर अधिक पड़ रहा है । ऐसा भी नहीं है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिला की उपेक्षा वर्तमान में ही हो रही है । स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से महिला महाविद्यालयों की स्थापना अत्यन्त कम ही रही है, जैसा कि सारणी 3 में दर्शाया गया है -

सारणी 3 -

वर्ष	**कुल महाविद्यालय**	**महिला महाविद्यालय**
1950-51	695	77
1960-61	1542	169
1970-71	3604	426

1980-81	4722	609
1990-91	7346	874
2000-01	12806	1578
2001-02	15437	1625
2002-03	16206	1650
2003-04	16685	1798

स्रोत यूनिवर्सिटी डवलपमेन्ट इन इण्डिया, बेसिक फैक्ट्स एण्ड फिगर, यू.जी.सी., दिल्ली

सारणी 3 से स्पष्ट है कि सत्र दर सत्र महिला विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो रही है जिससे महिलाओं का उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ता जा रहा है लेकिन अभी भी अनेक बाधाओं के कारण महिलाएँ उच्च शिक्षा में नामांकित नहीं हो पा रही है ।

6.8 उच्च शिक्षा में महिला नामांकन

विभिन्न सत्रों में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन व उसकी प्रतिशतता निम्न प्रकार है-

वर्ष	**महिला नामांकन**	**महिला नामांकन प्रतिशतता**
1950-51	43,126	10.90
1960-61	1,70,455	16.20
1970-71	4,30,822	22.10
1980-81	7,48,525	27.20
1990-91	15,56,258	31.60
2000-01	33,06,410	39.40
2001-02	35,14,450	39.84
2002-03	36,95,964	40.05
2003-04	40,02,807	40.22

स्रोत यूनिवर्सिटी डवलपमेन्ट इन इण्डिया, बेसिक फैक्ट्स एण्ड फिगर, यू.जी.सी., दिल्ली

अभी भी उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 50 प्रतिशत के लगभग नहीं हो पाया है । उच्च शिक्षा में नामांकित महिलाओं की संख्या में विभिन्न राज्यों में भी पर्याप्त अन्तर दिखाई पड़ता है ।

सारणी 4

राज्यवार उच्च शिक्षा में महिला नामांकन की प्रतिशतता (2002-03)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	महिला नामांकन
1	आंध्रप्रदेश	30.30
2	अरुणाचल प्रदेश	28.99
3	असम	40.50
4	बिहार	23.81

5	छतीसगढ़	36.70
6	दिल्ली	46.00
7	गोवा	58.50
8	गुजरात	44.21
9	हरियाणा	41.00
10	हिमाचल प्रदेश	42.69
11	जम्मू व कश्मीर	47.10
12	झारखण्ड	30.40
13	कर्नाटक	40.86
14	केरल	60.00
15	मध्यप्रदेश	37.20
16	महाराष्ट्र	41.00
17	मणिपुर	44.30
18	मेघालय	47.90
19	मिजोरम	46.70
20	नागालैण्ड	38.80
21	उड़ीसा	35.69
22	पंजाब	52.68
23	राजस्थान	32.33
24	सिक्किम	40.31
25	तमिलनाडु	45.10
26	त्रिपुरा	40.80
27	उत्तरप्रदेश	38.40
28	उत्तरांचल	40.00
29	पश्चिम बंगाल	39.40
30	अण्डमान निकोबार, द्वीप समूह	57.77
31	चण्डीगढ	55.50
32	दमन व दीव	46.85
33	पांडिचेरी	52.60
	भारत	40.05

(स्रोत : यूजीसी वार्षिक रिपोर्ट, 2002-03)

एक तरफ तो गोवा, केरल, पंजाब, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह चंडीगढ़ व पांडिचेरी में तो उच्च शिक्षा में महिला नामांकन की प्रतिशतता 50% से अधिक हो गई है वहीं

दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश बिहार व झारखण्ड में यह प्रतिशतता 30% के लगभग ही है । दादरा और, नगर हवेली में उच्च शिक्षण संस्थान न होने के कारण वहां महिला नामांकन शून्य प्रतिशत है ।

विभिन्न राज्यों में महिला नामांकन में अन्तर शायद राज्य विशेष की आन्तरिक परिस्थिति के कारण हो रहा होगा लेकिन एक ही राज्य में विभिन्न संकायों में भी नामांकित महिलाओं की संख्या में अत्यधिक अन्तर होता है । सामान्यत: प्रत्येक राज्य में अधिकांश महिलाएँ कला संकाय में ही अधिक हैं नामांकित होती है । केवल ऐसा नहीं है कि राज्य और संकाय के आधार पर ही महिला नामांकन में अन्तर है । एक ही राज्य के एक ही संकाय में महिला नामांकन में असमानता के निम्न आधार भी है -

- अनुसूचित जाति व अन्य जातियों की महिलाओं के नामांकन में अन्तर
- अनुसूचित जनजाति व अन्य जातियों की महिलाओं के नामांकन में अन्तर
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के नामांकन में अंतर
- विकसित व कम विकसित क्षेत्रों की महिलाओं के नामांकन में अन्तर
- गरीब एवं अमीर महिलाओं के नामांकन में अन्तर

6.9 राजस्थान में उच्च शिक्षा मे महिलाओं का शैक्षणिक विकास

राजस्थान में उच्च शिक्षा में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय है । शिक्षा के क्षेत्र में 'यूनेस्को एवार्ड' प्राप्त करने वाले प्रथम राज्य, राजस्थान में विभिन्न सत्रों में महिला नामांकन की स्थिति अग्रलिखित है-

सारणी 5

राजस्थान में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन

सत्र	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिला नामांकन प्रतिशतता
2000-1	2,82,836	99,996	35.35
2001-02	3,41,198	1,11,230	32.60
2002-03	3,63,172	1,17,416	32.33
2003-04	3,68,926	1,24,775	33.82

(स्रोत यू.जी.सी. वार्षिक रिपोर्ट्स सत्र 2000-1 से सत्र 2003-04 तक)

सारणी 5 से स्पष्ट है कि विगत सत्रों में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन की प्रतिशतता 35% के आस-पास ही रही है । क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य में भौगोलिक असमानताएँ व्याप्त हैं। सती-प्रथा व बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों ने महिला शिक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है । सत्र 2003-04 तक राज्य में कुल 19 विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत 587 महाविद्यालय हैं । उच्च शिक्षा के इन सभी केन्द्रों में महिलाओं को प्रवेश हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता है । राज्य में केवल महिलाओं की शिक्षा हेतु प्रमुख विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ स्थित है । इग्नू व वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा द्वारा महिलाओं को उच्च शिक्षा द्वारा लाभान्वित कर रही हैं ।

राज्य में निजी क्षेत्र में भी कई विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं । सह-शिक्षा वाले शिक्षण संस्थानों के साथ केवल महिलाओं की शिक्षा हेतु निजी क्षेत्र में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय 'ज्योति विद्यापीठ' ने भी वर्तमान सत्र में कार्य प्रारम्भ कर दिया है । इन सभी प्रयासों से निश्चित् ही राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि होगी।

6.10 महिला शिक्षा के उन्नयन हेतु सरकारी प्रयास

भारत में उच्च शिक्षा के मानदण्डों के निर्धारण एवं उनको बनाए रखने हेतु एक राष्ट्रीय संस्था 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' का गठन 28 दिसम्बर व 953 को किया गया । UGC केन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के बीच समन्वयक संस्था के रूप में कार्य करता है । यह उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों पर सरकारों और संस्थाओं की परामर्शदात्री संस्था के रूप में भी कार्य करता है । शिक्षण और अनुसंधान के साथ-साथ शिक्षा के प्रसार को भी आयोग महत्त्वपूर्ण घटक मानता है । अपने कार्य को चलाने के उद्देश्य से आयोग अपने कोश से महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षा उन्नयन हेतु आवश्यक उपायों के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा के संस्थानों को परामर्श देने और अधिनियम के अनुरूप नियम एवं प्रक्रिया निर्धारण करने का कार्य करता है ।

यू.जी.सी. महानगरों, शहरी, अर्धशहरी तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालय के बीच असमानता को आशिक रूप से दूर करने या कम करने के लिए 10 वीं योजना के दौरान "पिछड़े क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान" नामक योजना शुरु की । इस योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान आधार संरचना को सुदृढ़ करने के लिए पात्र विश्वविद्यालयों को अनुदान उपलब्ध कराता है । इससे पिछड़े क्षेत्रों की महिलाएँ उच्च शिक्षा का लाभ उठा पा रही है ।

यू.जी.सी. समाज के सुविधा वंचित वर्गो के लिए सामाजिक समता और सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता हेतु अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 'उपचारात्मक शिक्षण' की योजना कार्यान्वित करता रहा है । इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति व जनजाति के महिला व पुरुष दोनों ही उठा रहे हैं ।

विश्वविद्यालयों और' कॉलेजों में सुरक्षित वातावरण प्रदान करके महिलाओं का नामांकन बढ़ाने के लिए तथा महिलाओं की गतिशीलता बढ़ाने हेतु यू.जी.सी. ने महिलाओं के छात्रावासों के निर्माण की विशेष योजना शुरु की है ।

महिला अध्ययन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालयों में सन् 1986 से "महिला अध्ययन केन्द्र" स्थापित करने की योजना प्रारम्भ की है । इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान करना, पाठ्यचर्या का विकास करना, प्रशिक्षण आयोजित करना, स्त्री-पुरुष समानता क्षेत्रों में विस्तार कार्य करना, महिलाओं की आत्मनिर्भरता, महिलाओं की शिक्षा, जनसंख्या मुद्दों मानवाधिकार तथा शोषण आदि के सम्बन्ध में कार्य करना है । इन उद्देश्यों को पूरा करने लिए वि.अ.आ. विश्वविद्यालयों को 'महिला अध्ययन केन्द्र' स्थापित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराता है ।

उन बेरोजगार महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिन्होंने पी.एच.डी. कर रखी है और जिनमें अनुसंधान कार्य करने की अभिवृत्ति है, उन महिलाओं के लिए वि.अ.आ. अंशकालिक अनुसंधान एसोशिएटशिप योजना के अधीन प्रतिवर्ष 100 महिलाओं हेतु छात्रवृत्ति उपलब्ध कराता है ।

यू.जी.सी ने विश्वविद्यालय में 'दिवस देखभाल केन्द्र' की योजना प्रारम्भ की है । इस योजना का उद्देश्य महिलाओं ओर कामकाजी माता-पिता की सहायता करना है ताकि वे अपना अकादमिक कार्य निश्चित होकर कर सकें ।

विभिन्न राज्यों में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य अधिनियम के तहत करने हेतु पृथक् अधिनियम जारी किए हैं । इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से संभव है कि महिला नामांकन में प्रगति हो ।

उच्च शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक दर्जन नए 'विश्व स्तरीय' विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है । तथा ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा को केन्द्रीय विषय बनाया गया है, इसमें शिक्षा पर होने वाले खर्च को लगभग पांच गुना बढ़ा दिया गया है । राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (National Knolwedge Commission) के अध्ययक्ष श्री सैम. पित्रोदा भी शिक्षा व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन लाने पर जोर देते रहे हैं ।

प्रश्न उठता है कि यू.जी.सी से अनुदान प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाएँ महिलाओं की शिक्षा के प्रति कितनी सजग हैं? महिलाओं का उच्च कक्षाओं में नामांकन प्रतिशत, अध्ययन में उनकी नियुक्तियाँ, पाठ्यक्रम निर्माण में उनकी भागीदारी, शोध एवं आर्थिक साधनों का उनके लिए संरक्षण आदि के तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की घोर उपेक्षा हो रही है । भारत जैसे विशाल देश में केवल कुछ गिने-चुने विश्वविद्यालय ही है जो स्वतंत्र रूप से महिला-शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों पर विचार करके शिक्षण की व्यवस्था करते हैं । शेष विश्वविद्यालयों एवं महिलाओं में छात्राओं के लिए सह-शिक्षा की व्यवस्था तो है, किन्तु उस व्यवस्था में उनको कितनी समानता एवं सुविधा प्राप्त है, यह विचारणीय है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महिला अध्यापक केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान कर रहा है किन्तु बहुत कम विश्वविद्यालय ही इस सहायता का लाभ महिलाओं तक पहुँचाने में रुचि दिखा रहे !

विभिन्न सरकारी प्रयत्नों के उपरान्त भी विश्वविद्यालयों में महिला शिक्षा की दयनीय दशा-दिशा को सुधारने के गंभीर प्रयास. नहीं किए गए । उन्हे अब भी वहीं पारम्परिक विषय पढ़ाए जाते हैं, जो न तो उन्हें सम्मानजनक नियुक्तियों के लिए योग्य बनाते हैं और न घर गृहस्थी में उनकी सार्थकता पर बल देते हैं । यह सही है कि कुछ प्रतिशत महिलाएँ विज्ञान एवं तकनीकी प्रबन्धन की शिक्षा प्राप्त करने लगी है लेकिन ये क्षेत्र अभिजात्य वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित हैं ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न -2

1 महिला महाविद्यालयों के बावजूद भी उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी ही ! कारण बताइए !

2	महिला अध्ययन का प्रोत्साहन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कौन -कौन से कदम उठाए ! संक्षेप में लिखे !

6.11 सारांश

भारत में महिला शिक्षा संक्रमण के दौर से गुजर रही है एक तरफ तो भारतीय नारी, भारतीय परम्पराओं व मूल्यों का निर्वाह करते हुए शिक्षित होना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ वह पाश्चात्य सभ्यता के साथ कदम ताल कर स्वयं की पहचान स्थापित करने हेतु प्रयासरत है । शिक्षा की स्थिति के कारण वर्तमान में भारतीय महिला समाज दुराचारियों का शिकार होता जा रहा है । बलात्कार, विवाह-विच्छेद और आत्म हत्या जैसी घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है । परिणामत: महिलाएँ शिक्षा संस्थानों विशेषकर उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय मूल्यों की अवहेलना करना सीखती है और पारिवारिक उत्तरदायित्वों से पलायन करने लगती हैं ।

आवश्यकता इस बात की है कि उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के समय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए । सह-शिक्षा वाले शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम समिति एवं समय-सारिणी समितियों में महिला शिक्षकों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जाए । जिन शिक्षण संस्थानों में आवास की सुविधा हो वहाँ महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए ।

परम्परागत ढंग से स्नातक-स्नातकोत्तर उपाधियों की सीमा में महिला उच्च शिक्षा को शामिल करने से महिलाओं को विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है । आवश्यकता इस बात की है कि सामान्य उच्च शिक्षा के विषय महिलाओं की आवश्यकता के अनुकूल हों तथा तकनीकी आदि विषयों की शिक्षा में महिलाओं के लिए उचित आरक्षण हो और जब तक उच्च शिक्षा में महिला शिक्षा का प्रतिशत 50% नहीं हो जाता तब तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो ।

मूल्यांकन प्रश्न

1. भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति के कारण सहित स्पष्ट कीजिए ।
2. आपके अनुसार भारत में महिला शिक्षा के प्रमुख बाधक तत्व कौन से हैं ?
3. विभिन्न आयोगों एवं समितियों के सुझाव एवं संवैधानिक प्रावधानों के कारण माध्यमिक स्तर पर बालिका सहभागिता सकारात्मक रूप से बढ़ी हैं । कथन की पुष्टि तर्क, सहित कीजिए ।
4. राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं के शैक्षिक विकास को स्पष्ट कीजिए ।
5. उच्च शिक्षा में महिला नामांकन की स्थिति को उचित प्रमाण द्वारा स्पष्ट कीजिए ।
6. महिला शिक्षा का विकास हेतु सरकारी प्रयासों की सूची बनाते हुए किन्हीं तीन का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए ।

6.12 संदर्भ ग्रंथ

1. रानी आशु 2008: महिला विकास कार्यक्रम, एड्नाश्री पब्लिशर्स, जयपुर ।
2. यू.जी.सी. वार्षिक रिपोर्ट 2003-04
3. यूनिवर्सिटी डवलपमेन्ट इन इण्डिया, बेसिक फैक्ट्स एवं फिगर, यूजी.सी., नई दिल्ली ।
4. कृष्णा 2008 : उच्च शिक्षा की लाभार्थी के रूप में भारतीय महिला पी.एच.डी. शोध अध्ययन, शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापी ।
5. भारत सरकार (1952-53) : माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।
6. भारत सरकार (1964-66) : शिक्षा-आयोग का प्रतिवेदन, शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली
7. भारत सरकार (1986) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कार्यक्रम कार्यान्वन 1986, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।
8. सुझान,लैक्स मर्लिन एण्ड टर्नर : लर्निंग टू टीचिंग इन सैकण्डरी कम्पेरिजन टू स्कूल एक्सपीरियन्स, रोटलेज, लन्दन 1997
9. उमा शर्मा एवं शर्मा बी.एम. : कमीटिज एण्ड कमीशन ऑन वूमेन कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, न्यू देहली, 1995
10. सेन एम.वी. : प्रोगेस ऑफ वीमेन एजूकेषन इन फ्री इण्डिया, न्यू बुक सोसायटी ऑफ इण्डिया, न्यू देहली ।

इकाई 7

विज्ञान, तकनीकी एवं महिलाएँ (Science Technology and Women)

इकाई की संरचना (Structure of the unit)

7.0 उद्देश्य

7.1 विज्ञान शिक्षा एवं महिलाएँ

7.2 विज्ञान संकाय में महिला - सहभागिता

7.3 महिलाओं में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के उन्नयन हेतु सरकारी प्रयास

7.4 राजस्थान में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की स्थिति

7.5 सारांश

7.7 संदर्भ ग्रंथ

7.0 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन द्वारा विद्यार्थी -

- महिलाओं के लिए विज्ञान शिक्षा के महत्व को समझ पाऐंगे ।
- विज्ञान शिक्षा में महिला नामांकन की स्थिति से अवगत हो पाऐंगे ।
- विज्ञान एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में महिला नामांकन की प्रतिशतता जान पाऐंगे ।
- महिलाओं में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के उन्नयन हेतु सरकारी प्रयासों को स्पष्ट कर पाऐंगे।
- राजस्थान में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट कर पाऐंगे।

7.1 विज्ञान शिक्षा एव महिलाएँ (Science Education & Women)

शिक्षा मानवीय विकास का केन्द्र बिन्दु है । शिक्षा द्वारा अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान स्वत: ही हो जाता है । महिलाओं में शिक्षा के अभाव का अर्थ है उस परिवार का वर्तमान प्रगति की दौड़ में पिछड़ जाना । अत: महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है ताकि प्रत्येक परिवार शिक्षित होकर समाज व राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सके ।

वर्तमान में नारी अपनी बहुआयामी प्रतिभा के बल पर अनेक क्षेत्रों में पुरुषों से भी आगे निकल गई हैं । वर्तमान युग 'कल युग' अर्थात् मशीनी युग है । इस युग में महिलाओं के उत्तरदायित्व बढ़ने के साथ-साथ उसकी प्रसिद्धि भी हुई है । मशीनों की भांति कार्य करती हुई महिला पुरुषों से प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा करती हुई अपनी समस्त जिम्मेदारियों का पूर्ण रूपेण निर्वाह कर आगे बढ़ती जा रही है । जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां कि नारी की सहभागिता नहीं हो । चाहे एवरेस्ट की ऊँचाई को नापना हो या चांद को फतह करना हो । नारी

ने प्रत्येक जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है । वर्तमान में सहभागिता की दृष्टि से प्रत्येक व्यवसाय में महिलाओं के योगदान के अनुपात में अत्यधिक वृद्धि हुई है । पिछले दशक में महिलाओं की शिक्षा से सम्बन्धित अनेक नये आयाम - इलेक्ट्रोनिक्स, टेली कम्यूनिकेशन, सूचना-तकनीकी जैव तकनीकी विविध संगठित क्षेत्रों के उद्योग चिकित्सा आदि उभरकर आए हैं । महिलाएँ इन सभी व्यवसायों में आगे आ रही हैं ।

यद्यपि इन सभी क्षेत्रों में नारी ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम कर लिया है । लेकिन अस्तित्व की इस लड़ाई में ग्रामीण महिलाएँ, अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाएँ व गरीब महिलाएँ पिछड़ रही हैं । शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर इन महिलाओं हेतु उचित प्रावधान होने के बावजूद इन्हें अनेकानेक, कारणों से उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है ।

7.2 विज्ञान संकाय में महिलाओं की सहभागिता

स्वतंत्र भारत के भविष्य दृष्टाओं ने सपना संजोया था कि शीघ्रातिशीघ्र भारत में शिक्षा का प्रसार कर देश को निरक्षरता से मुक्त कराया जाए तथा समाज के वंचित वर्ग विशेषत: इन वर्गो की महिलाएं सभी बन्धनों से मुक्त होकर शिक्षा प्राप्त करें । इस हेतु गांव ढाणी में विद्यालय खोले गए लेकिन इन विद्यालयों में से बहुत कम ही विद्यालयों में विज्ञान संकाय उपलब्ध था तथा जिन विद्यालयों में विज्ञान संकाय उपलब्ध था उन विद्यालयों में या तो उपकरण नहीं थे अथवा शिक्षक पर्याप्त नहीं थे, ऐसी स्थिति में भारत वर्ष में विद्यालयों में विज्ञान-शिक्षा की स्थिति का स्वत: ही अंदाजा लगाया जा सकता है । विज्ञान संकाय वाले विद्यालयों की सुलभता में कमी के कारण सामान्यत: इनमें बालिकाएँ कम ही संख्या में प्रवेश लेती है जिससे भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए भविष्य में महिलाओं की विज्ञान की शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होते हैं ।

सत्र 2003-04 में उच्च शिक्षा में सम्पूर्ण भारत में संकायवार महिला नामांकन की स्थिति निम्न प्रकार हैं-

तालिका 1 :

क्र.सं.	संकाय	महिला नामांकन	कुल महिला नामांकन प्रतिशतता
1	कला	20,41,706	51.01
2	विज्ञान	8,09,368	20.22
3	वाणिज्य/प्रबंध विभाग	6,57,682	16.43
4	शिक्षा	76,154	1.90
5	इंजीनियर/प्रौद्योगिकी	1,65,316	4.13
6	आयुर्विज्ञान	1,45,302	3.63
7	कृषि	9,981	0.25
8	पशु चिकित्सा विज्ञान	3,138	0.08
9	विधि	62,523	1.56
10	अन्य	31,637	0.79

तालिका 1 से पता चलता है कि विज्ञान व तकनीकी जैसे पाठ्यक्रमों में अत्यन्त कम महिलाएं ही, नामांकित हो पाती है जबकि परम्परागत कला संकाय में आधे से अधिक महिलाएँ नामांकित होती है । प्रश्न उठता है कि महिलाओं का रुझान विज्ञान व तकनीकी पाठ्यक्रमों की तरफ. क्यों नहीं है? क्या विज्ञान शिक्षण से महिलाओं को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है?

विज्ञान शिक्षण द्वारा ग्रामीण महिलाओं को कितना लाभ होता है? शायद यह प्रश्न वैज्ञानिकों के सोचने का नहीं है सामान्यत: वैज्ञानिक साधन सम्पन्न होते हैं, विभिन्न मेलों व विज्ञान प्रदर्शनियों में समुद्र की लहरों से बिजली बनने, डीजल व पैट्रोल के विकल्पों की तलाश, स्वत: रोटी बनाने वाले यंत्र का प्रदर्शन होता है । इन सबसे प्रत्यक्ष तौर पर ग्रामीण महिलाओं की किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है । ग्रामीण महिलाओं को स्वत: रोटी बनाने वाले यंत्र की अपेक्षा रोटी बनाने वाले पदार्थ अर्थात् अनाज और आटे की अधिक आवश्यकता होती है । अनाज और आटा हो तो रोटी बनाना भी क्या कोई बोझ है? फिर क्यों वैज्ञानिक विज्ञान और रोटी के अन्तर्सम्बन्ध नहीं खोजते? हालांकि श्वेत क्रान्ति व हरित क्रान्ति की योजनाओं के फलस्वरूप ग्रामीण महिलाएँ विज्ञान और तकनीकी का लाभ उठा रही है लेकिन अभी भी यह अपर्याप्त है । तालिका 1 से पता चलता हे कि कृषि विज्ञान में नामांकित होने वाली महिलाओं की संख्या मात्र 0.25% है । इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत जैसे देश में जहां लगभग 70% जनता गांवों में बसती है वहां की महिलाएँ विज्ञान व तकनीकी शिक्षा से कितनी लाभान्वित हो रही है?

तालिका 2 में सत्र 1995-96 से सत्र 2001-02 तक में विभिन्न विज्ञान व तकनीकी पाठ्यक्रमों में महिला नामांकन की प्रतिशतता दर्शाई गई है-

तालिका 2

विभिन्न सत्रों में विभिन्न संकायों में महिला नामांकन की प्रतिशतता

सत्र	विज्ञान	वाणिज्य	प्रबंध विभाग	इंजीनियरिंग	आयुर्विज्ञान	कृषि विज्ञान पशु चिकित्सा विज्ञान
1995-96	18.7	17.1	5.9	2.9	0.6	0.2
1996-97	18.9	17.3	6.1	2.9	0.6	0.2
1997-98	19.1	17.4	6.3	3.0	0.6	0.2
1998-99	19.4	17.5	6.5	3.0	0.6	0.2
1999-2000	19.6	17.7	6.7	3.1	0.6	0.6
2000-01	19.9	17.8	6.9	3.1	0.6	0.2
2001-02	19.9	17.9	6.9	3.1	0.6	0.2

तालिका से पता चलता है विगत कुछ वर्षो से विज्ञान व तकनीकी पाठ्यक्रमों में महिला नामांकन की प्रतिशतता लगभग स्थिर है । महिला नामांकन की प्रतिशतता स्थिर रहने के बावजूद वैज्ञानिक व तकनीकी विकास में महिलाओं का योगदान बढ़ता ही जा रहा है, शायद कुछ साधन-सम्पन्न महिलाएँ मशीनों पर कार्य कर इस विकास की अगुवा बनी हुई हैं और

बहुतायत ग्रामीण साधन विहीन महिलाएँ अभी भी दो जून की रोटी' हेतु स्वयं मशीन बनकर भावी पीढ़ी के विकास के मात्र सपने ही संजो रही है ।

7.3 महिलाओं में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के उन्नयन हेतु सरकारी प्रयास

महिलाओं की विज्ञान, तकनीकी एवं अभियांत्रिकी में सहभागिता बढ़ाने हेतु अनेक प्रावधान किए हैं । भारत में 6 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोंलोजी हैं । ये संस्थान स्नातक व परास्नातक स्तर पर सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करती हैं । इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए 10 महीने का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है तथा इन विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सत्र-1999-2000 में औद्योगिक क्षेत्रों व तकनीकी संस्थानों के मध्य एक मजबूत कड़ी का निर्माण किया जिससे तकनीकी शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए और अधिकाधिक महिलाएँ तकनीकी संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने लगीं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लड़कियों के लिए विभिन्न संकायों वाले उच्चतर माध्यमिक आवासीय विद्यालय खोलने के लिए सहायता प्रदान की तथा इनमें विज्ञान, वाणिज्य, साहित्य व विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए गए । यह योजना असम के 325 ब्लॉक तथा 4 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रारम्भ की गई । इसके अतिरिक्त सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है । अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थियों को भी क्षेत्रीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों व भारतीय तकनीकी संस्थानों में न्यूनतम अर्हता अंकों में छूट भी प्रदान की जाती हैं सभी भारतीय तकनीकी संस्थानों में एक योजना चलाई जाती है जिसके तहत यदि अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे एक साल का प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के पश्चात बी.टेक. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश दे दिया जाता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी तकनीकी व इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है । यू.जी.सी. ने एक नई योजना 'महिलाओं के लिए तकनीकी' सत्र 1998-99 में महिला विश्वविद्यालयों में प्रारम्भ. की जिसमें स्नातक स्तर के अभियांत्रिकी व तकनीकी पाठ्यक्रमों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई ।

AICTE(All India Council of Technical Educational)का महत्वपूर्ण कार्य सम्पूर्ण भारत में तकनीकी शिक्षा का विकास करना है, इसमें महिलाओं को प्रमुख रूप से वरीयता दी जाती है, इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में ही महिलाओं के लिए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं । तकनीकी शिक्षा के विकास एवं संवर्धन हेतु सम्पूर्ण भारत में सत्र 2002-03 में अनेक अभियांत्रिकी व तकनीकी महाविद्यालय स्थापित किए गए ये संस्थान AICTE सम्बद्ध थे । इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य तकनीकी शिक्षा का विकास करना व महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश देना था । इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिक में महिला उम्मीदवारों के लिए अंशकालिक अनुसंधान ऐसाशिएट शिक्षा के 40 पदों का भी सृजन किया गया है । अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्गो के लिए प्रतियोगी

परीक्षाओं के लिए शिक्षण कक्षाएं आयोजित करने हेतु निर्धारित 42 केन्द्रों में से 25 केन्द्रों को सहायता देना जारी रखा है । सत्र 1991-92 AICTE ने प्रौद्योगिकी व प्रबंध संस्थानों में प्रारम्भ होने वाले 231 नए कार्यक्रमों व 42 नई संस्थाओं को अनुमोदित किया । तकनीकी शिक्षा में महिलाओं' की भागीदारी बढ़ाने हेतु हर संभव प्रयास किए गए, विषमताओं को दूर करने हेतु शैक्षिक अवसरों की सहायता के लिए निरन्तर प्रावधान किए जाते रहे । सत्र 1992-93 में AICTE ने 48 नए संस्थानों व 217 नए कार्यक्रमों को प्रस्तावित किया तथा विज्ञान व तकनीकी संकाय में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने हेतु विविध प्रयास किए गए । सत्र 1993-94 के दौरान AICTE 174 नई संस्थानों व 822 नए पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया । सत्र 1994-95 में स्नातक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ किया तथा महिलाओं की सहभागिता का विशेष ध्यान रखा गया। लड़कियों के लिए सहयोगी वातावरण सृजित करने के लिए मीडिया अभियान तथा अभिभावक जागरुकता कार्यक्रम आदि को इन नीतियों के पूरक के रूप में रखा गया । सत्र 2001-02 में सामाजिक लाभ के उद्देश्य से तकनीकी व प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया । UGC की नवीं योजना के तहत महिला विश्वविद्यालयों में तकनीकी पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित किया गया । अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 'इंजीनियरिंग' की प्रवेश परीक्षाओं हेतु विशेष कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है व प्रवेश के समय न्यूनतम अर्हता अंकों में 5% की छूट भी प्रदान की जाती है ।

महिलाओं को शैक्षिक अवसरों में समानता की प्राप्ति हो, तथा उन्हें एक सुरक्षित वातावरण दिया जा सके, इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों को छात्रावासों के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करता है । ताकि महिलाओं की भी उच्च शिक्षा तक पहुंच सहज हो सकें । सभी व्यावसायिक व तकनीकी संस्थानों में अनुसूचित जाति व जनजाति को क्रमश:15% व 7.5% आरक्षण दिया जाता है तथा महिलाओं हेतु भी नियमानुसार आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है । छात्रावासों में भी इन वर्गो हेतु स्थान आरक्षित होते हैं । UGC ने क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु उत्तर पूर्व के जिन राज्यों में इंजीनियरिंग व प्रबंध संकाय नहीं है, वहां पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में इन संकायों को खोलने का प्रावधान किया तथा जिन राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है वहां राज्य विश्वविद्यालयों में यही सुविधा प्रदान की गई है । विविध राज्यों में तकनीकी संस्थानों की स्थापना हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय व भारत सरकार गम्भीरता से विचार कर रहा है तथा समस्त संस्थानों में संवैधानिक प्रावधानों के तहत महिलाओं को आवश्यक रूप से आरक्षण उपलब्ध रहेगा, अत: निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ग की महिला इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर विज्ञान व तकनीकी दक्षता हासिल करेगी।

स्वमूल्यांकन प्रश्न - 1

1 विज्ञान की शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पुरूषों की अपेक्षा कम क्यों है ।

2 AICTE को महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने को कौन-कौन से उपाय किए, किन्हीं तीन का जिक्र करो ।

7.4 राजस्थान में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की स्थिति

सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के महत्व को राष्ट्रीय विकास एवं समृद्धि के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है । केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी जन-जन तक विज्ञान व तकनीकी ज्ञान को पहुंचाने हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ-साथ अनेक तरह के प्रयास करते हैं । राजस्थान में विद्यालयी स्तर पर विज्ञान व तकनीकी शिक्षा कक्षा 11 व 12 में प्रदान की जाती है । राज्य में सन् 2005 तक कुल 3227 उच्च माध्यमिक विद्यालय थे । इन विद्यालयों में 2005 को वार्षिक परीक्षा में विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या व उनका परीक्षा परिणाम निम्न है -

	प्रविष्ट	उत्तीर्ण	%उत्तीर्ण
छात्र	63092	38130	60.44
छात्रा	17670	13101	74.14

छात्राओं का परीक्षा परिणाम छात्रों से बेहतर होने का यह कारण नहीं है कि उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं या संसाधन उपलब्ध है, मात्र कुछ गिने-चुने ही बालिका विद्यालय हैं तथा शेष बालिकाओं ने यह उपलब्धि सह-शिक्षा वाले विद्यालयों में अध्ययनरत रहकर ही हासिल की है । हां इतना अवश्य है कि क्षेत्रीय विषमताओं और विद्यालयों की अनुपलब्धता के कारण राजस्थान के विभिन्न जिलों में विज्ञान संकाय लेने वाली छात्राओं की संख्या में अत्यधिक अन्तर है । एक तरफ जयपुर जैसे विकसित राज्य में सत्र 2005 में 2764 बालिकाएं विज्ञान वर्ग में नामांकित हुई वहीं जैसलमेर जैसे अपेक्षाकृत कम विकसित राज्य में यह संख्या मात्र 31 ही रही । विद्यालयी शिक्षा पूर्ण कर लेने के पश्चात् तकनीकी शिक्षा हेतु राज्य में निम्न स्तर रहे हैं-

- अभियांत्रिकी महाविद्यालय - स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री
- पॉलिटेक्निक महाविद्यालय - डिप्लोमा स्तर की शिक्षा
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान - सर्टिफिकेट स्तर की शिक्षा

वर्तमान में राज्य में राजकीय व निजी विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की संख्या व पाठ्यक्रमानुसार प्रवेश क्षमता का विवरण निम्नानुसार हैं -

पाठ्यक्रम	**अगस्त 2008**					
	संस्थानों की संख्या			**स्थानों की संख्या**		
	सरकारी	**निजी**	**योग**	**सरकारी**	**निजी**	**योग**
इजीनियरिंग	7	41	48	2005	13905	15955
एम.सी.ए	5	21	26	270	1260	1530
एम.बी.ए.	5	48	53	250	3075	3325
बी. फार्मेसी	1	24	25	40	1390	1430

डी. फार्मेसी	1	19	20	60	1140	1200
पॉलिटेक्निकल	26	2	28	3260	380	3640
आई.टी.आई	127	139	266	12368	10305	22673
पैरा मेडिकल डिप्लोमा	4	2	6	335	480	815

इन समस्त संस्थानों में महिलाओं हेतु नियमानुसार आरक्षण भी उपलब्ध इससे महिलाएँ अपने रुचि के पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकती है । राज्य में स्थित अभियांत्रिकी, एम.सी.ए. संस्थानों, एम.बी.ए. संस्थानों व बी. फार्मेसी संस्थानों द्वारा दिए जा रहे शिक्षण प्रशिक्षण की गुणवता बनाए रखने हेतु एंव समरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के समन्वित प्रसार हेतु राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कोटा में की गई है । राज्य सरकार उन पंचायत समिति में जहां कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं है तथा उन जिलों में जहां पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय स्थापित नहीं है, में निजी संस्था द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिबद्ध है तथा इन क्षेत्रों में निजी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं निजी महिला पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय की स्थापना 'हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर निःशुल्क जमीन के साथ-साथ भवन भी निर्मित कराकर उपलब्ध कराया जाएगा ।

विज्ञान व तकनीकी शिक्षा के विस्तार के प्रति खुले दृष्टिकोण और संकुचित मानसिकता के सर्वथा त्याग से राज्य में तकनीकी शिक्षा एक अप्रचारित अभियान बन चुका है । इस क्रान्तिकारी परिवर्तन का एक पहलू यह भी है कि वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में युवा बेरोजगारी की बढ़ती संख्या और बेरोजगारी के परिणाम के रूप में अपराधों में बढ़ोतरी और कुरीतियों, पिछड़ेपन को दूर करने के प्रयासों में अतिरिक्त प्रशासनिक ऊर्जा खर्च किए बिना राज्य के शिक्षित युवाओं को उनकी क्षमता के अनुसार तकनीकी शिक्षा देकर स्वरोजगार की ओर मोड़ने का कार्य किया गया है। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं भी तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार द्वारा आर्थिक उन्नति कर रही हैं । वैश्वीकरण के इस दौर में तकनीकी शिक्षा को बहुआयामी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में निम्न नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए हैं -

1. फैशेन टेक्नोलॉजी
2. ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग
3. बायो मेडिकल इंजीनियरिंग
4. इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट
5. एल्पाइड इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्टेशन
6. डेयरी टेक्नॉलोजी
7. आर्कीटेक्चर
8. फूड साइंस टेक्नॉलोजी

निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी कई नवीन पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं । नवीन पाठ्यक्रम आरम्भ करने पर सीटों की संख्या में वृद्धि हुई हैं । इन संस्थाओं में आधारभूत सुविधाओं हेतु वित्त की आवश्यकता की पूर्ति काफी हद तक सरकार द्वारा की जाती रही है

लेकिन यह वित्तीय सहायता तेजी से विकासशील राज्य की अपेक्षानुरूप कम है । अत: राज्य सरकार ने "स्व वित्त पोषित" अवधारणा को भी बल दिया है । ताकि और अधिक नवीन पाठ्यक्रम खोलने की प्रक्रिया स्वक्तिपोषित एवं वित्त अवधारणा द्वारा की जा सके ।

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण अंचलों के उत्थान हेतु गांव गोद लेने की अनूठी योजना बनाई गई जो सर्वोदय की वास्तविकता भावना से प्रेरित है । इस योजनान्तर्गत सभी राजकीय एवं निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों, पॉलिटेक्नीक महाविद्यालयों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा एक-एक गांव गोद लिया जायेगा तथा गांव के विकास के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग से ग्रामवासियों को अवगत कराया जाएगा । योजना के अन्तर्गत ग्रामवासियों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जायेंगे तथा स्थानीय आवश्यकतानुसार तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें । राज्य सरकार द्वारा उन जिलों में जिनमें कि कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित नहीं है, कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की योजना भी प्रस्तावित है ताकि ग्रामीण जनता कृषि के आधुनिक तरीके अपनाकर अपनी उपज को बढ़ा सके । राज्य के विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न कम्पनियां राज्य में स्थित विभिन्न तकनीकी व अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के परिसर में आकर विद्यार्थियों का चयन करती हैं तथा राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित उद्योगों में उपयुक्त नियोजन हेतु उच्च श्रेणी के प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी में अग्रणी कम्पनी 'इंफोसिस' के साथ करार किया है ।

स्पष्ट है कि राजस्थान राज्य में विज्ञान व तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु पर्याप्त सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन राज्य की छितरायी हुई आबादी तथा विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण सुदूर ग्रामीण महिला इन उपायों से कितना लाभान्वित हो पाती है यह भविष्य के गर्भ हैं ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न 2

1 तकनीकी शिक्षा के बहुआयामी बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन-कौन से नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए ।

2 राजस्थान सरकार ने ग्रामीण अंचलों के कल्याण हेतु क्या योजना बनाई है ?

7.5 सारांश

विकसित राष्ट्र भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अनेक विभाग कार्यरत है जैसे- विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) टेक्नॉलोजी इनफोरमेशन एण्ट असेसटमेन्ट काउंसिल (TIFC), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) विभिन्न विज्ञान संस्थान अन्तरिक्ष कार्यक्रम से सम्बद्ध अनेक इकाइयां आदि । इन सभी क्षेत्रों में महिलाएं योग्यतानुसार भारत में विज्ञान व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दे रही हैं । आसमां की असीम ऊचाइयों को छूना हो या समुद्र के नीर को चीरना हो या अलंध्य पर्वत चौटियों को लांघना हो या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय महिला वैज्ञानिकों के कदम सदैव आगे ही बढ़ते जा रहे हैं लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विज्ञान के बढ़ते कदम इन महिलाओं के कदमों को गर्भ में ही काट देते हैं । एक सर्वेक्षण के निष्कर्षो के अनुसार भारत में कन्या भ्रूण हत्या के लिए शिक्षित

महिलाएँ अशिक्षित महिलाओं से अधिक उत्तरदायी होती है । जनगणना 2001 के आकड़े भी इस तथ्य को प्रकट करते हैं कि विकसित राज्यों पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में स्त्री-पुरुष अनुपात अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत अत्यन्त कम हैं अत: विज्ञान एव तकनीकी ज्ञान का विवेक सम्मत उपयोग अत्यन्त आवश्यक है। वैज्ञानिक ज्ञान के साथ-साथ महिलाओं में सृजनात्मक का प्रस्फुरण होना तथा उनका उचित उपयोग करना बेहतर भारत की तस्वीर में इंद्रधनुष आभा बिखेर सकता है ।

मूल्यांकन प्रश्न

1. 'महिलाएँ भी विज्ञान शिक्षा के अध्ययन की उतनी ही अधिकारी है । जितने कि पुरुष ।" क्या आप सहमत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए ।
2. विज्ञान शिक्षा में महिला नामांकन की स्थिति को स्पष्ट कीजिए ।
3. कैसे सिद्ध करेंगे कि विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा में महिला सहभागिता में बढ़ोतरी हुई है?
4. विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा में महिला सहभागिता के उन्नयन हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयासों को स्पष्ट कीजिए ।
5. राजस्थान में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की स्थिति को प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए ।

7.6 संदर्भ ग्रंथ

1. शिक्षा, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक, माध्यमिक, संस्कृत, उच्च तकनीकी एवं चिकित्सा) राजस्थान, 2006
2. बोर्ड परीक्षा परिणाम एक विश्लेषण 2005, मूल्यांकन एवं अकादमिक विभाग, मा.शि बोर्ड राजस्थान, अजमेर
3. यू.जी.सी वार्षिक रिपोर्ट, 1995-96 से 2003-04 तक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ।

इकाई 8

साहित्य, कला एवं मीडिया क्षेत्र में महिलाएं

Women in Literature, Art and Media)

इकाई की संरचना (Structure of the Unit)

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 जनसंचार माध्यमों में महिला की छवि

8.3 साहित्य एवं महिला

8.4 पत्रकारिता एवं महिला

8.5 कला एव महिला

8.6 इलैक्ट्रॉनिक मीडिया एवं महिला

8.7 नारी छवि में सुधार के लिये किया गए प्रयत्न एवं सुझाव

8.8 सारांश

8.9 संदर्भ ग्रन्थ

8.0 उद्देश्य (Objectivs)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- जनसंचार माध्यमों में महिला की छवि को समझना ।
- साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का विवेचन करना ।
- पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को समझना ।
- कला के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति जानना ।
- इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में महिलाओं की स्थिति का विवेचन करना ।
- इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता एवं योगदान का विश्लेषण करना ।
- मीडिया में नारी छवि में सुधार के लिए किये गए प्रयासों को जानना तथा अन्य सुझाव देना ।

8.1 प्रस्तावना (Introduction)

हम सभी कहे गए शब्दों, दीवार पर चिपके पोस्टरों, नारों और तस्वीरों में निहित संदेश की शक्ति से परिचित हैं । जन संचार वर्तमान समय में समाजीकरण का एक शक्तिशाली स्रोत है तथा जनता पर दीर्घकालिक प्रभाव डालने में सक्षम है । मीडिया और सामाजिक वास्तविकता में दो तरफा सम्बन्ध है । एक ओर मीडिया वास्तविकता को प्रदर्शित करता है तो दूसरी ओर वह सामाजिक वास्तविकता को प्रभावित भी करता है । मीडिया ने समय-समय पर समाज को सही दिशा में ले जाने के सफल प्रयास किये हैं । समूचे विश्व का इतिहास इस प्रकार के उदाहरणों से भरा पड़ा है ।

परन्तु इसी मीडिया ने पुरुष सत्तात्मक समाज के मूल्यों और विचारधारा को यथोचित मानते हुए स्त्री की प्रस्थिति एवं भूमिका को द्वितीयक भी सिद्ध किया है । उद्देश्यपूर्ण चुनाव के माध्यम से मीडिया स्वयं अपनी सामाजिक वास्तविकता का निर्माण एवं विकास करता है । यही कारण है कि आधुनिक समाज तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से श्रेष्ठ होते हुए भी महिलाओं को समुचित सम्मान एवं प्रस्थिति नहीं दे सका है । मनुस्मृति से प्रारम्भ हुए पुरुष पक्षधर साहित्य से वर्तमान उत्तर आधुनिक विचारधारा के साहित्य एवं मीडिया में नारी की घरेलू छवि पर ही बल दिया गया है । साहित्य, कला, टी.वी., फिल्मों, समाचार पत्रों, विज्ञापनों आदि जन संचार के सभी साधनों में या तो स्त्री को त्याग, समर्पण एवं बलिदान की प्रतिभूति के रूप में एक मां, बेटी, पत्नी अथवा बहू की भूमिका में दिखाया जाता है अथवा नारी शरीर और सौंदर्य को एक उत्पाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । महिलाओं के विकास से जुड़े विषयों में भी जनसंचार साधन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, परन्तु भौतिक लाभ के दृष्टिकोण से इन्हें द्वितीय स्थान पर रखा गया है । प्रस्तुत अध्याय में महिला विकास एवं सशक्तीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण विषय महिला शिक्षा के क्षेत्र में जनसंचार माध्यमों एवं स्वयं महिला लेखकों एवं कलाकारों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

8.2 जनसंचार माध्यमों में महिला की छवि (Women’s Image Media)

वर्तमान प्रजातांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों की भूमिका एक ऐसे मंच की है जहाँ विभिन्न समूहों के हितों एवं मूल्यों का एक साथ प्रतिनिधित्व हो सके । यद्यपि प्रारम्भिक समाज में जनसंचार की भूमिका एक पहरेदार की थी, परन्तु जन समाज के विस्तार के साथ-साथ जनसंचार माध्यमों से अपेक्षाएं बढ़ गई हैं । समाज को प्रभावित करने वाले साधन के रूप में जनसंचार माध्यम शक्ति स्रोत है जो कि सामाजिक वास्तविकता को परिभाषित करते हैं । जन संचार माध्यम जनता के विचारों एवं आवाज के संवाहक हैं । रेडियो, टेलीविजन, फिल्म एवं प्रिंट साधनों के माध्यम से मीडिया समाज के हर वर्ग के सदस्यों को संपर्क एवं सूचना तंत्र में बांधता है । परन्तु वर्तमान समाज में सूचना एव, संचार का यह सबसे बड़ा साधन सामान्य जन को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूप में प्रभावित कर रहा है । मीडिया में प्रस्तुत छवियां अनेक बार पूर्वाग्रहों, मतभेद एवं पक्षपात पूर्ण प्रतिनिधित्व से प्रेरित होती है । मीडिया के विभिन्न माध्यमों में नारी छवि का निरीक्षण किया जाए तो यह कथन शब्दशः उचित प्रतीत होता है । संचार क्रान्ति के इस सूचना युग' में नारी छवि का नकारात्मक प्रतिबिम्बन भारतीय समाज में नारी की स्थिति के अवमूल्यन का महत्त्वपूर्ण कारण रहा है ।

स्वतंत्रता के पश्चात् कुछ दशकों तक भारत में मीडिया का श्रवण-दृष्टव्य (Audio Visual) स्वरूप ही प्रभुत्वशाली रहा जिसके माध्यम से नारी छवि और लैंगिक विषयों पर विचार प्रस्तुत किये जा रहे थे । ब्रॉड कास्टिंग राज्य नियंत्रण में था और सिनेमा निजी क्षेत्र के आधिपत्य में था यद्यपि सैंसर बोर्ड के माध्यम से राज्य का भी उस पर थोड़ा नियंत्रण था । दूरदर्शन के माध्यम से टी.वी. का प्रसारण राज्य के पूर्ण नियंत्रण में 60 के दशक के अंत में प्रारम्भ हुआ । दूरदर्शन वर्तमान समय में भी राज्य द्वारा नियंत्रित है, परन्तु निजी एवं

अन्तर्राष्ट्रीय आधिपत्य वाले बहुत से सेटेलाइट चैनल टीवी. पर प्रसारित हो रहे हैं । भूमण्डलीकरण के युग में इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया दोनों पर गहरा असर । पड़ा है और उनका स्वामित्व, स्वरूप, सामग्री और यहां तक कि मीडिया के उद्देश्य भी प्रभावित हुए हैं । यही कारण है कि मीडिया में नारी छवि का प्रदर्शन भी नकारात्मक ढंग से प्रभावित हुआ है । एक ओर देश के युवाओं के मनोरंजन के लिए नारी शरीर का अश्लील प्रदर्शन किया जा रहा है, तो दूसरी ओर भारतीय परम्पराओं के नाम पर नारी की त्यागमूर्ति छवि को प्रोत्साहित किया जा रहा है । एक शिक्षित सक्षम, स्वाभिमानी एवं साथ ही सुशील तथा संवेदनशील प्राणी के रूप में नारी की छवि को प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में कहीं समुचित स्थान नहीं मिल सका है । इसका एक महत्वपूर्ण कारण मीडिया में लेखक, निर्देशक, प्रकाशक, कलाकार, पत्रकार आदि सभी सृजनात्मक पदों पर अधिकांशत: पुरुषों का आधिपत्य होना है । यही कारण है कि जो मीडिया नारी सशक्तिकरण में एक सक्रिय एवं सार्थक भूमिका निभा सकता था, महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को जन सामान्य के सामने लाकर उनके समाधान ढूंढ सकता था तथा विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य न्याय आदि में महिलाओं के लिए सकारात्मक वातावरण बना सकता था, वह आज सिर्फ महिलाओं के अंग प्रदर्शित कर उत्पाद बेच रहा है अथवा 'सास-बहू के नाम पर महिला विरोधी धारावाहिकों से धन कमा रहा है । वर्तमान संदर्भ में यह नितांत आवश्यक है कि महिलाएं स्वयं आकर मीडिया से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में बागडोर सम्भाले और जनसंचार साधनों के माध्यम से नारी की बिगड़ी हुई छवि सुधारें तथा इन साधनों का प्रयोग नारी उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए करें । भारतीय समाज में व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर बहुत सी महिलाओं ने ऐसे प्रयास किए भी हैं ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न - 1

1 समाज में बदलाव में मीडिया किस प्रकार अपना योगदान दे सकती है, स्पष्ट करो ।

8.3 साहित्य एवं महिला (Literature and Women)

साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है। अर्थात् साहित्य सामाजिक जीवन तथा वास्तविकताओं का सटीक वर्णन करता है । भारतीय समाज की युगायुगीन वैभवशाली साहित्यिक परम्परा में नारी चरित्र एवं जीवन का भी विवरण मिलता है । रामायण एवं महाभारत जैसे विश्व स्तरीय महाग्रन्थो में भी क्रमश: सीता एवं द्रौपदी को केन्द्रीय पात्रों के रूप में रेखांकित किया गया था । उस प्राचीन समय से आज तक नारी साहित्य का एक अपरिहार्य अंग रही है । परन्तु नारी का चित्रण साहित्य में पूर्वाग्रहों एवं विरोधाभासों से परिपूर्ण रहा है । प्राचीन भारतीय साहित्य में भी नारी को पुरुष से सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक दृष्टि से निम्न ही माना गया है । परम्परागत दृष्टि से ही भारतीय महिला लेखकों को भी द्वितीयक स्थान ही मिला क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों के अनुभव एवं अभिव्यक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया । परन्तु महिला लेखकों ने भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण सृजनात्मक कार्य किए हैं । उपन्यास के उदय से पहले अनेक महिलाओं ने हिन्दी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू तमिल, मलयालम एवं कन्नड

आदि भाषाओं में लघु कथाएं एवं कविताएं लिखीं । भारतीय परम्परा में महिलाएं ही प्रमुखत: धार्मिक पौराणिक कथाओं, कहावतों आदि की वैभवशाली मौखिक परम्परा की संवाहक रही हैं । साक्षरता के प्रसार के बाद धीरे-धीरे ये मौखिक परम्परा समाज में लघु कथाओं, लोक नाटकों और कविता के रूप में प्रकाश में आई ।

1997 में अपने उपन्यास "The God of Small Thing" के लिए बुकर पुरस्कार जीतने बाद अरुंधती रॉय भारतीय महिला लेखन की पहचान बन गई । परन्तु उनसे पहले भी भारतीय महिलाओं ने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । और उन सभी के लेखन में महिला सम्बन्धी समस्याएँ, महिलाओं की संवेदनाएं और उनका मौन प्रखर हुआ है । कमलादास के काव्य में नारी स्वाभिव्यक्ति उजागर हुई । उनकी कविताओं का मुख्य विषय स्त्री-पुरुष सम्बन्धों का विश्लेषण रहा । गौरी देशपाण्डे, सुनीति नामजोशी और चित्रा नरेन्द्रन में भी इसी शैली को अपनाया । महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू सुभद्रा कुमारी चौहान आदि ने भी कविताओं के माध्यम से नारी जीवन का संवदेनशील पक्ष उजागर किया ।

तोरु दत्त पहली भारतीय कवयित्री थी जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में भारतीय महिला पर अपनी कृत्तिया केन्द्रित की । तारा पटेल, कमला मार्कण्ड्य शोभा डे, नयततारा सहगल, रमा मेहता, गीता हरिहरण, चित्रा बनर्जी, मंजु कपूर, अमीना मीर और भारती मुखर्जी भी ऐसी ही प्रमुख महिला साहित्यकार हैं जिन्होंने 1970, 1980 और 1990 के दशक में अपने उपन्यासों के माध्यम से नारी जीवन के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण किया ।

ये सभी महिला साहित्यकार अधिकांशत: पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त मध्यमवर्गीय महिलाएँ हैं जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज, अशिक्षा, अव्यवस्थित विवाह, सती प्रथा और पुरूष प्रधानता जैसी समस्याओं से शोषित मौन महिलाओं की व्यथा प्रस्तुत की है । साथ ही इनके लेखन में भारतीय नारी के उभरते हुए नए स्वरूप एवं अपनी पहचान तथा अस्तित्व की खोज के लिए प्रयत्न का भी सजीव चित्रण है । समकालीन महिला लेखकों के इस प्रस्तुतीकरण को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाठकों द्वारा प्रशंसा मिली है । इसी प्रशंसा ने पुरुष लेखकों को भी नारी विषयों और नारीवाद की ओर आकर्षित किया है ।

8.4 पत्रकारिता एवं महिला (Journalism and Women)

पत्रकारिता को एक कुशल राज्य व्यवस्था के चार स्तम्भों में से एक माना गया है । पत्रकारिता जनसंचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है । मुद्रण (Printing) के साथ-साथ श्रवण-दृश्य (Audio-visual) रूप में भी पत्रकारिता का क्षेत्र विकसित होता जा रहा है ! समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो समाचार एवं समाचार एव समाचार चैनल हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में अपरिहार्य अंग है । परन्तु सामाजिक जीवन के इस अभिन्न अंग में महिला सम्बन्धी विषयों का स्थान द्वितीयक ही है । महिला विषयक पत्रकारिता मात्र महिला के विरुद्ध हिंसा की खबरों तक सीमित होती है । महिला सशक्तीकरण में पत्रकारिता जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, वह उपेक्षित है । मात्र कुछेक राज्य द्वारा प्रसारित महिला शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सम्बन्धी विज्ञापनों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्वयं कोई समाचार पत्र, पत्रिका या चैनल उल्लेखनीय कार्य नहीं कर

रहे हैं। महिला पत्रिकाएं भी मात्र मध्यम एवं उच्च मध्यमवर्गीय महिला, पाठकों को ध्यान में रखते हुए भोजन विधियों, फैशन, सौंदर्य तथा महिलाओं की परम्परागत बेटी-बहू-पत्नी वाली छवि को बल देती हैं । इन पत्र-पत्रिकाओं में नारी चित्रण मात्र विज्ञापनों के माध्यम से होता है, जो अपने उपभोक्ता वर्ग की रुचि को ध्यान में रखते हुए नारी छवि को तोड़-मरोड़ कर, आवश्यकता पड़ने पर अश्लील ढंग से कभी घरेलु ढंग से प्रस्तुत करते हैं । खेलकूद व्यवसाय, सामाजिक क्रिया-कलाप और राजनीति में श्रेष्ठ महिलाओं को उतनी कवरेज नहीं मिलती जितनी उनके पुरुष समकक्षों को ।

पत्रकारिता के इस क्षेत्र में महिला पत्रकारों की प्रस्थिति भी पुरुषों से निम्न ही है । उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में काफी संख्या में महिलाएँ पत्रकारिता को कैरियर के. रूप में चुन रही है तथा समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन के लिए कार्य कर रही हैं । परन्तु इनमें से बहुत कम महिलाओं को सम्पादन या मुख्य संवाददाता का पद प्राप्त होता है । अधिकांशत: वे एक पत्रकार, संवाददाता या उपसम्पादक के रूप में ही चुनी जाती हैं । महिला पत्रकारों को उनकी सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियों के बहाने महत्वपूर्ण घटनाक्रमों एवं कार्यो से पृथक कर दिया जाता है । यहां तक कि भारतीय पत्रकारिता में महिला सम्बन्धी विषयों पर स्वतंत्र रूप से लिखने की अनुमति महिला पत्रकारों को नहीं है । परन्तु इन सभी परिस्थितियों के बावजूद भारतीय महिला पत्रकारों ने समय-समय पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देकर नाम कमाया है । बरखा दत्त, माला जैन, नीरजा चौधरी, कल्पना शर्मा, आर.पूर्णिमा, मधु किश्वर, अंजली पुरी, पद्मा प्रकाश, उषा राय आदि ऐसी ही महिला पत्रकार हैं । इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण महिला पत्रकार संगठन भी हैं जो महिला पत्रकारों, एवं उनके महिला सम्बन्धी लेखन के अधिकारों की रक्षा के प्रति सचेत हैं । दिल्ली का वूमन्स प्रेस कॉर्पोरेशन' महिला विषयक जरनल 'मानुषी, महिला पत्रकारों का संगठन वूमन्स फीचर सर्विस' 'मीडिया एडवोकेसी ग्रुप, 'माध्यम कम्यूनिकेशन', 'अभिव्यक्ति आदि इसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 जनसंचार माध्यमों में नारी छवि का प्रस्तुतीकरण किस प्रकार हो रहा है?

2 साहित्य में भारतीय महिला की परम्परागत छवि पर किस प्रकार बल दिया गया है?

3 महिला पत्रकारों की प्रस्थिति पर टिप्पणी कीजिए ।

8.5 कला एवं महिला (Art & Women)

भारतीय संस्कृति में कला का महत्वपूर्ण स्थान है । परम्परागत दृष्टि से कला अपने विविध स्वरूपों में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के वैभव की परिचायक रही है । विभिन्न ललित कलाएं, संगीत एवं नृत्य की परम्पराएं, शास्त्रीय एवं लोक विरासतें भारतीय समाज के समृद्ध इतिहास की द्योतक भी रही हैं और साथ ही अपने माध्यम से विभिन्न रूपों में भारतीय समाज की कटु एवं मधुर वास्तविकताओं की ओर जन सामान्य का ध्यानाकर्षण करने में भी

समर्थ रही हैं । आदिकाल से पुरुषों एवं महिलाओं दोनों ने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस माध्यम से समाज में व्याप्त स्त्री-पुरुष भेदभाव की भावना को भी उजागर किया है ।

भारतीय कला में भी नारी का अद्‌वितीय स्थान रहा है । कला के हर क्षेत्र में नारी का प्रस्तुतीकरण विविध रूपों और भूमिका में हुआ है । यद्‌यपि यहां भी नारी के प्रति पूर्वाग्रही भावनाएं स्पष्ट दृष्टव्य है । वैदिक कालीन कला, मध्ययुगीन कला एवं आधुनिक कला-सभी जगह नारी की परम्परागत घरेलु छवि (लाल बिंदी, सिंदूर, साड़ी एवं मंगलसूत्र) को निरन्तर पुनर्रोपित करने का प्रयास किया गया है । दूसरी ओर, नारी के यौवन एवं शरीर का प्रयोग भी कला अभिव्यक्ति के नाम पर किया गया है । अजन्ता की गुफाओं में नारी की छवि का अति प्राचीन प्रस्तुतीकरण इसी रूप में देखा जा सकता है । यहां नारी को यौवन एवं प्रजनन की प्रतिमूर्ति के रूप में विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया गया है ।

मध्ययुगीन कला में भी नारी के प्रस्तुतीकरण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया । राजस्थानी कला, राधा-कृष्ण चित्रों और मुगलकला में नारी को एक प्रेमिका, माता या आकर्षक महिला के रूप में चित्रांकित किया गया । मीरा बाई के प्रस्तुतिकरण के अतिरिक्त कहीं भी नारी को एक स्वतंत्र, बंधनमुक्त, आत्मनिर्भर प्राणी के रूप में चित्रित नहीं किया गया । नारी प्रस्तुतिकरण के पीछे अधिकांश कलाकारों का उद्देश्य नारी की यथास्थिति प्रस्तुत करना नहीं वरन् नारी सौन्दर्य की ओर दर्शकों को आकर्षित करना रहा है ।

राजा रविवर्मा की तस्वीरों में पहली बार भारतीय नारी की छवि में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला । उनके चित्रों में भी यद्‌यपि नारी सुन्दर एवं आकर्षक है परन्तु वह प्राप्त की जा सकने वाली नहीं हैं । राजा रविवर्मा के महिलाओं के वास्तविक चित्रण के पश्चात् में कई अन्य चित्रकारों ने इस दृष्टिकोण का अनुसरण किया है । भारत में चित्रकला की वैभवशाली परम्परा रही है जो प्राचीन गुफा चित्रण और जनजातीय कला से प्रारम्भ होकर वर्तमान विशालकाय आधुनिक एवं अमूर्त कला चित्रण तक व्याप्त है । समय-समय पर इन सृजनात्मक कलाकारों को राजा-महाराजाओं से भी सहयोग मिला और आधुनिक समय में इनके चित्र करोड़ों में बिक रहे हैं । सदियों के कालान्तर में इन कलाकारों की शैली, विषयों, सामग्री और माध्यमों में अवश्य अंतर आया है, परन्तु एक चीज जो भारतीय कलाकारों की कला और संवेदना में निरन्तर व्याप्त रही है, वह है नारी स्वरूप के प्रति आकर्षण ।

परन्तु कुछेक कलाकार इसके अपवाद भी है, जिन्होंने नारी का चित्रांकन उसके यौवन की ओर ध्यानाकर्षण के लिए नहीं वरन् उसकी समस्याओं के प्रस्तुतिकरण के लिए किया है । जामिनी रॉय ऐसे ही एक कलाकार हैं । रॉय के चित्रों में बंगाल की नारी का वास्तविक चित्रण हैं । उनके चित्र बंगाल की कृषक महिला के जीवन और समस्याओं को सुंदरता से परिलक्षित करते हैं ।

परन्तु दूसरी ओर चित्रकार एम.एफ. हुसैन के नारी के अमूर्त चित्रण में 'भारतीयता' के साथ-साथ नारी की परम्परागत छवि पर बल दिया गया है । उनके चित्रों में नारी को एक माता, प्रेमिका या मादक बाला के रूप में ही स्थान मिला है ।

8.6 इलैक्ट्रोनिक मीडिया एवं महिला (Electronic Media & Women)

इलैक्ट्रोनिक जनसंचार वर्तमान आधुनिक एवं भूमण्डलीकृत भारतीय समाज में सूचना एवं मनोरंजन सम्प्रेषण का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन बन चुका है । इनकी पहुंच शहरी-ग्रामीण, साक्षर-निरक्षर, धनी- निर्धन, स्त्री-पुरुष, युवा वृद्ध हर वर्ग तक है । इलैक्ट्रोनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इण्टरनेट आदि विविध माध्यमों से ना सिर्फ देश-विदेश के ताजा समाचार बल्कि समाज के हर वर्ग के मनोरजन के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर रहा है । जानकारी, मनोरंजन एवं विज्ञापन इस जनसम्प्रेषण माध्यम के सर्वप्रमुख उद्देश्य हैं । परन्तु नारी की छवि इलैक्ट्रोनिक मीडिया में भी पूर्वाग्रहों से ग्रसित है । नारी सम्बन्धी समाचारों की द्वितीयकता, विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रमों में नारी की छवि का प्रस्तुतीकरण फिल्मों में नारी शरीर का प्रयोग और विज्ञापनों में नारी का उपभोगीकरण इसके प्रमुख कारण हैं । इलैक्ट्रोनिक मीडिया समाज में जागरुकता एवं सुधार लाने का सर्वाधिक शक्तिशाली साधन बन सकता है । परन्तु अपने भौतिक लाभपरक उद्देश्यों के कारण वह सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन तक स्वयं को केन्द्रित रखता है और नारी की छवि को उसी स्वरूप में प्रस्तुत करता है जो उसके दर्शकों को सर्वाधिक आकर्षित करे । यही कारण है कि समाचारों में नारी शिक्षा, नारी सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता जिससे जन जागरुकता का अभाव होता है । जबकि दूसरी ओर नारी के विरुद्ध हिंसा से जुड़ी खबरें भी तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत की जाती हैं । विभिन्न सैटेलाइट निजी चैनलों पर दिखाए जाने वाले धारावाहिक (सोप ओपरा) भी नारी की परम्परागत सास-बहू की छवि को पुनर्स्थापित करने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं तथा 'नारी ही नारी की सबसे बड़ी शत्रु है' इस मिथ्या विचार पर बल देने के लिए नारी को ईर्ष्यालु षड्यंत्रकारी मनुष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं ।

फिल्मों में भी नारी की स्थिति द्वितीयक है । पुरुष प्रधान समाज में नायक प्रधान फिल्मों को ही महत्व दिया जाता है । महिला प्रधान या महिलाओं के असंतोष और विरोध को दर्शाने वाली पटकथा पर फिल्में बहुत अल्प संख्या में बनती हैं । फिल्मों में स्त्री चरित्र को अश्लील ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है । जिससे देश के युवा दर्शक वर्ग की मानसिकता पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ।

यही स्थिति विभिन्न उत्पादों में संबन्धित विज्ञापनों की भी है जिनमें नारी का अनावश्यक अंग प्रदर्शन किया जाता है । बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद की ओर आकर्षित करने का इससे श्रेष्ठ माध्यम विज्ञापन कम्पनियों और उत्पादकों को दृष्टिगोचर नहीं होता ।

8.7 नारी छवि में सुधार के लिए किए गए प्रयत्न एवं सुझाव (Efferts and suggestion for Improving Women's Image)

जनसंचार के इन विविध माध्यमों में नारी छवि के प्रस्तुतीकरण को सुधारने के लिए अनेक प्रयास सरकारी एवं निजी स्तर पर कुछ संस्थाओं द्वारा समय-समय पर किये गये हैं । इस दृष्टि से एक 'समन्वित मीडिया योजना' बनाया जाना अति आवश्यक है । 1982 में डॉ. पी.सी. जोशी के नेतृत्व में इस हेतु एक समिति का गठन भी हुआ था । इस समिति में नारी छवि के प्रस्तुतीकरण के लिए एक विशेषज्ञ समूह भी सम्मिलित था । जोशी समिति ने इस सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए । मीडिया के विविध माध्यमों के लिए नारी प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी एक विशेष संहिता बनाई गई । ऑल इण्डिया रेडियो एवं दूरदर्शन के लिए 'कॉमर्शियल एडवरटाइजिंग कोंड', 'इनडीसेन्ट रीप्रजेण्टेशन ऑफ वूमेन्स (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1986', 'सिनेमेटोग्राफी एक्ट, 1952' तथा केवल टीवी नेटवर्क (रैग्यलूशन) एक्ट, 1955' आदि इसी उद्देश्य से बनाए - गए प्रमुख अधिनियम हैं । परन्तु मात्र अधिनियम बना देने से नारी छवि में सुधार संभव नहीं है । इसके लिए मीडिया व्यवसायियों और कर्मचारियों के लिए नारी-संवेदनात्मक (Gender Sensitive) प्रशिक्षण भी नितान्त आवश्यक है ।

निजी स्तर पर कुछ संस्थाओं ने इस प्रकार का उत्तरदायित्व उठाने का प्रयास किया है । अहमदाबाद का वूमेन्स एक्शन ग्रुप' तथा मुम्बई स्थित 'वूमेन एण्ड मीडिया ग्रुप' इसी के उदाहरण है ।

इसी संदर्भ में वैकल्पिक मीडिया (Alternative Media) की अवधारणा भी सामने आई है । जिसमें महिलाओं ने स्वयं पहल कर के मीडिया में नारी छवि सुधारने का जिम्मा लिया है । इसके अन्तर्गत महिला विषयक प्रकाशन संस्थान स्थापित हुए, उदाहरणत: 'काली फॉर वूमेन' । साथ ही मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ।

अन्य सुझाव -

1. विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम से मीडया क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए।
2. महिला सम्बन्धी विषयों पर शोध संकलन के लिए राज्य एवं केन्द्रीय स्तर पर 'संदर्भ केन्द्र' (Resource Centre) स्थापित किया जाए ।
3. महिला विषयों पर शोध कर मीडिया माध्यमों का समुचित प्रयोग कर उनका प्रसार किया जाए ।
4. महिला विषयक प्रसार कैम्पेन के लिए मीडिया माध्यमों का प्रयोग किया जाए ।
5. गैर सरकारी समूहों (NGO) को भी इस कार्य के लिए प्रेरित किया जाए ।
6. रेडिया और टेलीविजन का प्रयोग बालिकाओं और महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और उनके निराकरण के उपायों के प्रचार-प्रसार के लिए किया जाए ।
7. महिला विषयक शोध, फिल्म निर्माण, प्रचार-प्रसार के लिए अनुदान उपलब्ध करवाने का प्रावधान हो ।

8. विज्ञापनों में नारी की छवि को सुधारने के कठोर प्रयास किए जाएं ।
9. जन संचार के पारम्परिक माध्यमों नुक्कड नाटक, गोष्ठियों, कठपुतली नृत्य आदि को पुन: प्रोत्साहित किया जाए ।
10. जनसंचार माध्यमों में नारी की सकारात्मक एवं सृजनात्मक छवि का प्रसार तथा नकारात्मक पारम्परिक, रुढ़िवादी छवि को हतोत्साहित करने के लिए युवाओं को तैयार किया जाए ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 मध्ययुगीन कला में नारी की छवि कैसी है ?
2 इलेक्ट्रोनिक मीडिया जन मानस को किस प्रकार प्रभावित करता है ?
3 नारी छवि में सुधार के लिए क्या प्रयत्न हुआ है ?

8.8 सारांश (Summary)

उक्त सम्पूर्ण विश्लेषण से स्पष्ट है कि पुरुष प्रधान भारतीय समाज में जनसंचार माध्यमों ने नारी के साथ समुचित न्याय नहीं किया है । इलैक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट मीडिया दोनों के विभिन्न साधनों में नारी की छवि को नकारात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है । भारतीय साहित्य, कला, पत्रकारिता, विज्ञापन, चलचित्र आदि सभी जनसम्प्रेषण माध्यमों में नारी को या तो रुढ़िवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है । या फिर उसे पाश्चात्य अश्लीलता के समकक्ष प्रस्तुत किया गया है । इन दोनों अतिरेक छवियों ने वर्तमान युगीन नारी को सामाजिक जीवन में यथोचित प्रस्थिति एवं सम्मान से वंचित कर दिया है ।

इस स्थिति में सुधार के लिए यद्‌यपि अनेक प्रयास किए गए हैं- तथा निजी स्तर पर भी कुछ संवेदनशील कलाकार साहित्यकार तथा फिल्मकार सक्रिय प्रयास कर रहे हैं । परन्तु महिलाओं को समाज में वांछित एवं यथोचित स्थान तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि वे स्वयं इस क्षेत्र में पहल ना करें ।

मूल्यांकन प्रश्न (Evaluation Questions)

1. जनसंचार माध्यमों में महिला की छवि का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ।
   Critically Evaluate the image of women in Media.
2. साहित्य में नारी के चित्रांकन पर टिप्पणी लिखिए ।
   Write a not e on porptrayal of women in literature.
3. पत्रकारिता महिला की छवि सुधारने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है । स्पष्ट कीजिए ।
   Journalism can play an important role in improving women's image. Explain.
4. विविधकर्ताओं में नारी का चित्रण किस प्रकार किया गया है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए ।

How are women despicted in various art ? Explain with examples.

5. इलैक्ट्रोनिक मीडिया नारी की परम्परागत छवि को पुनर्रोपित करता हैं । किसी धारावाहिक या फिल्म का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए ।

Electronic media reinforce the traditional image of women.' Explain with the support of an appropriate example of any movie or serial.

6. मीडिया में नारी की छवि को किस प्रकार सुधारा जा सकता है? सुझाव दीजिए ।

How can women's image be improved in media ? Give some suggestions.

8.9 संदर्भ ग्रंथ (Biblography)

1. Bhadauria Mridula: Women in India: Some Issues, APH Publishing Crop, new Delhi, 1997
2. Desai Neera & Thakkar, Usha: Women in Indian Society, National Book Trust New Delhi 2007
3. Goel Aruna: education and Socio Economic Perspectives of Women Development and Empowerment, Deep & Deep Pub. New Delhi., 2004 Mathu , Anuradha Pandya
4. Rameshwari : Facts of Women's Development, Kalpaz Publication, Delhi 2006
5. Pandey A.K.: Emerging Issues in Empowerment of Women, Amol Pulication, New Delhi.

इकाई 9

शैक्षिक विकास नीतियाँ एवं कार्यक्रम

(Educational Development Policies and Programme)

इकाई की संरचना (Structure of the Unit)

9.0 उद्देश्य
9.1 शैक्षिक कार्यक्रम एवं नीतियाँ
9.2 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
9.3 महिला समाख्या
9.4 सर्व शिक्षा अभियान
9.5 प्रौढ़ शिक्षा तथा महिला
9.6 सारांश
9.7 संदर्भ ग्रंथ

9.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- भारत में महिला शिक्षा से सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रम एवं नीतियों को स्पष्ट कर सकेंगे ।
- भारत में संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन कर सकेंगे ।
- महिला समाख्या कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं क्रियान्वयन की व्याख्या कर पायेंगे ।
- सर्व शिक्षा अभियान द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वर्णन कर पायेंगे।
- भारत में प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत महिलाओं की शिक्षा हेतु किए जाने वाले प्रयत्नों को स्पष्ट कर सकेंगे ।

9.1 शैक्षिक कार्यक्रम एवं नीतियां (Educational Programme and Policies)

देश की स्वाधीनता के बाद महिला-शिक्षा की अभूतपूर्व प्रगति हुई । भारतीय संविधान व विभिन्न शिक्षा आयोगों व समितियों ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माताओं ने महिलाओं, अनुसूचित जातियों व जनजातियों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान कर उनके आर्थिक व सामाजिक

उत्थान का ठोस प्रावधान किया । संविधान में महिलाओं को अनेक अधिकार प्रदान किये गये हैं जो उनके सशक्तीकरण में विशेष रूप में मददगार हैं । अधिकारों की सूची अधोलिखित हैं -

1. कानून के समक्ष समानता का अधिकार (धारा 14)
2. राज्य धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में कोई भेद नहीं करेगा ।[धारा 15.(1)]
3. स्त्री तथा बालकों के हित के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है । [धारा 15.(3)]
4. राज्य के अन्तर्गत के किसी भी कार्यालय में रोजगार तथा नियुक्ति के सम्बन्ध में नागरिकों को समान अवसर दिया जायेगा । (धारा 16)
5. स्त्री और पुरुष को रोजगार प्राप्ति का समान अवसर धारा (39 (अ)) समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त धारा 39 (डी) करने के सम्बन्ध में नीति के लिए राज्य आदेश प्रदान करेगा ।
6. न्याय प्राप्ति का समान अधिकार (19ए)
7. कार्य स्थल में आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना तथा मातृत्व सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करना । (धारा 42)
8. राज्य कमजोर वर्ग के आर्थिक शैक्षिक पक्षों की सुरक्षा करेगा सब प्रकार के सामाजिक शोषण से रक्षा करेगा!(धारा 46)
9. राज्य सह अस्तित्व तथा मातृत्व को प्रेरित करेगा तथा नारी की मर्यादा को भंग करने वाली रीतियों का खंडन करेगा [धारा 15.(ए),(घ)]
10. प्रत्येक पंचायत में 173 सीट प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाएंगी व महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी । [धारा 243 (3), (पंचायत में 1/3 मुखिया का पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा (धारा 243(डी)(4), प्रत्येक नगरपालिका में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी (धारा 243 टी3), नगरपालिकाओं में अध्यक्ष का पद अनुसूचितजाति, जनजाति तथा महिलाओं के लिए राज्य की विधान पालिका के अधिनियमानुसार आरक्षित रहेगा ।

संविधान के अनुच्छेद 39 में की गई व्यवस्था के अनुसार - 'राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो ।" अत: भारतीय सरकार ने वर्ष 2001 को राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया । महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा एवं रोजगार से सम्बन्धित क्षेत्रों में पिछले वर्षो के दौरान

उल्लेखनीय प्रगति हुई है । महिला विकास की दिशा में केन्द्रीय सरकार के बढ़ते कदम निम्नांकित हैं -

1. राष्ट्रीय महिला कोष,
2. बालिका समृद्धि योजना,
3. महिलाओं हेतु रोजगार सह-आयोत्पादक एकक स्थापित करना,
4. महिलाओं हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता,
5. महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम हेतु शिक्षात्मक कार्य,
6. स्वशक्ति परियोजना
7. बच्चों हेतु देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास भवनों का निर्माण एवं विस्तार
8. महिलाओं तथा बच्चों हेतु कृत्यक बल (टास्क फोर्स) का गठन ।
9. स्त्री शक्ति पुरस्कार
10. राष्ट्रीय महिला आयोग
11. इंदिरा महिला योजना ।

केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं के विकास तथा सशक्तिकरण हेतु आरम्भ की गई उपर्युक्त योजनाओं से पूरे देश की महिलाएँ लाभान्वित हो रही हैं । "डायरेक्टरी ऑफ मेजर स्कीम एण्ड प्रोग्राम फार एम्पावरमेन्ट ऑफ वीमेन" के अनुसार महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए लगभग 100 योजनाएँ विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा संचालित की जा रही हैं । सरकार के प्रयासों के बावजूद आज महिलाएँ आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित तथा उपेक्षित हैं । इसका मुख्य कारण है महिलाओं का अशिक्षित होना ।

आजादी के पश्चात् महिला साक्षरता के लिए बराबर प्रयास होते रहे हैं । इसी क्रम में 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, 1964 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, कोठारी आयोग के सुझाव, 1970 में स्त्री शिक्षा समिति, 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष संकल्प और 1986 में नवीन शिक्षा नीति में नारी शिक्षा के विकास के लिए सुझाव दिए गए। 1989 में महिला समाख्या योजना, 1991 में यूनिसेफ की सहायता से बिहार शिक्षा परियोजना, 1995 में नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रीशन सपोर्ट टू प्राईमरी एजुकेशन शुरु किया गया । इसके अतिरिक्त महिला जागृति योजना महिला समृद्धि योजना, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनी बेटी अपना धन योजना, ग्रामीण विकास और शक्ति सम्पन्नता आदि मुख्य कार्यक्रम एवं योजनाएँ हैं।

डॉ० राममूर्ति समीक्षा समिति की रिपोर्ट (दिसम्बर 90) में कहा गया है कि "शिक्षा प्रणाली में महिलाओं के भाग न ले पाने के कई सामाजिक-साँस्कृतिक और आर्थिक कारण हैं जैसे घरेलू कार्य, प्रजनन की भूमिका के कारण माता पिता में लड़कियों को स्कूल भेजने के प्रति उपेक्षा भाव, लड़कियों के स्कूल में पढ़ाई के प्रति पूर्वाग्रह, प्रतिबन्ध, बाल विवाह, घरेलू दायित्वों को संभालना पितृतंत्रात्मक रवैया, दरिद्रता, लिंग भेद, बालिकाओं के प्रति नकारात्मक रवैया,

महिलाओं का उच्च पदों पर निर्णय लेने वाली स्थिति में न होना आदि । समय-समय पर महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई योजनाएँ संचालित की गई ।" केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर जिन शिक्षा आयोगों की स्थापना की थी, उन सभी ने महिला-शिक्षा पर अभिशंसाएँ अवश्य की हैं । इनका तिथि क्रम से अवलोकन समीचीन होगा ।

डॉ. राधाकृष्णन् विश्वविद्यालय आयोग(Dr. Radha Krishan University Commission) के सुझाव निम्नलिखित हैं -

(1) पुरुषों के महाविद्यालय में छात्राओं से सम्बन्धित सामान्य सुविधाएँ दी जाएँ । सह-शिक्षा (Co-Education) की दृष्टि से यह सुझाव उल्लेखनीय है । छात्राओं के ऐसे महाविद्यालयों में छात्रा कक्ष का प्रावधान व शिक्षक वर्ग में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति होनी चाहिए ।

(2) महिलाओं की शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार हो ।

(3) उन्हें उचित शिक्षा हेतु निर्देशन व परामर्श (Guidance & Counseling) दिया जाये ।

(4) महिला शिक्षिकाओं को वेतन पुरुषों के बराबर दिया जाये ।

(5) 13 से 18 आयु वर्ग की लड़कियों के पृथक् विद्यालय हो किन्तु उच्च शिक्षा सह-शिक्षा के आधार पर हो ।

दुर्गाबाई देशमुख राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (Smt.Durga Bai Deshmukh: National Women 1958-59) की अभिशंसायें निम्नांकित हैं -

(i) कुछ अवधि तक महिला शिक्षा को विशिष्ट समस्या मानकर प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर छात्राओं के लिए अधिक शिक्षा सुविधायें देने हेतु अधिकाधिक धन आवंटित किया जाये ।

(ii) केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् व उसके विशिष्ट कार्यो के लिए विभिन्न इकाईयों की स्थापना की जाये ।

(iii) प्रत्येक राज्य में भी इसी प्रकार राज्य महिला परिषदें बनाई जायें ।

(iv) राज्यों में महिला शिक्षा का पृथक् निदेशालय हो ।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् (National Council of Women's Education 1950) - उपर्युक्त सिफारिश संस्था के अनुसार केन्द्र में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् की 1959 में की गई जिसके निम्नांकित कार्य हैं ।

(i) बालिकाओं व प्रौढ़ महिलाओं को शिक्षा से सम्बद्ध समस्याओं पर सरकार को राय देना

(ii) स्त्री शिक्षा हेतु जनमानस तैयार करना

(iii) समय-समय पर प्रगति का मूल्याँकन करना ।

(iv) गैर सरकारी संस्थाओं से सहयोग करना।

(v) बालिकाओं व प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा नीति बनाना तथा इसके कार्यक्रम, लक्ष्य एवं विकास की प्राथमिकता निर्धारित करना तथा

(vi) सर्वेक्षण शोध हेतु सुझाव देना ।

श्रीमती हंसा मेहता स्त्री शिक्षा समिति (Smt. Hansa Mehta Women's Education Committee,1962) उक्त परिषद ने महिला शिक्षा के पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुझाव देने हेतु श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया । इस समिति ने अभिशंषा की कि "हम जिस वांछित लोकतांत्रिक तथा समाजवादी समाज की कल्पना कर रहे हैं, उसमें लिंग-भेद से रहित शिक्षा, शिक्षार्थी की क्षमताओं, अभिवृत्तियों एवं अभिरुचियों से सम्बद्ध होगी ।"

इस अभिशंषा ने लिंग भेद पर आधारित बालिकाओं के लिए पृथक् पाठ्यक्रम की आवश्यकता को निरस्त कर महिलाओं की शिक्षा क्षेत्र में समानता के अवसर खोल दिये । समिति ने प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में सह शिक्षा (Con-Education) को स्वीकार किया तथा बालक व बालिकाओं की शिक्षण संस्थाओं में क्रमश: महिला एवं पुरुष शिक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया । बालिकाओं की रुचि के अनुसार गृह विज्ञान, संगीत, ललित कला आदि विषयों को ऐच्छिक रखा जाये, अनिवार्य नहीं । मिडिल स्तर के बाद 1-2 वर्ष के व्यावसायिक पाठ्यक्रम रखें जाये । जिनसे: बालिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और जो माध्यमिक शिक्षा के समानान्तर चलें । पाठ्यक्रम समितियों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाये ।

भक्तवत्सलम समिति (Bhakt Vatsalam Committee,1963) - इस समिति का गठन भी उक्त परिषद् ने किया जिसके अध्यक्ष भक्त वत्सलम् थे । इसका उद्देश्य महिला शिक्षा में जन सहयोग के अभावों का पता लगाकर सुझाव देना था । इस समिति के प्रमुख सुझाव निम्नांकित हैं -

(i) बालिकाओं के लिए पृथक् प्राथमिक विद्यालय खोलना व्ययसाध्य है, अत: इस स्तर पर सह-शिक्षा को लोकप्रिय बनाया जाये ।

(ii) जनसहयोग प्राप्त करने के क्षेत्र मे होने चाहिएँ - गैर सरकारी विद्यालय स्थापित करना, शाला भवन बनवाना, सह शिक्षा को लोकप्रिय बनाना, महिला शिक्षकों के लिए भावना विकसित करना, विवाहित महिलाओं को अल्पकालीन शिक्षण हेतु प्रोत्साहित करना निर्धन बालिकाओं को सहायता देना ।

(iii) स्त्री शिक्षा हेतु प्रत्येक राज्य में भी परिषदों का गठन हो ।

(iv) स्त्री शिक्षा में पिछड़े राज्यों - जैसे बिहार, कश्मीर, उ.प्र., उड़ीसा, राजस्थान, व म.प्र. को केन्द्रीय अनुदान दिया जाये ।

कोठारी शिक्षा आयोग (Kothari Education Committee 1954-55) - कोठारी शिक्षा आयोग ने उपर्युक्त परिषदों एवं समितियों के सुझावों का समर्थन किया तथा इस हेतु इस प्रकार के कार्यक्रम अपनाने की अभिशंसा की -

(i) राष्ट्रीय परिषद् द्वारा प्रस्तावित विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाये । जिनसे बालक-बालिकाओं के मध्य शिक्षा का अन्तर कम हो सके । इसके लिए विशेष अभियान चलाये जायें ।

(ii) प्राथमिकता के आधार पर विशेष योजनाओं के लिए अनुदान दिया जाये ।

आयोग ने देश की परिवर्तित सामाजिक स्थिति के अनुकूल सुझाव दिया है -"घर की चहारदीवारी के बाहर स्त्रियों का कार्य आज देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है और आगामी वर्षो में वह और बड़ा आकार धारण कर लेगा जिसका प्रभाव अधिकतर स्त्रियों पर पड़ने लगेगा । इसलिए यह आवश्यक होगा कि स्त्रियों की प्रशिक्षण और रोजगार देने की समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाये ।" आयोग के मत से स्त्रियों को गृह कार्य के साथ अंशकालिक रोजगार तथा पूर्णकालिक रोजगार के अवसर बढ़ाना इस दिशा में वांछनीय होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने समानता के लिए शिक्षा' के अन्तर्गत महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा के विषय में संकल्प व्यक्त किया है - "शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जायेगा अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा । राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था ऐसा प्रभावी दखल करेगी जिनसे महिलाएँ, जो अब तक अबला समझी जाती रही हैं; समर्थ और सशक्त हो ।.......................................महिलाओं से सम्बन्धित अध्ययन को विभिन्न पाठ्य चर्चाओं के भाग के रूप में प्रोत्साहन दिया जायेगा और शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम शुरु करने के लिए प्रेरित किया जायेगा ।"

महिलाओं में साक्षरता प्रसार को तथा उन रुकावटों को दूर करने को जिनके कारण लड़कियाँ प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, सर्वोपरि प्राथमिकता दी जायेगी । इस काम के लिए विशेष व्यवस्थाएँ की जायेंगी, समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे और उनके क्रियान्वयन पर कड़ी नजर रखी जायेगी । विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जायेगा । लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की नीति का पूरा जोर देकर अमल किया जायेगा ताकि तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पारम्परिक रवैये के कारण चले आ रहे लिंग मूलक विभाजन (Sex Steriotyping) को खत्म किया जा सके तथा गैर परम्परागत आधुनिक काम धन्धों से महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ सके । इसी प्रकार मौजूदा और नई प्रौद्योगिकी में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जायेगी ।

(1) <u>महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा</u> **-** स्वतंत्रता के समय से ही महिलाओं को शैक्षिक अवसरों की उपलब्धि कराना एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है । परिणामत: 1951 में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 7.93 से 1981 में 24.82 तथा 1991 में 39.29 हो गया फिर भी अभी लगभग 19 करोड़ 70 लाख महिलाएँ निरक्षर हैं ।

उपर्युक्त स्थिति से निबटने के निम्नांकित कदम उठाये जाने तय किये गये हैं -

1. महिलाओं की सामाजिक संस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का प्रयोग किया जावें ।
2. महिलाओं की समाज में संस्थिति सुदृढ़ बनाने हेतु शिक्षा सकारात्मक भूमिका अदा करेगी ।
3. पुनर्गठित कार्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों द्वारा नए मूल्यों को विकसित किया जायेगा ।
4. विभिन्न पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में 'वुमेन स्टडीज' को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

5. व्यावसायिक व तकनीकी की शिक्षा के कार्यक्रमों में महिलाओं को अधिकाधिक अवसर दिये जायेंगे । इसके लिए अग्रांकित कार्यक्रम रखने का निश्चय किया है ।

(अ) अगस्त 1993 तक शिक्षा विभाग के सभी ब्यूरोज महिला विकास के क्रांकीट क्रियान्वयन कार्यक्रम बनायेगा ।

(व) एन.सी.ई.आर.टी. नीपा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, यू.जी.सी. इत्यादि एवं राज्य स्तरीय शिक्षा संस्थान विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेंगे जिनमें समानता के लिए महिला शिक्षा की बात हो। (स) वूमेन स्टडीज कार्यक्रम के चार आयाम होंगे - शिक्षक, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा प्रसार ।

(द) निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स के द्वारा महिला शिक्षा में वृद्धि की जायेगी । सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम में महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा ।

(2) **आदिवासी बालिकाओं का विकास -** जनगणना के अनुसार सवर्ण जातियों की साक्षरता का प्रतिशत 41.22 है जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों का साक्षरता प्रतिशत क्रमश: 21.38 एवं 16.40 है इनकी महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत क्रमश: 10.93 तथा 8.04 ही है । इनके जनसंख्या अनुपात में विद्यालय / महाविद्यालय में इनका नामांकन ही कम है । इस दृष्टि से इनको शिक्षा के अधिकाधिक अवसर सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में निम्नांकित प्रावधान किए गए हैं -

1. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति की बस्तियों में स्थापित किये जायेंगे ।
2. आठवीं पंचवर्षीय योजना का समाप्ति से पूर्व प्रत्येक अनुसूचित जाति व जनजाति बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जायेगा ।
3. जनजाति क्षेत्रों में एकीकृत रूप में शिक्षा व्यवस्था की जायेगी ।
4. सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम में अनुसचित जनजाति जनसंख्या पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।
5. इस जाति के छात्र-छात्राओं, अध्यापकों हेतु आरक्षण व्यवस्था जारी रखी जाएगी ।
6. इस जाति क्षेत्रों में अतिरिक्त शैक्षिक योजनाएँ लागू की जायेंगी ।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महिला ही समाज की केन्द्र बिन्दु है । सशक्त महिलाएँ, ही सशक्त समाज की संरचना में सशक्त योगदान दे सकती हैं । यह इक्कीसवीं सदी की अनिवार्यता ही नहीं अपरिहार्य मांग भी है । अत: महिलाओं में चेतना जगाकर उनके अधिकारों से अवगत कराने की आवश्यकता है, क्योंकि यह समय की मांग है, और इसी में समाज का कल्याण है जो महिला शिक्षा के माध्यम से संभव है । महिलाएँ किसी भी तरह की चुनौती का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकती हैं । आवश्यकता उनके प्रति पुरुष की और उसके माध्यम से समूचे समाज की दृष्टि से परिवर्तन लाने की है । इस प्रक्रिया में महिलाओं को अपने प्रति भी दृष्टिकोण बदलना होगा ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न -

1 महिला शिक्षा के विकास हेतु स्वतंत्रता के पश्चात् गठित की गई समितियाँ कौनसी थीं?

2 महिलाओं के शैक्षिक सबलीकरण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने क्या अभिशंसाएँ कीं?

9.2 (District Primary Education Programme)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.)- 1986 तथा कार्यक्रम की क्रियान्वयन योजना (पी. ओ ए.) - 1992 प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (यू ई. ई.) की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करती हैं। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति विशेषत: यह संकल्प करती है कि 6-14 आयु वर्ग के सभी बालक - बालिकाओं को संतोषप्रद गुणवता वाली प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए । यह नीति इस बात को भी विशेष रूप से दर्शाती है कि प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में निम्नलिखित तीन पहलू निहित हैं:- 1) सार्वभौम पहुँच एवं नामांकन

(2.) 14 वर्ष तक की आयु वाले बालक-बालिकाओं का सार्वभौम ठहराव एवं, (3.) अधिगम के अतिआवश्यक स्तरों की उपलब्धि हेतु समस्त बालक-बालिकाओं को समर्थ बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में भरपूर सुधार ।

इस पृष्ठभूमि में प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को भारत सरकार की एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में स्वीकृत किया गया था । वर्ष 1994 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (यू. पी. ई.) के राष्ट्रीय संकल्प को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने को त्वरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया था । वर्ष 1996-97 में देश के और राज्यों को परिधि में लेने हेतु इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया था ।

डी.पी.ई.पी के उद्देश्य - जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी. ई. पी.) इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले जिलों में निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर एक Replicable, Sustainable एवं Cost Effective कार्यक्रम के विकास एवं उसके क्रियान्वयन को सम्बल देता है:-

- बालक-बालिकाओं तथा समाज के वंचित वर्गो के बीच नामांकन, ड्रॉप-आउट एवं अधिगम उपलब्धि में अन्तर को 5 प्रतिशत से कम करना ।
- सभी विद्यार्थियों में प्राथमिक विद्यालय छोड़ने की दर को 10 प्रतिशत से कम करना।
- सभी प्राथमिक विद्यालयी बच्चों के द्वारा आधारभूत साक्षरता एव अंक गणितीय क्षमताएँ
- अर्जित कर औसत उपलब्धि की सफलता को सुनिश्चित करके बालक-बालिकाओं के उपलब्धि स्तर में 25 प्रतिशत तक तथा अन्य क्षमताओं में कम से कम 40 प्रतिशत के उपलब्धि तक वृद्धि करना ।

- राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार सभी बालक-बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा की कक्षाओं तक (1 से 5) अर्थात् जहाँ सम्भव हो वहाँ प्राथमिक विद्यालयों में अथवा समकक्ष अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पहुँच सुनिश्चित करना ।

प्राथमिक शिक्षा नियोजन, प्रबंधन एवं मूल्याँकन करने वाली राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय संस्थाओं एवं संगठनों की क्षमता का सबलीकरण करना ।

राजस्थान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी. पी. ई. पी.) को अपनाना - कम नामांकन, उच्च ड्रॉप आउट दर एवं निम्न गुणवतापूर्ण शिक्षा की समस्याओं एवं सरोकारों से जूझते हुए, राजस्थान "प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण" (यू. पी. ई) के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी. पी. ई. पी.) को. एक साधन एवं प्रभावी व्यूह रचना के रूप में अंगीकार किया है । डीपीईपी के प्रथम चरण के अन्तर्गत, जो सितम्बर 1999 में प्रारम्भ किया गया था दस जिलों (अलवर, भीलवाड़ा, टोंक, झालावाड़, सिरोही, नागौर, झुंझुनू कोटा, श्रीगंगानगर तथा सीकर) को लिया गया था तथा बाद में सितम्बर 2001 से अन्य 9 जिलों (भरतपुर, बूंदी, चूरू, धौलपुर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, करौली व सवाई माधोपुर) में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी. पी. ई. पी.) की क्रियान्विति की जा की है । इस तरह राज्य के 19 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी. पी. ई. पी.) की क्रियान्विति की जा रही है जबकि शेष 13 जिलों में लोक जुम्बिश परियोजना चलाई गयी ।

डीपीईपी के अन्तर्गत वे जिले चुने गए हैं जिनमें वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर, राष्ट्रीय महिला साक्षरता की औसत 39.29 प्रतिशत दर से कम थी ।

डीपीईपी के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल परियोजना लागत क्रमश: 404.41 करोड़ एवं 372.44 करोड रूपये थी । केन्द्र द्वारा संचालित योजना के रूप में डीपीईपी के शेयरिंग पैटर्न के अनुसार, भारत सरकार परियोजना लागत के 85 प्रतिशत भार को वहन करती है तथा 15 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है । भारत सरकार एवं अन्तर - राष्ट्रीय एजेंसियाँ "जॉइंट रिव्यू मिशन" (जे. आर. एम.) के माध्यम से छ: महिने के आधार पर परियोजना की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करते है ।

राजस्थान में डीपीईपी के अन्तर्गत लिंग व्यूह रचना का मुख्य बल प्रारम्भ में बालिकाओं विशेषत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो, अल्पसंख्यकों एवं जिलों के कुछ विशेष क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव पर था परन्तु कार्यक्रम (डीपीईपी) के गत पाँच वर्षो में जैसा कि बालिकाओं के नामांकन में परिणामस्वरूप वृद्धि हुई थी इसलिए अब इस बल को नामांकन से ठहराव पर बदला गया है क्योंकि ठहराव अभी भी कम है । नामांकन, ठहराव एवं उपलब्धि में लिंग भेद को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । मुख्य बल उन गतिविधियों पर दिया जा रहा है । जिनको जन चेतना बढ़ाने एवं बालिका शिक्षा को उन्नत करने के लिए रूपांकित किया गया था ।

प्राथमिक शिक्षा के चक्र में बालिकाओं के द्वारा सहभागिता एवं उसको पूर्ण करने की निम्न दर की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की व्यूह रचनाएँ बालिकाओं के विद्यालयी शिक्षा को और

अधिक आकर्षक बनाकर, बालिकाओं की सहभागिता में आने वाली बाधाओं को दूर करके तथा अध्यापन अधिगम सामग्री एवं कक्षा-कक्ष की परिस्थितियों में लिंग भेद (जेण्डर बाइस) को समाप्त करके विद्यालयों तक पहुंच उपलब्ध कराती है ।

राजस्थान में महिला साक्षरता की सन् 1991 की 20.44 प्रतिशत से सन 2001 की 44.34 प्रतिशत दर की लम्बी छलांग वाली वृद्धि के उपरान्त भी पुरूष एवं महिला साक्षरता दर का अन्तर अभी भी बहुत बड़ा है । राजस्थान में पुरूष साक्षरता दर 76.46 प्रतिशत है । इस पृष्ठभूमि के हाथ लिंग समानता को सम्पूर्ण डीपीईपी डिजाइन के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग के रूप में देखा गया है । वास्तव में राजस्थान में डीपीईपी ने बालिका शिक्षा की आवश्यकता को प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (यूपीई) का एक भाग मानते हुए उस पर ध्यान केन्द्रित किया है ।

डीपीईपी के द्वारा निर्मित वर्तमान परिदृश्य में बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में भरपूर वृद्धि हुई है, परन्तु बालिकाओं का विशेषकर समाज के वंचित वर्गो की बालिकाओं का नामांकन एंव ठहराव अब भी एक चिंता का विषय रह रहा है । नामांकन, ठहराव एवं उपलब्धि की लिंग असमानता को कम करना डीपीईपी के कुल क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है ।

डीपीईपी के अन्तर्गत अपनाई गई रणनीतियाँ - लिंग भेद के अन्तर को कम करने के लिए लिंग स्वरूप (जेण्डर पर्सपेक्टिव) के प्राथमिक उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर डीपीईपी ने निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाया है:

- विद्यालयों में भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना जैसे-विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय एवं मूत्रालय, हैण्ड पम्प, पानी के नल, खेल सामग्री, इत्यादि।
- प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजीव गांधी जयन्ती पाठशालाओं तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों गए महिला आध्यापिकाओं / पैराटीचर्स का पदस्थापन करना ।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन उपलब्ध कराना जैसे-कक्षा 8 तक नि:शुल्क पुस्तकें, शुल्क मुक्ति इत्यादि । विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समितियों में महिला सदस्यों की संख्या 33 प्रतिशत रखना । राज्य एवं जिला स्तर पर लिंग समन्वयकों को पद स्थापित करना । बालिकाओं के लिए विशेष व्यूह रचनाओं जैसे -ब्रिज कोर्स (आवासीय एवं गैर आवासीय) का संचालन करना ।
- प्रबन्ध एवं जन साधारण स्तर के कार्यकर्त्ताओं के लिए लिंग संवेदनशीलता पर आधारित कार्यक्रम आयोजित करना

स्वमूल्यांकन प्रश्न - 2

1 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य क्या थे?

2 महिला समस्या कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

9.3 महिला समाख्या ; Mahila Samakhya द्ध

इस कार्यक्रम का सूत्रीकरण मार्च 1988 में अनेक स्वयं सेवी संस्थाओं, सरकारी अधिकारियों शिक्षाविदों तथा महिला समूहों की सलाह एवं चर्चा के पश्चात् किया गया था । इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य गरीब ग्रामीण महिलाओं के उन सामाजिक साँस्कृतिक एवं आर्थिक जटिलताओं को दूर करना था, जो उन्हें शैक्षिक प्रक्रिया से बाहर रख रही थीं । प्रारम्भ में इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा गुजरात के 10 जिलों में पायलट कार्यक्रम के रूप में शुरु किया गया था ।

महिला समाख्या के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की पिछड़ी महिलाओं की साक्षरता के बजाय शिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है । इनकी शिक्षण प्रक्रिया में सामान्य शिक्षा के साथ उनमें सूचनाओं तथा क्षमताओं का विकास करना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, विश्लेषण एवं निष्कर्ष लेने के योग्य बनाना शामिल था । शैक्षिक व्यूह रचना के तहत महिला संघों तथा फेडरेशनों के द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल साक्षरता, स्वास्थ्य तथा पोषण शिक्षा, राजनैतिक जागृति की शिक्षा, जीवन यापन के लिए आवश्यक रोजगार की शिक्षा तथा पर्यावरण शिक्षा दी जा रही है । पूरे कार्यक्रम को बाह्य संस्था रायल नीदरलैण्ड एम्बेसी के वित्तीय सहयोग से चलाया जा रहा है । दसवीं योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा भी सहायता दी गई । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसे 10% योगदान भारत सरकार द्वारा प्राप्त होना प्रस्तावित है । महिला समाख्या कार्यक्रम को विद्यालयी शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के तहत रखा गया है । इस समय यह कार्यक्रम नौ राज्यों आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तरप्रदेश तथा उत्तरांचल के 83 जिलों में चल रहा है । लगभग 20,380 गांवों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है । जिन 339 ब्लॉक में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है उनमें से 233 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक हैं । मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में भी महिला समाख्या समिति का रजिस्ट्रीकरण हो चुका है तथा यहाँ भी यह कार्यक्रम शुरु किये जाने की संभावना है ।

महिला समाख्या की प्रमुख विशेषताएँ - महिला समाख्या कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति मे अधिवेशित महिलाओं की शिक्षा के समर्थन में सकारात्मक कार्रवाई के प्रति वचनबद्धता का सीधा परिणाम है । महिलाओं में शिक्षा तथा उन्हें सामर्थ्यवान बनाने के प्रति समर्पित महिला कार्यक्रम का एक ऐसा अध्ययन माहौल सृजित करने के लिए प्रयासरत है, जहाँ महिलाएँ सामूहिक रूप से अपनी क्षमता का अहसास कर सकती हैं, सूचना ज्ञान की मांग करने की शक्ति हासिल कर सकती हैं तथा अपने जीवन को बदलने एवं उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अग्रसर हो सकती हैं । शिक्षा को सीखने और सामर्थ्यवान होने की सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया के रूप में लिया है, जो सिर्फ साक्षरता से परे हटकर है । यह कार्यक्रम, जो वर्तमान कार्यसूची पर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों बँधा नही है, ग्रामीण निर्धन महिलाओं की अभिव्यक्त जरूरतों को पूरा करता है तथा उनको अभिकल्पित करता है । संघ (ग्राम स्तरीय महिला समूह) वह केन्द्र बिन्दु है, जिसके चारों तरफ कार्यक्रम घूमता है । महिलाओं को गतिशील और संगठित

करने की प्रक्रिया सहयोगिनी' (दस गांवों में प्रभारी समूह) द्वारा सुसाध्य बनाई जाती है । वह ग्राम संघों तथा कार्यक्रम की जिला कार्यान्वयन इकाई के बीच की कड़ी होती है । जिला कार्यान्वयन इकाई महिला की जरुरतों को पूरा करने के लिए संसाधन तथा निवेश उपलब्ध कराती है, जबकि जिला इकाईयों की मदद राज्य कार्यालय द्वारा की जाती है, जो सुसाध्यकारी वातावरण का सुनिश्चय करता है तथा कार्यक्रम के लिए आवश्यक संसाधन निवेश जुटाता है । राज्य स्तर पर एक स्वायत्त पंजीकृत सोसाइटी, कार्यक्रम की निगरानी के लिए अधिकार प्राप्त संस्था के रूप में गठित की गई है । राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का समन्वय परियोजना निदेशक द्वारा किया है । एक राष्ट्रीय संसाधन समूह, जो कि प्रख्यात महिला कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, विकास कार्यकर्ता' तथा अधिकारियों की एक सलाहकार संस्था है, नई अवधारणाओं, विचारों एवं अनुभवों को पेश करके कार्यक्रम की मदद करता है और कार्यक्रम की नीतियों तथा कार्यनीतियों पर कार्यक्रम को सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है ।

महिला समाख्या कार्यक्रम का कार्य क्षेत्र - महिला समाख्या कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के 83 जिले शामिल किए गए हैं । डच वित्त पोषण के तहत यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश के पंद्रह जिलों के लगभग 20,380 से अधिक गांवों में चलाया । जा रहा है । शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रेरित करने की दिशा में महिला समाख्या की कार्यनीति की कारगरता के चलते इसे अन्य बुनियादी शिक्षा परियोजना के द्वारा भी अपनाया गया है । आई.डी.ए. सहायता, प्राप्त उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना के माध्यम से उत्तरप्रदेश में छह और जिलों को शामिल गया है । बिहार के सात जिलों में बिहार शिक्षा परियोजना के अंग के रूप में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं तथा मध्य प्रदेश के तीन जिलों में कार्यक्रम की मदद जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा की जा रही है ।

महिला शिक्षण केन्द्र - महिला शिक्षण केन्द्र किशोरियों तथा युवा महिलाओं के लिए अध्ययन का एक अनोखा अवसर है । यह संस्था महिला समाख्या कार्यक्रम के माध्यम से विकसित हुई है । यह आवासीय कार्यक्रम है, जिसमें बल दिए जाने वाले बिन्दु तथा पाठ्यचर्या में स्थान-स्थान पर फर्क होता है; क्योंकि इसे विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है । उत्तर प्रदेश,आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में ऐसे आठ केन्द्र चलाए जा रहे हैं । बिहार में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली लड़कियों तथा कभी न स्कूल गई किशोरियों के लिए पाँच महिला शिक्षण केन्द्र चलाए रहे हैं । कर्नाटक में महिला शिक्षा केन्द्र विद्यालय छोड़ने, परीक्षाएं देने के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों मदद करता है तथा उनकी तैयारी करवाता है । आंध्र प्रदेश में बुनियादी साक्षरता कौशलों, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जागरुकता, संगठन और व्यावसायिक कौशलों को शामिल करने के वास्ते एक वर्षीय पाठ्यचर्या विकसित की गई है । उत्तरप्रदेश में पंद्रह से पैंतीस वर्ष की आयु वाले शिशुओं को शामिल करते हुए एक नवाचारी और लिंग आधारित पाठ्यचर्या विकसित की गई है । सघन कार्यक्रम की अवधि लगभग छह माह है । ऐसा अनुमान है कि महिला शिक्षण केन्द्र ऐसा जागरूक युवा महिलाओं के अध्ययन और प्रशिक्षण को सुसाध्य बनाएगा, जो अपने अपने समुदायों के विकास में निर्णायक भूमिका निभाएंगी । संघ-महिलाओं की पढ़ना-लिखना सीखने की माँग और इच्छा से

साक्षरता में वृद्धि हुई है । लगभग सभी मामलों में यह माँग तब उभरी है जब महिलाओं का मजदूरी, बचत, सरकारी योजनाओं तक पहुंच, कौशल स्तरोन्नयन, सामाजिक-राजनीतिक ढाँचों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना जैसे मुद्दों से सरोकार हुआ है । महिला समाख्या ने लिंग संवेदनशील तथा शिक्षाओं के लिए सरल सामग्री तैयार करके और केन्द्रों, शिविरों के जरिए साक्षरता प्रयासों को बनाए रखने सम्बन्धी प्रयत्नों के माध्यम से इस मांग को पूरा करने का प्रयास किया है । कुछ मामलों में इन्हें सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के साथ जोड़ा गया है । कर्नाटक में संघों को 'ज्ञान गेलाथियारु या महिलाओं के लिए मार्गदर्शक प्रकाश की पदवी दी गई, जिन्होंने पढ़ना-लिखना सीख लिया है और अब वे दूसरों को पढ़ा रही हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रही है उत्तरप्रदेश के बांदा जिले में स्क्रीन प्रिन्टिंग आदि के निर्माण में नव साक्षर महिलाओं का प्रशिक्षण 'महिला डाकिया' जो बांदा जिले की महिलाओं द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है, को मार्च 1996 में चमेली देवी राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड प्रदान किया गया ।

महिलाएँ अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकें, इसके लिए खासकर कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में स्वास्थ्य जागरुकता और प्रशिक्षण सुव्यवस्थित ढंग से योगदान किए जा रहे हैं । इस प्रशिक्षण के अंग के रूप में जड़ी बूटी औषधि, जो परम्परागत रूप से महिलाओं के हाथ में रही है, को ढूँढकर वापस लाया जा रहा है, उन्हें प्रलेखित किया जा रहा है तथा उनके प्रयोग को वैधता प्रदान की जा रही है इसके परिणामस्वरूप संघ महिलाएँ स्वास्थ्य चिकित्सक के रूप में उभरी हैं । स्वयं संघ भी जड़ी-बूटियों को उगाने तथा इस देशज ज्ञान प्रणाली को जिन्दा रखने में जुटे हुए हैं । इसके अतिरिक्त संघों ने कई मामलों में स्वास्थ्य प्रणाली को और जवाबदेह बनाया है तथा ए.एन.एम. का गांवों में नियमित जाना सुनिश्चित किया है । किशोरियों के लिए एक स्वास्थ्य पाठ्यचर्या भी राज्यों में तैयार की जा रही है ।

शिक्षा द्वारा नए संसाधनों की खोज - संसाधनों को प्राप्त करने तथा उन पर नियंत्रण रखने की विधि सीखना महिला समस्या की अध्ययन प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण घटक रहा है । कौन-कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, इन्हें विकसित किया जाए या नए संसाधन कैसे प्राप्त किए जाएँ, उनमें निहित प्रक्रियाएँ क्या क्या है, किन-किन अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है इन सबकी जानकारी देना शिक्षा का अंग है, जो ग्रामीण महिलाओं के लिए उत्तेजक और सूचनापरक है ।

महिला समाख्या योजना की विशेष उपलब्धियाँ - गुजरात के राजकोट जिले में महिला समाख्या जिला पंचायत तथा यूनिसेफ के साथ मिलकर महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से हैण्डपम्प मरम्मत और अनुरक्षण के एक बड़े काम में लगी हैं । इसका अर्थ हुआ मिस्त्री के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित करना तथा जल समिति का गठन करना । स्वास्थ्य एव पर्यावरण सम्बन्धी चर्चाओं के चलते अनेक किस्म के कार्य-कलाप शुरु किए गए है । उत्तरप्रदेश के दादा जिले में संघ-महिलाएँ वन पंचायतों तथा वानिकी कार्यक्रमों में सक्रियता से लगी हैं । आंधप्रदेश के मेडक जिले में स्वास्थ्य प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप आठ सौ तीस महिलाओं ने शौचालय

स्थापित करने के लिए आवेदन दिया तथा इसके लिए उन्हें निधियाँ और सामग्री संस्वीकृत की गई । इसका परिणाम है- चिनाई में प्रशिक्षण की शुरुआत ।

कर्नाटक के बीजापुर जिले में बचत और उधार तक पहुँच, संघों के ध्यान बिन्दु रहे हैं । सात लाख रुपये से अधिक बचत पूल के द्वारा संघ अब ग्रामीण महिला बैंक आरम्भ करने की सोच रहे हैं । वे अपनी पसन्द के आप सृजन कार्य-कलापों के लिए नाबार्ड (बैंकिग संस्था) के साथ बातचीत करने में सफल रहे हैं । सभी राज्यों में बचत कार्यकलापों के चलते लेखा और रिकार्ड रखरखाव में प्रशिक्षण आरम्भ किया गया है तथा सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इससे साक्षरता कार्य-कलापों में तेजी आ गई । सभी राज्यों में अब मजबूत संघ द्वाकरा (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. - गांवों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास की योजना) जैसी योजनाओं तक सजगता से पहुंच रहे हैं ।

उत्तरप्रदेश में बांदा में संघ महिलाओं तथा सहयोगिनियों ने एक महिला सरकारी समिति 'बनांगना' गठित की है, जो स्क्रीन प्रिन्टिंग, हैण्डपम्प अनुरक्षण तथा चिनाई के लिए ठेका आदि का काम लेती है, क्योंकि इन कार्यो का निष्पादित करने के लिए सरकारी समिति की महिलाएँ अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं ।

महिला समाख्या के इर्द-गिर्द महिलाओं ने हिंसा, बाल-विवाह तथा देवदासी प्रथा जैसे मुद्दों को विश्वास के साथ हल किया है । कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में युवा लड़कियों की देवदासियों के रूप में दीक्षा को रोकने में संघ कारगर साबित हुए हैं । सभी राज्यों में कानूनी जागरुकता। और शिक्षा प्रदान की जा रही है । उत्तर प्रदेश में सहारनपुर यूनिट हिंसा के मामलों को दर्ज कराने के लिए कानूनी सहायता प्रदान कर रही है तथा नियमित अनुवर्ती कार्रवाई में मदद करती है । जटिल कानूनी मुददों से निपटने के लिए विकसित किए गए वैकल्पिक ढांचों में से एक सबसे अधिक रुचिकर ढाँचा है- बड़ौदा जिले के बघोदिया ब्लॉक में नारी अदालत की स्थापना । महिलाओं ने अर्ध कानूनी प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा वे स्त्री धन, गुजारा भत्ता, बाल अभिरक्षा तथा समुदायों में सम्पत्ति विवाह से जुड़े मामलों को निपटा रही हैं ।

सजग निर्णय तथा सुविज्ञ चयन ने सभी राज्यों में महिलाओं की भागीदारी को रेखांकित किया है। यह खासतौर पर स्थानीय स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रियाओं के क्षेत्र में महिलाओं को तार्किक रूप से लाया है । पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की सूचना के वृहद् प्रसार में अनेक संघों ने महिला उम्मीदवारों को खड़ा किया है तथा चुनाव सम्बन्धी कार्यनीतियों पर निर्णय किया है । गुजरात महिला समाख्या कार्यक्रम 231 महिलाएँ, कर्नाटक में 135, उत्तर प्रदेश में 120 तथा आंध्रप्रदेश में 51 महिलाएँ विभिन्न पंचायत संस्थाओं के लिए चुनी गई हैं । खासकर कर्नाटक से प्राप्त रिपोर्टों में संकेत मिलता है कि पंचायतों के कार्य में संघ महिलाओं की भागीदारी से उनका कार्य गुणात्मक दृष्टि से अपेक्षाकृत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने अपने आपको लैंगिक जागरुकता कार्यक्रमों के मामले में अपेक्षाकृत अधिक जागरूक सुविज्ञ तथा मुखर दर्शाया है ।

9.4 सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Siksha Abhiyan)

सर्व शिक्षा अभियान वास्तव में एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें केन्द्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार की सहभागिता है । सर्व शिक्षा अभियान मिशनरी भावना के साथ समुदाय की स्वामित्व वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा सभी बालक-बालिकाओं की मानवीय योग्यताओं को सुधारने के लिए एक सुअवसर प्रदान करने का एक प्रयास है । विद्यालय तंत्र में समुदाय के स्वामित्व के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ सम्पूर्ण देश में किया गया है । सर्व शिक्षा अभियान एक वृहत योजना है । यह डीपीईपी, लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी बोर्ड, जनशाला इत्यादि जैसी सभी बड़ी शैक्षिक व्यूह रचनाओं एवं सभी कार्यक्रमों को अपने अन्तर्गत समाहित कर लेगी ।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य - सर्व शिक्षा अभियान का विद्यालय तंत्र की समुदाय के स्वामित्व के द्वारा वर्ष 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है । विद्यालय प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता के साथ सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लिंग भेद को पाटने का भी इसका एक. दूसरा लक्ष्य रहा है । इसका लक्ष्य बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में इस प्रकार से सीखने एवं पूर्ण ज्ञान कराने का है जो मूल्य आधारित शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों ही रूपों में उनकी मानवीय क्षमताओं को पूर्णत: विकसित कर सकें । यह 0 -14 की आयु को लगातार कड़ी के रूप में देखता है । इसलिए इस अभियान के अन्तर्गत आईसीडीएस महिला एवं बाल विकास केन्द्रों अथवा ऐसे विशेष पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों जो आईसीडीएस के क्षेत्र में नहीं हैं, का पूर्व प्राथमिक शिक्षा में सम्बल देने हेतु सभी प्रयास किये जावेंगे और इस तरह के प्रयत्न महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किए जा I प्रयासों के पूरक होंगे । सर्व शिक्षा अभियान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

- सभी बच्चे विद्यालयों, शिक्षा गारण्टी केन्द्रों, वैकल्पिक विद्यालयों तथा "बैंक टू स्कूल" कैम्पों में वर्ष 2003 तक नामांकित हो जावें ।
- वर्ष 2007 में सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा के पांच वर्ष पूर्ण कर लेवे ।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा के आठ वर्ष पूर्ण कर लेवें ।
- सबके लिए शिक्षा पर जोर देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्रारम्भिक शिक्षा पर जोर दिया जावे ।
- वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर एवं वर्ष 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर सभी लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों के भेद पाट दिए जावें ।
- वर्ष 2010 तक सार्वजनीन ठहराव हो जावे ।

व्यूह रचनाओं के मुख्य क्षेत्र - सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य-मुख्य व्यूह रचनाओं के क्षेत्र सम्मिलित हैं : - गुणवत्ता में सुधार, विशिष्ट केन्द्र बिन्दु वाले समूह, विद्यालयों से बाहर रहने वाले बच्चों की शिक्षा (शिक्षा गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचारी शिक्षा), शोध एवं मूल्याँकन, प्रबन्धन ढांचा एवं संस्थागत क्षमता निर्माण,

सामुदायिक गतिशीलता निर्माण कार्य, प्रबोधन एवं एम आई एस, वित्त एवं प्रोक्योरमेन्ट इत्यादि।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित लगभग प्रत्येक कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बालिकाओं के लिए विशिष्ट प्रबन्ध किये जाने के प्रावधान है । इसके साथ ही दो प्रमुख कार्यक्रम "प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम" (NPEGL) तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (KGBV) को बालिकाओं को केन्द्रित कर बनाया गया है । इसी प्रकार से महिला समाख्या कार्यक्रम को भी सर्व शिक्षा अभियान के साथ समन्वय के साथ चलाया जा रहा है ।

प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई जी.ई.एल) - कक्षा 1 से 8 तक की वंचित वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा के लिए एन.पी.ई.जी.ई. एल. कार्यक्रम का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान की एक अलग लिंग घटक योजना के रूप में किया गया है । शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण की उपलब्धि हेतु लिंग घटक हैं ।

क्षेत्र (कवरेज) - जिला स्तर पर गहन सर्वे के शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों (ब्लॉक्स) को चुना गया। इन खण्डों / क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं-

(अ) वे ब्लॉक जहाँ पर ग्रामीण महिला साक्षरता का स्तर राष्ट्रीय औसत से कम है तथा लिंग भेद राष्ट्रीय औसत से अधिक है ।

(ब) वे ब्लॉक जिनमें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कम से कम है तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम है ।

(स) चुने हुए नगरीय स्तम्भ ।

क्लाइन्टेल समूह - विद्यालय नहीं जाने वाली बालिकाएँ, ड्राप-आउट बालिकाएँ, अधिक आयु वाली वे बालिकाएँ जिन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण नहीं की है, कामकाजी, सीमान्त सामाजिक वर्गो वाली बालिकाएँ, कम उपस्थिति वाली बालिकाएँ, कम उपलब्धि स्तर वाली बालिकाएँ ।

उद्देश्य - एन.पी.ई.जी.ई.एल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं. -

(अ) बालिकाओं के लिए शिक्षा तक पहुँच उपलब्ध कराने हेतु सुविधाओं का विकास कराना एवं प्रोत्साहन करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं की ओर अधिक सहभागिता को सुनिश्चित करना ।

(ब) विभिन्न इन्टरनेशनल के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना तथा उनके सबलीकरण हेतु बालिका शिक्षा की गुणवता एवं प्रासंगिकता पर बल देना ।

कार्यक्रम का मुख्य बल (अस्त) - एन.पी.ई.जी.ई.एल. का मुख्य जोर निम्नलिखित बिन्दुओं पर होगा -

(अ) प्रारम्भिक स्तर पर बालिका शिक्षा की योजना बनाने, उसकी व्यवस्था करने तथा उसके मूल्यांकन हेतु राज्य एवं जिला स्तर की संस्थाओं एवं संगठनों की क्षमता को सबल

बनाना तथा एक गतिशील प्रबन्धन ढांचे का निर्माण करना जो बालिका शिक्षा की चुनौतियों को उत्तर देने में समर्थ होगा ।

(ब) सम्बन्धित संगठनों एवं महिला समूहों की सहायता से अध्यापको एवं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नवाचारी जेण्डर सेन्सिटाइजेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना एवं एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसके द्वारा लिंग अन्तरों को करने में शिक्षा के क्षेत्र के सभी प्रभागों को शिक्षा की भूमिका के लिए सजीव एवं संवेदनशील बनाए जावेंगे ।

(स) महिलाओं एवं बालिकाओं के स्व सम्मान एवं आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सम्पूर्ण शिक्षा तंत्र को सकारात्मक मध्यस्थता करने वाले की भूमिका का निर्वाह करने के लिए अनुकूल बनाना।

(द) यह आवश्यक करते हुए लिंग सम्बन्धी रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ना कि शिक्षा का सारांश एवं उसकी प्रक्रिया लिंग के सरोकारों के प्रति संवेदनशील ।

(य) बालिका शिक्षा के लिए समुदाय के संबल का निर्माण करना तथा विद्यालय, समुदाय एवं घर में बालिका शिक्षा के लिए प्रेरक वातावरण उपलब्ध करना ।

(र) यह सुनिश्चित करना कि बालिकाओं के प्रारम्भिक पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो ।

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (KGBV) - सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों की योजना चलाई जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक स्तर पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाते हैं । उद्देश्य - इन विद्यालयों का उद्देश्य वंचित वर्ग की उन बालिकाओं को जोड़ना है, जो कठिन परिस्थितियों और दुर्गम वासस्थलों में रहते हुए किसी कारणवश (यथा सामाजिक, पारिवारिक आदि) विद्यालय नहीं जा सकी अथवा जिनकी आयु कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं से अधिक हो चुकी है ।

11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2011 में सर्व शिक्षा अभियान में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साक्षरता एवं विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु जारी प्रतिवेदन बालिकाओं की शिक्षा के लिए "सर्व शिक्षा अभियान" के तहत किए जाने वाले प्रयासों का एक दृश्य प्रस्तुत करता है । इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार हैं-

1) 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विशिष्ट समुदायों, स्थानों को विशेष ध्यान में रखकर बालिकाओं के नामांकन, ठहराव, के लिए प्रयास किए जाने प्रस्तावित हैं । विशेष समूहों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम समुदाय एवं अन्य पिछड़े वर्ग जिनमें बालिका शिक्षा की स्थिति कमजोर है, उनके लिए आकड़ों को इकट्ठा कर उनके अनुरूप योजना बनाए जाने की सिफारिश की गई है । इसके लिए वर्तमान में सर्वशिक्षा अभियान के तहत चल रहे कार्यक्रमों जैसे महिला समाख्या (MS), प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL),

कस्तूरबा गाँधी विद्यालय योजना आदि में विशेष प्रावधान किये जाने की सिफारिश की है ताकि इन विशेष समूहों की आवश्यकता पूरी की जा सके । सर्व शिक्षा अभियान के तहत बजट का वितरण इस प्रकार से किये जाने का प्रावधान है जिसमें बालिकाओं के लिए आवश्यकतानुसार कार्यक्रमों को स्थान दिया जा सके ।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बालिका शिक्षा के लिए विशिष्ट समूहों पर ध्यान केन्द्रित करने के तहत विशेषतया मुस्लिम लड़कियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए SSA के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं ।

2) उच्च प्राथमिक स्तर पर भी मुस्लिम इलाकों, विशेष अन्य पिछड़े वर्गो के निवास स्थानों, उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में बालिकाओं के लिए अलग से औपचारिक विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया है । जिससे कि सर्व शिक्षा के कारण प्राथमिक स्तर के बाद शिक्षा से वंचित बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सकें ।

3) औपचारिक शिक्षा व्यवस्था को अधिक लिंग संवेदनशील (Gender Sensitive) बनाने के लिए शैक्षिक गुणवत्ता के अन्तर्गत प्रावधान किए जाने तथा इसका निरन्तर मूल्यांकन करने की सिफारिश की गई है ।

4) विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने खासकर उच्च प्राथमिक स्तर पर बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं को बढ़ाने, स्वच्छता एवं विद्यालय तक कक्षा के वातावरण को अधिक उपयुक्त बनाने के लिए कार्यक्रम बनाये जाने का प्रावधान हैं ।

5) उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अधिक महिला अध्यापिकाओं को उपलब्ध करवाने के लिए व्यूह रचना बनाने की सिफारिश की गई है । सर्व शिक्षा अभियान की वर्तमान नीति के अन्तर्गत कम से कम 50 प्रतिशत अध्यापिकाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है । विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो की महिलाओं की अध्यापिकाओं के रूप में शिक्षित करने के लिए प्रावधान किये जाने पर जोर दिया गया है ।

6) प्रत्येक जिले में एक निश्चित राशि के बजट दिये जाने के बजाय संदर्भ विशिष्ट/ सामाजिक समूह विशिष्ट / स्थान विशिष्ट बजट का प्रावधान SSA के तहत किये जाने की सिफारिश की गई है । इसके लिए innovation के तहत विशिष्ट समूहों के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता बताई गयी है ।

7) शिक्षा में लिंग भेद को मिटाने के लिए चल रहे कार्यक्रमों को एकीकृत कर उनके लिए उचित प्रकार से बजट का प्रावधान किए जाने की सिफारिश की गई है । बालिकाओं के लिए चलाये जा रहे उनके कार्यक्रमों जैसे मुफ्त में पाठ्यपुस्तक योजना, शिक्षकों को लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण, मासिक सभा तथा महिला समाख्या, NPEGEL एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना तथा बालिकाओं के लिए राज्य स्तर पर चलाई जा रही अन्य योजनाओं को सम्मिलित कर निरन्तर मूल्यांकन एवं प्रगति प्रतिवेदन के तहत क्रियान्वयन की सिफारिश की गई है ।

8) विद्यालय छोड़ चुकी पुरानी छात्राओं को सूक्ष्म स्तरीय योजना, सामुदायिक कार्यक्रमों, उपचारात्मक शिक्षण, अनुरक्षकों (Escort) की सुविधा आदि के द्वारा पुन: विद्यालय में: जाने के लिए निश्चित समय अवधि (time bound) प्रयास किये जाने की सिफारिश की गई ।

9) अधिक आयु की बालिकाओं तथा विद्यालय छोड़ चुकी बालिकाओं के लिए आवासीय एवं स्थानीय ब्रिज कोर्स करवाये जाने तथा साथ में इसके लिए आवश्यक पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि में सुधार किये जाने की सिफारिश की गई है । बालिकाओं के लिए विशिष्ट विषयवस्तु एवं गुणवत्ता की शिक्षा के प्रावधान किए जाने की सिफारिश की गई है । राजस्थान में पहले चलाये गए लोक जुम्बिश कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले बालिका शिक्षण शिविर जैसे कार्यक्रमों जो बालिकाओं के उचित सामाजीकरण में सहायक होते हैं, को शामिल करने की बात की गई है । इस हेतु विशिष्ट शिक्षण विधियों तथा शिक्षक की भूमिका को महत्त्वपूर्ण माना गया है । इसके लिए अध्यापक शिक्षा में लिंग संवेदनशीलता हेतु प्रशिक्षण दिये जाने की सिफारिश की गई है ।

10) लिंग संवेदनशीलता हेतु वर्तमान पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षकों, जिला तथा राज्य अध्यापक शिक्षा के केन्द्रों हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है । इसके लिए महिला समूहों, संसाधनों, केन्द्रों, विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन विभागों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) आदि के द्वारा लिंग आधारित विषयवस्तु के विकास पर बल दिया गया है ।

11) विद्यालयों तथा कक्षाओं के साथ-साथ संकुल तथा उपखण्ड एवं जिला स्तर पर विशेष नियमों (Protocol) की व्यवस्था किये जाने की सिफारिश की गई है । जिसके अन्तर्गत लिंग सामान्य व्यवहार से लड़कियों आदि से सम्बन्धित नियमों को रखे जाने, उन्हें सूचना पट्टिकाओं पर सार्वजनिक किये जाने का प्रावधान हो । खासकर विशिष्ट क्षेत्र से सम्बन्धित लक्षित बालिकाओं की विद्यालयी कक्षा में प्रवेश तथा निर्गम की स्थिति को भी निरन्तर मूल्यांकित किये जाने की सिफारिश की गई है ।

12) प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं के राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना को 11वीं योजना में निरन्तर चालू रखे जाने की सिफ़ारिश की गई है।

13) बालिकाओं के शिक्षा के विस्तार के लिए उपखण्ड स्तर को एक इकाई मानते हुए योजना निर्माण के क्रियान्वयन एवं मूल्याँकन की सिफारिश की गई है ।

14) उन उपखण्डों में NPEGEL तथा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना लागू करने की सिफारिश की गई है । जहाँ पर पिछड़े वर्गो तथा मुस्लिम वर्गो की आबादी अधिक हो तथा महिला साक्षरता दर कम हो ।

15) उच्च प्राथमिक स्तर पर NPEGEL तथा KGBV को एक अलग से योजना मानने के बजाय SSA के तहत ही व्यवस्था की जाए ।

16) यह सिफारिश की गई है कि KGBV को ग्रामीण इलाकों के साथ- शहरी क्षेत्र के उन कच्ची बस्तियों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए जहाँ पर बालिकायें खासकर मुस्लिम बालिकायें विद्यालय से बाहर हो ।

17) SSA के तहत ही उन बालिकाओं की साक्षरता के लिए जो विद्यालय इसीलिए नहीं जा पाती क्योंकि उन्हें घर पर रह कर अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता है । इनके लिए उन इलाकों में पूर्व बाल्यावस्था देखभाल केन्द्रों (उदाहरणार्थ-आँगनबाड़ी केन्द्र) को खोलने की सिफारिश की गई है । इसके लिए महिला तथा बाल विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग के मध्य समन्वयन की सिफारिश की गई है ।

9.5 प्रौढ़ शिक्षा तथा महिला (Adult Education and Women)

प्रौढ़ शिक्षा को गांधीजी ने समाज शिक्षा की संज्ञा दी थी । मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के अनुसार "प्रौढ शिक्षा या समाज शिक्षा केवल साक्षरता ही नहीं है बल्कि व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने, पर्यावरण .के साथ अनुकूलन करने और अपने जीवन को सुखमय करने में मदद करती है । साक्षरता प्रौढ़ शिक्षा की पहली सीढ़ी है । पन्द्रह से पैंतीस वर्ष के उन नागरिकों के लिए जिन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी अथवा समय से पूर्व औपचारिक विद्यालय तंत्र को छोड दिया था, उनके लिए कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66) ने प्रौढ़ शिक्षा तथा प्रौढ़ साक्षरता शब्दावली का प्रयोग किया था । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा एवं सतत् शिक्षा का प्रयोग किया गया था । कई कारणों से महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा को विकास की पहली सीढ़ी माना जाता है । अनेक शोध परिणाम बताते हैं कि जिन देशों में महिलायें शिक्षित हैं वहाँ बच्चों की उचित देखभाल होती है । बच्चों की मृत्यु दर कम होती है स्वास्थ्य सूचकांक ऊँचा है, अंधविश्वास में कमी होती है परिवार नियोजन का अधिक उचित ढंग से पालन होता है ।

ऐसा माना जाता है कि शिक्षित माताओं के होने से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में अधिक रुचि ली जाती है । इन्हीं कारणों से महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करने की सिफारिश निरन्तर की जाती रही है । महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत साक्षरता, सामान्य पढने लिखने की योग्यता गणित, भाषा के साथ-साथ स्वास्थ्य, साधारण उपचार, शिशु देखभाल, भोजन एवं पोषण तथा सामान्य सामाजिक एवं नागरिक शास्त्र सम्बन्धी शिक्षा प्रदान की जाती है । इसके साथ ही ग्रामीण महिलाओं को कृषि, पशु-पालन, हस्तकला आदि में प्रशिक्षण प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत दिया जाता है ।

भारत में वर्ष 1977 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रौढ़ शिक्षा नीति घोषित की गई थी । इसके साथ ही समय-समय पर संचालित कार्यक्रमों गठित कमीशनों व समितियों का जिक्र आवश्यक प्रतीत होता है जिनके द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयत्न किये गये -

- 2 अक्टूबर 1978 का राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरु किया गया है । जिसका लक्ष्य सन् 1978-79 से 1983-64 की अवधि में 15-35 आयु वर्ग के 10 करोड़ असाक्षर व्यक्तियों की प्रौढ़ शिक्षा की सुविधायें प्रदान करना रहा ।
- सन् 1986 से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारम्भ करने का निर्णय किया गया, जिसे 1988 में लागू किया गया । इसका लक्ष्य सन् 2007 तक 15-35 आयु वर्ग के निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है ।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय भी प्रौढ़ शिक्षा व पूर्ण साक्षरता अभियान के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्यरत है ।
- सन् व 1985 फरवरी में जन शिक्षण निलयन स्थापित करने पर निर्णय लिया गया था । जिसका उद्देश्य उत्तर साक्षरता व सतत् शिक्षा को स्थायी बनाना था ।
- जनवरी 1991 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई जिसने स्त्री पुरुष कार्य मूल्यांकन उतार साक्षरता व सतत् शिक्षा व संचार सम्बन्धी योजनाएं शुरु की हैं । जो शिक्षा विकास हेतु प्रयासरत हैं ।

इसके अलावा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 से सन् 2008 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा हेतु विभिन्न राज्यों व जिलों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कर रहा है । इसके लिए अपेक्षित वितीय साधन व अनुदान देने की व्यवस्था की गई है । इस क्षेत्र में राज्यों में प्रौढ़ साक्षरता हेतु जन शिक्षण संस्थान कार्य कर रहे है, साथ ही लक्ष्य प्राप्ति हेतु NGOs की सहायता भी ले रहे हैं ।

प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न प्रयासों को पूर्णत: सफल बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर प्रौढ़ों की रुचियों व आवश्यकतानुसार विशिष्ट पाठ्यक्रम व प्रौढ़ों के वास्तविक जीवन के अनुरूप शिक्षण विधियों तथा उन की सुविधानुसार समय व स्थान का चुनाव आवश्यक हैं ।

प्रौढ़ महिलाओं को - रेडियो, सिनेमा, भाषण नाटक, त्यौहार, राष्ट्रीय दिवसों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन, मेला, लोकगीत, भजन, कीर्तन आदि के द्वारा अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान की जा सकती है इसके अतिरिक्त निम्न बिन्दु ध्यान रखने योग्य हैं -

- अशिक्षित प्रौढ़ महिलाओं की स्थानीय आवश्यकताओं एवं पर्यावरण को रखकर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम बनाया जाये ।
- व्यावहारिक दृष्टिकोण से कार्यक्रम रोचक सुविधाजनक व लचीला हो । इससे समय, अवधि
- कार्यकाल रखना व शिक्षण पर्यावरण सम्बन्धी कठोर नियम न हो ।
- प्रौढ़ महिलाओं के घरेलू क्रिया-कलापों से सम्बन्धित विविध विषयों को पाठयक्रम में समुचित स्थान दिया जाए । सीखने सिखाने सम्बन्धी रोचक सहायक सामग्री एवं शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाये !
- इस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रत्येक दृष्टिकोण से सुसंगठित व सुव्यवस्थित बनाई जाए ।

- प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की सफलता के लिये स्वस्थ सामाजिक वातावरण निर्माण किया जाये । जिससे शिक्षा के प्रति अपेक्षित दृष्टिकोण विकसित हो ।

आधुनिक युग में यह अत्यंत आवश्यक है कि महिलायें शिक्षित हों ताकि वे अपने जीवन को सार्थक व समाजोपयोगी बना सके । इसकी शिक्षा उनके वास्तविक जीवन से सम्बद्ध हो' जिससे वे जिस भी कार्य से जुड़े उसमें उनकी दक्षता निरन्तर बढ़ती रहे ।

उनकी पाठ्यसामग्री देश काल के अनुरूप और उपलब्धि की दृष्टि से सहज प्राप्त हो । प्रौढ़ शिक्षक व शिक्षिकाओं तथा महिलाओं के परस्पर सम्बन्धों में सहजता हो । उनके अन्तर्मन में ज्ञान पिपासा जागृत कर दी जाये, जिससे वे स्वयं शिक्षा की प्रक्रिया को विकास के उच्चतर लक्ष्य की ओर ले जाने को और अग्रसर रहें ।

वर्तमान में प्रौढ़ शिक्षा को सामुदायिक उत्थान खासकर पिछले वर्गो, महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने के लक्ष्य को साथ में रखकर एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जा है । इसके लिए सरकारी संगठनों शिक्षा विभाग, महिला तथा बाल विकास विभाग के साथ-साथ गैर संगठनों की सहायता भी ली जा रही है ।

इस हेतु सतत शिक्षा केन्द्रों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों, सामुदायिक पॉलीटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (IITS) श्रमिक विद्यापीठ, जन शिक्षण शालाओं, कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि तथा गृह विज्ञान के विस्तार शिक्षा (Extension Education) केन्द्रों की भी मदद ली जा रही है । साक्षरता तथा सतत् शिक्षा के साथ-साथ महिलाओं को सहायता प्रदान करने, उनकी जीवन की परिस्थितियों को सुधारने हेतु उन्हें व्यावसायिक कौशलों की शिक्षा प्रदान करवाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है । इससे न केवल महिलाओं में शिक्षा प्राप्त करने में रुचि बढ़ी है, बल्कि उनका जीवन स्तर में भी सुधार संभव हुआ है । सामाजिक कुरीतियों, शोषण के विरुद्ध एक जुट होने तथा आर्थिक रूप से अधिक सक्षम होने में प्रौढ़ शिक्षा का महत्त्व महिलाओं के लिए बढ़ गया है । आज देश में 'महिला समाख्या' नाम से चलाये जा रहे वृहत् कार्यक्रम इसी नीति के चलते अनेक सफलताएँ हासिल कर रहे हैं ।

इसी प्रकार राजस्थान में वर्ष 1984 से "महिला विकास कार्यक्रम" चलाया जा रहा है । जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सूचना शिक्षा तथा प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षा स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण, रोजगार के संदर्भ में जागृति लाने करने का कार्य किया जा रहा है । इसके अन्तर्गत शिक्षण-प्रशिक्षण, समूह चर्चा, फिल्म शो, नुक्कड़-नाटक, कैम्प आदि के माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है । लेकिन सरकारी तथा गैरसरकारी संगठनों के बीच उचित तालमेल का अभाव उपयुक्त संगठनात्मक ढाँचे के अभाव में यह कार्यक्रम गति नहीं पकड़ रहा है । इसी प्रकार किशोर बालिकाओं के सामाजिक विकास के लिए राजस्थान में लाडली (LADLI) योजना चलाई जा रही है । इसके द्वारा किशोर बालिकाओं के समूहों का गठन केम्प तथा मेलों के द्वारा किशोर बालिकाओं में परम्परागत कौशलों तथा कढ़ाई का विकास आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । फरवरी 2001 तक 19 जिलों की 18600 लड़कियों को इस योजना के तहत लाया गया है ।

यदि प्रौढ़ शिक्षा महिलाओं के दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन ला सकें जिससे वे शिक्षा को अपने जीवन की आवश्यकता मान पाये, देश के भविष्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को महसूस कर सकें तभी हम महिला साक्षरता के द्वारा सम्पूर्ण देश को साक्षर बनाकर विश्व में गौरवमय स्थान को पुन: पाने का स्वप्न साकार करने में सक्षम हो सकेंगे ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न -3

1 सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम है?

2 महिलाओं हेतु बनायी जाने वाली प्रौढ़ शिक्षा योजना किस प्रकार की होनी चाहिए?

9.6 सारांश; (Summary)

1. केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर जिन शिक्षा आयोगों की स्थापना की थीं, उन सभी ने महिला-शिक्षा पर अभिशंसाएँ अवश्य की हैं ।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने 'समानता के लिए शिक्षा' के अन्तर्गत महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा के विषय में संकल्प व्यक्त किया है । शिक्षा की राष्ट्रीय नीति विशेषत: यह संकल्प करती है कि 6-14 आयु वर्ग के सभी बालक - बालिकाओं को संतोषप्रद गुणवता वाली प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए ।
3. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में नामांकन, ठहराव एवं उपलब्धि में लिंग भेद को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे है । मुख्य बल उन गतिविधियों पर दिया जा रहा है, जिनको जन चेतना बढ़ाने एवं बालिका शिक्षा को उन्नत करने के लिए रूपांकित किया गया था । लिंग भेद के अन्तर को कम करने के लिए रणनीतियों को अपनाया गया है।
4. महिला समाख्या के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की पिछड़ी महिलाओं को साक्षरता के बजाय शिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है । इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य गरीब महिलाओं के उन सामाजिक साँस्कृतिक एवं आर्थिक जटिलताओं को दूर करना था, जो उन्हें शैक्षिक प्रक्रिया से बाहर रख रही थी ।
5. सर्व शिक्षा अभियान एक वृहत योजना है । सर्व शिक्षा अभियान का विद्यालय तंत्र समुदाय के स्वामित्व के द्वारा वर्ष 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवतापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है !
6. अशिक्षित प्रौढ़ महिलाओं की स्थानीय आवश्यकताओं एवं पर्यावरण के दृष्टिगत रखकर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम बनाया जाना आवश्यक है ।

मूल्यांकन प्रश्न (Self Evaluation Questions)

1. स्वतंत्रता के पश्चात् गठित की गई समितियों, शिक्षा आयोगों ने महिला शिक्षा पर क्या अभिशंसाएं की ? विवेचना करें ।

2. सर्वशिक्षा अभियान के तहत बालिका शिक्षा हेतु किये जाने वाले प्रयासों का वर्णन करें ।
3. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत लिंग भेद कम करने किये जाने वाले प्रयासों की विवेचना करें ।
4. महिला समाख्या कार्यक्रम में शिक्षा को सीखने और सामर्थ्यवान को सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है, जो सिर्फ साक्षरता से परे है । व्याख्या करें ।
5. प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम किस प्रकार महिला शिक्षा सहायता प्रदान कर रहा है? व्याख्या कीजिए।

9.7 संदर्भ ग्रन्थ (References)

1. अग्रवाल जे.सी. (1998) : भारत में प्रौढ़ शिक्षा, विद्या विहार, नई दिल्ली ।
2. पारीक, मथुरेश्वर, सम्पादक (2002) "राजस्थान में शिक्षा" राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर ।
3. शिक्षा विभाग (2008), वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. वर्मा, सांवलिया बिहारी, एम.एल. सोनी एवं संजीव गुप्ता, (2005) "महिला जाग्रति और सशक्तीकरण", आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर ।
5. Goel Aruna(2004) : "Education and Socio-Economic Pespectives of women Development and Empowerment," Deep and Deep Publications, New Delhi.
6. M.H.R.D.(2007) : "Chapter on Elementary Education (SSA and Girls) XI plan Working group Report" as on '
7. Pandey, A.K. (2002) :"Emerging issues in Empowerment of Women," Anmol publications, New Delhi.
8. patanjali, Prem Chand (2005) : "Development of Non-Formal Education in India," Shree Publishers and Distrubutors,New Delhi.
9. Satya B.R. (2003): "Trends in Education",Anmol Publication, New Delhi Sharma, Usha, B.M.Sharma(1995):"Education", New Delhi.
10. Usmani, B.D.(2004):"Women Education in twenty first Century", Anmol Publications, New Delhi.

इकाई 10

पंचवर्षीय योजनाएं एव महिला शिक्षा

(Five- Year Plane and Women Programme)

इकाई की रूपरेखा (Structure of the Unit)

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 नियोजन क्यों ?

10.2.1 नियोजन की आवश्यकता

10.2.2 नियोजन में योजना आयोग

10.2.3 योजना आयोग के उद्देश्य

10.2.4 योजना आयोग का दायित्व

10.2.5 योजना आयोग की संरचना ।

10.3 पंचवर्षीय योजनाएं एक परिचय ।

10.3.1 पंचवर्षीय योजना के चरण

10.3.2 पंचवर्षीय योजना से पूर्व महिला शिक्षा

10.3.3 स्वतंत्रता के बाद महिला शिक्षा

10.3.4 पंचवर्षीय योजना में शिक्षा

10.3.5 पंचवर्षीय योजना में विश्लेषणात्मक विवेचन

10.4 महिला शिक्षा के लिए किए जा रहे नवीन प्रयास

10.5 सारांश

10.6 सन्दर्भ ग्रंथ

10.0 उद्देश्य (Objecties)

आधार पाठ्यक्रम के बी.एड खण्ड 3 के नीतिगत एवं वैद्यानिक प्रावधान के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजनाओं में महिला शिक्षा से सम्बन्धित विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त सकेंगे । इस इकाई को पढने के बाद आप -

- स्वतन्त्रता के पहले महिला शिक्षा की स्थिति के बारे में जानेंगे ।
- स्वतन्त्रता के बाद महिला शिक्षा की स्थिति के बारे में जान सकेंगे ।
- पंचवर्षीय योजनाओं का परिचय प्राप्त कर विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों को जान सकेंगे।
- पंचवर्षीय योजनाओं में महिला शिक्षा से जुड़े प्रावधानों की जान सकेंगे ।
- सांख्यिकी आधार पर महिला शिक्षा से सम्बन्धित स्थिति का विवेचन कर सकेंगे ।

- महिला शिक्षा से सम्बन्धित किए जा रहे प्रयासों के बारे में जान सकेगें ।

10.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय संविधान में भारत को एक लोकतंत्रात्मक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है । इसका अर्थ है, हमारे देश में जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन हैं । ऐसा शासन जो राज्य के कल्याण के लिए निरन्तर प्रयास करता हैं । जनता के सर्व हितों को ध्यान में रखते हुए विकास के लिए योजना निर्माण करता है व लक्ष्यानुसार क्रियान्वयन के प्रयास करता हैं ।

हम सब जानते है 15 अगस्त 1947 को देश स्वतन्त्र हुआ था । ब्रिटिश साम्राज्य जाते जाते हमें गरीबी, भूख, बेरोजगारी, अशिक्षा, अराजकता, विभाजन व सामाजिक आर्थिक असन्तुलन का उपहार देकर गए थे । ऐसी परिस्थितियों में आवश्यकता थी राष्ट्र के विकास की सही दिशा देने की व राष्ट्र को ऐसे समय में आवश्यकता थी सफल नियोजन व नियोजनकर्ता की ।

एक विहंगम दृष्टि डाले तो ज्ञात होगा कि हमारा राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक, शैक्षिक व राजनीतिक दृष्टि से टूट की कगार पर था । देश ने विभाजन को देखा, पाश्चात्य संस्कृति के दबाव, मैकाले शिक्षा पद्धति के प्रचलन व राजनीतिक दलों की अपरिपक्वता ने राष्ट्र को दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया । ऐसे में आवश्यकता हुई नियोजन की।

10.2 नियोजन क्यों ?

किसी भी राष्ट्र, संस्था के लिए भविष्य में क्या करना है? कैसे करना है, किन साधनों के उपयोग से करना है? किन साधनों के उपयोग से करना है? आदि प्रश्नों का पूर्व निर्धारण ही नियोजन है । यूँ कहें कल के कार्यो का आज निर्धारण करना नियोजन कार्य करने से पहले की मानसिक क्रिया है । यह कार्य नियोजन की निर्धारण की विवेकपूर्ण व विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है।

20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हेनरी फेयोल ने पांच कार्य बताते हुए पूर्वानुमान लगाने व योजना बनाने को प्राथमिकता दी । लूथरगलिक ने अपनी पोस्टकार्बसूची मे नियोजन को सर्वप्रथम स्थान दिया । जे.पी बर्गर ने नियोजन को एक भावी प्रक्रिया मानते हुए परिणाम की पहले से ही कल्पना करनी की योग्यता बताया ।

10.2.1 नियोजन की आवश्यकता

अर्नेष्ट सी मिलन के अनुसार प्रबन्धकीय नियोजन अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यो को एक स्थायी समन्वित ढांचे को प्राप्त करने हेतु प्रयास करता है । इस रूप में उन्होने नियोजन को तीन प्रकार से बताया है-

1. **भौतिक नियोजन-** राष्ट्रीय योजना जो देश के प्राकृतिक स्त्रोत एवं साधनों का नियोजन है ।
2. **आर्थिक व सामाजिक नियोजन-** भावी आर्थिक आवश्यकतानुसार अनुमान लगाकर देश में अगले पांच या दस वर्षा में किन-किन सेवाओं की आवश्यकता होगी । इसके बाद प्राथमिकता

का निर्धारण किया जाकर उत्पादन व उपयोग के संदर्भ में पर्याप्तता को देखा जाता हैं । साथ ही आर्थिक उन्नति व विकास समाज के निजी अंगों पर नहीं छोडकर सरकार के कर्तव्यों व उत्तरदायित्व की दृष्टि से देखा जाता है । भारत में पंचवर्षीय योजना का आधार ही आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन रहा है ।

3. प्रशासकीय एवं प्रबन्धकीय नियोजन- कार्यो के क्रियान्वयन में किन-किन संगठनों, कार्यकर्त्ताओं और विधियों की आवश्यकता है । इसका निर्धारण करना है ।

10.2.2 नियोजन में योजना आयोग

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन की अवधारणा को स्वीकार करते हुए योजना आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद् जैसे निकाय अस्तित्व में आए । "योजना आयोग" 15 मार्च 1950 में परामर्श के रूप में अस्तित्व में आयी । समयान्तर के साथ-साथ यह सरकार व आकार के रूप में जाने जाना लगा जिसने वित्त आयोग, संघवाद तथा प्रजातंत्र को काफी प्रभावित किया । नियोजन के जनक विख्यात इंजीनियर एन.विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक "प्लाण्ड इकॉनामी फॉर इण्डिया" में इसका विस्तृत वर्णन किया है ।

10.2.3 योजना आयोग का उद्देश्य

वास्तविक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए तथा सभी संगत आर्थिक पहलुओं का निष्पक्ष विश्लेषण करते हुए व्यापक योजना बनाने के लिए ऐसा संगठन बनाया जाए जो सभी नागरिकों को जिविका के पर्याप्त साधन, सामूहिक हित में सम्पत्ति का बंटवारा और अर्थ व्यवस्था का हितकारी विकेन्द्रीकरण राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों पर आधारित कर सकें ।'

1 मंत्री मंडल का संकल्प संख्या पीसी 150 भारत का राजपत्र दि 15.03.1950.

10.2.4 योजना आयोग का दायित्व

1. देश की भौतिक व जनशक्ति का अनुमान लगाकर आवश्यकतानुसार संसाधनों में वृद्धि करना।
2. उपलब्ध संसाधनों का सन्तुलित उपयोग के लिए प्रभावकारी योजना मनाना ।
3. योजना की क्रियान्विति के चरण आने वाली समस्याओं के निराकरण, आवश्यक तंत्र का निर्धारण करना ।

इनके सहयोग के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन किया गया । जिसके सदस्य के रूप में संघ राज्य के समस्त मुख्यमंत्री होते हैं ।

10.2.5 योजना आयोग की संरचना

योजना आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं । उपाध्यक्ष व सदस्य होते हैं । मंत्रालय स्तर दो विभाग हैं । सामान्य विभाग व विशिष्ट विभाग सहयोग के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् । वर्तमान में प्रधानमंत्री डी. मनमोहन सिंह अध्यक्ष व श्री मोंटेक अहलूवालिया उपाध्यक्ष हैं ।

10.3 पंचवर्षीय योजनाएं:-एक परिचय

नवभारत के निर्माणकारों ने भविष्य की योजना बनाते समय निर्मित सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की आधारशीला रखी । योजनाकारों ने भारतीय अर्थ व्यवस्था के मिश्रित स्वरूप अर्थात् पूंजीवाद व समाजवाद के दोनों ही स्वरूपों को अपने नियोजन नीति बाजार के लिए स्वीकारा ।

योजना आयोग ने "Economic Planning means utilization of countries resources into different Development activities in accordance with national priorities" के लक्ष्यानुरूप कार्य करने की योजना निर्धारित की और जैसे साम्यवादी रूस ने 1928 के बाद योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन एवं विकास का मार्ग अपनाया । भारत ने भी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद अपने लक्ष्यों का निर्धारण किया । भारत में योजना के लक्ष्य और सामाजिक उद्देश्यों का निर्धारण राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धान्तों के आधार पर किया गया । आईये एक दृष्टि आज तक की पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों पर डालें-

10.3.1 पंचवर्षीय योजना के चरण

1. प्रथम पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1951-56):-

लक्ष्य-

1. राष्ट्रीय आय का पांच से सात प्रतिशत -तक पूंजी निवेश की दर बढ़ाना ।
2. इसके लिए कृषि, सिंचाई और बिजली को प्राथमिकता देना ।

2. दूसरी पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1956-81):-

लक्ष्य-

1. राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत वृद्धि करना ।
2. समाजवादी व्यवस्था की स्थापना ।
3. उद्योगों- बुनियादी और भारी उद्योगों को बढ़ावा ।
4. रोजगार के अवसर बढ़ाना ।
5. आय व सम्पति में असमानता घटाना ।

3. तीसरी पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1961-62 से 1965-66 तक व 1966-1969 तक):-

लक्ष्य -

सतत् विकास की दिशा सुनिश्चित करना, खाद्यानों के क्षेत्र में आत्म निर्भरता को बढ़ावा देना व कृषि उत्पादन बढ़ाना । राष्ट्रीय आय में 30 प्रतिशत वृद्धि करना ।

4. चौथी पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1969-74):-

लक्ष्य -

1. समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना ।
2. जीवन स्तर को उठाना ।

3. रोजगार और शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से समाज के पिछड़े और दुर्बल वर्ग वंचित की स्थिति में सुधार करना ।
4. कृषि उत्पादन में सुधार ।

5. पांचवी पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1974-1979 / 1979-1980 वार्षिक योजना):-

लक्ष्य -

1. आत्मनिर्भरता हासिल करना ।
2. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की उपभोग क्षमता बढ़ाना ।
3. मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण करना ।
4. राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना(5.5 प्रतिशत की) ।

6. छठी पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1985-85):-

लक्ष्य -

1. गरीबी उन्मूलन वृद्धि ।
2. कृषि- उद्योग पर बढ़ावा ।
3. बेहतर प्रबंधन पर जोर ।

7. सातवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1985-90):-

लक्ष्य -

1. अनाज उत्पादन वृद्धि
2. रोजगार के अवसर बढ़ाना ।
3. उत्पादन का विकास आधुनिकीकरण आत्म निर्भरता व सामाजिक- न्याय ।

8. आठवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1992-97):-

लक्ष्य -

1. अर्थव्यवस्था का विकास करना।
2. नीतिगत परिवर्तन करना।
3. विकास पर 7.5 प्राप्त करना।
4. कृषि, वाणिज्य व उद्योग क्षेत्र में उन्नति करना।

9. नौंवी पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1997-2002):-

लक्ष्य -

1. सकल घरेलू उत्पादन की विकास दर 7 प्रतिशत रखना ।
2. शुद्ध पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ, शिक्षा, आवास पोषक आहार, सड़क निर्माण व सार्वजनिक वितरण प्रणाली करना ।
3. पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत करना ।

10. दसवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2002-2007):-

लक्ष्य -

1. प्रति व्यक्ति आय दुगुना करना
2. प्रत्येक वर्ष घरेलू उत्पादन दर 8 प्रतिशत करना
3. आर्थिक विकास
4. स्वास्थ्य, शिक्षा साक्षरता दर, पेयजल पर विशेष ध्यान देना ।

11. ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2007-2012 निरन्तर):-

लक्ष्य -

1. शिक्षा पर विशेष बल ।
2. उत्पादन वृद्धि ।
3. स्वास्थ्य पेयजल सुविधा वृद्धि ।

देश में अब तक की पंचवर्षीय योजना का निर्माण क्षेत्र कृषि, उद्योग, सामाजिक न्याय वितरण व समाज कल्याण के कार्यक्रम स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगार के अवसर जैसे रहे है ।

आईये एक दृष्टि डालें-

तालिका - 1

पंचवर्षीय योजना का प्रावधान बजट (करोड़ मे)

विवरण	सत्र	आवंटन	खर्च
प्रथम पंचवर्षीय	1951-56	64.50	54.15
द्वितीय पंचवर्षीय	1956-61	105.27	102.74
तृतीय पंचवर्षीय	1966-69	236.00	212.70
तृतीय(वार्षिक)	1966-69	132.60	136.76
चतुर्थ पंचवर्षीय	1969-74	306.21	308.79
पंचमं पंचवर्षीय	1974-79	847.16	857.62
पंचम (वार्षिक)	1979-80	275.00	2120.45
छठी पंचवर्षीय	1980-85	2025.00	2120.45
सातवीं पंचवर्षीय	1985-90	3000.00	3106.18
सातवीं (वार्षिक)	1990-91	956.00	975.57
सातवीं (वार्षिक)	1991-92	1170.00	1184.41
आठवीं पंचवर्षीय	1992-97	11500.00	11998.97
नवीं पंचवर्षीय	1997-02	27650.00	19566.82
दसवीं पंचवर्षीय	2002-07	31831.75	24765.83

स्रोत- आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर

10.3.2 पंचवर्षीय योजना पूर्व महिला शिक्षा

जैसा कि हमने इकाई 1 में पढ़ा है कि महिला शिक्षा के सम्बन्ध में यदि हम प्राचीन काल से स्वतंत्रता तक की स्थिति को देखते है तो ज्ञात होता है कि वैदिक काल में भारतीय नारी पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त कर सकती थी । मैत्रयी, गार्गी, लोपामुद्रा आदि नारियों के

नाम इतिहास में मिलते हैं । बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म ने भी स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है, इस दृष्टि से यह युग समृद्ध युग था ।

स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द ने भी राष्ट्र समाज प्रशासन तथा परिवार के क्रिया कलापों में महिला सहभागिता को प्रमुख मानते हुए महिला शिक्षा को प्रमुखता दी है ।

भारत में मध्यकाल महिला शिक्षा की दृष्टि से अत्याधिक महत्व नहीं रहा । सामाजिक धार्मिकमय उच्च शिक्षा केवल शाही तथा अमीर घरानों तक रह गई थी ।

ब्रिटिश काल में महिला शिक्षा का प्रारम्भिक काल में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई तथा नारी शिक्षा लगभग उपेक्षणीय रही, परन्तु बाद के वर्षा में नारी शिक्षा के विशेष प्रयास किए गए । शिक्षा प्रोत्साहन हेतु अनेक महाविद्यालय खोले गए । 1835 में विलियम एडम की द्वितीय रिपोर्ट में महिला शिक्षा का पूर्ण अभाव था । तृतीय रिर्पोट में बंगाल में 6 बालिका विद्यालय थे जिनमें 214 लड़कियाँ पढ़ रही थी का जिक्र मिलता है । रिपोर्ट के अनुसार स्त्री शिक्षा का प्रचार केवल कुछ उदार विचार वाले धनी परिवारों में था । मुसलमानों में स्त्री शिक्षा का प्रचलन नहीं था ।

1854 के वुड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास का एक क्रान्तिक बिन्दु कहा जाता है । इसमें भविष्य की शैक्षिक आवश्यकताओं व गतिविधियों की ओर संकेत किया गया । इसमें स्त्री शिक्षा का विस्तार करने का संकल्प दोहराया गया तथा शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया । महिलाओं की शिक्षा की महत्ता को स्वीकार करते हुए आज्ञा पत्र में कहा गया “भारत में महिला शिक्षा के महत्व को कम कर के नहीं आका जा सकता हैं ।“ इसी प्रकार वे नागरिक जो शिक्षा से वंचित रहे उनके लिए जन शिक्षा के सरकारी प्रयास

भारत में शिक्षा का विकास **:-** डॉ. डी.एस. श्रीवास्तव साहित्य प्रकाशन आगरा पृष्ठ 66.

की सिफारिश की । "घोषणा ने वुड के घोषणा पत्र को बन्द बस्ते में डाल दिया किन्तु इसके महत्व ने लम्बे समय तक शिक्षा का विशेषकर महिला शिक्षा को प्रभावित किया ।"

20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ काल में लार्डकर्जन ने शिक्षा को प्रशासनिक सुधार का आधार माना । स्त्री शिक्षा पर अधिक व्यय की सिफारिश की गई । लार्ड कर्नल के कड़े नियन्त्रण से रुष्ट भारतवासियों ने राष्ट्रीय शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त की स्थापना की परिणामस्वरूप स्वदेशी संस्थाओं की स्थापना हुई, एक ओर बुनियादी शिक्षा के बढ़ावे के गांधी सिद्धान्त तो दूसरी ओर शांति निकेतन, वनस्थली विद्यापीठ, जामिया मिलियॉ अरविन्द आश्रम जैसी संस्थाओं को राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अन्तराष्ट्रीय स्तर का स्थान मिला ।

देश की आजादी का आन्दोलन व शैक्षिक आन्दोलन एक साथ चले परिणाम स्वरूप देश को आजादी मिली । सन् 1913 में जार्जपंचम ने शिक्षा के लिए 50 लाख की घोषणा की व स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया । पहली बार नारी शिक्षा से संबधित आकड़े 1882 से एकत्रित किए जाने लगे-

सारणी-2

वर्ष	नारी शिक्षा का प्रतिशत	प्रा.वि.का. नामांकन	उ.प्रा.वि.का नामांकन	मा.शिक्षा का नामांकन	वि.वि.का नामांकन	अन्य संख्या

1881-82	0.2	124481	-	2054	06	515
1901-20	0.7	345397	34,386	10309	264	2812
1921-22	1.8	11,98550	92,466	36698	1529	11599
1946-47	6.0	3,475165	32,1508	2,80772	23,207	56,090

प्रति 10) लड़कों की तुलना में लड़कियों का नामांकन 36 (22 मिडिल स्कूल एवं 14 माध्यमिक)

10.3.3 स्वतंत्रता पूर्व के बाद महिला शिक्षा

15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। हमने आजादी का जो सपना देखा था, वह साकार हुआ। अपना देश अपने लोग, अपनी सरकार, अपनी नीति, अपना संविधान, अपनी योजना और आकार विचार किन्तु इसको साकार करने के लिए राष्ट्र नायकों ने अथक प्रयास किए । संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान निर्माण के समय देश की भावी संरचना, विचारधारा, मूल सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक, धारणाओं को ध्यान में रखा समानता और भातृत्वता की आधारशीला रखी । यही कारण था कि स्वतन्त्रता को प्रमुखता से लिया गया ।

योजना कर्त्ताओं ने देश की प्राथमिकता में शिक्षा योजना के संदर्भ में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में स्त्रियों को पुरूषों की भाँति समान अधिकार प्रदत्त किए । मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों द्वारा महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया विशेषकर-

धारा-14: विधि के समक्ष समता

धारा-15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर समानता

धारा-16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता

धारा-19: स्वतंत्रता का अधिकार

धारा 23 व 24: शोषण के विरूद्ध तथा

धारा-39: में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशंक तत्व-

(क) पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार ।

(घ) पुरूषों और स्त्रियों, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान ।

(ड.) पुरूष और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरूपयोग न होना ।

धारा-42: काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति का उपबंध ।

धारा-325,326: चुनावों में समान अधिकार

धारा-343 डी(3): महिलाओं का आरक्षण संविधान संशोधन 73-74 द्वारा निकाय व पंचायत चुनाव में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया ।

शिक्षा के विकास को सही दिशा देने में विभिन्न आयोगों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों की क्रियान्विति की गई है, जिसका परिणाम रहा कि 1951 की 7.30 प्रतिशत महिला साक्षरता दर 2001 में बढ़कर 56.16 प्रतिशत हुई ।

आईये एक दृष्टि डाले देश में साक्षरता दर की स्थिति पर-

सारणी-3

भारत में महिला साक्षरता दरें

क्र.सं.	जनगणना वर्ष	कुल साक्षरता	पुरूष	महिला	पुरूष-महिला साक्षरता मे अन्तर
1	1901	5.35	9.83	0.60	09.23
2	1911	5.92	10.56	1.05	09.51
3	1921	7.16	12.21	1.81	10.40
4	1931	9.50	15.59	2.93	12.66
5	1941	16.10	24.90	7.30	17.66
6	1951	16.67	24.95	7.93	17.02
7	1961	24.02	34.44	12.95	21.49
8	1971	29.45	39.45	18.69	20.76
9	1981	43.56	56.37	29.75	26.62
10	1991	52.11	63.86	39.42	24.84
11	2001	65.38	75.85	54.16	21.70

10.3.4 पंचवर्षीय योजना में शिक्षा

आजादी के पश्चात् शिक्षा की नाजुक स्थिति को देखते हुए राष्ट्र की योजनाओं में शिक्षा को महत्व देने की बात आई । इसके लिए समय-समय पर आयोग समिति बनाई यथा-

1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग(1948-49)
2. माध्यमिक शिक्षा आयोग(1952-53)
3. श्रीमती दुर्गा बाई देशमुख समिती (1958-59)
4. श्रीमती हंसा मेहता समिति(1962). ।
5. भक्तवत्सलम् समिति(1963)ए- ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों की शिक्षा ।
6. स्त्री शिक्षा तथा शिक्षा आयोग (1964-66)
7. महिलाओं का राष्ट्रीय योजना (1987-88)
8. स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय योजना (1988) ।
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)
10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति (1990)

11. जनार्दन समिति (1992)

वर्तमान में महत्वपूर्ण आयोगों समिति की सिफारिशों पर क्रियान्वयन किया जा रहा है । (सारिणी-4 देखें)

10.3.5 पंचवर्षीय योजना का विश्लेषणात्मक विवेचन

पंचवर्षीय योजना के विभिन्न -चरणों के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य राष्ट्रीय आय बढ़ाना रहा और उद्देश्यों में कृषि व उद्योगों का विकास ही महत्वपूर्ण लक्ष्य था । शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली शिक्षा व विश्वविद्यालयी शिक्षा का भी प्रावधान किया । पंचवर्षीय योजना में बुनियादी शिक्षा, प्रारम्भिक, माध्यमिक, महाविद्यालयी, विश्वविद्यालयी तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के उत्थान व विकास की बात कहीं गई ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में 169 करोड़ रू. प्रस्तावित किया गया व द्वितीय पंचवर्षीय योजना योजना में 307 करोड़ बजट प्रावधानित किया । इस लक्ष्य की दृष्टि से महिला शिक्षा का क्षेत्र पिछड़ा रहा । बालकों की अपेक्षा महिलाओं का नामांकन पीछे रहा

सारिणी- 5 **(प्रतिशत)**

	1950-51		1955-56		1960-61	
	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं
प्राथमिक(6- 11)	59	25	69	33	86	40
उच्च प्राथमिक(11-14)	22	05	30	08	36	10

अगली योजना में बालिका शिक्षा का लक्ष्य 28 प्रतिशत रखा गया । बालिका शिक्षा की समस्या के लिए विशेष प्रयास करने की बात आयी । लड़कियों के लिए सामाजिक बाध्यता को देखते हुए लड़कियों के पृथक्क से विद्यालय, महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता महसूस की गई । 1953-54 में कुल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक संख्या का 17प्रतिशत संख्या महिला शिक्षिकाओं की थी ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में योजना में इस लक्ष्य को विशेष माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा की स्थिति गंभीर रही । लगभग 3 प्रतिशत बालिकाओं ने ही माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश लिया । इसके पीछे दो कारण थे- लड़कियो के लिए पृथक्क से विद्यालय नहीं होना और रोजगार के अवसरों की कमी । विश्वविद्यालयो शिक्षा तक पहुंच कम पायी गयी ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पाठ्यपुस्तक व शिक्षण पद्धति तैयार की गई । विज्ञान शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, निर्देशन के क्षेत्र में विकास के चरण जोड़े गए । छात्रवृति वृद्धि, स्टाईफंड और फीशिप की सुविधा दी गई ।

इसमें 1960-61 के 344 करोड़

1968-69 के 850 करोड़ का प्रावधान किया गया ।

इस योजना में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार, पिछड़े क्षेत्र की शैक्षिक सुविधाओं, समुदाय व विशेषकर महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया गया । शैक्षिक भवन, उपकरण सुविधा विज्ञान शिक्षण सुधार के साथ-साथ स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र मे अनुसंधान पर जोर दिया गया । महिला शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं के नामांकन वृद्धि पर विशेष अभियान चलाया गए । कोठारी शिक्षा आयोग ने महिला शिक्षा से संबंधित अपनी सिफारिशों में-

1. अनुसूचित तथा आदिम जातियों की शिक्षा पर जोर ।
2. महिलाओं की आवश्यकता पूर्ति हेतु उच्चतर शिक्षा होना ।
3. निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो ।
4. महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति को प्रमुख माना ।

पांचवीं व छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के विकास का लक्ष्य मानते हुए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर का सुधार ने, जीवन जीने के तरीके में बदलाव लाने, बौद्धिक, सामाजिक व भावात्मक विकास के लिए और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साक्षरता पर बढ़ाने, कौशल विकास करने और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग की शिक्षा पर जोर दिया गया विशेषकर महिला शिक्षा के संदर्भ में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाने पर विशेष योजना बनाई गई ।

1986 को नई शिक्षा नीति के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन लाने के लिए समाज व व्यवस्था में रही विकृतियों और विषमता को दूर करने का संकल्प के साथ ही औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के विस्तार, नामांकन बढ़ाने, विद्यालयी ठहराव रखने, माध्यमिक से विश्व विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करने तक के लिए विशेष प्रावधान रखे गए एव, पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा पर बजट का विशेष प्रावधान किया गया ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर 3000 करोड़ का प्रावधान शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चल का परिवर्तन का द्योतक रहा ।

आठवीं व नवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना में 6 प्रतिशत के प्रावधान ने शिक्षा की मूल दिशा व दशा में परिवर्तन किया । मानव विकास में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण निवेश है इस धारणा को ध्यान में रखते हुए पिछले दशकों में साक्षरता, स्कूल नामांकन प्रवेश, स्कूल नेटवर्क और तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के संसाधनों में फैला व हुआ है । साक्षरता दर जो 1951 में 16.67 प्रतिशत थी, वही 2001 में 65.38 प्रतिशत रही । महिला साक्षरता दर में भी जहाँ 1951 में 7.93 प्रतिशत साक्षरता दर थी वही 2001 में बढ़कर 54.16 प्रतिशत हुई । प्रवेश अनुपात भी बढ़ा है, विद्यालय संख्या बढ़ी है । सत्र 2006-07 की भारत की सांख्यिकी व आर्थिक सर्वे में देश की आजादी के समय की तुलना में 4 गुना वृद्धि बताई गई है जो सारिणी में दर्शित हैं । पंचवर्षीय योजनावधि में सामान्य शिक्षा के क्षेत्र की तुलना करें तो हम पाते है-

सारिणी- 6

शिक्षा का विस्तार

विवरण	वर्ष	वर्ष

	1950-51	2006
संस्थाएँ		
(1.) प्राथमिक और उ.प्रा. विद्यालय	223 लाख	12.63 लाख
(2.) माध्यमिक शिक्षा	0.74 लाख	1.52 लाख
(3.) महाविद्यालय	.0578 हजार	.12,178
(1.) प्राथमिक और उ.प्रा. विद्यालय	19.15 लाख	1,770 लाख
(2.) माध्यमिक शिक्षा	14.8 लाख	370 लाख
(3.) विश्व विद्यालयी	3.6	104.8 लाख

(2006-07 भारत की सांख्यिकी व आर्थिक सर्वे)

महिला शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे प्रयासों ने महिला शिक्षकों की संख्या भी 12 गुना बढ़ाकर 0.95 से 14.88 लाख हुई हैं ।

नौवीं व दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यानुरूप किए गए प्रयास, शिक्षा के क्षेत्र में लोक जुंबिश, शिक्षाकर्मी, डीपीईपी, सर्वे शिक्षा अभियान के माध्यम से लडकियों जो आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गो तथा कठिन परिस्थितियों में जीने वाले वंचित वर्ग की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया । वर्ष 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति महिला शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुई हैं ।

सामूहिक प्रयास, एक जुटता व समन्वय की आवश्यकता से ही प्रारम्भिक व महिला शिक्षा के लक्ष्य पूरे हो सके है । विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संगठन के समन्वित प्रयास की आवश्यकता महसूस की गई ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 किसी भी राष्ट्र में नियोजन की क्या आवश्यकता है और यह कितने प्रकार के होती है !

2 सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा पर ज़ोर कब और किसने दिया !

3 महिलाओं में शिक्षा पर ज़ोर कब और किसने दिया !

4 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के क्या लक्ष्य है !

10.4 महिला शिक्षा के लिए किए जा रहे नवीन प्रयास

1. विद्यालयों में महिला अध्यापक वृद्धि ।
2. अपारंपरिक शिक्षा योजना के अधिन बालिका केन्द्रों के लिए अलग से बजट ।
3. ई जी एस स्कूल,ब्रिजकोर्स, वापिस स्कूल कैम्पस, स्कूल जाने वाली बालिकाओं के लिए आवासीय शिविर ।
4. लोक जुंबिश, निम्न महिला साक्षरता जिलों में डीपीईपी महिला अधिकारिता के लिए महिला समाख्या योजना ।
5. माध्यमिक शिक्षा तक लड़कियों की निःशुल्क शिक्षा ।

6. पिछड़े जिलो / ब्लाकों में विशेष रूप से बालिकाओं के लिए कस्तूरबागांधी स्वतंत्रता विद्यालय स्थापना ।
7. बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए ग्रेस प्रोजेक्ट, ट्रांसपोर्ट वाउचर, साइकिल वितरण योजना, गार्गी पुरूस्कार, स्कूटी योजना, बालिका फाउण्डेशन विद्यार्थी दुर्घटना योजना, पोषाहार कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, विकलांग बालकों की सुविधा व अनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं ।
8. ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वशिक्षा अभियान के प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से भी महिला शिक्षा किशोर वय शिक्षा पर बल दिया जा रहा हैं ।
9. राष्ट्रीय सतत् साक्षरता अभियान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों के माध्यम से महिला शिक्षा के फेडेस्ट पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे ।

10.5 सारांश (Summary)

उपर्युक्त विवेचन में हमने देखा कि भारत में महिला शिक्षा के संदर्भ में स्वतंत्रता पूर्व व तीसरी पंचवर्षीय योजना तक स्थिति गम्भीर रही । प्राचीन काल में महिला शिक्षा के उत्थान, मध्यकाल व ब्रिटिश काल के आधे शासन काल तक अंधकारमय, 1901 से 1948 तक अधरझूल की स्थिति तथा 1951 से 1961 तक महिला शिक्षा के क्षेत्रों में उतरते चढ़ते प्रयासों ने चिंतनीय स्थिति बनाई ।

डी. एस. कोठारी शिक्षा आयोग और चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकारों ने शिक्षा में सुधार भवन निर्माण, शिक्षण पद्धति, पाठ्य चर्चा निर्माण एवं विशेषकर वंचित वर्ग व महिला शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को बढ़ाया । कालान्तर में सातवीं, नौवी दसवीं पंचवर्षीय योजना में बजट प्रावधानों में वृद्धि से, नई शिक्षा नीति 1986, जर्नादन समिति 1992 व सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने शिक्षा के सभी स्तरों पर आमूल परिवर्तन किया हैं ।

वर्तमान में प्रारम्भिक, माध्यमिक, महाविद्यालयी व विश्वविद्यालयी शिक्षा के वृद्धि, विस्तार ने वंचित वर्ग, अल्पसंख्यक शिक्षा, विकलांग शिक्षा महिला शिक्षा को प्रभावित व प्रसारित किया है । फिर भी आवश्यकता है, सम्पूर्ण शिक्षा, साक्षरता, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक शिक्षा, क्षेत्र की उन समस्याओं से संघर्ष करके की जो महिला शिक्षा के लिए बाधक है । आवश्यकता है - सामूहिक निश्चय, व संगठित प्रयास की !

मूल्यांकन प्रश्न

1. स्वतन्त्रता पूर्व व पश्चात् भारत में महिला शिक्षा की स्थिति का विस्तृत वर्णन करिए ।
2. किसी भी राष्ट्र के लिए नियोजन की आवश्यकता क्यों होती हैं? भारत के संदर्भ में व्याख्या कीजिए ।
3. योजना आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में व्याख्या करें ।

4. पंचवर्षीय योजना में महिला शिक्षा की स्थिति व विकास के दृष्टि से विवेचनात्मक टिप्पणी लिखिए ।

5. सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद से महिला शिक्षा को नई दिशा मिली हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? तर्क पूर्ण टिप्पणी करें ।

10.6 संदर्भ ग्रंथ(Reference)

1. लोक प्रशासन- डॉ. बी. एल.फडिया, साहित्य भवन, पब्लिकेशन, हास्पिटल, रोड, आगरा 28003 ।
2. भारत में नारी शिक्षा- जे. सी. अग्रवाल, विद्या विहार, नई दिल्ली ।
3. आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएं- डी एस. पी. गुप्ता, डॉ. अलका गुप्ता शारदा पुस्तक भवन, इलाहबाद ।
4. भारत 2009- प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ।
5. शैक्षिक प्रबन्धक एवं विद्यालय संगठन डॉ. राधारानी सक्सैना व प्रकाश नारायण नाटाणी, माया प्रकाशन मंदिर, जयपुर 2.
6. योजना आयोग के दस्तावेज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली ।

इकाई 11

स्वयं सेवी संस्थाएं और महिला शिक्षा

(Voluntary Organization and Women Education)

इकाई की संरचना (Structure of the Unit)

11.0 उद्देश्य

11.1 स्वयं सेवी संस्थाओं की आवश्यकता व अर्थ

11.2 स्वयं सेवी संस्थाओं की महिला शिक्षा में भूमिका

11.3 महिलाओं के लिए संलग्न कुछ महत्वपूर्ण स्वयं सेवी संस्थाएं एवं उनका योगदान

11.4 राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक स्वयं सेवी महिला शिक्षण संस्थाएं

11.5 राजस्थान में राज्य सरकार के सहयोगी महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाएं

11.6 सारांश

11.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची

11.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- स्वयं सेवी संस्थाओं के अर्थ एवं परिप्रेक्ष्य को महिला शिक्षा के संदर्भ में स्पष्ट कर
- सकेंगे हैं ।
- स्वयं सेवी संस्थाओं की महिला शिक्षा में भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे ।
- कुछ महत्वपूर्ण स्वयं सेवी संस्थानों के महिला शिक्षा में योगदान को जानेंगे ।
- राजस्थान में शैक्षिक कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं से परिचित होंगे।
- स्वयं सेवी संस्थाओं की महिला शिक्षा के प्रसार हेतु भावी भूमिका का विश्लेषण करेंगे ।

11.1 स्वयं सेवी संस्थाओं की आवश्यकता एवं अर्थ (Meaning and need of Voluntary Organisation)

मध्यकाल के विकट समय के पश्चात् महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अंग्रेज सरकार ने कुछ प्रयास किए थे । लेकिन उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के स्वार्थ की भावना एवं ईसाईकरण के प्रसार के प्रति शंका होने के कारण वे सफल नहीं हो सकें । महिलाओं की स्थिति में सुधार के युग को प्रारम्भ करने का श्रेय महर्षि कार्वे, महात्मा फुले, दयानन्द सरस्वती राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों को दिया जाता है । इन समाज सुधारकों की अगुवाई में अनेक गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं ने आजादी के पूर्व से ही महिलाओं की स्थिति को सुधारने एवं उनको शिक्षित करने के प्रयास शुरु कर दिए थे । आपने राजस्थान में महिला शिक्षा सम्बन्धी इकाई में अध्ययन किया था कि किस प्रकार प्रकार

आजादी से पहले ही स्वयं सेवी संस्थाओं ने महिलाओं की शिक्षा हेतु विद्यालयों की स्थापना की थी । लोकतांत्रिक राजनीति द्वारा निर्मित हमारे कानून, विकास, नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम महिलाओं के विकास हेतु विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यरत है । पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-78)से लेकर अब तक महिलाओं के सबलीकरण द्वारा उनकी स्थिति में सुधार को केन्द्र में रखकर अनेक प्रयास हुए हैं । वर्ष 1990 में संसद को अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया । वर्ष 1993 में 73वे तथा 74वे संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व' बढ़ाने के लिए उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया । इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक क्रियान्वयन योजनाओं एवं व्यूह रचनाओं की घोषणा विभिन्न संगठनों एवं संगोष्ठियों के आधार पर की गई । मैक्सिकों प्लान ऑफ एक्शन (1975) नेराबी फॉरवर्ड स्ट्रेटजी (1985) द बीजिंग डिक्लरेशन (1995) इनमें प्रमुख थे । इन प्रयासों के बावजूद यह लगातार महसूस किया जा रहा है कि महिलाओं के सबलीकरण के लिए उनका शिक्षित करना प्रथम आवश्यकता है ।

लोकतंत्रात्मक राजनैतिक व्यवस्था में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की शासन चलाती है, वही जनता के हित में किये जाने वाले कार्यो का संचालन करती है । लेकिन भारत जैसे विशाल देश में नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने का कार्य सरकारी नौकरशाही करती है । हालांकि शिक्षा' 1974 के संविधान संशोधन के पश्चात् समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात् केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों के कार्य क्षेत्र में हैं । शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए केन्द्र स्तर पर निर्णय लिये जाने एवं सरकारी नौकरशाहों के भरोसे क्रियान्वयन के कारण शिक्षा के सार्वजनीकरण आदि अनेक लक्ष्य हम आजादी के 60 दशक की बीत जाने पर भी नहीं पूरे कर पाये हैं ।

वास्तव में कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं निरन्तर प्रगति के मूल्यांकन में जन समुदाय का शामिल होना भी आवश्यक हैं । विविधता पूर्ण भारतीय भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियां स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कार्यक्रमों के निर्धारण तथा क्रियान्वयन की आवश्यकता को दर्शाती है । इस हेतु स्थानीय समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है ।

स्थानीय समुदाय में स्थित उत्साही लोगों के समूह या संगठन जो बिना किसी निजी स्वार्थ या लोभ के सामाजिक उत्थान परोपकार तथा विकास के लक्ष्य के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य पर्यावरण स्वच्छता आदि कार्यो में अपना योगदान देते हैं । स्वयं सेवी संगठन या संस्था कहलाते हैं । ये संस्थाएं किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के साथ गठित की जाती है, इनका अपना संविधान होता है, साथ ही सरकारी नियमों के तहत पंजीकरण आदि के पश्चात् ये कार्य करती हैं । ये संस्थाएं गैर व्यावसायिक उद्देश्यों से संचालित की जाती है । स्वयं सेवी संस्थाओं का कार्यक्षेत्र अधिकतर स्थानीय या छोटे स्तर पर रहता हैं । स्थानीय लोगों के बीच से होने कारण उनका भावनात्मक जुड़ाव सामाजिक उत्थान के कार्यो से होता है । कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं प्राइवेट कम्पनियों, बड़े कॉरपोरेट घरानों से जुड़ी होती है, जिनका कार्य क्षेत्र भी कई बार विस्तृत होता है । साथ वित्तीय सुविधा भी अधिक होती है । लगभग सभी कॉरपोरेट या बड़े स्तर की कम्पनियां अनेक प्रकार के गैर सरकारी संगठन या स्वयं सेवी संस्थाएं संचालित करती है, जो

शिक्षा स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि मुद्दों पर कार्य करती है । स्वयं सेवी संस्थाएं अपने स्तर पर कार्य करने के साथ-साथ सरकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में भी सहायता करती है ।

सदैव ही विकास कार्यो में स्वयं सेवी संगठन सरकार को सहयोग देने के लिए आगे आते रहे हैं लेकिन एक विसंगति जो देखने में आती है कि सरकारी एजेन्सियों का रुझान खास तबके के धनी वर्ग की ओर ही रहता है । ऐसे में स्वयं सेवी संस्थाओं के सामने पीछे हटने और अपने तरीके से काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता । लेकिन यह बात स्पष्ट है कि स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका की शुरुआत ही समाज में व्यवस्था की भूमिका खत्म होने पर होती है । अत: गाँधी द्वारा कही गई ग्राम स्वराज्य की बात इस देश में सदैव ही शाश्वत रहेगी क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पोषण कार्यक्रम सरकार क्यों चलाये? स्कूल की -देखरेख ऊपर से क्यों हो? विकास गांवों में होना है ग्रामीण समाज को उनके विकास के लिए अधिकार दिए जाएँ और इसी पूर्ति के लिए उन्होंने लोकसेवक दल बनाने को कहा था जो बिना किसी स्वार्थ के कार्य कर रहे हैं ।

ये संस्थायें ना केवल स्वयं सेवी संस्थाओं को ही मदद देती हैं अपितु भारत सरकार के विभिन्न विभागों को भी मदद देती हैं । इसके अलावा सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा पर्यावरण विकास आदि परियोजनाओं को भी विभिन्न देशों की सरकारें संयुक्त राष्ट्र की एजेन्सियाँ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक आर्थिक मदद देते हैं विज्ञान विकास के शोध में फोर्ड फाउण्डेशन मदद देता है । इस पैसे को सरकार स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा खर्च कराती है । अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के जरिए भारत में जो धन आता है । उसका ब्यौरा सरकार के पास होता है । हर स्वयं सेवी संस्था को केन्द्र और राज्य सरकार के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत् रजिस्ट्रेशन कराना होता है । इन संस्थाओं को फिर केन्द्रीय गृह मंत्रालय से विदेशी अभिदान (चंदा) नियमन (नियंत्रण) अधिनियम 1976 के तहत विदेशी धन लेने का प्रमाण पत्र हासिल करना होता है । स्वयं सेवी संस्थाओं को समस्त गतिविधियों की रिपोर्ट एवं हिसाब-किताब का ब्यौरा लिखित में रखना अनिवार्य होता है । यह ब्यौरा गृह मंत्रालय, योजना विभाग, समाज कल्याण विभाग और रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज को भेजा जाता है । पुलिस, आम नागरिक एवं स्थानीय प्रशासन भी इन संस्थाओं की तफ्तीश कर सकते हैं । किसी संस्था द्वारा ऐसा नहीं किये जाने पर उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न -1

1 स्वयं सेवी संस्थाओं की क्या है ?

2 स्वयं सेवी संस्थाएँ महिला शिक्षा के लिए क्या कार्य कर रही हैं ?

3 महिलाओं के लिए कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं के नाम व कार्य लिखिए ?

11.2 स्वयं सेवी संस्थाओं की महिला शिक्षा में भूमिका (Roll of Voluntary Organisation in Women Education)

स्वतंत्रता प्राप्ति के 52 वर्ष में भी सरकार, विभिन्न सरकारी अभिकरण, निगम एवं विभिन्न राजनीतिक दल जन कल्याण के जो काम नही कर पाए ऐसे बहुत से काम स्वयं सेवी

संगठनों द्वारा पूरी मेहनत, कर्तव्यनिष्ठता एवं ईमानदारी से पूरे किए गए हैं । वर्तमान में देश के दूर-दराज आदिवासी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रुझानों के करीब 2 लाख छोटे-बड़े स्वयं सेवी संगठन कार्यरत हैं ।

ये संगठन समग्र विकास को आम जन तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ तो काम कर ही रहे हैं साथ ही आमजन को शिक्षित और जागरुक बनाने में भी महति भूमिका निभा रहे हैं । जन मानस में स्वयं सेवी संगठन अत्यन्त लोकप्रिय है । स्वयं सेवी संगठन कुआं खुदवाने, सड़क बनवाने, स्कूल खुलवाने, प्रौढ़ नारी शिक्षा केन्द्र खोलने, सामाजिक वानिकी सिखाने और लोगों को जागरुक बनाने का काम करते हैं । इनमें से ज्यादातर संस्थाओं को संचालित करने वाले अधिकतर गांधीवादी दर्शन पर आधारित था । फिर मार्क्सवादी विचारधारा का भारतीयकरण का काम करने वाले लोग हैं ।

महिलाओं को शिक्षित करने का मुद्दा स्थानीय समुदाय तथा सामाजिक-साँस्कृतिक व आर्थिक बाधाओं को दूर करने से जुड़ा हुआ है । सरकार विद्यालय तथा शिक्षक तो उपलब्ध करवा सकती है, पर इन बाधाओं को दूर करने के लिए लोकतांत्रिक समाज में जनसहभागिता की आवश्यकता होती है । इसमें स्वयं सेवी संस्थाओं की अहम् भूमिका सामने आ रही है । यही कारण है कि इस समय सर्व शिक्षा अभियान, महिला समाख्या जैसे कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों की सहायता ली जा रही है । इस कार्य में स्वयं सेवी संस्थाओं को सफलता हासिल हुई है ।

पूरे देश में ऐसे बहुत से स्वयं सेवी संगठन है । जो कि महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं । महिलाओं को उनके को अधिकारों को समझकर उनका अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें, ऐसा इन संस्थाओं का उद्देश्य है । स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ ही नागरिक अधिकार संगठनों की भी ऐतिहासिक भूमिका रही है, बंधुआ मजदूर, महिला आन्दोलन, बालश्रम और पर्यावरण आन्दोलन आज सरकारी खामियों को उजागर कर रहे हैं ।

जिनमें कुछ तो सरकारी मदद से, कुछ विदेशी पैसे की मदद से, कुछ संस्थान चंदा आदि के माध्यम से महिला सशक्तीकरण, महिलाओं की पंचायत आदि में अधिक से अधिक सहभागिता बढ़े, महिला साक्षरता के लिए भी ये संस्थाएं कार्यरत हैं ।

इस प्रकार स्वयं सेवी संस्थाएँ मुख्यत: उन लोगों को शिक्षित करने का कार्य कर रही हैं जो समाज की मुख्यधारा से जुड़े नही है, जैसे- हरिजन, ग्रामीण महिलायें, आदिवासी, भूमिहीन, और कमजोर वर्ग के लोग हैं । इन लोगों के पास पहले आवाज नहीं थी । दरअसल स्वयं सेवी संस्थाओं ने ही इन्हें जागरुक बनाने का कार्य किया है ।

11.3 महिलाओं के लिए संलग्न कुछ महत्वपूर्ण स्वयं सेवी संस्थाएं एवं उनका योगदान

पूरे देश में ऐसे बहुत से स्वयं सेवी संगठन हैं जो कि महिलाओं एवं बच्चो के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं !

देहाती इलाकों की महिला मजदूरों को संगठित करने में सांसद इला भट्ट की संस्था सेवा काफी चर्चित रही है । ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए सेवा बैंक' भी। हैं । सेवा को विदेशी एजेन्सियों एवं सरकार से भी पैसा मिलता है । महिलाओं के विकास हेतु किए जा प्रयासों में भी सेवा' संस्था का नाम उल्लेखनीय है । सुश्री इला भट्ट के निर्देशन में कार्यरत यह संस्था महिलाओं को अपने कार्य का उचित पारिश्रमिक दिलवाने तथा उन्हें संगठित करने के कार्यो के लिए जानी जाती है । इसका पूरा नाम Self Employed Women‘ Association (SEWA) है । इस संस्था ने गुजरात की महिलाओं के विकास हेतु योगदान दिया है ।

मार्क्सवादी लेनिनवादी मुहावरे बोलने वाला आंधप्रदेश का 'यंग इडिया प्रोजेक्ट' पेनुकोंडा जिले के आदिवासियों को घर दिलाने के लिए 'चिन्मुक्त' अधिकार समिति के जरिये इनके कल्याण के लिए काम किए गए है !

मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ में शंकर गुहा नियोगी के श्रमिक संघ का खासा जोर है । इस संघ के 70-80 हजार मजदूर सदस्य हैं । महिलाओं के स्वतंत्र व्यक्तित्व, उनकी बेहतर आर्थिक-सामाजिक स्थिति के लिए विभिन्न राज्यों में स्त्री संगठन सक्रिय हैं ।

आंध्रप्रदेश में महिलाओं के स्वतंत्र व्यक्तित्व के मुद्दे पर एक नया संगठन बना है । बम्बई में 'बलात्कार के खिलाफ मोर्चा' नामक संगठन स्वयं सेवी संस्था के रूप में सक्रिय है, दिल्ली में 'मानुषी' 'मुक्ति' और सहेली' संस्थायें महिलाओं के सवाल उठाती रही हैं । मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में 'किशोर भारती' और भोपाल की एकलव्य संस्थायें जन विज्ञान के मुद्दे को प्रमुखता से उठाती हैं । एकलव्य बच्चों के लिए 'चमक' नामक पत्रिका निकालती है ।

दिल्ली में युवाओं को साथ लेकर 'कल्पवृक्ष' नाम की संस्था भी इसी मुद्दे पर कार्य कर रही है । राजस्थान में भी ऐसे बहुत से स्वयं सेवी संगठन हैं जो निरन्तर बच्चो एवं महिलाओं के विकास के लिए प्रयासरत हैं । बीकानेर की उरमूल संस्था महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए निरन्तर कार्यरत है । जनकला साहित्यमंच जयपुर की संस्था पिछले कई वर्षा से बच्चों एवं महिलाओं के लिए कार्य कर रही है । इस संस्था ने महिलाओं के कई कार्यक्रम चला रखे हैं कई प्रकार के प्रशिक्षण देकर महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है, महिलाओं के द्वारा बनाये गये सामान को बेचने के लिए बाजार की व्यवस्था करने में संस्था ही मदद करती है। महिलाओं का बैंक भी इस संस्था में स्थापित किया है । जो कामकाजी, गरीब महिलाओं को छोटे-छोटे ऋणों के माध्यम से मदद करता है ।

युवा' शक्ति स्तम्भ संस्था के माध्यम से लाडकुमारी जैन महिलाओं क्रो उनके अधिकारों की एवं कानूनी प्रावधानों आदि की जानकारी देती है तथा पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए भी कार्य करती है । 'विविधा' संस्था जिसे ममता जैटली द्वारा संचालित किया जा रहा है । ये संस्था महिलाओं को पंचायत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिन प्रतिदिन बढ़े इसके लिए निरन्तर प्रयासरत है । 'विशाखा' संस्था के माध्यम से थानों से महिला पीड़ितों की रिपोर्ट प्राप्त कर महिला अत्याचार के प्रति कानूनी, संवेगात्मक एवं सामाजिक सहायता प्रदान करने का कार्य करती है ।

उदयपुर की सेवा मंदिर' एक लंबे समय से एकल नारी संगठन की स्थापना कर अकेली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें जीवन जीने की प्रेरणा देने का कार्य कर रही है ।

जयपुर की है पैरोकार विकास समिति के द्वारा नगीना उद्योग में लगे बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा एवं काम का प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया है साथ ही इन बाल श्रमिकों एवं इनकी माताओं के लिए एक सचल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था कर स्वास्थ्य जाँच एवं दवा वितरण का कार्य भी किया जाता है । 'दिगन्तर' संस्था द्वारा बच्चों के लिए शिक्षा को बाल केन्द्रित बनाने का अभिनव प्रयोग किया गया है ।

महात्मा गांधी ने विकास को आखिरी आदमी तक पहुँचाने की बात की थी, चूंकि स्वयं सेवी संस्थायें सीधे आम आदमी व दूरदराज ग्रामीण इलाकों में पहुंच रही हैं । अधिकतर संस्थाएँ भारत में भारतीय पैसे से ही कार्य करती हैं लेकिन कुछ स्वयं सेवी संस्थाएँ ऐसी हैं भी जिन्हें विकास कार्य एवं समाजसेवा हेतु विदेशी एजेन्सियों द्वारा भी मदद दी जाती है । विदेशी संस्थायें, सरकारें, बड़े औद्योगिक घराने, विश्व बैंक फोर्ड फाउण्डेशन आदि समाज हित में विकास कार्यो हेतु बहुत सी स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान देते

स्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने खुद शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका की वकालत की थी । योजना आयोग में नियुक्त युवा सलाहकार के रूप में बंकर (संदीप) राय ने भी यह चाहा था कि स्वयं सेवी संस्थाएँ एक आचार संहिता के साथ अपनी राष्ट्रीय और राज्य परिषद् समितियाँ बनाये, सरकारों से सहयोग ले और राष्ट्रीय परिषद् के जरिये ही आर्थिक जरुरतें पूरी करें । इन्होंने राज्य में अजमेर जिले के किशनगढ़ के पास "तिलौनिया क्षेत्र" में ग्रामीणों के विकास में योगदान देने वाली स्वयं सेवी संस्था प्रारम्भ की । यह संस्था सिर्फ राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत एवं विश्व में अपने कार्य के लिये प्रसिद्ध है ।

एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्याल (SNDT Women's University)- यह संस्था महर्षि केशव कार्वे के मार्गदर्शन में वर्ष 1961 से महिलाओं को शिक्षित करने के दायित्व को निभा रही है । इसे 1949 में वैधानिक मान्यता मिली थी । सर विट्ठल दास ठाकरसी ने अपनी माता श्रीमती नाथी बाई दामोदर दासजी ठाकरसी की याद में इस संस्था की स्थापना की थी, जो भारत की प्रथम महिलाओं को उच्च शिक्षा के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अवसर प्रदान करने की प्रतीक मानी जाती है । इस संस्था के द्वारा न केवल शिक्षा के औपचारिक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं बल्कि सामुदायिक विकास हेतु अनौपचारिक कार्यक्रमों को भी महत्त्व दिया जाता है ।

11.4 राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक स्वयं सेवी महिला शिक्षण संस्थाएं

सावित्री कॉलेज - राजस्थान की सांस्कृतिक, शैक्षणिक व धार्मिक नगरी अजमेर का सावित्री कन्या महाविद्यालय विगत 82 वर्षो से महिला शिक्षण के क्षेत्र में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । प्रोफेसर लालजी श्रीवास्तव की धर्मपत्नी रामप्यारी चन्द्रिका अत्यन्त गुणी एवं प्रगतिशील विचारों की महिला थी । वस्तुत: उनके मानस में एक स्त्री संस्थान की स्थापना

का बीजांकुर प्रस्फुटित हुआ और उनके दृढ़ संकल्प के फलस्वरूप 4 फरवरी 1914 को एक कन्या पाठशाला की स्थापना की गई ।

सन् 1931 में श्रम और निष्ठा की प्रतिमूर्ति इस दम्पत्ति ने इस प्राथमिक पाठशाला को मिडिल स्कूल के रूप में परिवर्तित करके पूर्व राजपूताना की रियासतों में महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन क्रान्तिकारी युग का सूत्रपात किया । सन् 1932 में इस विद्यालय को हाई स्कूल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई सन् 1941 का वर्ष इस संस्था के गौरवमय इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । इसी वर्ष अजमेर के ऐतिहासिक एवं रम्य झील आनासागर के पास शांत एवं रमणीक वातावरण में 8 हजार वर्ग गज भूमि पर कॉलेज के विशाल भवन का निर्माण कार्य द्रुत गति से प्रारम्भ हुआ तथा सन् 1943 में इस नवनिर्मित भवन में शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ हो गया । इसी समय इस शिक्षण संस्था को इन्टरमीडिएट कक्षा तक की मान्यता प्राप्त हुई । पहली कक्षा से इन्टरमीडियट कक्षा तक छात्राओं की उस समय संख्या 417 हो गई ।

सन् 1951 में सावित्री महाविद्यालय में बी.ए. की कक्षाएँ प्रारम्भ हो गई तथा सन् 1952 में विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम भी लागू किये गये । सन् 1951 में आगरा यूनिवर्सिटी में इसकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात यहाँ पर हिन्दी, साहित्य, संगीत, इतिहास एवं अर्थशास्त्र आदि विषय पढाये जाने की व्यवस्था हुई सन् 1953 में गृह विज्ञान तथा चित्रकला की कक्षायें प्रारम्भ हुई । सावित्री महिला महाविद्यालय अजमेर की एक मात्र शिक्षा संस्था है जहां पर संगीत एवं चित्रकला के शिक्षण के अलग-अलग विभाग स्थापित किये गये हैं । सन् 1968 में इस संस्थान में स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई । सर्वप्रथम एम.ए. इतिहास की कक्षाएं प्रारम्भ हुई । सन् 1973 में अर्थशास्त्र, संगीत एवं हिन्दी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किये गए । सन् 1980 में गृह विज्ञान भवन निर्मित हो गए । सन् 1984 में वाणिज्य संकाय की स्थापना की गई ।

<u>बालिका शिक्षा का वट वृक्ष : सोफिया स्कूल</u> - राजस्थान एवं उत्तरी भारत के शहरों में रहने वाले लोग सेन्ट एंजिला सोफिया स्कूल नाम से भली-भांति परिचित हैं । सन् 1926 में मात्र बीस बाईस छात्राओं के साथ शुरू किया गया यह स्कूल आज राजस्थान में बालिका शिक्षा के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित हो चुका है ।

मिशन सिस्टर्स ऑफ अजमेर नामक धर्म समाज की बहिनों द्वारा संचालित इस शिक्षण संस्था का उद्देश्य केवल बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा देना और उनका चहुमुखी विकास करना ही नही है अपितु विधिवत अध्ययन द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास करना भी है, जिससे उन्हें सामाजिक न्याय, शांति, प्रेम व मातृत्व का पूर्ण ज्ञान हो सके ।

सेन्ट एंजिला सोफिया स्कूल का अपना एक अनूठा इतिहास रहा है । अजमेर में सन् 1911 में कारटूनेट हेनरी कॉयान्ट द्वारा दरिद्र, पददलित व शोषित वर्ग विशेषकर महिलाओं एवं बच्चो की सेवा एवं उत्थान के लिए इसे स्थापित किया गया था । मिशन सिस्टर्स ऑफ अजमेर धर्म समाज को सेन्ट एंजिला डी मेरीसी के संरक्षण में रखा गया था। वर्ष 1926 में इसको

जयपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया तथा यही से वर्तमान में विख्यात सेन्ट एंजिला सोफिया, जयपुर स्कूल का शुभारम्भ हुआ।

सन् 1928 तक यह स्कूल केवल आर्थिक रूप से कमजोर व अनाथ छात्राओं के लिए था लेकिन बाद में इस स्कूल के द्वार सभी के लिए खोल दिये गये । इस स्कूल को औपचारिक मान्यता सन् 1931 में मिल गयी तथा सन् 1953 में इसको हाई स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया गया ।

जयपुर की मुस्लिम शिक्षण संस्थाएं - जयपुर में अन्जुमन के अन्तर्गत चलने वाली मुस्लिम शिक्षण संस्थाएं पिछले सात दशक से शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछडे एवं अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा के प्रचार-प्रसार जैसे पुनीत कार्य में जुटी हुई हैं । इन संस्थाओं में बिना जाति - धर्म, अमीर-गरीब और ऊँच-नीच आदि का भेदभाव किये सभी के लिए दरवाजे खुले हैं । गहरे आर्थिक संकट, रूढ़िवाद, संकीर्ण दृष्टिकोण व अनेकानेक कठिनाइयों के होते हुए भी ये संस्थाएं अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं और विशेषकर बालिकाओं में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए वचनबद्ध है ।

इन संस्थाओं का जन्म एक मदरसे के रूप में 1926 में हुआ था । कई वर्षो की सतत यात्रा के पश्चात् सन् 1967-68 से इनके कार्यो को और अधिक गति प्रदान की गई । फलस्वरूप आज लगभग डेढ दर्जन औपचारिक और कई अनौपचारिक संस्थाएं शिक्षा के अनुष्ठान में जुटी हुई हैं । स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और आज छात्राओं की संख्या छात्रों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है । इतना ही नहीं छात्राओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय, गर्ल्स सीनियर सैकेण्डरी स्कूल एवं अंजुमन गर्ल्स सैकेण्डरी स्कूल तथा छात्रावास आदि की पूर्ण व्यवस्था है ।

अंजुमन के अन्तर्गत चलने वाली शिक्षण संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य समाज को शिक्षित कर उसे राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना है । आज इन संस्थाओं में लगभग छः हजार शिक्षार्थी अध्ययनरत हैं और लगभग व 85 व्यक्तियों का स्टाफ है जिसमें सभी धर्मावलम्बी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं । इस प्रकार ये संस्थाएं राष्ट्रीय एकता, धर्म निरपेक्ष एवं साम्प्रदायिक सदभावना का प्रतीक हैं ।

वनस्थली विद्यापीठ - यह संस्था 1929 में ग्रामीण पुनर्निमाण के लिए स्थापित संस्था जीवन कुटीर द्वारा दी हुई कच्ची झोपड़ियों में शान्ता बाई शिक्षा कुटीर के नाम से शुरु हुई । यह शान्ताबाई शिक्षा कुटीर ही वनस्थली विद्यापीठ के नाम से विख्यात हुई । विद्यापीठ का लक्ष्य पूर्व और पश्चिम की आध्यात्मिक विरासत एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के समन्वय के संदर्भ में शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध का प्रावधान करना तथा छात्राओं के मानस में भारतीय जीवन शैली एवं भारतीय संस्कृति के आधारभूत मूल्यों व आदर्शो को स्थापित एवं सुरक्षित करना है ।

वनस्थली में छात्राओं को सर्वांग-सम्पूर्ण शिक्षा देने की दृष्टि से एक विशिष्ट शिक्षा योजना का निर्णय लिया गया । यह शिक्षा योजना वनस्थली की पंचमुखी शिक्षा है । इनके पांच अंग हैं- शारीरिक, व्यावहारिक कला विषयक, नैतिक और बौद्धिक । शारीरिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की ड्रिल, आधुनिक एवं पुराने खेल, रेंजिंग गाइडिंग, बुलबुल, साइकिल सवारी,

घुड़सवारी तथा तैरना सिखाने की व्यवस्था की जाती है । योगासन के अलावा छात्राओं को बन्दूक चलाना भी सिखाया जाता है । विद्यापीठ की छात्राओं को हवाईजहाज उड़ाने का प्रशिक्षण भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दिया जाता है ।

व्यावहारिक शिक्षा में घर-गृहस्थी के काम, रंगाई-छपाई, बंधेज का काम, सिलाई एवं कशीदाकारी, दर्जी का काम, खिलौने बनाना, पेपरमेशी का काम, क्ले मॉडलिंग चमड़े के पर्स, तेल, साबुन पाउडर और वैसलीन बनाना आदि शामिल हैं । सभी छात्राएँ अपने कमरों की सफाई और अपने बर्तनों की सफाई स्वयं करती हैं । सामूहिक श्रमकार्य का आयोजन भी किया जाता है । कला विषयक क्षेत्र में 1 से 5 तक संगीत और चित्रकला और बाद में कक्षा 10 तक संगीत या चित्रकला में से किसी एक की शिक्षा के अलावा नृत्य शिक्षण की भी व्यवस्था है ।

नैतिक शिक्षा के अन्तर्गत छात्राओं का नैतिक विकास तथा उनमें सर्वधर्म समभाव पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है । सामूहिक और सम्मिलित जीवन और वातावरण की स्वच्छता विद्यापीठ की नैतिक शिक्षा के प्रमुख साधन हैं । इसी प्रकार बौद्धिक शिक्षा में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आज की प्रचलित शिक्षा प्रणाली के दोषों में यहाँ की शिक्षा यथा संभव मुक्त रहे । शिक्षा पद्धति में सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण, भ्रमण, पूर्व समारोह और नाटक तथा चुने हुए विषय पर तैयार की जाने वाली प्रायोजनाओं का यथावश्यक उपयोग किया जाता है। बौद्धिक शिक्षा को सम्पूर्ण और व्यापक बनाने की दृष्टि से विद्यापीठ में कई शैक्षणिक प्रवृत्तियों का आयोजन किया जाता है ।

यदि हम वनस्थली विद्यापीठ के विकासात्मक इतिहास पर दृष्टि वाले तो ज्ञात होता है कि इसका आरम्भ छह से भी कम छात्राओं और दो कार्यकर्त्ताओं से हुआ । प्रारम्भ में विद्यापीठ के पास न तो कोई भूमि थी, समय के साथ अनायास ही छात्राओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही । विद्यापीठ के प्रथम दशक में 304 और द्वितीय दशक में 525 तथा उनकी संख्या तीसरे और चौथे दशक में बढ़कर 1125 और पांचवे दशक में तो बढ़कर 2135 तक पहुंच गई । वर्तमान में करीब पांच हजार छात्राएं इस संस्था में शिक्षा अर्जत कर रही हैं ।

विद्यापीठ में केवल छात्राओं की संख्या में ही वृद्धि नहीं हुई है, अपितु इसकी विभिन्न गतिविधियों के स्तर और क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है । जीवन के दूसरे सत्र में संस्था का नाम श्री राजस्थान बालिका विद्यापीठ और सन् 1943 में बी.ए. कक्षा में प्रथम वर्ष अध्ययन प्रारम्भ करते हुए इसे वनस्थली विद्यापीठ का नाम दिया गया है । विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर की कक्षाएँ जुलाई 1963 में स्नातकोत्तर कक्षाएँ सन् 1970 में प्रारम्भ की गई । डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन 1984, एम.सी.ए. 1987 और एम.एस.सी कम्प्यूटर सन् 1988 में प्रारम्भ किया गया । टैक्सटाइल डिजाइनिंग में डिप्लोमा 1981 और इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा 1965 में प्रारम्भ हुआ । बी.एड. स्तर का शिक्षा महाविद्यालय 1962 और एमएड. की कक्षा 1965 में आरम्भ की गई । बी.एस.सी (गृह विज्ञान) का पाठ्यक्रम 1978 और एम.एस.सी. (गृह विज्ञान) में बाल विकास का पाठ्यक्रम 1981, भोजन एवं पोषण आहार का पाठ्यक्रम 1986, वस्त्र एवं परिधान का पाठ्यक्रम 1987 में प्रारम्भ हुआ वही अंग्रेजी भाषा शिक्षण एव समाज विज्ञान में एम.फिल. कक्षाएँ 1987, एम.एस.सी. बायोसाइंस और एम.एस.सी. मेथेमेटिक्स साइंस कक्षाएँ

1991 में प्रारम्भ हुई । विद्यापीठ में शोध कार्य 1965 में शुरु हुआ तथा वर्तमान में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा संकाय, गृह विज्ञान, ललित कला संकाय तथा विज्ञान में अनुसंधान हो रहा है । भारत सरकार ने 25 अक्टूबर 1983 को गजट अधिसूचना जारी कर विद्यापीठ को विश्वविद्यालय मान्य संस्थान घोषित कर दिया गया । विश्वविद्यालय समकक्ष संस्था बन जाने के बाद विद्यापीठ ने जहाँ शैक्षिक कार्यक्रमों में विविध स्तरों का पुनर्गठन किया है वही परीक्षा योजना को अधिक सार्थक बनाने के लिए उसमें आवश्यक परिवर्तन किये हैं यही कारण है कि देश के कोने-कोने से ही नहीं अपितु विदेशी छात्राएँ भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आती हैं । वस्तुत: वनस्थली विद्यापीठ एक ऐसी अद्वितीय शिक्षण संस्था है जो नर्सरी स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक हमारी भारतीय छात्राओं को सांस्कृतिक परम्परा के परिवेश में आधुनिक शिक्षा प्रदान करती है ।

एम.जी.डी. स्कूल - जयपुर शहर के लिए 1940 का वर्ष उस समय ऐतिहासिक बन गया जब कूच बिहार रियासत की राजकुमारी आयशा जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह से विवाह कर महारानी गायत्री देवी बनकर इस शहर में आई । उस समय यहाँ की महिलाओं को विशेषकर राजपूत जागीरदारों की महिलाओं को पर्दा प्रथा के कड़े बन्धन में रहना पड़ता था । इक्कीस वर्षीय महारानी ने संकल्प लिया कि वे राजपूत महिलाओं को पर्दे से बाहर लायेगी तथा उनमें आत्मविश्वास पैदा कर उनको जागरुक बनायेंगी ।

वर्ष 1940 के दशक में पर्दा प्रथा के बंधन से मुक्त कर महिलाओं को बालिका शिक्षा की ओर उन्मुख करना अपने आप में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था । महारानी ने निर्णय लिया कि वे राजपूत महिलाओं में जन चेतना जाग्रत करने के लिए एक आदर्श विद्यालय स्थापित करेंगी जिसका उद्देश्य इन महिलाओं को शिक्षित कर उन्हें पर्दा छोड़ने के लिए प्रेरित करना होगा । जयपुर के महाराजा ने भी महारानी की इस इच्छा पूर्ति में उनकी पूरी मदद की ।

महारानी गायत्री देवी के अथक प्रयासों व परिश्रम के फलस्वरूप विश्व प्रसिद्ध यह विद्यालय 12 अगस्त 1943 को जयपुर में स्थापित हुआ । उस समय राजस्थान में उच्च शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी । प्रारम्भ यह विद्यालय एक छोटी सी इमारत माधो विलास में 40 छात्राओं एवं छ: अध्यापिकाओं के साथ शुरु किया गया। सन् 1945 से पहले तक केवल जागीरदारों की महिलाओं को इस विद्यालय में प्रवेश दिया जाता था लेकिन 1945 के बाद विद्यालय के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए । इसका परिणाम यह रहा कि देश-विदेश की छात्राओं ने भी इस विद्यालय में प्रवेश लेना प्रारम्भ कर दिया तथा छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई ।

विद्यालय की स्थापना के एक वर्ष के बाद विद्यालय का नया भवन अजमेरी गेट के समीप बनकर तैयार हो गया और स्कूल वहाँ स्थानान्तरित हो गया । समय के साथ छात्राओं की संख्या में निरन्तर बढ़ोतरी होती गई । साथ ही पृथक् संकायों के लिए भवन निर्मित होते गए । वर्ष 1950 में इस विद्यालय का सम्बन्ध इण्डियन पब्लिक स्कूल कांफ्रेस से कर लिया गया और यह विद्यालय भारत में लड़कियों के प्रथम पब्लिक स्कूल के रूप में जाना जाने लगा।

इस विद्यालय के विकास में मुख्य भूमिका निभाई है, विद्यालय की संस्थापिका प्राचार्या मिस लूटर ने। उन्होंने अपनी बहुमुखी विलक्षण प्रतिभा द्वारा ज्ञान की एक अनोखी

ज्योति प्रज्जवलित की । शिक्षा सत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिस लूटर को 1970 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया । इसके अतिरिक्त उन्हें ऑडर आफ ब्रिटिश एंपायर पदक से भी सम्मानित किया गया ।

महारानी गायत्री देवी द्वारा जिसे नन्हें पौधे को रोपित किया गया था, आज वह वट वृक्ष बनकर न केवल राजस्थान अपितु सम्पूर्ण देश एवं विदेशों की छात्राओं को ज्ञानामृत की छत्र-छाया प्रदान कर रहा है । यहाँ से निकली हुई छात्राएँ राजनयिक, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में विद्यालय का नाम देश-विदेश में रोशन कर रही हैं ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न 2

1 राजस्थान में ऐतिहासिक गैर सरकारी संस्थाओं के नाम बताइए जिनका महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है ?

2 राजस्थान में सरकार के साथ महिला शिक्षा में सहयोगी स्वयं सेवी संस्थाएँ कौनसी हैं ?

11.5 राजस्थान में राज्य सरकार के सहयोगी महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाएँ

महिला शिक्षण विहार - लोकजुम्बिश कार्यक्रम में यह स्वीकारा गया है कि जब तक बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती तब तक सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य नहीं पाया जा सकता है । बालिका शिक्षा की अहम् भूमिका को स्वीकारते हुए लोक जुम्बिश के द्वितीय चरण में एकमात्र लक्ष्य रखा गया है- बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना । यह भी सोचा गया है कि बालिका शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के बहुआयामी मुद्दे हाथ में लेने होंगे और महिलाओं के लिए सुनियोजित तरीके से काम करना होगा । इसी परिप्रेक्ष्य में लोक जुम्बिश में हर स्तर पर महिला भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है ।

लोक जुम्बिश कार्य शुरु होने पर यह अनुभव किया गया है कि राजस्थान में कई गांव ऐसे है जहाँ एक भी महिला पढ़ी लिखी नहीं है । ऐसे में उनका सहयोग लिया जाना, उन्हें विकास कार्यक्रमों से जोड़ना सम्भव नहीं है । अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर ही उन्हें तैयार करना होगा ताकि वे विकास कार्यक्रमों में अपनी भूमिका निभा सकें, स्वावलम्बी हो सकें ।

महिलाओं को पढने और प्रशिक्षण की विशेष सुविधा देने के लिए महिला शिक्षा की दृष्टि से जालोर में महिला शिक्षण विहार प्रारम्भ किया गया । यहाँ पश्चिमी राजस्थान की 13 से 30 वर्ष आयु वर्ग की 40 महिलाएं शिक्षा पा रही हैं । पश्चिमी राजस्थान की विभिन्न जातियों और सामाजिक स्थितियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ये महिलाएँ अपने भीतर पढने की एक ललक और उत्साह लेकर आयी हैं ।

महिला शिक्षण विहार का उद्देश्य मोटे रूप में जरुरतमंद ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देना, उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध करवाना तो है ही साथ ही ये महिलाएँ जब पढ़-लिख कर अपने गांव में जायेंगी तो विकास कार्यक्रमों से जुड़ सकेंगी ।

लोकजुम्बिश की कार्यकर्त्री बन सकेंगी, साथिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आदि बन सकेंगी । महिला शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े गांवों में ये महिलाएँ गाव वालों का बालिका शिक्षा के प्रति सजग नजरिया बना सकेंगी ।

राजस्थान में अपनी तरह के अकेले इस विहार की ग्रामीण महिलाएँ विहार की सारी व्यवस्थाएँ स्वयं करती हैं । यहॉ बाजार से खरीदारी, भोजन बनाना, साफ-सफाई आदि कार्य वे स्वयं करती हैं और सुबह 10 बजे से 5बजे तक पढ़ती हैं और कोई न कोई हुनर सीखती हैं । पढ़ाई के साथ-साथ संगीत सीखना, वाद्य बजाना, ऑटो चलाना, साइकिल सीखना, अपने साथियों की खुद देखभाल करना, बीमार साथी को अस्पताल ले जाना जैसे अनेक कार्य ये महिलाएँ स्वयं करती हैं । इसलिए महिला शिक्षण विहार को घर से एक घर की संज्ञा दी है । सभी महिलाएँ मिलजुल कर रहती हें ।

यहीं महिलाओं के पढ़ने की आवासीय व्यवस्था है । यह अनुभव किया गया है कि इन्हें अपने परिवेश से दूर लाकर नये परिवेश में पढ़ाया जायेगा तो अधिक प्रभावी शिक्षण हो सकेगा, क्योंकि सिर्फ साक्षरता और किताबी पढ़ाई ही नहीं जीवन में काम करने के लिए भी इन्हें तैयार करना है। सुबह व्यायाम, प्रार्थना, खेलकूद, टाइम मैनेजमेन्ट सभी इसके शिक्षण का हिस्सा है । पढ़ाई के अलावा महिलाएँ आस-पास के गांवों में महिला समूह बनाने, बालिका शिक्षा के लिए माहौल बनाने के लिए गांवों में जाकर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं ।

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन - राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की स्थापना की गई है । वर्ष 1994-95 में स्थापित इस फाउण्डेशन में एक करोड रूपये कोरपस फण्ड के रूप में उपलब्ध कराये गये है । बालिका शिक्षा फाउण्डेशन भारत सरकार की योजना प्रारम्भिक शिक्षा के लिये प्रायोगिक एवं नवचार के अन्तर्गत 100 सरस्वती शालाओं के संचालन की स्वीकृति प्राप्त हुई है । इन सरस्वती शालाओं के लिए 8.16 लाख रूपये स्वीकृत हुए हैं जिनमें से 4.08 लाख रूपये प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त हो गये है । इन सरस्वती शालाओं का संचालन राज्य के उदयपुर जिले की पंचायत समिति सलूम्बर तथा जालौर जिले की पंचायत समिति सांचोर में किया जायेगा ।

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की ओर से दत्तक जानकी योजना प्रारम्भ की गई है । इस योजना के अन्तर्गत प्रतिभावान बालिकाएँ जो आर्थिक कारणों से अध्ययन में असमर्थ रहती हैं । उन्हें पाठ्य पुस्तकें, पठन-पाठन सामग्री, पोशाक व अन्य व्यय हेतु कक्षा 1 से 5 तक 500 रूपये प्रति छात्रा तथा कक्षा 9 से 12 तक 1000 रूपये प्रति छात्रा छात्रवृति के रूप में दत्तक परिवार की ओर से उपलब्ध कराई जायेगी । दतक परिवार को समय-समय पर बालिकाओं की शैक्षिक प्रगति एवं परीक्षा परिणामों से भी अवगत कराया जायेगा ।

जिले के ग्रामीण क्षेत्र की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत वे बालिकाएं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की परीक्षा कक्षा 10 उत्तीर्ण की है तथा जिले के ग्रामीण विद्यालयों की मेरिट में प्रथम तीन स्थान पर रही है तथा जिनके अभिभावक आयकरदाता नहीं है, को आगे अध्ययन के लिए मेन्टीनेन्स अवार्ड नामक छात्रवृति फाउण्डेशन के माध्यम से प्रारम्भ की गई है । यह योजना प्रारम्भ में 10 प्रतिशत से न्यून ग्रामीण साक्षरता

वाले 15 जिलों में प्रारम्भ की जायेगी जिसमें प्रत्येक जिले से लगभग 20 बालिकाओं को लाभान्वित किया जायेगा । इस योजना में प्रति छात्रा 10 माह के लिए एक हजार रूपये दिये जाने की योजना है ।

राजस्थान एजुकेशन इनिशियेटिव - राजस्थान के शिक्षा विभाग में गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से शिक्षा के विकास हेतु तथा शिक्षा में सूचना सम्प्रेषण एवं तकनीकी प्रगति को समाविष्ट करने की दृष्टि से एक कार्यक्रम राजस्थान एजूकेशन इनिशियेटिव के प्रस्ताव को क्रियान्वित किया गया है। इसके कोर पार्टनर (CII),Global e- Schools and Communities Initative (GeSCI),oa World Economic Forum(WEF) है ।

राजस्थान एजूकेशन इनिशियटिव के उद्देश्य -

- बालिकाओं के बहुआयामी विकासशील उद्देश्यों के साथ-साथ प्रारम्भिक स्कूली शिक्षा का
- सार्वजनीकरण ।
- विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से शैक्षिक सबलीकरण ।
- कम्प्यूटर साक्षरता के साथ-साथ गुणवत्ता आधारित आयाम जैसे पौष्टिक भोजन, स्वच्छता, एवं स्वास्थ्य वर्धन हेतु शुद्ध पेयजल तथा आधुनिक शौचालय युक्त सुविधाओं द्वारा बच्चों का सम्पूर्ण विकास ।
- बालक-बालिकाओं के लिए पब्लिक प्राइवेट सहभागिता का नया नवाचार ।
- कम्प्यूटर शिक्षा द्वारा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण ।
- बालक-बालिका लैंगिक भेद में न्यूनता लाना ।

राजस्थान एजूकेशन इनिशियटिव के बहुआयामी उद्देश्यों की उपलब्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिखा के बहुआयामी विकास के लिए गैर सरकारी व स्वयं सेवी संगठनों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये ।

प्रमुख स्वयं सेवी संगठन जिनके साथ समझौते किये गये वे निम्न हैं -

अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन, माइक्रोसॉफ्ट, अमेरिकन इण्डियन फाउण्डेशन (AIF), फाउण्डेशन टू एजूकेट गर्ल्स ग्लोबली (FEGG), बोध शिक्षा समिति, जयपुर, पिरामल फाउण्डेशन, नन्दी फाउण्डेशन, आई.सी.आई.सी.आई बैंक, दिगन्तर विद्या भवन सोसायटी, के.सी. महिन्द्रा एज्यूकेशन ट्रस्ट (KCMET), यूनिसेफ इत्यादि । इनमें से राजस्थान में राज्य सरकार के साथ सहयोगी रूप में प्रमुख स्वयं सेवी संगठन जो विशिष्ट रूप से बालिका शिक्षा पर कार्य कर रहे हैं, वे हैं - अजीम प्रेमजी फाउडेशन के द्वारा 776 उच्च प्राथमिक विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कम्प्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम () चलाया जा रहा है । फाउण्डेशन टू एजूकेट गर्ल्स ग्लोबली के द्वारा जालौर व पाली जिले में 2 ब्लॉक्स में लिंगभेद को कम करने के लिए 2 प्रोजेक्ट पूर्ण किये जा चुके हैं । के.सी. महिन्द्र एजूकेशन ट्रस्ट के द्वारा उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र में 10,000 अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को शिक्षा हेतु सम्बल प्रदान करने का लक्ष्य है इत्यादि ।

11.6 सारांश (Summary)

1. अनेक गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं ने आजादी के पूर्व से ही महिलाओं की स्थिति को सुधारने एवं उनको शिक्षित करने के प्रयास शुरु कर दिए थे ।
2. स्थानीय समुदाय में स्थित उत्साही लोगों के समूह या संगठन जो बिना किसी निजी स्वार्थ या लोभ के सामाजिक उत्थान परोपकार तथा विकास के लक्ष्य के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वच्छता आदि कार्यो में अपना योगदान देते हैं । स्वयं सेवी संगठन या संस्था कहलाते हैं ।
3. महिलाओं को शिक्षित करने का मुद्दा स्थानीय समुदाय तथा सामाजिक-सांस्कृतिक व आर्थिक बाधाओं को दूर करने से जुड़ा हुआ है । इसमें स्वयं सेवी संस्थाओं की अहम् भूमिका सामने आ रही है । यही कारण है कि इस समय सर्व शिक्षा अभियान, महिला समाख्या जैसे कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों की सहायता ली जा रही है । इस कार्य में स्वयं सेवी संस्थाओं को सफलता हासिल हुई है ।
4. पूरे देश में ऐसे बहुत से स्वयं सेवी संगठन हैं । जो कि महिलाओं एवं बच्चो के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं ।
5. स्वयंसेवी महिला शिक्षण संस्थाएँ नर्सरी स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक हमारी भारतीय छात्राओं को सांस्कृतिक परम्परा के परिवेश में आधुनिक शिक्षा प्रदान करती हैं ।
6. राजस्थान के शिक्षा विभाग में गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से शिक्षा के विकास हेतु तथा शिक्षा में सूचना सम्प्रेषण एवं तकनीकी प्रगति को समाविष्ट करने की दृष्टि से एक कार्यक्रम राजस्थान एजूकेशन इनिशियेटिव के प्रस्ताव को क्रियान्वित किया गया है ।

मूल्यांकन प्रश्न (Evaluation Questions)

1. स्वयं सेवी संस्थाओं से आप क्या समझते हैं?
2. महिलाओं के लिए कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं की प्रकृति का उदाहरण के द्वारा वर्णन कीजिए।
3. एस.एन.डी.टी. तथा वनस्थली विद्यापीठ संस्थाएँ महिलाओं की शिक्षा में किस प्रकार योगदान दे रही है? वर्णन कीजिए ।
4. राजस्थान एज्यूकेशन इनीशियेटिव किस प्रकार महिला शिक्षा के विकास में अपनी भूमिका निभा रहा है !
5. महिला शिक्षण विहार के द्वारा महिला शिक्षा हेतु किए जा रहे कार्यो का वर्णन कीजिए।
6. राजस्थान में महिलाओं को शिक्षित करने में बालिका फाउण्डेशन की क्या भूमिका है? समझाइए ।

11.7 संदर्भ ग्रंथ (Reference)

1. शिक्षा विभाग (2008), वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

2. वर्मा, सांवलिया बिहारी, एम.एल. सोनी एवं संजीव गुप्ता,(2005) "महिला जाग्रति और सशक्तीकरण", आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर ।
3. Gupta N.L.(2000): “Women Education through the ages”, Concept Publishing Company, New Delhi.
4. Mathu,Anuradha, Rameshw3ary Pandya -Ed. (2006): “Facets of Women’s Development”, Kalpaz Publication, New Delhi. Panigrahi, L.k.(2003): “Women and child Education”, Abhishek Publication, Chandigarh.
5. Patanjali, Prem chand(2005): “Development of Non-Formal Education in India”, Shree Publishers and Distributors, New Delhi.
6. Sharma, Usha, B.M. Sharma(1995): “Women Education in modern India”, Women and Educational Development Series-5,Common Wealth Publishers, New Delhi.

Http\\www.banasthali.org

इकाई 12

महिला सशक्तिकरण और शिक्षा

Women Empowerment and Education

इकाई की रूपरेखा (Structure of the Unit)

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 महिला सशक्तिकरण का अर्थ

12.3 भारतीय संविधान में महिलाओं को प्रदत्त अधिकार

12.4 महिला शिक्षा की स्थिति

12.5 महिला शिक्षा-राष्ट्रीय समितियाँ व आयोग

12.6 सारांश

12.7 सन्दर्भ ग्रंथ

12.0 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई में महिला सशक्तिकरण और शिक्षा का अध्ययन किया । इसे पढ़ने के बाद आप

- महिला सशक्तिकरणा का अर्थ समझ सकेंगे ।
- भारतीय संविधान अन्तर्गत महिलाओं का प्रदत्त अधिकारों से परिचित हो सकेगें ।
- महिला साक्षरता दर एवं उसके न्यून रहने के कारणों को जान सकेंगे ।
- स्वतंत्रता प्राप्ति उपरान्त राष्ट्रीय शिक्षा आयोगों एवं समितियों में शिक्षा हेतु दी गई प्रमुख अनुशंसाओं का अध्ययन कर सकेगें ।
- महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की के महत्व से परिचित हो सकेंगे ।

12.1 प्रस्तावना (Introduction)

शिक्षा मानव संसाधन विकास का मुख्य स्त्रोत है । शिक्षा के माध्यम से होने वाली क्षमताओं से व्यक्ति उन्नति एवं प्रगति करता है । जैसा कि आपने पहले इकाईयों में पढ़ी है ।

प्राचीन काल महिला शिक्षा की दृष्टि से समृद्ध युग था । वैदिक काल 'भारतीय महिलाओं को पुरूषों की भाँति शिक्षा का अधिकार प्राप्त था एवं वे राजनीतिक, प्रशासनात्मक एवं कार्यो में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती थीं । मध्यकाल एवं ब्रिटिश काल में शिक्षा में आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त महिला शिक्षा पर विशेष बल जा रहा है । इस हेतु अनेकों आयोगों की नियुक्ति एवं उनकी सिफारिशे इसका प्रमाण हैं । इस इकाई में हम वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन करेगें ।

12.2 महिला सशक्तिकरण का अर्थ

किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या का लगभग आधा भाग होने के कारण महिला और राष्ट्र के विकास का गहरा सम्बन्ध है । जब तक किसी भी समाज में महिलाओं का पूर्ण विकास नहीं होगा वे समाज में दलित व शोषित रहेगी तब तक समाज तरक्की नहीं कर सकता । इसी प्रकार राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है कि उस की महिलाओं की क्षमताओं का विकास हो एवं विकास के लाभ महिलाओं तक पहुँचने की व्यवस्था हो । महिलाओं के पूर्ण विकास को ही महिला सशक्तिकरण कहा जाता है । महिला सशक्तिकरण के माध्यम से उनकी उन शक्तियों एवं क्षमताओं को विकसित किया जाता है जिनके द्वारा वे स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में आ जाएं । अर्थात वैधनिक राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो सकें । हमारे देश में महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति है !

12.3 भारतीय संविधान मे महिलाओं को प्रदत्त अधिकार

महिलाओं को संविधानिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वतन्त्र भारत के संविधान मे भी महिलाओं का पुरूषों के समान अधिकार देने का प्रावधान किया गया है । इस सन्दर्भ में निम्नांकित अधिकारों का उल्लेख करना अत्यन्त आवश्यक है-

हमारे संविधान अन्तर्गत मूल अधिकारों में

धारा- 14 : विधि के समक्ष समता

धारा- 15 : धर्म, मूलवंश, जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिबंध

धारा- 19 : स्वतंत्रता का अधिकार

धारा-23,24 : शोषण के विरूद्ध अधिकार

राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशन सिद्धान्तों में धारा 39 (क) पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार

(घ) पुरूषों और स्त्रियों दोनो को समान कार्य के लिए समान वेतन मान का प्रावधान

(ड़) पुरूष एवं स्त्री कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति के दुरूपयोग होने का प्रावधान है ।

धारा 42: काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति का अधिकार

धारा 325-326 चुनावों में समान अधिकार

धारा 243 डी (3): महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं के चुनावों में स्थानों के आरक्षण का प्रावधान हैं ।

शिक्षा की कमी के कारण महिलाएं अपने महत्व एवं अधिकारों की जानकारी से अनभिज्ञ हैं । जिससे वे अपने अधिकारों का समुचित उपयोग नहीं कर पाती हैं । अत: महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु उन्हें शिक्षित करना अति आवश्यक है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न - 1

1 महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका अपने शब्दों में लिखे ।

2 महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

12.4 महिला शिक्षा की स्थिति

महिला साक्षरता दर				
वर्ष	भारत		राजस्थान	
	कुल	महिला	कुल	महिला
1901	5.35	0.60	3.47	0.21
1911	5.92	1.05	3.41	0.30
1921	7.16	1.81	3.25	0.42
1931	9.50	2.93	3.96	0.60
1941	16.10	7.30	5.46	1.16
1951	16.67	7.93	8.02	2.51
1961	24.02	12.95	15.21	5.84
1971	29.5	18.69	19.07	8.46
1981	43.56	29.75	24.38	11.92
1991	52.11	39.42	38.55	20.44
2001	65.38	54.16	61.03	44.34

आँकडे दर्शाते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति उपरान्त महिला शिक्षा में वृद्धि हुई है । 1951 में महिला साक्षरता दर मात्र 7.93 थी जो 2001 में बढ़कर 54.16 हो गई है । किन्तु यह दर अभी भी कुल साक्षरता एवं पुरूषों साक्षरता से बहुत कम है ।

शिक्षा की न्यून साक्षरता दर महिलाओं के पिछड़ेपन का मूल कारण है प्राय: पाया गया है कि जिन राष्ट्रों एवं राज्यों में साक्षरता दर जितनी अधिक होती है महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में सुदृढ़ होती है ।

महिलाओं की शिक्षा से सम्बन्धित अध्ययनों से ज्ञात होता है कि ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक हैं जिनके कारण महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं या बाल्यावस्था में ही विद्यालय का परित्याग कर देती हैं । इन कारणों में प्रमुख कारणों को यहाँ सूची बद्ध किया गया है-

1. गरीबी
2. माता पिता की बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता
3. घरेलू कार्य में साझेदारी एवं छोटे भाई-बहनों की देखभाल
4. कम उम्र में विवाह
5. सुविधाओं का अभाव यथा बालिका विद्यालय, महिला अध्यापिकाएँ, पृथक शौचालय आदि
6. विद्यालय की निवास स्थान से दूरी ।
7. स्वयं की रूचि में कमी
8. दोषयुक्त पाठ्यक्रम

ऐसे में बालिका श्रम की स्थितियाँ जो शिक्षा के विस्तार को न केवल रोकती हैं बल्कि उसे और दयनीय बना देती हैं का महिला पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी लम्बे समय से चली आ रही दयनीय स्थिति और अधिक दयनीय हो जाती है ।

महिला सशक्तिकरण भूल रूप से महिलाओं के मूल अधिकारों और उनके मानवाधिकारों की प्राप्ति है ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 1945 से प्रारंभ महिला आन्दोलनों ने लिंग भेद एवं असमानता को अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर संवेदनशील राजनैतिक प्रश्नों के रूप में प्रतिस्थापित किया।

यदि शिक्षा को सशक्तिकरण के मूलमंत्र के रूप में देखा जाए तो स्वाधीन भारत में इस हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं । महिला शिक्षा पर विचार करते हुए इन समितियों / आयोगों ने अत्यधिक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं । राष्ट्रीय स्तर पर गठित विभिन्न समितियों आयोगों एवं उनकी सिफारिशों कों यहाँ संक्षिप्त में दिया गया है-

1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948- 1949) :

डी.सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा हेतु गठित इस आयोग ने अपनी संस्तुतियों में स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित किया एवं लिखा कि यदि शिक्षा को पुरूषों अथवा स्त्रियों के लिए सीमित करना है तो यह अवसर स्त्रियों को दिया; क्योंकि उनके द्वारा ही भावी संतान को शिक्षा दी जा सकती है । आयोग द्वारा उच्च शिक्षा में सहशिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया ।

2. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-1953) :

ए. लक्ष्मण स्वामी मुदालियार की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने मत दिया कि महिलाओं की शिक्षा पुरूषों की शिक्षा के समान ही होनी चाहिए । आयोग ने विद्यालयी स्तर पर बालिकाओं के पृथक विद्यालयों की स्थापना पर विशेष बल दिया । सहशिक्षा वाले विद्यालयों मे बालिकाओं की सुविधाओं उनकी रूचि अनुरूप विषयों तथा अध्यापिकाओं की नियुक्ति की सिफारिश की ।

3. नारी शिक्षा की राष्ट्रीय समिति (1958- 1959) :

श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता मे भारत सरकार ने नारी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय समिति गठित की । इस समिति की सिफारिश के अनुरूप केन्द्र एवं राज्यों में स्त्री शिक्षा परिषदों की स्थापना की गई । समिति द्वारा अन्य सुझावों के अतिरिक्त प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा मे वृद्धि हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता, छात्रवृति एवं महिला शिक्षिकाओं के प्रोत्साहन सम्बन्धी सुझाव भी प्रस्तुत किए ।

4. राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद् (1959) :

सन् 1959 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद् स्थापित की । राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद् ने शिक्षा के सभी स्तरों पर बालिकाओं के पाठ्यक्रम के साथ ही सहशिक्षा, स्त्रियों के समानता के अवसर एवं स्त्रियों के कार्य विषयों पर भी अनुशंसाए प्रस्तुत की ।

परिषद् द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुझावों हेतु श्री एम भक्त वत्सलम् की अध्यक्षता में 1963 में समिति का गठन किया गया । समिति ने

जनसहयोग प्राप्त करने, सभी स्थानों पर स्कूल खोलने, ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों, अध्यापिकाओं की नियुक्ति एवं विशेष भत्ते, वयस्क स्त्रियों हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम, राज्यों में स्त्री शिक्षा परिषदों के उपयोग, विद्यालयों में दो पाली प्रथा तथा कम विकसित राज्यों में विशेष सुविधाओं के सुझाव दिए ।

5. शिक्षा आयोग (1964-1966) :

सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के उद्देश्य से 1964 में भारत सरकार द्वारा शिक्षा आयोग का गठन डी.डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में किया गया । इस आयोग ने सभी स्तरों पर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु अपने सुझाव दिए ।

महिला शिक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हुए आयोग ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सिफारिशें की -

1. पुरूषों एवं स्त्रियों की शिक्षा के अंतर को कम करने हेतु महिला शिक्षा को प्रमुख बनाना एवं इस हेतु विशेष योजनाएं प्रारम्भ करना।
2. स्त्रियों के प्रशिक्षण एवं रोजगार पर अधिक ध्यान देना, अंशकालिक रोजगार के अवसरों को बड़े पैमाने पर बढ़ाना।
3. महिला शिक्षा की आवश्यकता पूर्ति हेतु छात्रवृत्तियों की व्यवस्था एवं किफायती छात्रावास स्थानों का विकास।
4. पूर्व स्नातक स्तर पर आवश्यकतानुरूप पृथक महिला कॉलेजों फी स्थापना एवं कला, मानविकी, विज्ञान तथा शिल्प विज्ञान पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश।
5. महिला शिक्षा पर काम करने हेतु विश्वविद्यालयों मे अनुसंधान एकक की स्थाना।
6. शिक्षा के सभी स्तरों पर अध्यापिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहन, अंशकालिक नियुक्ति, आवास प्रबन्ध तथा पत्राचार द्वारा शिक्षण की व्यवस्था पर विशेष सिफारिशें की गई।

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) :

वर्ष 1986 में राष्ट्र के लिए नई शिक्षा नीति का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को वर्ष व 1992 में संशोधित किया गया । इस शिक्षा नीति में प्रमुख विशेषता यह थी कि नीति को लागू करने हेतु कार्य योजना (programme of Action) साथ दिया गया । यह शिक्षा नीति वर्तमान में लागू है । महिला शिक्षा हेतु शिक्षा नीति में निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है-

लक्ष्य :

1. बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा हेतु चरणबद्ध एवं समय बद्ध कार्यक्रम
2. महिलाओं की प्रौढ़ शिक्षा हेतु समयबद्ध चरणों में कार्यक्रम
3. व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा एवं नवीन प्रौद्योगिकी की महिलाओं तक पहुँच को बढ़ावा

4. शैक्षिक गतिविधियों की समिक्षा एवं पुनर्गठन जिससे महिला समानता को सुनिश्चित किया जा सके ।

महिला सशक्तिकरण - कार्य योजना -

महिला सशक्तिकरण के मुख्य निर्धारक तत्व हैं

- सकारात्मक स्वधारणा एवं आत्मविश्वास का निर्माण
- तर्क पूर्ण विचार करने की क्षमता का विकास
- समूह बनाने, निर्णय लेने एवं कियान्वयन की क्षमता का विकास
- समाज में परिवर्तन के लिए समूह के रूप में कार्य करने को सुनिश्चित करना।
- आर्थिक आत्म निर्भरता प्रदान करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनकी प्राप्ति हेतु निम्नांकित गतिविधियों आवश्यक मानी गई !

1. प्रत्येक शैक्षिक संस्था द्वारा महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रमों का आयोजन
2. समस्त शिक्षकों, अनौपचारिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों को महिला सशक्तिकरण के अभिकर्ता के रूप में प्रशिक्षण देना ।
3. अनुसंधान संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं एवं कलाकारों के समूहों द्वारा विशेष कार्यक्रमों यथा चर्चा, नुक्कड नाटक, भित्ती पत्रों, कठ पुतली प्रदर्शन द्वारा महिलाओं में जागृति को बढ़ावा देना ।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत दिए गए उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज के सभी वर्गो के सहयोग से वातावरण को निर्मित करना एवं इसमें मीडिया, रेडियो व दूरदर्शन का सहयोग लेना ।
5. विद्यालयी स्तर की शिक्षा में शिक्षिकाओं का अधिक संख्या में चयन । इससे ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं को विद्यालय भेजने के लिए माता-पिता प्रेरित होंगे ।
6. महिला सशक्तिकरण के लिए समान पाठ्यक्रम व्यवस्था अत्यधिक उपयोगी है । एन सी ई आर टी द्वारा महिला समानता हेतु लैंगिक असमानता को दूर करने एवं समानता के विकास हेतु पाठ्यचर्या का निर्माण ।
7. एन आई ई पी (NIEPA) द्वारा महिला सम्बन्धी मुद्दों पर शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षणों, योजना निर्माता एवं प्रशासकों के प्रशिक्षकों का आयोजन तथा इन कार्यक्रमों के निर्धारण एवं आयोजन के लिए प्रकोष्ठ का गठन ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा महिला शिक्षा में वृद्धि हेतु अनेक योजनाएं लागू की गई जिनमें महिला समाख्या, अनोपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, लोकजुम्विश कार्यक्रम, शिक्षा कर्मी परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों, सरस्वती योजना, मिड-डे-मील कार्यक्रम मुख्य हैं । इन योजनाओं में बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया गया ।

वर्ष 2000 में शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु लागू विभिन्न योजनाओं का एकीकरण कर सर्वशिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ । इसके अन्तर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं, जैसे-

1. प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL)
2. कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय
3. कक्षा 1 से 12 तक की छात्राओं हेतु नि: शुल्क पाठ्यपुस्तको का वितरण
4. प्रारंभिक शिक्षा के बालक एवं बालिकाओं हेतु मिड-डे-मील परियोजना

राज्य स्तर पर बालिकाओं के लिए अनेक योजनाएं जैसे छात्रवृत्ति, गार्गी पुरस्कार, साईकिल / स्कूटी वितरण योजना, नन्ही कली परियोजना को लागू कर बालिकाओं के नामांकन व शिक्षा को बढ़ावा देने सतत् प्रयास किया जा रहा है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 महिला सशक्तिकरण के मुख्य निर्णायक तत्व कौन-कौन से है ?

2 महिला सशक्तिकरण मे विभिन्न संस्थानों की क्या भूमिका है ?

12.5 सारांश

महिला शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए विभिन्न आयोगों ने माना है कि शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जो स्त्रियों में आत्मविश्वास की वृद्धि करता है, जिससे वे कई प्रकार के शोषणों से बच सकती हैं । शिक्षा से महिला की शक्ति बढ़ती है ।

महिला शिक्षा से बच्चों की उत्तर जीविता, स्वास्थ्य तथा पोषण में सुधार होता है एवं जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है ।

शिक्षा जैसे सशक्त माध्यम से ही महिलाएं स्वयं को सशक्त बनाकर विभिन्न व्यवसायों एवं सेवाओं से जुड़ सकती हैं ।

शिक्षित एवं उच्च प्रशिक्षित महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों यथा- चिकित्सा, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, शिक्षा, अन्तरिक्ष, खेलकूद, राजनीति एवं कूटनीति में श्रेष्ठतम उपलब्धियाँ प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन भली भाँति कर सकती हैं ।

यदि हमें संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है एवं वैधानिक समानता को वास्तविक समानता में परिवर्तित करना है तो महिलाओं को शिक्षित करने एवं पराश्रयी स्थितियों से निकाल कर उन्हे रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने होंगे । इसके लिए समाज के सभी वर्गो की भागीदारी आवश्यक है । महिला शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य को निर्धारित समय सीमा प्राप्त करने तथा उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा निर्मित योजनाओं के क्रियान्वयन में राजकीय संस्थाओं के साथ ही स्वयं सेवी संस्थाओं, महिला संगठनों एवं समुदाय को महत्वपूर्ण योगदान देना होगा ।

मूल्यांकन प्रश्न

1. महिला सशक्तिकरण को परिभाषित कीजिए ।
2. हमारे संविधान अन्तर्गत महिलाओं को दिए गए मूल अधिकारों की विवेचना कीजिए ।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986(संशोधित1992) में महिला शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु दी, गई कार्य योजना पर समीक्षात्मक टिप्पणी दीजिए ।
4. क्या आप मानते हैं कि शिक्षा ही महिला सशक्तिकरण का प्रमुख साधन है ? अपने विचार दीजिए ।

12.6 सन्दर्भ ग्रंथ

1. Ministry of Human Resource Development, National Policy on Education, 1986,New Delhi, Govt. of India.
2. Ministry of Human Resource Development Programme of Action 1992, Dept.of Education, New Delhi, Govt.of India.
3. R.C. Sharma: National Policy on Education and Programme of Implementation, Mangal Deep Publications, Jaipur.
4. B.D.Bhatt and J.C Agarwal, Educational Documents in India, Arya Book Depot, New Delhi.
5. Vimla Ramchandran, Education and the Status of Women Year 2000 Assessment Education for All, MHRD&NIEPA.
6. Jaganath Mohanty; Primary and Elementary Education, Deep and Deep Publications, New Delhi.
7. जे.सी. अग्रवाल : भारत में नारी शिक्षा, विद्या विहार, नई दिल्ली ।
8. आशा कौशिक : नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर ।
9. डॉ. डी.सी. श्रीवास्तव : भारत में शिक्षा का विकास, साहित्य प्रकाशन, आगरा ।
10. हरि दास राम जी शेण्डे- नारी सशक्तिकरण, ग्रंथ विकास, जयपुर
11. निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, राजस्थान में शिक्षा की प्रगति ।

इकाई 13

रोजगारोन्मुखी शिक्षा (Education for Work)

इकाई सरंचना (Structure of the Unit)

13.0 उद्देश्य

13.1 प्रस्तावना

13.2 रोजगारोन्मुखी शिक्षा का विश्लेषण

13.3 कार्य सम्बन्धी महिलाओं को समानता के अवसर

13.4 कार्य - भूमिका के सन्दर्भ में लिगीय विभेद

13.5 अवेतनीक कार्य ।

13.6 सारांश '

13.8 संदर्भ ग्रंथ

13.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप जान सकेंगे कि -

- रोजगारोन्मुखी शिक्षा से क्या अभिप्राय है इसे स्पष्ट कर पायेगें ।
- रोजगारोन्मुखी शिक्षा का विश्लेषण कर पायेगें ।
- कार्य सम्बन्धी महिलाओं को समानता के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर पायेगें ।
- कार्य-भूमिका को लेकर लिंगीय विभेद का विश्लेषण कर पायेगें ।
- महिलाओं की कार्य स्थिति एवं अवैतनिक कार्यो का उल्लेख अपने शब्दो में कर पायेगें।

13.1 प्रस्तावना (Introduction)

पिछले खण्ड व ईकाइयों में आपने महिला शिक्षा के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया । जिसमें महिला शिक्षा की ऐतिहासिक व वर्तमान प्रस्थिति का चित्रण किया गया है! ।

प्रस्तुत इकाई में आप रोजगारोन्मुखी शिक्षा के बारे में अध्ययन करेगें, वर्तमान समय में विद्यालयों व महाविद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा, विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में समर्थ है, इस स्थिति की विवेचना करेगें ।

इसके साथ साथ इकाई में इस बात की ओर भी ध्यान दिया जायेगा कि पुरूषों के समान स्त्रियों को भी कार्य करने का अधिकार है उनके पास भी रोजगार पाने के अवसर है तथा लिंग के आधार पर व्यवसाय चयन में तथा उनकी नियुक्ति में कोई भेदभाव नही किया जाना चाहिये ।

इस इकाई में महिलाओं द्वारा किये जा रहे घरेलू कार्यो पर भी प्रकाश डाला जायेगा जिनके लिये वह कोई वेतन नही मिलता है फिर भी उसके कार्य को महत्व नही दिया जाता है ।

13.2 रोजगारोन्मुखी शिक्षा का विश्लेषण

आज का युग विज्ञान व तकनीकी का युग है । जिसका प्रभाव हमें मानव जीवन से जुडे प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है विश्व के अन्य देशों की भांति भारत भी विकास की इस दौड़ में शामिल है । परन्तु अपने आप को विकसित देश बनाने के लिये हमें अपनी शिक्षा के ढांचे में काफी परिवर्तन करने होगें । हमारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा ही ये है कि हमारे ज्ञान का आधुनिक विज्ञान व तकनीकी के साथ सामंजस्य नहीं हो पा रहा है । इसी को ध्यान में रखते हुये शिक्षा आयोग (1964-66) ने माध्यमिक स्तर के लिये ही नहीं बल्कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा के व्यवसायीकरण को प्रस्तावित किया है । आयोग ने व्यवसायीकरण का आधार उत्पादन को स्वीकार किया है इसलिये शिक्षा तथा उत्पादन के आपसी सम्बन्धों पर विचार करके शिक्षा के पुन: निर्माण की योजना का आधार इस प्रकार प्रस्तुत किया है :-

- विज्ञान को शिक्षा एवं सांस्कृति का आधार होना चाहिये ।
- सामान्य शिक्षा में कार्यानुभव को अभिन्न अंग के रूप में होना चाहिये ।
- कृषि तथा सम्बन्धित विज्ञान पर विशेष बल देते हुये विश्वविद्यालय स्तर पर वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा का विकास करना चाहिये ।

गाँधी जी द्वारा 1937 में घोषित 'बेसिक शिक्षा' में भी व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया गया था !

निम्न माध्यमिक स्तर पर जो विद्यार्थी कक्षा 7 व 8 के बाद पढ़ना छोड़ देते है तथा पैतृक व्यवसाय से जुड़ जाते हैं अथवा आर्थिक विषम परिस्थितियों के कारण लघुस्तरीय व्यापार करने की इच्छा रखते है, उन्हें अंशकालीन पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकांश पाठ्यक्रम ऐसे हो जिनकी प्रवेश योग्यता कक्षा- 10 उतीर्ण हो । ये पाठ्यक्रम स्वास्थ्य, व्यापार, प्रशासन, लघुउद्योग एवं ऐसे कार्यो का प्रशिक्षण प्रदान करें, जिनका समय 6 माह से तीन वर्ष तक का हो एवं छात्रों को प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा प्रदान किया जाये ।

शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाये जाने की आवश्यकता इसलिये है ताकि रोजगार और शिक्षा का सीधा सम्बन्ध स्थापित हो सके । इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा जनशक्ति का समुचित उपयोग किया जा सकेगा ।

माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य, कृषि, श्रम एवं रोजगार पोलीटेक्निक शिक्षा को व्यवसायीकरण के अन्तर्गत लिया गया है ।

वर्तमान में विद्यार्थी बी.ए. और एम.ए. करने पश्चात् भी नौकरी नहीं ढूंढ पाता है क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय के लिये विशिष्ट प्रकार के व्यवसायिक कौशल की आवश्यकता होती है जो सामान्य डिग्री कोर्सो से विद्यार्थी को प्राप्त नहीं हो पाती है ।

अत: वर्तमान शिक्षा को जब तक रोजगार के साथ जोड़ा नहीं जायेगा तब तक इसका कोई महत्व नहीं होगा ।

यह आज की महती आवश्यकता है कि उच्च माध्यमिक स्तर से ही विद्यार्थियों की रूचि के अनुसार उन्हें व्यवसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाये । वह जिस भी क्षेत्र में रूची रखते है उन्हें उसका ज्ञान तभी से देना आरम्भ कर देना चाहिये । सभी विधार्थी डाक्टर, इजिनियर नहीं बनना चाहते और ना ही सभी का रूझान व मानसिक योग्यता समान होती है । अत: माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर से ही विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का आरम्भ किया जाना चाहिये ।

इसके साथ साथ यह भी आवश्यकता है कि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के रोजगारों से अवगत कराते रहे । समय समय पर उन्हें शैक्षिक व व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान करें । प्रत्येक विद्यार्थी में विभिन्न कार्यो के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें । कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता । लग्न व सच्ची मेहनत से किसी भी कार्य को श्रेष्ठ बनाकर उसमें महानता हासिल की जा सकती है ।

जब हम महिलाओं की शिक्षा की बात करते हैं तो यह बात भी हमे समझनी चाहिये कि शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाते वक्त हम उन विशिष्ट रोजगारों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करें जिसे महिलायें आसानी से आरम्भ कर अपना सकती है ।

यदि शिक्षा को रोजगार से जोडा जायेगा तभी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक व्यक्ति आकर्षित होगें विशेषकर ग्रामीण लोगों में जहाँ वे शिक्षा से कोई लाभ नहीं पाते।

स्वमूल्यांकन प्रश्न - 1

1 रोजगारोन्मुखी शिक्षा से आप क्या समझते है ?

13.3 कार्य सम्बन्धी महिलाओं को समानता के अवसर

आधुनिक आर्थिक विकास बहुत हद तक मानव - शक्ति के समुचित उपयोग पर निर्भर है । पुरूष व स्त्री दोनों की शक्ति का समुचित उपयोग करना आवश्यक है, जापान और चीन इसके जवलन्त उदाहरण हैं दोनों ही देशों ने अपनी मानवीय शक्तियों का सदुपयोग कर प्रशंसनीय प्रगति की है ।

मानवीय शक्ति किसी राष्ट्र की बहुमूल्य सम्पदा है । अत: यदि हमें यथेष्ट आर्थिक प्रगति करनी है तो हमें स्त्री-शक्ति का उपयोग करना ही पड़ेगा । इस हेतु घर के भीतर एवं बाहर दोनों जगहों में जीविका अपनाने के लिए स्त्रियों को समय अवसर तथा स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये ।

आमतौर पर नियोजकों में शिक्षित व्यवसायिक कामकाजी स्त्रियों के प्रति या उन स्त्रियों के विरूद्ध एक पूर्वग्रह जो उन व्यवसायों में लगी हुई है जिन्हें पुरूष के लिए सुरुक्षित माना जाता है ।

संघीय तथा राज्य सेवाओं के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर महिलाओं ने अपनी भागीदारी दर्ज की है जैसा कि प्रथम महिला आई.पी.एस. होने का गौरव श्रीमति किरन वेदी को प्राप्त है तो देश की प्रथम महिला चिकित्सक के रूप में भारत की प्रथम महिला स्नातक डॉ. कादाम्बनी गांगुली (कोलकाता विश्वविद्यालय 1883) को है ।

भारत निर्माण में महिलाओं की भागीदारी की अनिवार्यता पर इस देश की प्रथम नागरिक (महामहिम राष्ट्रपति) श्रीमति प्रतिभा सिंह पाटिल द्वारा उन्हें साक्षरता एवं विकास मे पर्याप्त अवसर दिये जाने की बात जोरदार ढंग से कही गई है ।

महिलाएँ मानसिक, वैचारिक, शारीरिक, निर्णय सम्बन्धी योग्यता में पुरूषो से कहीं कम नहीं है अत: रोजगार दिये जाने के मामले में स्त्री-पुरूष में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये ।

महिलाऐं वर्तमान में समाज सुधार, शासन संचालन, सैन्य व्यवस्था, रेलयान विमान चालन इत्यादि सभी क्षेत्रों में बखूबी स्व कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है । फिर भी रोजगार अवसरों में महिलाओं के साथ पक्षपात देखने को मिलता है ।

समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धान्त विभेद को समाप्त करने का क्रान्तिकारी कदम है । आद्योगिक तथा श्रम विधानों में पर्याप्त प्रावधान किये गये परन्तु आज भी कृषि तथा उधोग क्षेत्र में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है । शासन द्वारा सचांलित निर्माण कार्यो में भी ग्रामीण महिला 'रेजा' के रूप में रखकर कम मजदूरी दी जाती है । कृषि क्षेत्र में चारा काटना, फसल काटना, गुड़ाई आदि काम ही महिला को दिये जाते है । हल चलाना महिला को परम्परा से प्रतिबन्धित है, जो उसे अबला बनता है ।

सन् 1991 के आंकडों के अनुसार महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 23 प्रतिशत तथा ग्रामीण महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 27 प्रतिशत है । महिलाओं की कुल कार्यशील जनसंख्या का 19 प्रतिशत भाग किसी भी प्रकार के रोजगार से वंचित है ।

आर्शचयजनक स्थिति यह है कि कुल कार्यशील महिलाओं में 94 प्रतिशत असगंठित क्षेत्र में कार्य करने को विवश है, जहाँ उन्हें निम्न मजदूरी के अलावा अन्य विभेदों का शिकार होना पडता है ।

घर से बाहर कार्य करने वाली महिला को गृह कार्यो से भी मुक्ति नहीं हैं इस प्रकार उन्हें पुरूषों की तुलना में दोहरा श्रम करना पड़ता है । जबकि प्रतिफल में प्राप्त मजदूरी तथा सुरक्षा कम है ।

कृषि के अलावा अन्य कार्यो में गृह उधोगों में परम्परागत वर्चस्व स्थापित है, इसके साथ ही जातीय संकीर्ण मानसिकता रोजगार अवसरों में बाधक सिद्ध हो रही है ।

आकाश में शिक्षित महिला वायुयान चालक बन सकती है पर गाँव में भवन निर्माण में कारीगर या मिस्त्री बनाने में अवरोध है ।

महिला वर्ग के साथ रोजगार क्षेत्र में अमानवीय परम्पराओं पर रोक लगनी चाहिये ।

13.4 कार्य भूमिका के सन्दर्भ में लिंगीय भेद

आरम्भ से ही भारतीय समाज पुरूष प्रधान समाज रहा है । भारतीय पुरूष प्रधान समाज में हर काल में महिलाओं के साथ पक्षपात पूर्ण रवैया रहा है । चाहे बात लालन-पालन की हो, शिक्षा या स्वास्थ्य की हो, पोषण, न्याय व स्वतन्त्रता प्रदान की हो, हर बार यह देखा गया है कि फैसला हमेशा पुरूष के पक्ष मे किया जाता है ।

बालिका को संस्कार व सामाजिक मान्यताओं की दुहाई देकर चालाकी से बहला फुसला दिया जाता है । भारतीय परिवारों में बाल्यावस्था से ही लड़के व लड़की में विभेद किया जाता

है, उसकी घरेलू भूमिका में भी अन्तर पाया जाता है । लड़कियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे घरेलू कार्यो में सहयोग करे । खाना बनाना, सफाई, पानी लाना, परिवार के अन्य व्यक्तियों की सेवा करना उसके कार्य क्षेत्र गिनवाये जाते है ।

पुरूष का कार्य क्षेत्र घर के बाहरी कार्यो को सम्पत्र करने का माना जाता है ।

जब उचित शिक्षा प्राप्त कर महिला रोजगार प्राप्त करती हैं तो लिंगीय विभेद यही भी दृष्टिगोचर होता है । कई कार्यालयों में महिलाओं की क्षमता को अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता है ।

कई महत्वपूर्ण पद उसे इसलिऐ नहीं दिये जाते कि वह स्त्री है, उस पद से सम्बन्धित कार्यो को वह निष्टापूर्वक पूरा कर पायेगी या नहीं? शारीरिक एवं मानसिकता कोमलता के कारण महिलाओं को रक्षा सम्बन्धी सेवाओं के उपयुक्त नहीं माना जाता था, किन्तु भारत की पहली महिला पुलिस सेवा अधिकारी श्रीमति किरण बेदी ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा से इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया है ।

महिलाओं ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा से यह सिद्ध कर दिया है कि वे किसी भी स्तर पर पुरूषों से कम नहीं है, उन्होंने राष्ट्रनिर्माण में हमेशा अपनी श्रेष्ठता ही सिद्ध की है ।

चिकित्सा, शिक्षा, अभियान्त्रिकी, वैज्ञानिक, बैंकिग, प्रशासन आदि क्षेत्रो में महिलाओं की सक्रिय एवं विकासोन्मुखी भूमिका रही है ।

बदलते परिवेश में यह आवश्यक है कि समाज महिलाओं के प्रति अपने पूर्वाग्रह एवं नकारात्मक रवैये में बदलाव लायें । महिलाओं को समुचित सम्मान देकर उसकी कार्यशक्ति व प्रतिभा को पहचानें ।

लिंग के आधार पर महिला-पुरूष के कार्य क्षेत्र को निर्धारित नहीं करके बल्कि उनमें निहित क्षमताओं, योग्यताओं व रूचियों के आधार पर उन्हें कार्य सौंपे जायें ।

घर-परिवार में भी कार्यशील महिलाओं के प्रति उदारतावादी व सहयोग पूर्ण रवैया अपनाया जाये ताकि कार्यस्थल की भूमिका को वह बिना किसी तनाव के निष्ठापूर्ण सम्पन्न कर सके । अक्सर यह देखा जाता है कि कार्यशील महिलाओं से परिवार वालों की अपेक्षा वही होती है जो घरेलू महिला से होती है । कार्य भूमिका को लेकर परम्परागत मान्यताऐं प्रचलित हैं । घरेलू सभी कार्यो की जिम्मेदारी महिला पर है चाहे कार्यस्थल पर वह कितनी ही शारीरिक व मानसिक थकान से पीड़ित हो ।

ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यो से यह अपेक्षा होनी चाहिये कि वे कार्यशील महिला के साथ समायोजन करें । कार्य भूमिका का बटवारा लिंग पर आधारित ना होकर आपसी समझ पर होना चाहिये । कार्य भूमिका के सन्दर्भ में लिंगीय विभेद समाज की संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित करता है तथा समाज में स्त्री पुरूष व अन्य परिवार के सदस्यों के मध्य व कार्यस्थल के वातावरण में तनाव, कुसमायोजन एवं कुण्ठाओं को जन्म देता है ।

13.5 अवैतनिक कार्य

हमारे देश की अधिकांश सामाजिक समस्याओं का कारण इस देश की लगभग आधी स्त्रियों का निरक्षर होना है । आमतौर पर निरक्षर स्त्री अपने प्रति सचेत और जागरूक नहीं

होती है । वह उपलब्ध सुविधाओं व सेवाओं का लाभ नही उठा पाती है । अपने स्वास्थ्य के प्रति उसमें कोई जागरूकता नहीं होती ना ही वे अपने अधिकारों से परिचित होती है ।

आमतौर पर भारतीय परिवारों में महिला का कार्यशील होना पसन्द नही किया जाता है क्योंकि महिला का कार्यक्षेत्र घर परिवार तक ही सीमित माना जाता है खुद महिला भी अपने परिवार में रहकर ही स्वंय को खुश एवं सुरक्षित महसूस करती है ।

बदलते परिवेश में जहॉ महिलाऐं शिक्षित हो रही हैं । उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हुई है । वह स्वविवेक से निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र है अपने कार्यक्षेत्र में उन्होंने अपनी क्षमता व योग्यता का परिचय दिया है । विभिन्न व्यवसायों में उन्होंने अपने स्वंय की पहचान बनाई है ।

आज की शिक्षित नारी के लिये विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने के अवसर उपलब्ध है । कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहॉ महिला ने अपनी उपस्थिति दर्ज न करवाई हो ।

कार्यशील महिलाऐं विभिन्न कार्यो में अपनी कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दे रही है जिसके लिए उन्हें आकर्षक वेतन व अन्य सुविधाऐं प्राप्त होती है ।

दूसरी ओर समाज में वे महिलाएं है जो आशिक्षित या कम पढ़ी लिखी है वे कार्यस्थल पर कार्य करने नही जाती । ऐसी घरेलू महिलाओं में कुछ शिक्षित महिलाएं भी शामिल है ।जो स्वंय अपनी इच्छा या पारिवारिक कारणों से कार्य नही कर पाती है । ।

भारतीय समाज में घरेलू महिलाओं द्वारा किये गये कार्यो को उतना सम्मान नहीं दिया जाता क्योंकि ये पहले से ही मान्यता प्रचलित है कि घर के सभी कार्य महिला के कार्य क्षेत्र में आते हैं ये तो उसे करने ही चाहिये । हर परिवार में महिला अपने घर के सदस्यों के लिये करती है इस अवैतनिक कार्य की प्रशंसा व मान उसे बहुत कम परिवारो में ही मिल पाता है ।

प्रात: सुबह से लेकर देर रात तक वह परिवार के विभिन्न कार्यो में उलझी रहती है । कभी कभी वह अपने स्वास्थ्य की भी अपेक्षा कर जाती है पर कितने ऐसे परिवार है जहॉं पर महिला की फिक्र की जाती है उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि परिवार द्वारा महिला को सम्मान की दृष्टि से देखा जाये । उसकी अपनी स्वंय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में उसकी सहायता की जाये । घरेलू कार्यो को हेय दृष्टि से ना देखा जाये । जहॉं तक संभव हो परिवार के सदस्यों के कार्यो का बटवारा हो ताकि महिला पर ही सारे कार्यो का बोझा ना पड़े ।

इस हेतु घरेलू कार्यो के प्रति महिला स्वंय भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखे तथा स्वंय की क्षमताओं पर विश्वास कर अपने आत्मविश्वास को बन रखें ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न -

1 किन्हीं पांच ऐसी महिलाओं के नाम लिखें जिन्हें अपने क्षेत्र में प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त है ।

2 कृषक महिलाओं को लिंगीय विभेद किस प्रकार प्रभावित करता है?

13.6 सारांश

अब तक आपने इस इकाई में जो कुछ पढ़ा अब हम उसकी पुनरावृति करेंगे । इस इकाई के आरम्भ में आपने रोजगारोन्मुखी शिक्षा के सम्प्रत्यय को समझा ।

इस इकाई में आपने यह भी पढ़ा कि रोजगार के सन्दर्भ में महिलाओं को समानता के अवसर कितने मिल पाते है?

भारतीय समाज में कार्य भूमिका के सन्दर्भ में लिंगीय विभेद देखने को मिलता है । इस बात की विवेचना भी इस इकाई में की गई है ।

प्रस्तुत इकाई में भारतीय घरेलू महिलाओं के घरेलू अवैतनिक कार्यो के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई है जिसके लिए उसे कोई मानदेय, प्रशंसा या पुरूस्कार नहीं मिलता ।

मूल्यांकन प्रश्न

1. वर्तमान परिपेक्ष्य में शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ना क्यों आवश्यक है? तर्क सहित विवेचना करिये ।
2. महिलाओं को व्यवसाय में समानता न दिये जाने के पीछे प्रमुख कारक कौन से है अपने उत्तर को कारण सहित स्पष्ट करे ।
3. कार्य-भूमिका के सन्दर्भ में लिंगिय विभेद कहा तक उचित है? तर्क सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिये ।
4. यदि आपके परिवार में कोई महिला कार्यशील है तो आप उसकी कार्य - भूमिका के बारे में परिवार के सदस्यों से क्या अपेक्षा करेगें और क्यों? तर्क सहित उल्लेख करिये ।
5. घरेलू कार्यो के लिए महिला को परितोषिक दिया जाना चाहिये । "इस कथन से आप किस सीमा तक सहमत है और क्यों? विवेचना करिये ।

13.7 संदर्भ ग्रंथ

1. Aggarwal, J.C.Modern Indian Education, Shipra Publication, Delhi-110092,2003
2. Pantajli, Prem Chand Development of Women Education in india, Shree Publishers and Distributors, New Delhi-110092,2005
3. Raw, R.K. Women and Education, Kalpaz Publications, Delhi-110052,2005

इकाई 14

विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रो में महिलाएँ

(Women in Dfferent Profession)

इकाई की संरचना (Structure of the Unit)

14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.2 विभिन्न व्यवसायों में महिला - विश्लेषणात्मक विवरण

14.3 व्यवसायों में वरीयता क्रम

14.4 व्यवसायों में लिंगीय विभेद

14.5 सारांश

14.6 संदर्भ ग्रंथ

14.0 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई को पढ़कर आप -

- विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत महिलाओं का विश्लेषणात्मक विवरण दे पायेगें ।
- महिलाओं द्वारा चयनित व्यवसायों के वरीयता क्रम का उल्लेख अपने शब्दों में कर पायेगें ।
- व्यवसायों में व्याप्त लिंगीय विभेद को अपने शब्दो में व्यक्त कर सकेगें ।
- विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की स्थिति का उल्लेख कर पायेगें ।

14.1 प्रस्तावना (Introduction)

इस खण्ड की पिछली इकाई में आपने रोजगारोन्मुखी शिक्षा का अध्ययन किया । कार्य सम्बन्धी महिलाओं को मिलने वाली समानताओं का अध्ययन किया तथा ये भी जाना कि कार्य भूमिका के सन्दर्भ में आज भी लिंगीय विभेद देखने को मिलते है ।

प्रस्तुत इकाई विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं से सम्बन्धित है । इसमें आप यह अध्ययन करेगें कि वे कौन कौन से व्यवसाय है जिनमें अधिकांश महिलायें कार्यरत है तथा वे किस प्रकार के व्यवसाय को चुनना पसंद करती है ।

व्यवसायों में कार्यरत होने से उन्हें किन किन तरह की समस्याओं का सामन करना पडता है । कार्यक्षेत्र में व्याप्त लिंगीय विभेद का अध्ययन भी इसी इकाई के अन्तर्गत किया जायेगा ।

14.2 विभिन्न व्यवसायों में महिला - विश्लेषणात्मक विवरण

सदियों से स्त्रियाँ आर्थिक प्रवृति में किसी न किसी रूप में अपना योगदान देती रही है । घर में रहकर भी वह अनेक व्यवसायों से जुडी रही है जैसे बास की वस्तुऐं बनाना, कपड़ा बुनना, सिलाई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि ।

निम्न वर्ग की स्त्रियों को तो आर्थिक मंहगाई के कारण विवश होकर मजदूरी करनी पड़ती थी । ये स्त्रियाँ खेतों मे, खानों मैं, इमारत बनाने के कार्यो में, चाय-बगानों, बीडी बनाने आदि व्यवसायों में आरम्भ से ही जुडी रही !

स्त्री शिक्षा को गति प्रदान करने के लिये और स्त्रियों को अपने पैरो पर खडा करने के लिए सबसे पहले अध्यापन व्यवसाय को अपनाया गया । स्त्रियों के लिए शिक्षिका का व्यवसाय उपयुक्त माना गया जहाँ उसे सम्मान व सुरक्षा प्राप्त हुई ।

दूसरा मुख्य व्यवसाय जो स्त्रियों के लिए उचित माना गया वह था परिचारिका तथा दाई का कार्य। जैसे-जैसे आर्थिक विकास होता गया वैसे-वैसे स्त्रियों की व्यवसायिक गतिविधियाँ भी बढती गई । शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कारण प्रशिक्षणयुक्त व्यवसायों में भी महिलायें आने लगी है ।

वर्तमान में कोई ऐसा क्षेत्र नही है जहाँ पर महिलायें कार्यरत ना हो । सामान्य क्लर्क कम टाईपिस्ट से लेकर कम्प्यूटर इन्जीनियर, आर्किटेक्ट व आन्तरिक वैज्ञानिक के पद महिला ने अपनी योग्यता के दम पर ही हासिल किये है ।

महिलाऐं आरम्भ से ही पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत रही है जहाँ महिलाओं द्वारा चार प्रमुख क्षेत्र व्यवसाय के लिये उपयुक्त माने जाते थे । ये क्षेत्र है - अध्यापन, मेडिकल और स्वास्थ्य, क्लर्की और टेलिफोन ऑपरेटर । इन क्षेत्रो में महिलाओं की संख्या काफी अधिक होती थी ।

भारत की 1971 की सेन्सेक्स रिपोर्ट के मुताबिक अध्यापिकाओं की संख्या 6 लाख जबकि फिजिशियन ओर सर्जन में नगण्य थी । 2 लाख महिलाओं की संख्या नर्सिंग व अन्य मेडिकल एवं स्वास्थ्य टेक्नीशियन के रूप में थी । 17500 महिलाएं वकील, 700 महिलाऐं आर्किटेक्ट, इन्जीनियर और सर्वेयर आकाउन्टेंट बनी हुई थी ।

Occupation Table- 4.2

S.No.	Ocuption	Percentage of Women Workers
1	Physicians and Surgeons	7.1%
2	Lawyers	1.2%
3	Teachers	30.3%
4	Nursing and other Medical And health technicians	72.2%
5	Scientiests	10.9%

महिलाओं की अध्यापन व मेडिकल व्यवसायों में भारी संख्या इनकी इन व्यवसायों में अवसर प्राथमिकता को प्रदर्शित करती है । अन्य व्यवसायों की तुलना मे अध्यापन -व्यवसाय में

आसानी से नौकरी मिल जाती है तथा प्रशिक्षण भी अन्य व्यवसायों की तुलना में आसान है ।, साथ-साथ इन व्यवसायों में आत्मसन्तुष्टि व सम्मान है ।

इसके अलावा महिलाऐं प्रशासनिक सेवाओं, रेल कर्मचारी, होटल मैनेजमेन्ट, कॉरपोरेट सैक्टर, मनोरंजन उधोग आदि में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है ।

अन्य महत्वपूर्ण व्यवसायों में महिलाऐं सामाजिक कार्य (Social Work) को भी अपना रही है ।

सबसे पहले 1936 में Sir Dorabaji Tata ने Tata Graduate School of Social work की स्थापना की जो बाद में Tata Institute of Social Science के नाम से जाना गया ।

बहुत सी महिलाऐं स्वंयसेवी संस्थाओं से जुड़कर कार्य कर रही है । एन.जी.ओ. एक ऐसी ऐजेन्सी है जो ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं के उत्थान व विकास के लिये प्रयासशील है ।

पंचायती राज व्यवस्था में स्त्रियों की स्थिति काफी मजबूत है निम्न तालिका को देखने से यह और स्पष्ट हो जाता है :-

तालिका - त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व

वर्ष 2002

क्र.स.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	ग्राम पंचायत		क्षेत्र पचांयत		जिला पचांयत	
		महिला	कुल संख्या	महिला	कुल संख्या	पुरूष	महिला
	1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	68736	208291	4919	14617	364	1095
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3	असम	7851	23471	746	2148	117	390
4	बिहार	0	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	41913	124211	906	2639	95	274
6	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
7	गोआ	457	1439	0	0	17	50
8	गुजरात	41180	123470	1312	3919	274	817
9	हरियाणा	18356	54646	842	2430	109	314
10	हिमाचल प्रदेश	6822	18549	562	1658	87	251
11	जम्मू कश्मीर	0	0	0	0	0	0
12	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0
13	कर्नाटक	35922	80073	1375	3255	339	890
14	केरल	4801	13259	629	1638	105	307
15	मध्य प्रदेश	106691	314847	2159	6456	248	734

16	महाराष्ट्र	77548	232644	1407	3902	658	1951
17	मणिपुर	611	1722	0	0	22	061
18	मेघालय	0	0	0	0	0	0
19	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
20	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0
21	उड़ीसा	31414	87547	2188	6227	296	854
22	पंजाब	263939	75473	813	2480	89	279
23	राजस्थान	39450	114282	1908	5257	364	1008
24	तमिलनाडू	26181	97458	1770	6570	173	656
25	सिक्किम	322	873	0	0	29	92
26	त्रिपुरा	1895	5686	106	299	28	82
27	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0
29	प. बंगाल	11497	51200	1923	8579	156	723
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	261	759	25	67	10	30
31	चण्डीगढ़	55	162	6	15	3	10
32	दादर एवं नागर हवेली	45	124	0	0	4	12
33	दमन एवं दीव	14	63	0	0	10	25
34	लक्षद्वीप	30	79	0	0	8	22
35	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	योग	548794	1630327	23596	72156	3605	10927

स्रोत-सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राजनीति में सर्वप्रथम सबसे प्रभावशाली महिला श्रीमति इन्दिरा गॉधी (1917-1984) प्रथम महिला प्रधानमन्त्री के रूप में 24 जनवरी 1966 को पदासीन हुई । अपने अदम्य साहस व सूझ-बूझ से इन्होने राष्ट्र में ही नही अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी व देश की पहचान बनाई । 1952 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2004 तक के चुनाव में प्राप्त महिला प्रतिनिधित्व को निम्न तालिका से समझा जा सकता है।

तालिका

लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

वर्ष	**कुल सदस्य संख्या**	**महिला सदस्य संख्या**	**महिला सदस्यो का प्रतिशत**
1952	499	22	4.4
1957	500	27	5.4

1962	503	34	6.8
1967	523	31	5.9
1971	521	22	4.2
1977	544	19	3.3
1980	544	38	5.2
1984	544	44	8.1
1489	517	27	5.2
1991	544	39	7.2
1996	543	39	7.3
1998	545	43	7.9
1999	545	49	8.65
2004	539	44	8.16

स्रोत - भारत निर्वाचन आयोग (भारत में महिलाएँ)

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 किन्ही पाँच व्यवसायों के नाम बताइये जिसमे महिलाओं की भागीदारी अधिक है!

2 पंचायती राज्य मे महिलाओं की भागीदारी कब और क्यो बढ़ी !

14.3 विभिन्न व्यवसायों में वरीयता क्रम

जैसे जैसे महिला शिक्षित होती जा रही है वैसे वैसे विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश करने के अवसर भी बढते जा रहे है । आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नही है जहॉ महिलाऐं कार्यरत ना हो ।

महिला की मानसिक क्षमता के समय उसकी शारीरिक दुर्बलता नगण्य हो गयी है । महिला सशक्तिकरण से उसमें एक नये आत्मविश्वास का संचार हुआ है । वह अपनी बखुबी पहचानने लगी है । यदि विभिन्न व्यवसायों के प्रति महिलाओं के स्थान व वरीयताक्रम को देखा जाये तो पता चलता है कि कुछ ऐसे व्यवसायों के प्रति महिलाओं का आग्रह व झुकाव अधिक है जहॉ वह स्वंय को सुरक्षित व महफूज समझती है । इसके साथ-साथ जहॉ पर नौकरी सुबह 10 से लेकर शाम 5 .00 बजे तक की हो । ज्यादा लम्बे समय तक कार्यालय में रहना ना स्वंय महिला को पसंद है ना उसके परिवार वालो को अत: इस दृष्टि से महिलाओं की व्यवसाय के प्रति पहली वरीयता अध्यापन व्यवसाय की ही है ।

शिक्षा के किसी भी स्तर पर चाहे वह प्राथमिकता स्तर हो, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा हो वह अध्यापिका बनने में स्वंय को गौरान्वित महसूस करती है । साथ-साथ वह स्वयं को अधिक सुरक्षित व सम्मानित पाती है ।

टीचिंग व्यवसाय में वह समय से घर आ जा सकती है अपनी व परिवार की देख रेख कर सकती है तथा विद्यालय में मिलने वाले अवकाशो का सदुपयोग अपने परिवार के साथ रहकर कर सकती है । इसके साथ साथ मेडिकल लाइन में भी उसकी रूची है । स्वभाव से सेवाभावी व कोमल हृदय की होने से वह स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं को भी वरीयता देती है ।

शिक्षा के बदलते स्वरूप में महिलाएं इन्जीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, फैशन डिजाइनर, इन्टीरियर डेकोरेटर, विमान परिचालक, न्यूज रीडर, अनुसन्धानकर्मी, मैनेजर, आदि पदों पर कार्य करना पसंद करती है !

फैशन व मनोरंजन के क्षेत्र में जाना भी उन्हें आकर्षित करता है । आजकल महिलाऐं हास्य कवियित्री, सीरियल डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, अभिनेत्री, डासंर आदि के कार्य क्षेत्र में भी अपना विशेष दखल रखती है जो कभी पुरूषों के माने जाते थे ।

जहॉ तक भारतीय शासन व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी का प्रश्न है तो वहां भी महिलाऐं अपना परचम फहरा रही है । उनकी वीरता बुद्धीजीविता राज-व्यवस्थापन, प्रशासन, कार्य-शैली किसी भी अर्थ में पुरूषों से कम नही है ।

वर्तमान में श्रीमति प्रतिभा पाटिल को देश के सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति) पर आसीन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । देश के कई राज्यों में महिला मुख्यमन्त्री है । सुश्री मायावती (उ.प्रदेश), श्रीमति राबडी देवी (बिहार), सुश्री जयललिता (तमिलनाडु), उमा भारती (मध्य प्रदेश), वसुन्धरा राजे (राजस्थान) आदि ने मुख्यमन्त्री पद पर आसीन होकर अपनी राजनैतिक क्षमताओं का परिचय दिया है ।

पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं की प्रास्थिति काफी मजबूत है । निम्न तालिका को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है ।

14.4 व्यवसायों में लिंगीय विभेद (Gender Discrimination in occupations)

भारतीय समाज में आरम्भ से ही यह मान्यता रही है कि महिलाऐं शरीर व स्वभाव से कोमल होती है अत: वह पुरूषों के समान सभी कार्यो को इतनी कुशलता से नहीं निभा पायेगी । यही वजह है कि कई व्यवसायों में महिलाओं की नियुक्ति को लेकर नियोक्ताओं में संकोच है ।

उनके दृष्टिकोण के अनुसार कामकाजी महिलाओं पर अपनी घर-परिवार की जिम्मेदारी भी होती है अत: कार्यक्षेत्र में वह अपने कार्य के साथ चाह कर भी न्याय नहीं कर पाती है । अपने लिये न सही, परिवार के अन्य व्यक्तियों के लिये उसे छुट्टी पर जाना पड़ सकता है । वह ज्यादा देर तक कार्यालय में रूक नहीं पाती है । कई टेक्नीकल समस्याओं से वह आसानी से हैण्डिल नहीं कर पाती है । आदि आदि ।

इसके साथ-साथ महिला यदि अविवाहित है तो विवाह के बाद वह काम छोडकर जा भी सकती है। पर हर बार ऐसा नहीं होता । दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो पाते हैं कि भारतीय समाज की पुरूष- प्रधानता वाली सोच का असर कार्यस्थल पर भी देखने को मिलता है । पुरूष अपनी महिला सहकर्मचारी के साथ बराबरी का सलूक नहीं करते हैं । उनसे ज्यादा काम की अपेक्षा करते हैं उन्हें नीचे दिखाने का कोई मौका नही छोड़ते । कभी-कभी तो गलत टीका-टिप्पणी करने से भी बाज नहीं आते हैं ।

कभी-कभी प्रशासन भी महिला कर्मचारी की कार्यकुशलता को संशय की दृष्टि से देखता है । पता नहीं यह महिला उस कार्य या प्रोजेक्ट को पूरा कर पायेगी अथवा नहीं । महिला की

मानसिक क्षमता व कार्यशैली पर पुरूषों को कम ही विश्वास हो पाता है । महिला अधिकारी द्वारा कही सही बात को भी वह सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते हैं ।

अपनी महिला सहकर्मी की पदोन्नती व प्रगति को देखकर पुरूष वर्ग के अहम् को चोट लगती है वह उसे त्रियाचरित कहकर उसकी उपेक्षा करता है ।

कार्य विभाजन में भी महिलाओं को अहम् कार्य से वंचित रखा जाता है । कई गोपनीय बातें उससे छिपा कर रखी जाती है । अत: लिंग के आधार पर भेद भाव आम बात है । और तो और कहीं-कहीं तो एक पद पर महिला को पुरूष की तुलना में कम वेतन दिया जाता है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में तथा मजदूर वर्ग में तो यह बात जग जाहिर है कि महिला मजदूर को पुरूष मजदूर की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है जबकि वह पुरूष से ज्यादा मेहनत करती है ।

14.5 सारांश

अब तक आपने इस इकाई में जो कुछ पढ़ा, अब हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे । इस इकाई के आरम्भ में आपने विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं के विश्लेषणात्मक विवरण को पढ़ा।

आपने विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं के वरीयता क्रम को भी पढ़ा । इसके साथ-साथ इस इकाई में आपने यह भी जाना कि व्यवसायों में लिंगीय विभेद देखने को मिलता है ।

मूल्यांकन प्रश्न

1 विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करिये ।

2 महिलाओं द्वारा किस प्रकार के व्यवसायों को प्राथमिकता दी जाती है । और क्यों? तर्क सहित उत्तर दीजिये ।

3 व्यवसायों में लिंगीय विभेद के क्या कारण हैं? कारण स्पष्ट करिये ।

14.6 संदर्भ ग्रंथ

1. आप्टे, प्रभा, भारतीय समाज में नारी, क्लासिक पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर 1996
2. भास्कर दिगुमति राव, एजुकेशन फॉर वीमेन, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2004

इकाई 15

कार्यस्थल में महिलायें
(Women at work place)

इकाई की संरचना (Structure of the Unit)

15.0 उद्देश्य
15.1 प्रस्तावना
15.2 कार्यस्थल मे महिलायें - विश्लेषणात्मक विवरण
15.3 कार्यस्थल में विभिन्न समस्यायें एवं उनकी उत्पत्ति
15.4 संविधान द्वारा प्राप्त कानूनी संरक्षण
15.5 सारांश
15.6 संदर्भ ग्रंथ

15.0 उदेश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई 15 में कार्यस्थल में महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं उन्हें क्या-क्या कानूनी संरक्षण प्राप्त है? इस विषय में अध्ययन करने के उपरान्त आप -

- विभिन्न कार्यस्थलों में महिलाओं की प्रस्थिति को विश्लेषण कर पायेगें ।
- कार्यस्थल में महिलाओं द्वारा महसूस की जाने वाली विभिन्न समस्याओं से अवगत हो सकेगें।
- कार्यस्थल में उपस्थित विभिन्न समस्याओं की उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट कर सकेगें।
- कार्यस्थल में कार्यरत महिलाओं को कानून द्वारा क्या-क्या सुविधाऐं प्राप्त हैं, इसकी जानकारी हासिल कर सकेगें ।
- भिन्न महिला हितो के संरक्षण वाले कानूनों का अध्ययन कर उसका अनुप्रयोग परिस्थिति आने पर कर पायेगें !

15.1 प्रस्तावना (Introduction)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में महिलाएँ शिक्षा, चिकित्सा, सामान्य, रोजगार, प्रशासनिक सेना, राजनीति, सामाजिक सेवा ही नहीं बल्कि पुलिस व सेना आदि सभी क्षेत्रों मे आगे आई है तथा महिला संगठनों की संख्या में वृद्धि हो रही है । साथ ही पंचायती राज सम्बन्धी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हजारों की संख्या में महिलाओं ने जन प्रतिनिधियों का दर्जा प्राप्त किया है ।

आमतौर पर देखा जाये तो महिलाओं की पढ़ाई, नौकरी व शादी सम्बन्धी सामाजिक धारणाओं में सकारात्मक परिवर्तन आने आरम्भ हो गये हैं ।

वर्तमान समाज में आर्थिक उदारीकरण के साथ-साथ स्वच्छन्दता भी बढ़ती जा रही है जिसे आधुनिकता का नाम दिया जाता है ।

आश्चर्यजनक रूप से साथ-साथ बलात्कार, बालिका यौन-शोषण, तलाक, महिला उत्पीडन व महिला अपराध की घटनायें भी तेजी से बढ़ती जा रही है ।

यह भारत जैसे देश के लिये निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना कही जा सकती है जहाँ एक ओर समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका तेजी से बढ़ रही है, उसी समाज में उनके तिरस्कार, शोषण व अपमान का स्तर भी बढता जा रहा है । क्या अधिक से अधिक कानून बनाकर ऐसी समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है? या कुछ अन्य उपाय ढूँढने होंगे? यह सचमुच एक ज्वलन्त प्रश्न है जिसका हल समाज को ही ढूँढना है ।

यदि हम समाज में महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों में लगा देखना चाहते हैं तो कार्यशील महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा का ख्याल रखना भी उतना ही अहम् है जितना घर की चार-दिवारी में महिला की अस्मिता की सुरक्षा का । केवल मात्र कानून बना देने से इस समस्या का हल नहीं खोजा जा सकता हे । कानून का सख्ती से पालन करना अति आवश्यक है । यह भी देखना होगा कि असली मुजरिम को उसके किये की सजा मिले, कोई बेकसूर बेवजह फांसी पर ना चढ़े ।

15.2 कार्यस्थल में महिलाऐं - विश्लेषणात्मक विवरण

“किसी भी मानव-समाज में स्त्रियों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है और कोई भी कौम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती । स्त्रियाँ राष्ट्र के विकास के लिये उतना ही महत्व रखती है । जितना महत्व उस देश के खनिज पदार्थ, वहां की नदियाँ और वहाँ की खेती-बाड़ी का है । स्त्रियों की शक्ति का समुचित उपयोग करने और उनका सही नियन्त्रण करने पर लेकिन साथ ही साथ उनके साथ आदर का बर्ताव करने पर - वे एक ऐसी महान् और प्रबल शक्ति का रूप धर लेती है जिसका राष्ट्र के लाभ और उसके विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है । "

यूनाईटेड नेशन्स कमिशन आन द वीमन, दि रोल ऑफ वीमन इन द इकॉनामिक एण्ड सोषल डेवलपमेंट ऑफ देवर कन्ट्रीज, रिर्पोट आफ द सैक्रेटरी जनरल, न्यूयार्क, 1968

हमें जितनी आर्थिक प्रणालियों की जानकारी है, उन सब में स्त्रियों से काम लिया जाता रहा है । कृषि-प्रधान अर्थ-व्यवस्था के विकास के साथ ही स्त्रियों की भूमिका ज्यादा वास्तविक और सुस्पष्ट हो गई उनके काम, अपने पतियों के कामों से भिन्न होने पर भी किसी कदर कम महत्वपूर्ण नहीं रह गये । भारत मुख्यत: कृषि-प्रधान देश है और यही की महिलाओं का अपने घरों से बाहर जाकर खेतों में काम करना कोई नई बात नहीं है । आर्थिक रूप से समाज के सबसे पिछड़े वर्ग की महिलायें भी बहुत लम्बे समय से फैक्ट्रियों में, घरेलू नौकरानियों के रूप में और अकुशल मजदूरों के रूप में काम करती रही है । समाज में जो परिवर्तन आया है वह मध्यम एवं उच्च वर्गो की शिक्षित महिलाओं का घरों से बाहर आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नौकरियाँ करना है । मार्क्स के अनुसार- "स्त्रियों की सामाजिक स्थिति से सामाजिक प्रगति को ठीक-ठीक नापा जा सकता है।"

शोध अध्ययन एवं अनुभव से यह कहा जा सकता है कि गरीब वर्गो की महिलायें आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिये नौकरी करती है जबकि उच्च वर्ग की महिलायें अपनी बौद्धिक भूख और आत्म-सन्तुष्टि के लिये नौकरी करती है ।

जब मध्यवर्ग की महिलाओं ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक-कानूनी कारणो से नौकरी आरम्भ की तब उनसे भी यही अपेक्षा की जाती थी कि वे ऐसी नौकरी करे जिन्हें समाज सम्मानजनक मानता था । अत: महिलाऐं अध्यापन व्यवसाय, नर्सिंग व स्वास्थ्य सेवाओं में जाना ज्यादा सुरक्षित समझती थी ।

स्त्री-शिक्षा के प्रचार-प्रसार के पश्चात् व्यवसायों में अपनी क्षमता का परिचय देने का रूझान भी बढ़ता गया । आज लगभग सभी प्रकार के व्यवसायों में महिलाऐं कार्यरत है । पुरानी मान्यताएँ भी बदल रही हैं । क्लर्क, सैक्रेटरी, टाईपिस्ट, स्टेनोग्राफर, रिसेप्शनिस्ट आदि परम्परागत नौकरियों के अलावा महिलाऐं कम्प्यूटर इन्जीनियर, आर्किटेक्ट, मैनेजर, बैंक ऑफीसर, वैज्ञानिक, डायरेक्टर, आदि पदों पर सुशोभित हो रही है ।

राजनीति में भी महिलाऐं पीछे नहीं है । ग्राम-पंचायत से लेकर -कार्यपालिका के प्रधान पद तक महिलाओं की भागीदारी है ।

महिलाओं में शिक्षा का फैलाव और महिलाओं की धीरे-धीरे बढ़ती आर्थिक स्वतन्त्रता के बावजूद असंख्या महिलायें आज भी उत्पीडन का शिकार है । आज भी कई पर सामाजिक-धार्मिक आड में वेश्यावृत्ति विद्यमान है ।

कार्य-स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा संशय के घेरे में है । छेड- छाड़, बलात्कार, छींटा कशी यौन-शोषाण, सामाजिक अन्याय, अपमान आदि कार्य-स्थल पर महिला सुरक्षित नहीं रहने देते । मानव संसाधन मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग के एक प्रतिवेदन के भारत में प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला का बलात्कार, 51 मिनट में छेड़छाड़, 26 मिनट में बदसलूकी, 102 मिनट में दहेज के कारण हत्या होती है । और तो ओर 40% महिलाऐं घरेलू हिंसा की शिकार है ।

अनेक सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों के बावजूद भारतीय महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक और वैयक्तिक दशा शोचनीय है । उपरोक्त आंकडे यह सोचने के लिये मजबूर करते हैं कि जहाँ एक ओर महिला सशक्तिकरण की बातें की जा रही हैं महिला-शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में विशेष लक्ष्य निर्धारित किये गये है । संविधान द्वारा महिला को कानूनी संरक्षण प्राप्त है । फिर भी महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित क्यों नहीं है?

कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं की प्रस्थिति की विश्लेषणात्मक विवेचना करने पर कई रोचक तथ्य सामने आये हैं जो वास्तव में चौकाने वाले है । उदाहरण के लिये पूर्व आई.पी.एस. अधिकारी के.पी.एस. गिल की बदतमीजी की शिकार भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्रीमति रूपेन दिओल बजाज हुई । उन्हें न्याय मिलना तो दूर बल्कि आरोपी को अनेकों प्रकार से सम्मानित व पदोन्नत किया गया । आखिर क्यों?

अधिकांशत महिलायें कार्यस्थल पर अपने साथ हुई ज्यादतियों का जिक्र अपने परिवार वालों से नहीं करती वह अपने ऊपर हुये अत्याचारों व शोषण को सहन करती जाती है । इसकी एक वजह तो उसकी आर्थिक मजबूरी है वह मुश्किल से हाथ आई नौकरी गवाना नहीं चाहती । दूसरा कारण वह अपनी साथ हुये गलत व्यवहार को साथियों व परिवार वालों के सामने बताकर अपनी इज्जत कम करना नहीं चाहती । यह भी हो सकता है कि परिवार वाले उसे वह नौकरी छोड़ने के लिये दबाव डाले ।

प्रश्न उठता है कि महिला समर्थक इतने अधिक कानून होने पर भी महिलाओं के साथ छेड़-छाड़, अपहरण, बलात्कार, शोषण जैसे अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं?

आज जब नारी शिक्षित होकर समाज, व देश के विकास में अपना योगदान देना चाहती है तो वह महफूज क्यों नहीं है? महज कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है उस पर सख्ती से अमल भी होना चाहिये । फिर आरोपी कोई प्रभावशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो ।

दूसरा उपाय समाज के व्यक्तियों की मानसिक सोच में बदलाव लाने का प्रयास करना । उन्हें यह बताना कि स्त्री केवल देह नहीं एक जीती जागती इन्सान है जो स्वयं से अपने परिवार व समाज के लिये समर्पित है ।

आदमी के दिल-दिमाग में बैठे राक्षस का अन्त करना है जो शिक्षा से ही संभव है । क्योंकि जिस देश व समाज में नारी की सम्मानजनक स्थिति नहीं है वह देश व समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता । देवता भी उस घर आना पसंद नही करते जहाँ नारी का सम्मान व पूजा नही की जाती हो ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न - 1

1 ''स्त्रियों की सामाजिक स्थिति से सामाजिक प्रगति को ठीक-ठाक मापा जा सकता है ।'' विवेचन कीजिए ।

2 विभिन्न वर्गो की महिलाऐं किन कारणों से नौकरी करती है ।

3 दसवीं पंचवर्षीय योजना के क्या मुख्य उद्देश्य थे ।

15.3 कार्यस्थल में महसूस की गई समस्यायें एवं उनकी उत्पति (Problems at working place and their origin)

विभिन्न व्यवसायों में कार्य की प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है । कार्यरत महिलाओं को अपनी सहकर्मियों के साथ कार्य करना होता है । कार्यस्थल का वातावरण वही पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की मानसिकता बौद्धिक परिपक्वता, आपसी समझ, समायोजन, आदर की भावना आदि पर निर्भर करता है ।

ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यवसाय में या प्रत्येक कार्यस्थल पर महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता हो । लेकिन आज के बदलते हालात में कार्यशील महिलाओं की समस्यायें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है । कार्य की प्रकृति भी कभी-कभी थका देने वाली होती है ।

भारत में लिंगीय संवेदीकरण व महिला विकास के लिये नारी का आर्थिक स्वावलम्बन अति आवश्यक है ! तब ही उससे स्वतन्त्र चिन्तन व निर्णय तथा पुरूष से सहज एवं सकारात्मक भागीदारी की आशा की जा सकती है !

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण, राजव्यवस्था में उनकी बढ़ती भूमिका, महिला संगठनों के फैलते जा रहे प्रभाव, महिला हितों के सम्बन्ध में पिछले दिनों आये कानूनी बदलाव, पुलिस व सामान्य प्रशासन में बढती जा रही उनकी भागीदारी, महिलाओं को अधिक से अधिक व्यवसायों में आने के लिए आकर्षित कर रही है ।

आज की शिक्षित नारी घर की चारदिवारी में बन्द होकर रहना पसंद नहीं करती । आज उनके परिवार वाले भी चाहते हैं कि उनकी बेटी, बहू या पत्नी कार्यशील हो तथा घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपना सहयोग दे ।

कार्यस्थलों पर समय से जाना-आना भी महिलाओं के लिये कम खतरे से खाली नहीं है । चलती कार में, टैक्सी में, और तो ओर कैब में महिलाओं का बलात्कार व अपहरण हो जाता है । कभी-कभी तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़ती है ।

कई महिलायें अपनी ही कार्यस्थल में अपनी उच्च अधिकारियों की हवस का शिकार बन जाती है। यौन-शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का साहस नहीं कर पाती ।

पुरूष सहकर्मियों द्वारा महिलाओं पर फब्तियॉ कसना, छीटा-कशी करना आम बात है । पुरूष किसी भी स्थिति में महिला के बढ़ते वर्चस्व को सहन नहीं कर पाता है । अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिये वह साथी महिला पर किसी भी प्रकार का लांछन लगाने से बाज नहीं आता है ।

कई पुरूषकर्मी महिला की कोमल भावना व मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बना लेते है विशेषकर जब महिला अकेली / परित्यक्ता या विधवा हो ।

कभी-कभी महिला पर कार्यभार इसलिये बढ़ा दिया जाता है क्योंकि वह अपना कार्य कुशलतापूर्वक करती है !

कई कार्यालयों में पुरूष कर्मियों की अपेक्षा महिला कर्मियों को देर रात तक काम के बहाने रोका जाता है दलील ये दी जाती है कि यदि आप नौकरी करेगी तो यह सब तो आपको करना ही पड़ेगा। कभी-कभी नियम-कानून की कम जानकारी के चलते चालाक व धूर्त पुरूषकर्मी महिलाओं को डरा-धमका कर अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं ।

कार्यस्थल में आधारभूत सुविधाओं की कमी भी कभी-कभी महिलाओं को परेशानी में डाल देती है । विशेषकर ग्रामीण कस्बों में जहाँ महिलाओं के लिये शौचालयों व अलग कमरों की कोई व्यवस्था नहीं होती है । उन्हें अपने पुरूष सहकर्मियों के साथ शेयर करना पड़ता है !

ग्रामीण महिलाएं जो बाहर जाती है उन्हें टहने की कोई जगह, क्रेश, शौचालय आदि प्राप्त नहीं होता जिसके कारण अपने और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पडता है । विद्यालय, स्वास्थ्य कैंन्द्र की सुविधाऐं उपलब्ध नहीं होती ।

इसके विपरित आधुनिकता व विकास के नाम पर स्वतन्त्रता की दुहाई । देने वाली कतिपय महिलायें भी कार्यस्थल के वातावरण को दूषित करने में कम भूमिका नहीं निभाती है ।

ऐसी महिलायें अन्य महिलाओं के लिये मुसीबत बन जाती है । अति उच्च महत्वकांक्षा के चलते ऐसी महिलायें अपनी रूप सौन्दर्य के सहारे, नौकरी में तुरन्त व अनुचित तरीकों से पदोन्नती प्राप्त करने, बिना कुछ किये पी.एच.डी. पाने, किसी पद का चयन करवाने, चुनावों में पार्टी टिकट या संगठन में पद प्राप्त करने, अपनी सुविधा की जगह तबादला करवाने जैसे कार्यो के लिये अपने आप को समर्पित करने में जरा भी संकोच नहीं करती हैं ।

कभी-कभी कुछ अय्याश प्रवृति के पुरूषों के कारण महिलाओं का कार्यस्थल पर चैन से कार्य करना दूभर हो जाता है । ऐसे व्यक्ति बात बात पर बहाना बनाकर महिलाओं से निकटता बनाने का प्रयास करते हैं । महिला द्वारा बार-बार तिरस्कृत करने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं । इस प्रकार की हरकते प्राय: ऐसे व्यवसायों मे अधिकता से देखने को मिलती है जहाँ महिला को रिसेप्शनिस्ट, एयर होस्टेस, जन-सम्पर्क अधिकारी आदि का कार्य सौंपा जाता है ।

आधुनिक समय में टेलिफोन व मोबाइल फोन से भी महिलाओं के प्रति गलत व्यवहार को बढ़ावा मिला है । गलत नम्बर मिलने पर भी यदि दूसरी ओर से महिला की आवाज सुनाई देती है तो व्यक्ति गन्दी, अश्लील बाते करने लगता है ।

लड़कियों तथा महिलाओं की छेड़छाड़ पर लॉ कमिशन ने गृहमन्त्राल्य से भारतीय दण्ड संहिता के सेक्शन 290 में महिलाओं की टेलीफोन पर इस छेड़छाड़ करने के जुर्म इसमें नया कानून जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया था ।

लड़कियों व महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले असामाजिक तत्व खुले रूप से घूमते रहते हैं लेकिन कानून या पुलिस उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है ।

अधिकतर छेड़छाड़ के मामले में घर के लोग या माता-पिता लड़की तथा घर की इज्जत के नाम पर इन मामलों को पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज नही करते । यदि इसे दर्ज भी किया जाता है तो गवाह की अनुपस्थिति में अपराधी छूट जाते हैं । कई बार राजनीतिक दलों से भी अपराधियों को समर्थन प्राप्त होता है । अत: ये लोग पुलिस व अदालत दोनों से छूट जाते हैं ।

इस प्रकार कार्यस्थल में कई प्रकार की समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है ।

इन समस्याओं की उत्पत्ति क्यों होती है? यदि हम स्थितियों पर से विश्लेषण करें तो पाते है कि इसके पीछे बहुत से कारक है जैसे मीडियॉ का प्रभाव, भडकाऊ पौशाके, वस्त्रों के साथ-साथ महिलाओं के उठने-बठने का तरीका जो अनायास ही पुरूषों का ध्यान आकर्षित करता है, पुरूषों की मानसिक, विकृति, महिला को एक देह के रूप में लालचभरी निगाह से देखना, टी.वी. के अश्लील विज्ञापन लोगों की बढ़ती हवस, नैतिक मूल्यों में गिरावट आदि ।

यदि महिलायें स्वयं के प्रति व विभिन्न कानूनों के प्रति सजग रहे तो वह इस स्थिति से काफी हद तक स्वयं निपट सकती है । कार्यालय में पुरूष-साथियों से उतनी ही बातचीत करें जितनी आवश्यक हो अपने परिवार की बाते विशेषकर अपने दामपत्य जीवन से जुड़ी बाते सार्वजनिक स्थानों पर ना करें । पुरूष सहकर्मियों से एक पर्याप्त दूरी बनाये रखे । अपने उठने

बैठने, बोलने व अपनी पौशाक पर विशेष ध्यान दें । अपना ऑफिस कार्य स्वयं करें । महिला होने का फायदा न उठाये ।

इन बातों का ध्यान रखकर महिलाऐं जागरूक रह सकती हैं । तथा विभिन्न समस्याओं से निजात पा सकती है ।

15.4 संविधान द्वारा प्राप्त कानूनी संरक्षण

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में समाहित करने हेतु सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया गया है ।

भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष सभी सुविधाऐं और अवसरों की गारन्टी प्रदान की गई है ।

संविधान के अनुच्छेद- 15 के अनुसार लिंग, धर्म, जाति व जन्म-स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है ।

अनुच्छेद- 16 में दी गई व्यवस्थाओं के आधार पर लोक सेवाओं में स्त्री एवं पुरूष को बिना भेद किए अवसर की समानता प्रदान की गई है । अनुच्छेद- 19 के अनुसार कोई भी नागरिक चाहे वह स्त्री हो या पुरूष उसे अभिव्यक्ति की समान रूप से स्वतन्त्रता प्रदान की गई है । तथा भारत के क्षेत्र में कहीं भी विचरण करने का बराबर का अधिकार दिया गया है ।

श्रमक्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को विशेष सुरक्षा और सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी सरकार द्वारा विशेष अधिनियम बनाये गये है । वर्ष 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार समान कार्य के लिये महिला को भी समान पारिश्रमिक की व्यवस्था की गई है ।

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के द्वारा कुछ विशेष नियोजनों में महिला कर्मियों के लिए अलग शौचालयों तथा स्नानागारों की आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य बनाया गया है । ठेका श्रम अधिनियम, 1970 के द्वारा उनसे केवल दिन में ही अधिकतम 9 घण्टे तक ही कार्य लेने हेतु व्यवस्थाऐं निर्धारित की गई है ।

इसी प्रकार अन्य कई अधिनियमों के द्वारा भूमिगत खानों, बागानों, बीड़ी कारखानों आदि में कार्यरत महिलाओं को विशेष सुविधाएँ और सुरक्षात्मक उपाय प्राविधानित किए गए है ।

महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतन्त्र और स्वावलम्बी बनाने, स्वरोजगार प्रदान करने, कार्य करने के स्थानों पर उन्हें सुरक्षात्मक उपाय करने, उनका तथा बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा की विशेष व्यवस्था करने हेतु विशेष कानून और नियम बनाये गये है । महिलाओं को प्रताड़ित करने वालों को भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कठोर सजाएं निर्धारित की गई है । विभिन्न अपराधों के लिये कम से कम 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजाएँ निर्धारित की गई है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के अन्तर्गत स्त्री की लज्जा भंग करने हेतु हमला करने पर 2 वर्ष का कारावास, महिला की बेइज्जती करना, झूठे आरोप लगाने पर धारा 499

के अन्तर्गत 2 वर्ष का कारावास तथा धारा 509 के अन्तर्गत महिला की शालीनता को अपमानित / अपशब्द / अश्लील हरकतें करने पर 1 वर्ष का कारावास मिलता है ।

वर्ष 1992 में देश में 'राष्ट्रीय महिला आयोग' का गठन किया गया तथा। विभिन्न राज्यों में 'राज्य महिला आयोग' का गठन किया गया ।

वास्तविकता यह है कि महिला की स्थिति बदलने व उसे सुरक्षित रखने लिये महज कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा जब तक समाज स्वयं इस दिशा में गंभीरता से मनन नही करता तथा आरोपी को कडी से कड़ी सजा नहीं मिलती ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 ग्रामीण महिलाओं को कार्य क्षेत्र मे किस -किस तरह कि परेशानियों का सामना करना पड़ता है!

2 राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब और क्यो किया गया !

15.5 सारांश (Summary)

अब तक इस इकाई में आपने जो कुछ पढ़ा, अब हम उसकी पुनरावृत्ति करेगें । इस इकाई में आपने कार्य स्थल में महिलाओं की प्रस्थिति का विश्लेषणात्मक विवरण पढ़ा । आपने यह भी पढ़ा कि कार्य स्थल में महिलाओं को किन-किन प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है तथा साथ ही साथ आपने इस इकाई में यह भी जाना कि भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को किस प्रकार से कानूनी संरक्षण प्राप्त है ।

मूल्यांकन प्रश्न (Evaluation Question)

1. कार्यस्थल पर महिलाओं को किन-किन समस्याओं का सामना करना पडता है । और क्यों? तर्क सहित विवेचना करिये ।
2. संविधान द्वारा महिलाओं को कौन-कौन से अधिकार कानूनी संरक्षण कई रूप में प्राप्त हैं? उल्लेख करिये ।
3. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ घटित होने वाले गलत व्यवहारों के लिये आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अपने शब्दों में व्यक्त करिये ।

15.6 संदर्भ ग्रंथ (Reference)

1. Narasaiah M.L., Gender Inequity and poverty, Discovery Publishing House, New Delhi. 2004
2. Khandela, Manchand; Women Empowerment, Arihant Publishing house, Jaipur,2002
3. Mehta, Chetan Singh, Women and Law,2002

इकाई 16

अनौपचारिक शिक्षा और महिलाएं
(Non-Formal Education for Women)

इकाई की संरचना (Structure of the Unit)

16.0 उद्देश्य

16.1 महिलाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता

16.2 अनौपचारिक शिक्षा के लिए सरकारी कार्यक्रम

16.3 बदलते हुए सामाजिक-आर्थिक वातावरण में व्यावसायिक शिक्षा की उपयोगिता

16.4 व्यावसायिक शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएं

16.5 स्वरोजगार एवं महिलाएं

16.6 स्वयं सहायता समूह एवं महिलाएं

16.7 सारांश

16.8 संदर्भ ग्रंथ

16.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- महिलाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा के महत्त्व को समझना ।
- अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानना ।
- बदलते हुए सामाजिक-आर्थिक वातावरण में व्यावसायिक शिक्षा की उपयोगिता को समझना ।
- व्यावसायिक शिक्षा के लिए कार्यान्वित सरकारी योजनाओं के बारे में जानना ।
- महिलाओं के लिए स्वरोजगार के महत्त्व एवं उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- महिलाओं के सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता समझना ।

16.1 महिलाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता (Need of Non-Formal Education for Women)

समाज में नारी की निम्न स्थिति सुधारने तथा उन्हें समाज में समुचित सम्मान तथा प्रस्थिति दिलाने का सर्वाधिक कारगर स्रोत शिक्षा ही हो सकता है । स्त्रियों के लिए शिक्षा अति आवश्यक है । इसी के आधार पर वे समाज में पुरुषों के समान प्रस्थिति प्राप्त कर सकती हैं । क्योंकि समाज के परम्परागत, रूढ़िवादी, स्त्री विरोधी मूल्यों में परिवर्तन के लिए यह एक पूर्व आवश्यकता है । यद्यपि विधान ने उन्हें राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार दिए हैं परन्तु मात्र अधिकार प्राप्त होने से उन्हें अधिकारों के उपयोग के लिए

प्रेरित नहीं किया जा सकता । अधिकारों के प्रयोग की क्षमता विकसित करने के लिए स्त्रियों का जागरूक होना अनिवार्य है और यह जागरुकता शिक्षा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती । शिक्षा ही उनके दृष्टिकोण को उदार एवं विस्तृत बना सकती हैं तथा उनकी अपनी अभिरुचियों, मूल्यों तथा भूमिका विषयक विचारों में परिवर्तन ला सकती हे । एवं मात्र शिक्षा ही उन्हें आत्मनिर्भर भी बना सकती है ।

परन्तु वर्तमान समाज में ऐसे बहुत से कारण है जिनके चलते आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी ग्रामीण ही नहीं वरन् शहरी क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में महिलाएं शिक्षा के औपचारिक स्वरूप से वंचित रह जाती हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के विद्यालय नामांकन की संख्या बालकों से काफी कम है। और जो बालिकाएं स्कूल जाती भी हैं, उनमें से अधिकांश को पारिवारिक या आर्थिक कारणवश मध्य में ही विद्यालय की पढ़ाई छोडनी पड़ जाती है । शहरी क्षेत्रों में भी लड़कियों की उच्च शिक्षा को लेकर बहुत अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अभी तक विकसित नहीं हो पाया है । इन्हीं सब कारणों से महिलाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा का समुचित प्रावधान होना देश के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है । इसके माध्यम से, जो महिलाएं औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गई है, वे शिक्षा भी प्राप्त कर सकती हैं और कुछ व्यावसायिक-तकनीकी भी शिक्षा प्राप्त कर के स्वयं अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकती हैं । इसी परिस्थिति में महिला सही अर्थो में अपने अधिकारों का उपयोग कर सकेंगी तथा समाज में अपने लिए समानता का स्थान बना सकेगी ।

1.6.2 अनौपचारिक शिक्षा के लिए सरकारी कार्यक्रम (Government Programmes for Non - Formal Education)

जो बालिकाएं विविध कारणों से विद्यालय के सामान्य समयकाल में औपचारिक शिक्षा ग्रहण नही कर सकतीं, उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा एक लाभकारी विकल्प है । वास्तव में अनौपचारिक शिक्षा उन महिलाओं के लिए भी हितकर हैं जो अपने बाल्यकाल में शिक्षा से वंचित रह गई । सरकारी स्तर पर ऐसे लोगों के लिए उनकी सुविधानुसार एक अनौपचारिक वातावरण में आवश्यकतानुरूप शिक्षा उपलब्ध करवाने के प्रावधान किए गए हैं - इसी प्रावधान को अनौपचारिक शिक्षा (Non Formal Education, NFE) कहा जाता है । इस प्रकार की शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण यह भी है कि यह शिक्षा अपने ज्ञानवर्द्धन के लिए जीवन काल में किसी भी समय प्राप्त की जा सकती हैं ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE-1986) जिसमें 1992 में संशोधन हुआ, उसमें निरक्षरता के निराकरण और प्राथमिक शिक्षा स्तर पर विद्यालय छोड़ने की प्रवृति पर रोक लगाने के प्रावधान किए गए हैं। इसी संदर्भ में दो प्रमुख योजनाएँ प्रारम्भ की गई -

1. अनौपचारिक शिक्षा (The Non-Formal Education-NFE)
2. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (National Literacy Mission NLM)

(NLM) अनौपचारिक शिक्षा के प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम में अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता के तहत पढ़ना (Reading) लिखना (Writing) और गणना ज्ञान (Numeracy) के अलावा जीवन कौशल शिक्षा (Life Skills Education) पर बल दिया गया है । जीवन कौशल के अन्तर्गत -

(1) स्व जागरुकता (Self - Awareness)

(2) आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक विचार (Critical & Creative Thinking)

(3) निर्णय क्षमता एवं समस्या निराकरण (Decision Making & Problem Solving)

(4) भावनाओं और तनाव पर नियंत्रण (Coping with Emotions and stress)

(5) प्रभावशाली सम्प्रेषण एवं अन्तवैयक्तिक सम्बन्ध (Effective Communication & Interper Learning) पर भी बल दिया गया है !

(6) स्थान एवं समय अभिस्थापन (Spatial & Time Orientation) आदि सम्मिलित हैं।

इन सभी के अतिरिक्त भारतीय अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में आजीवन प्रशिक्षण (Lifelong Learning) पर भी बल दिया गया है ।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' द्वारा संचालित है । प्रारम्भ में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम देश के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 10 राज्यों में प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 2002 तक इस कार्यक्रम ने देश के 598 में से 574 जिलों में अपनी शाखा फैला ली थी। इनमें से 302 जिलों में निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम भी प्रारम्भ हो गए थे । अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की मूलभूत रणनीति इस प्रकार है -

(1) लगभग दो वर्ष की अवधि का समन्वित शिक्षा कार्यक्रम ।

(2) प्रशिक्षुओं के छोटे समूह कीं सुविधा के अनुसार समय एवं स्थान का चयन ।

(3) स्थानीय निर्देशकों का चयन एवं प्रशिक्षण ।

(4) लचीले और विकेन्द्रित प्रबंधन पर बल ।

(5) औपचारिक शिक्षा के समकक्ष एवं प्रशिक्षु की आवश्यकता एवं स्थानीय महत्व की अध्ययन सामग्री का प्रयोग ।

(6) तदोपरान्त औपचारिक व्यवस्था में प्रवेश योग्य बनाने हेतु अनौपचारिक विद्यार्थियों का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण ।

भारत में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) जैसे निरन्तर और बी.जी.वी.एस आदि के साथ-साथ केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ने भी अति सक्रिय योगदान दिया है । अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर दो कार्यक्रम सर्वप्रमुख रहे -

(1) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (Total Literacy Compaign) -

यह अभियान एक प्रयोग के रूप में 1988-89 से चलाया गया । यह एक विशाल जन कार्यक्रम है जो क्षेत्र आधारित, समय बद्ध, स्वयं सेवकों पर आधारित, परिणाम अभिस्थापन युक्त कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियाँ साक्षरता एवं गणना ज्ञान हैं और इसके

लिए 15-35 आयु वर्ग के निरक्षरों को लक्ष्य बनाया गया । इस अभियान की समाप्ति पर नवसाक्षरों के लिए 'साक्षरता पश्चात कार्यक्रम' (Post Literarcy Programme) तथा 'निरन्तर शिक्षा' (Continuing Education) में सम्मिलित होने का भी प्रावधान रखा गया ।

(2) सर्व शिक्षा अभियान (SSA) -

वैकल्पिक शिक्षा और वैकल्पिक स्कूलिंग के लिए यह कार्यक्रम 2001 में प्रारम्भ किया गया । यह कार्यक्रम मुख्यत: 6-14 वर्ष के सामान्य तथा 6-18 वर्ष के निर्योग्य बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्य कर रहा है । यह अभियान किशोर बालिकाओं के लिए भी कई योजनाओं चला रहा है । इनके अंतर्गत पढने-लिखने के अतिरिक्त बालिकाओं को महिला सम्बन्धी विषयों, वैधानिक प्रावधानों, महिला स्वास्थ्य, एवं पर्यावरण सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी जाती हैं ।

इन सबके अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा का एक अन्य अति महत्वपूर्ण पक्ष व्यावसायिक शिक्षा से भी जुडा है । इसके अन्तर्गत बालक-बालिकाओं, युवाओं आदि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनौपचारिक ढंग से विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देने का प्रावधान भी रखा गया है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न - 2

1 जीवन कौशल के अन्तर्गत व्यक्तित्व विकास के लिए किन-किन बातों पर बल जाता है ?

16.3 बदलते हुए सामाजिक-आर्थिक वातावरण में व्यावसायिक शिक्षा, की उपयोगिता (the Utility of Vocational Education in the Changing Socio-Economic Environment)

वर्तमान आधुनिक समाज में भौतिकवादी प्रवृत्तियों के विकास के साथ-साथ शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण का महत्व बढ़ रहा है । जहां इस युग में शिक्षा सफल जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, वहीं व्यावसायिक प्रशिक्षण भी आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए अपरिहार्य है । भूमण्डलीकरण के युग में भारतीय समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन में कई परिवर्तन आए हैं । विविध आर्थिक चुनौतियों के इस युग में नौकरी एक सरल विकल्प नहीं है । यही कारण है कि धीरे-धीरे भारत में स्वरोजगार की ओर आकर्षण बढ़ रहा है । परन्तु देश की निर्धन एवं निम्न मध्यम जनता के लिए इसकी सम्भावनाएं भी चुनौतीपूर्ण ही हैं क्योंकि स्वयं के व्यवसाय की स्थापना अथवा स्वरोजगार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए काफी मुश्किल हैं ।

सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर इन वर्गो के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के अनेक प्रावधान किए गए हैं ताकि वे मुख्यधारा से जुड़ सकें ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न- 3

1 व्यावसायिक शिक्षा महिलाओं के लिए क्यों उपयोगी है ?

16.4 व्यावसायिक शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएँ (Government Schemes for Vocational Training)

देश के विभिन्न भागों में सामान्य जन के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए समय -समय पर अनेक योजनाएं बनाई गईं हैं । कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं -

(1) जन शिक्षण संस्थान - इन्हें मूलत: श्रमिक विद्यापीठ कहा जाता है, जिसकी स्थापना सबसे पहले मुम्बई में 1967 में हुई । इनकी स्थापना एक बहुतकनीकी प्रशिक्षण संस्थान के रूप हुई । जिनका प्रमुख लक्ष्य समूह ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्रौढ़ एवं युवा वर्ग एवं औद्योगिक श्रमिक थे । वर्तमान समय मे, इनका ध्यान नवसाक्षरों तथा अप्रशिक्षित एवं बेरोजगार युवा वर्ग पर केन्द्रित है । जन शिक्षण संस्थान अगरबत्ती बनाने, सिलाई करने और कशीदाकारी से लेकर कम्प्यूटर प्रशिक्षण जैसे लगभग 255 प्रकार के क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं । भारतीय सरकार वर्तमान समय में जन शिक्षण संस्थानों को पूर्णत: गैर सरकारी संस्थानों को सौंप रही हैं ।

(2) राष्ट्रीय खुले विद्यालय (National Open School) - इनकी स्थापना 1989 में हुई थी और जुलाई 2002 में मानव- संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत इसका नाम (National Institute of Open Schooling) NIOS रखा गया ।

इस संस्था के 1805 अकादमी अध्ययन केन्द्र और 917 व्यासायिक शिक्षा केन्द्र है । NIOS बहुत से खुले व्यावसायिक प्रशिक्षण, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक कोर्स, पूर्णत: व्यावसायिक विशय एवं अकादमिक विषयों के साथ व्यावसायिक विषयों में प्रशिक्षण देता हैं । इसके व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कृषि, कम्प्यूटर, एवं आई.टी. इंजीनियरिंग, अध्यापन प्रशिक्षण तथा व्यापार सम्बन्धी प्रशिक्षण सम्मिलित हैं ।

(3) द्वाकरा (DWCRA) - 1982-83 में आरम्भ हुई इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में स्वरोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण को बढावा देने पर जोर दिया गया है । जिससे उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकें । इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला स्तरीय ग्रामीण विकास एजेन्सियों द्वारा किया जाता है । इसके तहत महिलाओं के एक समूह की कला, रुचि और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में' रखते हुए किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा सकता है । यह समूह अधिकांशत: 10-15 महिलाओं का होता है ।

(4) ट्रायसम (TRYSEM) - ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारम्भ 1979 में हुआ था । इसके तहत 18-35 आयु वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले युवाओं को धनोपार्जक गतिविधियों में लगाया जाता है । इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण काल सामान्यत: 6 माह का होता है ।

(5) प्रधानमंत्री रोजगार योजना - इसका प्रारम्भ 1993 में हुआ । इसके तहत 18-35 आयु वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जाते हैं । इसके अन्तर्गत कोई भी उद्यम आरम्भ करने से पहले 15-20 दिन सम्बन्धित उद्यम क्षेत्र में प्रशिक्षण का भी प्रावधान है ।

इनके अतिरिक्त भी विभिन्न मंत्रालयों के अधीन अनौपचारिक क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं ।

(1) कृषि विज्ञान केन्द्रों मे व्यावसायिक प्रशिक्षण

(2) खादी एवं ग्रामोद्योगों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

(3) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

(4) स्त्री शक्ति

(5) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न- 3

1 जन शिक्षण संस्थान का अर्थ एवं उद्देश्य स्पष्ट कीजिए ।

16.5 स्वरोजगार एवं महिलाएँ (Self Employment and Women)

भारतीय सरकार ने महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कुछ विशेष प्रयास किए हैं । राज्य एव संघ राज्य सरकारों द्वारा ये प्रयास औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किये जा रहे हैं । औपचारिक स्तर पर राज्य सरकारों ने +2 स्तर पर 6,700 विद्यालयों के माध्यम से यह योजना चलाई हैं । 6 मुख्य विषयों - कृषि, वित्त एव व्यापार, इंजीनियरिंग एवं तकनीक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, गृह विज्ञान तथा मानविकी में इस संदर्भ में 150 से अधिक कोर्स चलाए जा रहे हैं । इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्त कम्पनियां व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं को स्वयं अपना उद्यम प्रारम्भ करने के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाता है ।

अनौपचारिक क्षेत्र में गैर सरकारी संस्थाओं को व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार अनुदान रही है ! कुल 168 गैर सरकारी संस्थानों को हेतु अनुदान दिया गया है!

महिलाओं का प्रशिक्षण एवं सामाजिक सशक्तिकरण भारतीय सरकार की प्राथमिकता रही है । इसी उद्देश्य से 1974 में महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए एक अलग प्रकोष्ठ की स्थापना जी गई और 1995 में इसे निदेशालय के रूप में विकसित किया गया । इसके अन्तर्गत मुख्यत: -

(1) Apprenticeship Training Scheme

(2) Craftsmen Training Scheme

(3) Advance Skill Training Scheme सम्मिलित हैं ।

इनके लिए 14-25 आयु वर्ग की 8वीं, 10वी या 12वी उत्तीर्ण बालिकाओं का चयन किया जाता है । महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तरीय व्यावसायिक संस्थान नोएडा में 1977 में राष्ट्रीय, महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान' नाम से स्थापित किया गया । इसके अतिरिक्त मुम्बई, बैंगलोर, त्रिवेन्द्रम, हिसार, कोलकाता, तूरा, इंदौर, इलाहाबाद, बड़ोदा और जयपुर में राज्य स्तरीय संस्थान भी। खोले गए ।

इन संस्थानों के प्रमुख प्रशिक्षण विषय अभियांत्रिकी, यांत्रिकी, तथ्य संकलन व कम्प्यूटर विज्ञान, ड्राफ्ट्समैनशिप डैस्कटॉप पब्लिशिंग, वस्त्र निर्माण, सचिव सहायता, फल व सब्जी संरक्षण, त्वचा देखरेख तथा कशीदाकारी आदि हैं ।

राज्य स्तर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (Industrial Training Institute ITI) के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है । विभिन्न राज्यों में 4339 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यरत हैं । सामान्यत: इन संस्थानों में महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की भी व्याख्या होती है । इन 4339 संस्थानों में से 755 संस्थान (जिनकी प्रशिक्षु सीट संख्या 46,696 है) पूर्णता महिलाओं के लिए हैं ।

ग्राम, ब्लॉक स्तर पर विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों (Extension training Centres) के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है । इसके अतिरिक्त महिला समृद्धि योजना जिसका प्रारम्भ 1993 में हुआ था, यह भी महिलाओं की आर्थिक प्रस्थिति के उत्थान में महत्वपूर्ण कदम हैं । इसके तहत स्वयं अपना उद्यम प्रारम्भ करने के लिए महिलाओं की वित्तीय सहायता की जाती है । साथ ही इसका लक्ष्य महिलाओं में डाकघर में आकर्षक ब्याज दरों पर बचत करने की प्रवृत्ति विकसित करना भी है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न- 4

1 महिलाओं को विशेष रूप से किन क्षेत्रों में स्वरोजगार के प्रशिक्षण दिया जा रहा है !

16.6 स्वयं सहायता समूह एवं महिलाएं (Self Help Group & women)

महिला सशक्तीकरण तब तक सम्भव नहीं है जब तक महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हो कर स्वयं उन्हें हासिल करने के लिए एक-जूट होकर प्रयास ना करें । सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाएं कितना भी प्रयास कर लें, परन्तु इस उद्देश्य में समुचित सफलता महिलाओं की अपनी पहल पर ही निर्भर करती है । स्वयं सहायता समूह ऐसे भी समूह होते हैं जो महिलाओं को स्वयं अपनी सहायता करने के लिए तैयार करते हैं । शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी स्तरों पर ये स्वयं सहायता समूह महिलाओं के छोटे-छोटे समूह बनाकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय शुरु करने और साथ ही प्राप्त आय की सही ढंग से बचत करने में मदद करते हैं । यह समूह विशेष रूप से निर्धन अथवा निर्धनतम वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार एवं बचत के लिए प्रेरित करते हैं । पिछले कुछ वर्षो में देश में स्वयं सहायता समूहों की संख्या में निरनतर वृद्धि हुई है । नाबार्ड की रिपोट के अनुसार वर्ष 2003 में भारत में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 8.67,041 हो चुकी थी । 12-15 सदस्यों के ये समूह 1.5 करोड महिलाओं की सहायता कर रहे थे । इन समूहों की संख्या उदेश्य महिलाओं की प्रतिभा निखार कर उनकी क्षमता निर्माण (Capcity Building) करना है । ये समूह ग्रामीण क्षेत्रों में गंदी बस्तियों में पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं और महिला शिक्षा स्वास्थ्य,

हिंसा रोजगार, कुप्रथाओं जैसे विषयों को सम्बोधित करते हैं । महिला समाख्या, सेवा, ब्रिज ट्रस्ट ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण स्वयं सहायता समूह हैं ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न- 5

1 स्वयं सहायता समूह विशेषत: महिलाओं को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हैं ।

16.7 सारांश (Summary)

समाज में नारी को समुचित सम्मान दिलाने का सर्वाधिक कारगर स्रोत शिक्षा ही हो सकता है। परन्तु वर्तमान समाज में ऐसे बहुत से कारण है जो महिलाओं के औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में अनौपचारिक शिक्षा का समुचित प्रावधान महिला विकास के लिए बहुत उपयोगी है । सरकारी स्तर पर विविध कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को अनौपचारिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया है । इन कार्यक्रमों में पढने लिखने और गणना ज्ञान के अतिरिक्त जीवन कौशल शिक्षा पर भी बल दिया गया है । सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, साक्षरता पश्चात् कार्यक्रम निरन्तर शिक्षा तथा सर्व शिक्षा अभियान ऐसे ही सरकारी कार्यक्रम हैं ।

वर्तमान आधुनिक समाज में भौतिकवादी प्रवृत्तियों के विकास के कारण व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी महत्त्व बढ़ गया है । आर्थिक चुनौतियों के इस युग में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में व्यावसायिक प्रशिक्षण कारगर सिद्ध हो सकता है । विभिन्न वर्गो को व्यावसायिक प्रशिक्षण कारगर सिद्ध हो सकता है । विभिन्न गर्वों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए भी भारतीय सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं । जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय खुले विश्वविद्यालय, द्वाकरा ट्रायसम प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि इसी के उदाहरण हैं । इसके अतिरिक्त महिलाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के लिए गैर सरकारी संस्थाएं भी महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इस क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका भी उल्लेखनीय हैं ।

मूल्यांकन प्रश्न (Self Evaluation Questions)

1. महिलाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा का महत्त्व समझाइए ।

   Explain the Importance of non-formal education for women.

2. अनौपचारिक शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर टिप्पणी लिखिए !

   Write a note on the schemes run by government to promote non-formal education.

3. बदलते हुए सामाजिक आर्थिक वातावरण में व्यावसायिक शिक्षा की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए

   Discuss the utlility of vocation training in the changing soico-economic scenario.

4. व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के लिए चलाई जा रही किन्हीं तीन सरकारी योजनाओं का वर्णन

Describe and three of the governmental schemes for promoting vocational training.

5. समकालीन समाज में महिलाओं की आत्म निर्भरता अत्यावश्यक हैं । कारण सहित स्पष्ट कीजिए !

Women's self-sufficiency is a must in contemporary society' explain with reasons.

6. महिलाओं के सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए ।

Write a Note on the role of self help groups in women empowerment.

16.8 संदर्भ ग्रन्थ (Biblography)

1. Education for all Global Monitoring Report, 2008, UNESCO
2. Goel Aruna : Education and Socio-Economic Prspectives of Women Develop0ment and Empowerment, Deep & Deep Publication, New Delhi, 2004
3. Mathu Anuradha, Pandya Rameshwari : Facets of Women's Development Kalpaz, Pub.New Delhi, 2006
4. www.nlm.nic.in
5. www.education.in
6. www.ibe.unesco.org.

इकाई 17

लैंगिक परिप्रेक्ष्य : सैद्धान्तिक आधार

(Gender Perspective : Theoretical From Work)

इकाई की (Structure of the Unit)

17.0 उद्देश्य

17.1 प्रस्तावना

17.2 लैगिक परिप्रेक्ष्य में नारीवाद

17.2.1 नारीवादी दृष्टि कोण की परिभाषा

17.3 लिंग भेद

17.3.1 लिंग की परिभाषा एवं अर्थ

17.3.2 लिंग असमानता के कारण

17.3.3 भेद अवधारणा

17.3.4 लिंग भेद के सिद्धान्त

17.3.5 लिंग भेद: नारीवादी शिक्षा

17.3.6 उदारवादी नारीवाद सिद्धान्त

17.4 आमूल परिवर्तनवादी (अतिवादी) समाजशास्त्र

17.5 रेडिकल फेमिनिज्म एवं शिक्षा

17.5.1 मार्क्सवादी समाजशास्त्रीय सिद्धान्त

17.5.2 नारीवादीमूलक सामाजिक सिद्धान्त

17.5.3 पश्च संरचना नारीवाद

17.6 सारांश

17.7 सन्दर्भ ग्रंथ

17.0 उद्देश्य (Objectices)

अब तक हमने महिला शिक्षा के प्रस्थिति के बारे में जाना और हर क्षेत्र में लिंग भेद को महत्वपूर्ण कारणों को पाया । आखिर लिंग और लिंग भेद क्या है और कैसे इसे कम किया जा सकता है आगे के खण्डों में हम इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ।

आधार पाठ्यक्रम के एम.एड. खण्ड 5 के शिक्षा नारीवादी दृष्टिकोण के अन्तर्गत लैंगिक परिप्रेक्ष्य सैद्धान्तिक आधार से सम्बन्धित विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । इस इकाई को पढने के बाद आप -

- लैंगिक परिप्रेक्ष्य में नारीवाद की परिभाषा व विशेषताओं को जान सकेंगे ।
- लिंग भेद की अवधारणा जेण्डर की अवधारणा को समझ सकेंगे ।

- नारीवाद के विभिन्न सिद्वान्त यथा-उदारवादी सिद्वान्त आमूल परिवर्तनवादी (रेडिकल थ्योरी) समाजवादी-सिद्वान्त की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।
- आज की परिस्थितियों में उसकी उपयोगिता व व्यावहारिकता को समझ पाएंगे ।
- पाश्चात्य व पूर्वी नारीवाद के संदर्भ में तुलनात्मक समझ पैदा कर पाएंगे।

17.1 प्रस्तावना (Introduction)

नारीवादी दृष्टिकोण के सम्बन्ध में जब हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं । इससे पूर्व एक घटना याद आती हैं । 1993 में जब नारीवादी आंदोलन अपने चरम पर था । राजस्थान के उदयपुर जिले के सराड़ा ब्लॉक का गांव चावण्ड में महिला सम्मेलन हो रहा था । वहाँ पर उपस्थित महिलाएं नारे लगा रही थीं- "मेला (महिला) मांगे आजादी" बेना मांगे आजुादी, हम सब मांगे आजादी, मेला (महिला) मांगे काम समान" आदि मै! संचालक था । मैंने पूछा, "बहनों । माताओं आप सब बोल रहे हो "महिला मांगे आजादी" और "काम समान" का अर्थ क्या है? वे चुप थीं । केवल नारा लगाना जानती थीं । वे न तो इन शब्दों का अर्थ जानतीं थीं और न ही उपयोग। वे अपने विचार, अभिव्यक्त नहीं कर पा रही थीं, लेकिन हजारों की संख्या में उपस्थित हर उस की महिला समूह जो अपने घर से येन, केन प्रकरेण, सारी घरेलू प्रबन्धन की व्यवस्था -कर इस सम्मेलन में आई थीं । शायद यही उनकी अपनी आजादी थी ।

आजादी एवं समानता के इन्ही अर्थो में नारीवादी दृष्टिकोण को समझे तो हम पाएंगे- नारीवादी दृष्टिकोण प्रारम्भ से लेकर आज तक पश्चिमी और पूर्वी देशों में आजादी और समानता मूल अवधारणा के लिए आन्दोलित है । अपने संघर्ष में पूर्व में समाज में पुरूष प्रधानता, शोषण, अत्याचार के विरूद्व आवाज उठाई । कालान्तर में यह आंदोलन स्व निर्भरता स्व जागरूकता व स्वावलंबन मूल मंत्र बन गया । नारीवादी का मूल आधार है- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यथार्थ का ठोस, जागरूकता उपलब्धियाँ और उसका क्रियान्वयन स्तर । जैसा पात्र होता है वैसा ही पानी आकार कर लेता है । नारीवाद का अपना स्वरूप समय, काल व स्थानीय परिस्थितियों व मुद्दों के आधार पर बदलाव करता रहा । 17 वीं शताब्दी से 21 वीं शताब्दी की संरचना में नारीवादी सोच विकसित हुआ । विश्व के विभिन्न भागों में, देशों में वहाँ की काल परिस्थितियों के आधार पर यह आंदोलन सशक्त भी हुआ तो कमजोर भी ! आइये ! इसी पृष्ठ भूमि में एक दृष्टि नारीवादी विचारधारा, परिभाषा, विशेषताओं, लिंग भेद की अवधारणा व सिद्धान्त पर डालें ।

17.2 लैगिक परिप्रेक्ष्य में नारीवाद

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों के बराबर स्त्रियों के अधिकारों के समर्थन को नारीवाद या महिलावाद कानून दिया गया है । इस विचारधारा की उत्पत्ति मूलत: पितृसतामकत अर्थात पुरूष प्रभुत्व की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई है । इसकी व्याख्या दो रूपों में की जा सकती है एक विचारधारा के संकुचित अर्थ में, तथा दूसरी महिलाओं का समानता के लिये किया गया एक सामाजिक आंदोलन के रूप में यह लिंगवादी सिद्धान्त अर्थात् पुरूष प्रभुत्वता और सामाजिक

शोषण की प्रथा की समाप्ति पर बल देता है । महिलावाद कई भिन्न-भिन्न किंतु अर्न्तसम्बन्धित संकल्पनाओं का एक पुंज है, प्रयोग लिंग की सामाजिक यथार्थता तथा लिंग असमानता की उत्पति, प्रभाव एवं परिणामों के अध्ययन एवं विवेचन में किया जाता है ।

एक आंदोलन के रूप में महिलावाद का जन्म कब और कैसे हुआ संबंध में निश्चितता नहीं है । यही नहीं इन आंदोलन के उद्देश्य तथा संचालन में काफी भिन्नता देखने को मिली है । ऐसा अनुमान है कि इसका जन्म अठारहवीं शताब्दी के अंतिम काल में यूरोप, फ्रांस और ब्रिटेन हुआ और आज यह नारीवादी आंदोलन लगभग सभी देशों (विकसित एवं विकासशील) में न्यूनाधिक रूप में फैल गया है । यह आंदोलन लैंगिक समानता का पक्षधर है तथा इस समानता को प्राप्त करने के लिये सभी स्तरों पर महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि की मांग करता है ।

महिलावादी आंदोलन के इतिहास की शुरूआत मूलत: फांस की क्रांति के आदर्शो में छुपी है इस क्रांति में महिलावाद की प्रथम लहर को उत्पन्न किया और महिलाओं की क्रान्ति में भाग लेने की प्रेरणा दी'

ब्रिटेन में सन् 1792 में प्रकाशित मेरी बूलस्टोन क्राफ्ट की पुस्तक "एविनडिकेशन ऑफ द राइटस ऑफ वूमेन ने महिलावाद की प्रथम लहर को जागृत किया । समान शिक्षा के महिला अधिकारों का समर्थन किया गया ! उत्रीसवीं सदी में कई महिला समर्थक इसके लिए लड़े तथा स्त्रियों के लिए विद्यालय की स्थापना की लड़की के महाविद्यालयों तथा पुरूषों के व्यवसायों में स्त्रियों को प्रवेश दिलवाया । बाद में कानूनी सुधारों द्वारा स्त्रियों के संपत्ति सम्बन्धी वैयक्तिक अधिकारों तथा तलाक देने की स्वीकृति ने स्त्रियों की प्रस्थिति में भारी परिवर्तन ला दिया । महिला वादियों ने लैंगिकता संबंधी स्त्रियों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया और वेश्यावृत्ति तथा बलात्कार जैसे कुकृत्यों के लिए समुचित कानून पारित करवाकर स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान की ।

भारत में भी उन्नीसवीं शताब्दी में कुछ समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार लाने का प्रयत्न किया । राजा राम मोहनराय केशव चन्द्र सेन, देवेन्द्र नाथ ठाकुर, स्वामी दयानन्द, श्रीमती एनीबिसेन्ट के अतिरिक्त थियोसोफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन जैसे अनेक संस्थाओं ने स्त्री शिक्षा तथा महिलाओं की अन्य समस्याओं के समाधान में योगदान दिया ।

महिलावादी आंदोलन की द्वितीय लहर की शुरूआत बैरी फ्रेडन की पुस्तक "फेमिनिन मिस्टिक (1963) से होती है जिसमें तथा कथित सुखी उच्च मध्यम वर्ग की एक अनाम पूर्णकालिक गृहिणी एवं मां अपने दुःखी एवं नैराश्य की कहानी कहती है । ब्रिटेन तथा अमेरिका में महिलावाद को प्रश्रय नव-वामवाद में भाग लेने वाली स्त्रियों द्वारा भी मिला जिन्होंने अपने पुरूष साथियों द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार से प्रताड़ित होकर विद्रोह का झण्डा गाड़ दिया । ब्रिटेन में कार्यरत महिलाओं द्वारा समान वेतन के लिए हडताल की गई । महिलावादी आंदोलन की इस द्वितीय लहर में ही वास्तव में आधुनिक नारी मुक्ति आन्दोलन की नींव रखी । यह आन्दोलन न तो संस्तरणात्मक ही था और नहीं पूर्णत: संगठित यह एक ढीले ढाले प्रकार का आंदोलन रहा है । जो अनेक समूह, राजनीतिक सिद्धान्त और कार्यक्रमों का समन्वित रूप

था । नारी मुक्ति आंदोलन स्त्रियों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में पुरूषों के समकक्ष प्रस्थिति, अधिकार, सम्मान और उन्नति के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु सक्रिय संघर्ष में विश्वास करता है।

महिलावाद की व्याख्या तीन ढंग से की गई है यथा- उदारवादी, मार्क्सवादी और उग्रवादी, उदारवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार लिंग असमानता मुख्यत: सामाजीकरण का परिणाम है जो पुरूषों और स्त्रियों के संबंध में व्यक्तियों के विकृत एवं हानिकारक विचारों की उत्पन्न करता है । इसके साथ-साथ कुछ सांस्कृतिक प्रथाएं भी है जो लैंगिक असमानता के लिए उत्तरदायी है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य महिलावाद को सीधे पूंजीवादी तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था से जोडता है । रेडिकल परिप्रेक्ष्य के अनुसार लिंग असमानता अज्ञान तथा स्वतंत्रता के अभाव के कारण और न ही पूंजीवाद के कारण है अपितु यह तो पुरूषों द्वारा स्त्रियों पर प्रभुत्व, नियंत्रण और शोषण के उनके सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है ।

महिलावाद ने समाजशास्त्र को भी महत्वपूर्ण रूप में प्रभावित किया है । अनेकानेक महिलाओं को अब उन्हे अपने शैक्षणिक कार्य के लिए सम्मान दिया जाने लगा है । यही नही बल्कि पुरूष केन्द्रित समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों में महिलावादी आलोचनाओं को भी स्थान दिया जाता है । उदाहरणार्थ- अपराध के सिद्धान्त में महिलाओं की दृष्टि से ही अध्ययन विश्लेषण किया जाने लगा है । महिलाओं के जीवन से संबंधित शोध में पिछले वर्षो में काफी वृद्धि हुई है । लैंगिक असमानता को लेकर कई सिद्धान्त । विकसित हुए जिनमें यौनभेद, लिंगभेद, पितृसत्तात्मकता और लैंगिक भूमिकाओं जैसी अवधारणाओं का प्रचुरमात्रा में प्रयोग किया गया है । यही नहीं महिलावादी आंदोलनों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975-85 के दशक को महिलाओं के नाम समर्पित करने के लिये प्रेरित कर महिलाओं की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है ।

17.2.1 नारीवादी दृष्टि कोण की परिभाषा

नारीवाद ऐतिहासिक सांस्कृतिक वास्तविकताओं की जागरूकता, पूर्णता क्रियान्वित के स्तर पर आधारित है । नारीवाद स्थानीय परिस्थिति और मुद्दो पर निर्भर करता है । 17वीं शताब्दी की स्थिति और मुद्दे और 20 सदी की स्थिति और मुद्दो में अन्तर है । दूसरा, विश्व के प्रत्येक भाग प स्थिति और मुद्दे, प्रत्येक काल में अलग-अलग होते हैं । प्रत्येक देश में महिला वर्ग में दूसरों पर निर्भरता । उसकी पृष्ठ भूमि, शिक्षा का स्तर, जागरूकता अलग-अलग है । ऐसे मे नारीवाद उनके समान मुद्दों को बहस करता है, सोचता है पितृसत्तात्मक के अस्तित्व, पुरूष प्रधानता के विरूद्ध शोषण विहिन समाज, की कल्पना के लिए जागरूकता लाना चाहता है, विशेषकर जाति वर्ग, नस्ल और लिंग के आधार पर ।

परिभाषा -

समाज कार्यस्थल और परिवार में व्याप्त शोषण के विरूद्ध महिलाओं में लाने और इन परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए सक्रिय आंदोलन ही नारीवाद है ।

पितृसत्तात्मक नियंत्रण, शोषण और मातृत्व के विरूद्ध और महिला श्रमिक, और लैंगिकता के प्रति वैचारिक स्तर के दृष्टिकोण से पारिवारिक दृष्टि से, कार्य स्थल और में सामान्य और वर्तमान परिस्थितियों में महिला और पुरूषों के मध्य रिश्तों में जागरूकता लाने का करना ही नारीवाद है ।

सामान्य अर्थो में लैंगिकवाद के अस्तित्व में विश्वास करना, पुरूष प्रधानत्व और अत्याचार के विरूद्ध आवाज उठाना ही नारीवाद हैं । सम्पूर्ण विश्व में महिला के प्रति पोषाहार,भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा रोजगार एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं के निर्णयों में भागीदारी करने मे असमानता का अनुभव किया गया है । इसके विरूद्ध आवाज उठाने के रूप नारीवाद को जाना जाता है ।

प्रश्न यह नही है कि पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं के साथ हो रहे दुश्व्यवहार के प्रति कैसे संघर्ष किया जाये? महिला स्वयं अपने शिक्षित होने का निर्णय लें । वे अपने जीवन को सुधारने, अपने लिए राह ढूंढने, मानवीय अत्याचारों से बचने, पर्दे से निकलने को प्रयास करें, यही एक समन्वित प्रयास हो सकता है । यही यह प्रयास करना होगा कि पुरूष महिलाओं का मददगार हो।

आज के नारीवाद और प्रारम्भ के नारीवाद में सबसे बड़ा अंतर अपने लोकतांत्रिक अधिकारो की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना है । जिसमें शिक्षा के अधिकार, रोजगार का अधिकार, सम्पति का अधिकार वोट का अधिकार, संसद में प्रवेश का अधिकार, जन्म नियंत्रण का अधिकार, तलाक का अधिकार आदि । अभी तक नारीवाद अपने कानूनी सुधार, समाज में समान कानूनी स्थिति परिवार के अंदर, या बाहर के लिए संघर्ष से सम्बन्धित था । आज नारीवाद महिलाओं का मुक्तिवाद उद्धार एवं कल्याण के रूप में कार्य कर रहा है । नारीवाद का उद्देश्य परिवार में पुरूषों की अधिनस्थता, शोषण, धार्मिक सभा, देश व सांस्कृतिक, दृष्टि से कमजोर स्तर होने के विरूद्ध तथा उत्पाद और पुर्नउत्पाद के क्षेत्र में दोहरे भार के विरूद्ध संघर्ष करना है । साथ ही नारीत्व और शारीरिक शक्ति तथा जैवकीय वर्ग के आधार पर भी बताने के विरूद्ध चुनौतियों को स्वीकारना है। आज नारीवाद समानता, प्रतिष्ठा, महिलाओं के इच्छा की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत है । नारीवाद सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों के क्षेत्र में समानता की पैरवी करता है ।

डच नारीवादी ससिका वेरिगा ने कहा है- "नारीवाद महिलाओं को लैंगिक प्रतिनिधित्व के रूप मे पहचान दिलाने की प्रक्रिया है।" इस आधार पर कह सकते है नारीवाद आलोचना न ही अपितु कई स्तर पर, राजनीतिक और नैतिक व्यवहारों का रूपान्तरण है।

आक्सफोर्ड डिक्शनरी एण्ड यूजेज गाइड टू द इंग्लिश लेग्वेज- (न्यूर्याक प्रेस 1945) में परिभाषित किया है "महिलाओं के अधिकार एवं लैंगिक समानता के सिद्धान्त से सहमत विचारधारा की वकालत करने वाले एवं उनका समर्थन, अनुकरण करने वाले नारीवादी कहलाए । द न्यू पेंग्युइन इंग्लिश डिक्शनरी (न्यू दिल्ली) में नारीवाद महिलाओं के अधिकार, अभिरूचि एवं पुरूष के बराबर विशेषकर राजनैतिक आर्थिक और सामाजिक सहभागिता के क्षेत्र में समर्थन

करता है । इस आधार पर हम कह सकते है- नारीवाद अधिकार एव लैंगिक समानता की वकालत करता है ।

आईये! जाने लिंग भेद क्या है?

स्वमूल्यांकन प्रश्न - 1

1 नारीवादी आन्दोलन का जन्म कब हुआ और इसका क्या उद्देश्य था ।

2 आधुनिक नारीवाद और प्राचीन नारीवाद की तुलना अपने शब्दों में करें

17.3 लिंग भेद

समाज की संरचना, संगठन और व्यवस्था में लिंग की समानता और असमानता का विशेष महत्व हैं । लिंग की असमानता पर समाज के संरचनात्मक संस्थागत और संगठनात्मक ढ़ाचे का प्रभाव पड़ता हैं । लिंग की असमानता भी समाज के सन्तुलन व्यवस्था और विकास को प्रभावित करती है । लिंग की असमानता किसे कहते हैं? इस समानता के कारण कौन-कौन से हैं? लिंग की असमानता के कारण स्त्री और पुरूष में किसका शोषण हो रहा है । असमानता का शिकार कौनसा वर्ग (स्त्री वर्ग या पुरूष वर्ग) है ।लिंग के अनुसार समाज की धारणाएं क्या है? भेद भाव के क्षेत्र कौन-कौन से है? संवैधानिक अधिकारों और उनके व्यवहारों में कितना अन्तर है?

17.3.1 लिंग की परिभाषा एवं अर्थ

लिंग और यौन अवधारणाएं एक दूसरे से सम्बधित हैं इसलिए लिंग और लिंग भेद को यौन और यौन भेद की परिभाषा के रूप में कह सकते हैं- "प्राकृतिक विज्ञान में विशेष रूप प्राणी विज्ञान में स्त्री पुरूष के जैविक लक्षणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते है । इनका जैविक और पुर्नजन्म कार्यो पर ही ध्यान केन्द्रित रहता है । सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से समाज शास्त्र में स्त्री पुरूषों का अध्ययन लिंग भेद के आधार पर किया जाता है । जिसका तात्पर्य है कि उन्हें सामाजिक अर्थ प्रदान किया जाता है । स्त्री और पुरूष का अध्ययन सामाजिक सम्बन्धो को गहराई से समझने के लिए किया जाता है । योनि भेद जैविक सामाजिक है और लिंगभेद सामाजिक सांस्कृतिक हैं । यौनि भेद शीर्षक से अर्थ स्त्री-पुरूष का नर मादा के बीच विभिन्नताओं तथा लिंग भेद से अर्थ है- "स्त्री और पुरूष के बीच सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सांस्कृतिक व शैक्षणिक असमानता का होना।

स्त्रियों का समाज में स्थान - किसी भी संस्कृति में महिलाओं की प्रस्थिति क्या रही, उन्हे क्या-क्या अधिकार दिये गये और उनसे किन-किन भूमिकाओं की अपेक्षा की जाती है? भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्रियों की संख्या 49,5738,169 है जबकि पुरूषों की संख्या 53,12,77,078 है अर्थात् पुरूषों की तुलना में वे जनसंख्या में कम है, 2001 के अनुसार पुरूष साक्षरता दर 75.96 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 54.28 प्रतिशत है । भारतीय विशेषत: हिन्दू समाज में स्त्रियों की स्थिति कॉफी उच्च रही है । उन्हे शक्तिशाली और सम्पत्ति का प्रतीक माना जाता रहा है, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में उनकी पूजा होती

है । ऐतिहासिक काल पर दृष्टि डाले तो वैदिक और उत्तर वैदिक काल में स्त्री की स्थिति पुरूषों के बराबर "यंत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' की मानी गई पुरूषों के समान उन्हे अधिकार दिये गए । धीर-धीरे स्मृति काल, धर्म काल, मध्यकाल में उनकी स्थिति में बदलाव आया उसके अधिकार । छिनते गए और स्त्री को तुरन्त निर्बल और निस्सहाय मान लिया गया । अंग्रेजी शासन में उन पर ध्यान दिया गया समाज सुधारकों ने सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्र में उसे सबल बनाने के अनेक प्रयास किए । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्रियों की दशा में काफी सुधार हु आ है, किन्तु अमीर भी इस दिशा में पूर्ण सफलता नही मिली ।

17.3.2 लिंग असमानता के कारण

जैसा कि हम खण्ड के प्रथम इकाई में पड़ चुके है कि ईसा से 300 वर्ष पूर्व लेकर 1947 तक स्त्रियों की स्थिति निम्न से निम्नतम होती चली गयी जिसके कारण उसमें असन्तोष व्याप्त हो गया । जैसे स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, बाल विवाह, कन्यादान, वैवाहिक, कुरीतियाँ पुरूषों पर निर्भरता, संयुक्त परिवार व्यवस्था ब्राहामणवाद मुसलमानों के आक्रमण आदि के कारण अनेक पारिवारिक और वैवाहिक समस्याएँ उत्पन्न हो गई । विधवा पुनर्विवाह पर रोक, दहेज, विवाह विच्छेद पर निषेध, बेमेल विवाह, अन्तर्जातीय विवाह पर रोक, बहु पत्नी विवाह, पर्दा प्रथा जैसी समस्याएँ थी । कुछ पारिवारिक समस्याओं ने भी असन्तोष व्याप्त किया स्त्री की सम्पत्ति में अधिकार न देना परिवार में पुरूष प्रधानता परिवार में स्थिति न होना असन्तोष का कारण बनें ।

17.3.3 भेद अवधारणा

विभिन्न लिंगियों के बीच संबंधों के सामाजिक पक्ष के संदर्भ में लिंग एक ऐसी अवधारणा है जो जैविकीय यौन भेद से अलग की जाती है । पिछले कुछ वर्षो में सामाजिक विज्ञानों में लिंग के सामाजिक पक्ष का उसके जैविकीय पक्ष से अलग कर जेण्डर के रूप में उसे समझने अध्ययन करने की एक नई शुरूआत हुई है । अन्न ओकले (सेक्स जेण्डर एण्ड सोसाइटी- 1972) समाजशास्त्र में सेक्स शब्द को महत्व दिया, के अनुसार सेक्स का तात्पर्य पुरूषों एवं स्त्रियों का विभाजन से है तथा जेण्डर का अर्थ स्त्रीत्व एवं पुरूषत्व के रूप में समानान्तर और सामाजिक रूप में विभाजन से है । अत: जेन्डर की अवधारणा स्त्रियों और पुरूषों के बीच सामाजिक रूप में निर्मित भिन्नता के पहलुओं का ध्यान आकर्षित करती है । किन्तु आजकल जेन्डर का प्रयोग व्यक्तिगत पहचान और। व्यक्तित्व को इंगित करने के लिए ही नहीं किया जाता, अपितु प्रतीकात्मक स्तर पर इसका प्रयोग सांस्कृतिक आदर्शो तथा पुरूष एवं स्त्रीत्व संबंधी रूढ़िबद्ध धारणाओं और संरचनात्मक अर्थो में संस्थाओं और संगठनों में लैंगिक श्रम विभाजन के रूप में भी किया जाता है ।

सन् 1970 के आसपास लिंग भेद के अध्ययन में समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक रूझान पैदा हु आ । अभी तक लिंग भेद को मात्र स्त्री एवं पुरूष में जैविकीय भित्रता के रूप में ही देखा जाता था तथा पुरूषत्व और स्त्रीत्व के बारे में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विचार रूढि बद्धता से ग्रस्त थे जिनकी यथार्थता से बहु त दूरी थी । बाद में लिंग भेद तथा स्त्रियों और पुरूषों की

भूमिका संबंधी विचारो में भिन्न संस्कृति के कारण भारी अंतर आया संरचनात्मक स्तर पर घरेलू श्रम विभाजन संबंधी वितरण बडी असमानता प्रदर्शित हुई । विभिन्न समाजों में लैंगिक संबंधों के भिन्न स्वरूप है । ऐतिहासिक काल प्रजातांत्रिक और जातीय समूहों, सामाजिक वर्ग और पीढ़ीयों में ! फिर भी, पुरूषों और स्त्रियों के बीच अंतर के मामले में सभी समाजों में समानता है यद्यपि यह अंतर की प्रकृति में काफी सामाजिक मित्रताएं है । लिंग भेद से संबंधित एक सर्वाधिक समान विशेषता लिंग असमानता की है । सामाजिक जीवन के कई क्षेत्रों में लिंग भेद की विचारधारा और तार्किक धारणाओं तक ही सीमित नहीं है । बल्कि घर, लैगिंक श्रम विभाजन से लेकर श्रम बाजार तक राज्य की व्यवस्था में, काम भावना में, हिंसा की रचना में और सामाजिक संगठन के कई पक्षों में, लैगिंक सम्बन्धों की रचना होती है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न - 2

1 क्या यौन भेद ही लिंग भेद कहलाता है? संक्षेप में लिखें ।

2 लिंग विभेद का प्रभाव जन्म से ही शुरू हो जाता है, कैसे?

17.3.4 लिंग भेद के सिद्धान्त

विश्वस्तर पर लिंग भेद के निम्न सिद्धान्त उभर कर आये हैं-

1. उदारवादी नारीवाद सिद्धान्त
2. आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद सिद्धान्त
3. समाजवादी मार्क्सवादी नारीवाद सिद्धान्त.

अन्य सिद्धान्त में -

1. रूढ़िवाद सामाजिक जीववादी
2. काली अश्वेत महिलाओं के विचार
3. उत्तर आधुनिकतावाद
4. द्वि व्यवस्थावादी सिद्धान्त
5. आर्थिक महिलावाद
6. भौतिकवादी महिलावाद

आईये इन सिद्धान्तों का स्वरूप देखें-

लैंगिक सम्बन्धों में कठोर व अत्याचार क्यों व कैसे पनप रहे है? शिक्षा में लैंगिक भेद सिद्धान्तों द्वारा इस बात को विश्लेषित किया गया है । इन्हे वापस सुधारने के लिए विद्यालय अपने स्तर पर क्या भूमिका निभा सकते हैं । इन कृत्यों में सुधार लाने के लिए वो कौनसी व्यूह रचना हो जिसे अपनाने से लैंगिक सम्बन्धों में सामान्य रिश्ते बन सकें । विश्लेषण करने पर पाया जाता है कि उदारवादी परिवर्तनवादी समाजवादी, उत्तर संरचनावादी आदि सिद्धान्तों के द्वारा समाज में महिलाओं के दोयम दर्जे एवं पुरूष महिला सम्बन्धों में आ रही कटुता को दूर करने के लिए समन्वित प्रयास किए जा सकते है । इन सिद्धान्तों के द्वारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण बने हैं । इन सिद्धान्तों का निर्माण समायानुसार हुआ । सामाजिक व्यवस्था सिद्धान्तों के प्रतिरोधात्मक तरीके व सैद्धान्तिक -वैचारिक एवं व्यावहारिक धाराओं में 1990 तक संघर्ष

चलता रहा तथा अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहे । फिर भी यह सिद्धान्त आज भी शिक्षकों के समाजीकरण में प्रभावी भूमिका निभा रहे है ।

17.3.5 लिंग भेद: नारीवादी शिक्षा

लिंग के आधार पर शिक्षा में विभेद शिक्षा के प्रारम्भ स्तर से हो जाता है एवं सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में चलता रहता हैं, अधिकांश देशों में पुरूष एवं स्त्री में विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर विभिन्न विषयों में उपलब्धि पृथक्क होती है । यद्यपि माना जाता है कि लिंग विभेद का जन्म बाल्यावस्था के दौरान परिवार में ही प्रारम्भ हो जाता है किंतु विद्यालय ही वह मुख्य संस्था हो जाता है जो असमान शैक्षिक उपलब्धियों के लिए जिम्मेदार है । कोनिल व अन्य (1982) ने बताया कि विद्यालय लिंग संबंधी विचारों का निर्माण व पुननिर्माण करता है । जिससे कि स्त्रियों में अधीनस्थ स्तर के बारे में निरंतर सुदृढ़ है । यह तथ्य कि अनेक देशों में स्त्री अब विद्यालयों में अधिक वर्षो तक रूक सकती है । इसका अर्थ यह नही है कि लिंग भेद समाप्त हो गया है ।

पाठ्यक्रम निर्माण विद्यालय संगठन एवं प्रत्येक विद्यालयी स्तर पर लिंग सम्बन्धों में रिश्तों में सुधार विश्वास पैदा करने के लिए इस सिद्धान्तों में निरन्तरता सामूहिक एवं निजीगत की आवश्यकता महसूस की गई है । शिक्षा में समानता लाने के लिए लिंग संवेदी पाठ्य चर्चा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है !

17.3.6 उदारवादी नारीवाद सिद्धान्त

उदारवादी नारीवाद एक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कल्याण महत्व में विश्वास करते है तथा जो इस बात पर बल देती है कि सामाजिक संगठन में परिवर्तन तथा द्वारा सम्भव है । उदारवाद का विकास 16 वीं व 19 वीं शताब्दी में जीवन के विभिन्न पक्षों राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्तर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु आंदोलन के स्वरूप मैं हुआ । इस विचार धारा प्रजातंत्र के विकास सार्वभौमिक मताधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दास प्रथा की समाप्ति तथा नागरिक अधिकारों में वृद्धि का समर्थन किया । यह विचारधारा सरकार अथवा समृद्ध वर्ग द्वारा व्यक्तियों पर प्रभुत्व प्रतिकार करती है ।

शिक्षा के दृष्टिकोण से उदारवादी नारीवाद अभी शुरूआती अवस्था में है जो राजनैतिक व वैधानिक रूप से कानूनों में परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहा हैं । उदारवादी इस बात पर बल देते है कि सभी बालकों को समान अवसर दिए जाए, इनके लिए समान दक्षताएं व उद्देश्य हों इनका विचार हैं कि ये विभिन्न विशेष रूप से महिलाओं के समूहों की उपलब्धि और सफलताओं में वृद्धि हो। पाठ्यक्रम को इसका माध्यम मानते हैं । ये समाजवादी नारीवादियों की तरह पाठ्यचर्चा को पुरूष प्रधान नही मानते हुए एक समान पाठ्यक्रम पर बल देते हैं । वे वर्तमान में स्थापित संरचनाओं को ही उपलब्धि प्राप्त करने का माध्यम मानते हैं । शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश को प्राथमिकता का आधार देने के लिए विधि निर्माण संरचना एव व्यावहारिकता में वित्तीय व्यवस्थाओं के संदर्भ में प्रक्रिया के संबंध में बात कहते हैं । इसके लिए संघर्ष पर जोर देते हैं । वह यह भी मानते है कि अधिकतर "शक्ति" संघर्ष पर लग रही है । इसके लिए सोच में बदलाव की बात की है ।

प्राथमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा तक तो ज्यादा अंतर नही पाया गया, विश्वविद्यालयी शिक्षा में अंतर बढ़ गया है । उन्होनें विषयों के निर्धारण पर भी कानूनी दावपेच को स्वीकारा कई विषय चयन प्रवेश में लिंग भेद दिखाई दिया है । उन्होने व्यावसायिक प्रेक्टिस करने पर भी जोर दिया है तथा साथ ही इनके अवसर मिलने की बात कही है ।

उदारवादियों की सबसे बड़ी समस्या वैचारिक और व्यावहारिक तौर पर महिलाओं की विश्व में पहचान बनाने में पुरूषों के हस्तक्षेप व प्रधानता बताई है । वे पुरूषों की शक्ति की तुलना में महिलाओं को कमजोर मानते हुए उनके संबलन की बात स्वीकारते हैं । (वाकडाउन 1989) ।

17.4 आमूल परिवर्तनवादी (अतिवादी) समाजशास्त्र

1960 के आसपास समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक नवीन परिप्रेक्ष्य का उदय हुआ। होर्टन 1969, सिजमन्सकी (1970),डियुच (1970), कोलेफक्स मेक्डॉनल्ड, जेकरोच ने इस कहा है । इसी परिप्रेक्ष्य के एक भिन्न रूप को हौटेल (1967), ग्लास एवं स्ट्रास 1972 तथा 1973 ने लूमनिष्ट सोसिआलोजी का नाम दिया । एल्विन गोल्डनर 1970 मे इसे रेफ्लेक्सि व सोसिआलॉजी का नाम दिया तथा बिनरबॉम ने 1971 तथा एण्डरसन ने क्रिटिकल सोसिअलॉजी के नाम से पुकारा ।

आमूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्री सी.डी. मिल्स ने इसे बलवान के विरूद्ध कमजोर, शोषक के विरूद्ध शोषित तथा वर्गो के अधिकार के विरूद्ध जनता के अधिकारों को समर्थन कर ने वाला बताया । इससे - संघर्ष सिद्धान्त माना गया है । इसका जन्म संरचना प्रकार्यवादी सिद्धान्त की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है । उनका मानना है कि संरचना प्रकार्यवाद ने परिप्रेक्ष्य यथास्थिति वाद का द्योतक तथा परिवर्तन को नकारता है । यह सिद्धान्त समाज में राजनीतिक साधनों द्वारा वृहद संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है और इन परिवर्तनों के लिए हिंसात्मक एवं क्रांतिकारी कदमों को भी उठाने की आवश्यकता पड़ती है तो उनका प्रयोग किया जाना चाहिए । समाज शास्त्रीय ज्ञान का प्रयोग समाज में आवश्यक परिवर्तन लाने तथा समाज के नव निर्माण के लिए किया जा सकता हैं । यह शाखा उन वर्गो के अध्ययन पर ज्यादा जोर देती है जो शोषित एवं उपेक्षित रहे हैं । वे न समाज को वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से सुधार सम्भव मानते और न ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में संतुलन एवं निरंतरता की धारणा में विश्वास करते हैं । वे समतावादी समाज की रचना हेतु अतिवादिता तथा जन सहयोग की आवश्यकता पर विश्वास करते हैं ।

पुरूषों के अस्तित्व की तुलना महिलाओं के पक्ष के तर्क को अनुसुना किए जाने की बात कहता है। वे सामाजिक संरचना के कथनी और करनी में अन्तर पाते हैं । मोई (1985 पृ 29) बताते है कि समाज में पुरूषों का भय क्यों ? रवतंत्रता यदि तर्क के आधार पर जागरूकता के साथ संघर्ष किया जाए तो दूर नहीं है । नारीवाद यह महसूस करता हैं कि प्रभुता व नस्ल आधारित नारीवाद मानवीय मनोविज्ञान का सोच है । हमे इस सोच से आगे सोचना होगा ।

महिलाओं को कुछ पाने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए स्वयं हो करना होगा । हाँ, प्रकृति आधारित विभिन्नताओं को स्वीकारते हुए अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता व समानता की बात

करनी होगी। पुरूष-महिला के मध्य गुणात्मक विभिन्नताओं को देखते हुए अच्छे गुणों की साम्यता होनी चाहिए।

बेकर व डेविस (1989) ने माना है कि लक्ष्य के लिए लड़के-लड़कियाँ सैद्धान्तिक पढ़ाई एक सी करते हैं । एक सा पाठ्यक्रम पढ़ते है, लेकिन व्यावहारिक पक्ष के आधार पर समाज विद्यालय में लैंगिक आधार पर विभिन्नता उत्पत्ति लगती है, बदलाव की मूल आवश्यकता यहीं है । कन्टेन्ट, कोर्स में बदल विधि के आधार पर, कौशल विकास, शिक्षा के प्रति समान पैदा करने से तथा स्वयं के ऊर्जावान होने से ही बदलाव आएगा वे गणित, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगी । वे गणित विज्ञान व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र उपलब्धि प्राप्त करेंगी । आमूल परिवर्तनवादियों ने सोच को बदल की बात कही व्यक्तिगत और सामूहिक संघर्ष के माध्यम से तथा विभित्र स्तरों के अनुभवों के आधार पर व सतत् अनुभव पर पुरूषों को संकेतात्मक मानते हुए दोनों ध्रुवों की तरह माना वे दोनों में वैचारिक जुड़ाव व संघर्ष की बात कही (डेविस 1990 बी)। इन्होने अपने आंदोलनों को वैचारिक आधार पर पुरूष-नारी के समेकित प्रयास पर जोर दिया। व्यक्तिगत जीवन जीने के तरीके को केन्द्रित करते हुए बहस जारी रखने पर जोर दिया ।

17.5 रेडिकल फेमिनिज्म एवं शिक्षा

ये पाठ्यचर्चा पर नियंत्रण करने एवं सैद्धानिक रूप से लिंग विरोधी सिद्धान्तों पर आधारित बताया। लेखन नवाचार पर अधिक बल देते हुए रूढिवादी व परम्परागत तरीकों का विरोध किया । उन्होने पाठ्यक्रम में नारीवादी विषय वस्तु को सम्मिलित करने पर जोर दिया । जिसमें स्वतंत्रता समानता व अधिकारों की पाठ सामग्री पर जोर दिया । 1990 में केन वे और वेलिस द्वारा आपसी अन्त: किया व सम्पर्क पर जोर देने, बड़े पदों पर महिलाओं की उपस्थिति विशेषतया अधिकतम प्रवेश पर जोर दिया ।

17.5.1 मार्क्सवादी समाजशास्त्रीय सिद्धान्त

मार्क्स राजनीतिक अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा के आधार पर समाजशास्त्रीय सिद्धान्त को देखता है । सर्वप्रथम निकोलई बुखारिन ने अपनी पुस्तक "हिस्टोरिकल मटेरियलिज'' (1921) में और बाद में मैक्स एडलर ने मार्क्स के विचारों में अन्र्त निहित सामान्य समाजशास्त्र की खोज की । मार्क्स ने तत्कालीन सामाजिक विज्ञानों में समाज की उत्पत्ति विकास एवं पतन की व्याख्या के लिए नवीन अवधारणाओं तथा गवेषणा की विधि को विकसित किया उनका बाद में इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र पर काफी प्रभाव पड़ा । मार्क्स ने अपने सामाजिक विश्लेषण में प्रणाली, उत्पादन के साधन, आर्थिक सरंचना, अधिसंरचना, वर्ग,वर्ग-चेतना वर्ग-संघर्ष, भौतिकवाद अनेक अवधारणाओं का प्रयोग कर उन्हे नया अर्थ प्रदान किया ।

समाज की यथास्थितिवादी विश्लेषण का विरोधी है सामंजस्य एवं ' की अपेक्षा संघर्ष की प्रक्रिया इसका दार्शनिक आधार है । यही कारण है कि सामाजिक व्यवस्था की विशेषता के रूप में यह विचार धारा स्थायित्व की अपेक्षा परिवर्तन को अधिक महत्व देती है । इनकी

मुख्यत: सामाजिक घटनाओं की खोज एवं व्याख्या करने, आर्थिक कारकों की भूमिका, वर्गो के आपसी सम्बन्धो और अन्तर सामूहिक संघर्ष जैसी विषय रहे है ।

मार्क्सवादी समाजशास्त्र का भौतिकवादी आयाम आर्थिक निर्धारणवाद प्रश्रय देता है । इसके अनुसार किसी भी समाज की आर्थिक संस्थाएँ अन्य सामाजिक संस्थाओं तथा की अर्न्तवस्तु का निर्धारण करती है । इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या बहुधा आदर्शवादी दर्शन की है । इसके अनुसार विचार अथवा मानसिक स्थितियाँ इतिहास के प्रमुख तत्व है । द्वन्द्वात्मक आयाम का मूल यही हैं । सामाजिक परिवर्तन क्रांतिकारी तथा दोआयामों के द्वन्द्व के, फलस्वरूप उत्पन्न होता है ।

17.5.2 नारीवादीमूलक सामाजिक सिद्धान्त

बीसवीं शताब्दी के नारीवादी मूलक सामाजिक सिद्धान्त को एक सामाजिक" के रूप में शुरू हुए महिलावाद से न अलग किया जा सकता है और न ही पृथक्क रूप में समझा सकता है, नारीवादी आंदोलन की शुरूआत सन् 1920 में समान मताधिकार के मुद्दे को लेकर हुई थी जो बाद में संवैतनिक (नौकरी) कार्य के क्षेत्र और घरेलू कार्यकलापों कानूनी संबंधी और सांस्कृतिक प्रथाओं में मूलभूत लैंगिक समानता (जेण्डर इक्यिलिटी) के एक आमूल परिवर्तन वादी आंदोलन में बदल अत: नारी वादी मूलक सामाजिक सिद्धान्त का उदभव भी कई भिन्न रूपों में-उदारवाद, मार्क्सवाद और "आधुनिकतावाद में हुआ सामान्य रूप में नारीमूलक सामाजिक सिद्धान्त का उद्देश्य लैगिक भिन्नताओं और विशिष्ट रूप में पितृ सत्तात्मक सिद्धान्त के सन्दर्भ में समाज में महिलाओं की मातहत की स्थिति का समझना है । अमेरिका में महिलावाद को काले लोगो के नागरिक अधिकारों के संघर्ष के साथ जोड़ दिया गया? । इस राजनैतिक संघर्ष के द्वारा इस विचार का उदभव हुआ कि महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति बहुत स्वरूप में साम्राज्यवादी शासन की दशाओं में काले लोगो और महिला मुक्ति समस्या का उपचार न केवल आर्थिक और राजनैतिक आधार पर अपितु मनोविज्ञान और संस्कृति के स्तर पर भी किये जाने की आवश्यकता है । पितृसतात्मकता के विरूद्ध इस महिलावादी आन्दोलन को सैनिकवाद के विरोध और इस धरा के पर्यावरण विनाश सम्बंधी पारिस्थितिकीय समस्या के साथ भी जोड़ दिया गया । सामाजिक संस्तरण, प्रजातिवाद युद्ध, हिंसा और पर्यावरण विनाश को पुरूष की प्रभुत्व स्थापित करने की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता तथा पितृसतात्मक सामाजिक संगठन के प्रभावों के रूप मे देखा गया । सामाजिक सिद्धान्त के स्तर पर महिलावाद की कई शाखाओं के साथ जोड़ने के प्रयोग किये गये । एस.द.बुआ की द सेकिन्ड सैक्स (1949) एस.फायरस्टोल की द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स. (1970) जी. गीट्र की द फिमेलयून्च (1970) जे. मिचैल की वुमने द लागेस्ट रिवोल्यूशन (1974) । सन् 1980 और 1990 के दशक में महिला मूलक सामाजिक सिद्धांत पर उत्तर संरचनावादी और आधुनिकतावादी विश्लेषण का प्रभाव पडा । उत्तर का अनुसरण करते हुए महिलामूलक सिद्धान्तकारों ने कहा है कि पारम्परिक महिलामूलक विश्लेषण उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की श्वेत मध्यम वर्ग की महिलाओं से भरा पड़ा है । इसमें निम्न वर्ग ओर काली महिलाओं का नाममात्र का कहीं-कहीं जिक्र है । महिलावाद की तृतीय लहर ने सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य की अवहेलना करते हुए स्थानीय महिलाओं की समस्याओं

को उजागर किया । इस संबंध में एल. चोडसे की फेमिनिज्म एण्ड साइकोऐनेलेटिक थ्योरी(1989), वी हूक्स की फेमिनिस्ट थिऑरि (1984) और सी. वेडॉन की फेमिनिस्ट प्रेक्टिस एण्ड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिऑरि (1987) प्रमुख प्रकाशन है । कुछ उत्तर आधुनिक महिलावादी मानते है कि महिला उत्पीडन का पारम्परिक स्वरूप आज भी आधुनिक समाज में विधमान है ।

महिलामूलक सामाजिक सिद्धान्त ने यौन भेद और लिंग भेद (जेण्डर), पितृसत्तात्मक शक्ति के विश्लेषण और सामाजिक वर्ग की अवधारणाओं के रूप में समाजशास्त्र पर एक सामान्य प्रभाव डाला है । इस सिद्धान्त ने पिछले वर्षो में पद्धति शास्त्र को भी प्रभावित किया है।

स्वमूल्यांकन प्रश्न - 3

1 रेडिकल फेमिनिज्म क्या है और शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है ।

2 मार्क्सवादी समाज शास्त्रीय सिद्धान्त और नारीवादी मूलक सामाजिक सिद्धान्त में क्या अन्तर है ।

17.5.3 पश्च संरचना नारीवाद

सिद्धान्त और व्यवहार में सम्बन्धों को नया आधार दिया पाश्च संरचना नारीवाद, व्यक्तिगत मनोविचार में परिवर्तन स्वयं को अलग रखने के दोहराव की द्वैध की मानसिकता से परे विषय सामग्री की रचना में बदलाव, शारीरिक विभिन्नता को नहीं अपितु मानसिक समानता पर बल देते हैं । वे पुरूष और महिलाओं के रिश्तों में बदलाव की बात कही । वे व्यक्तिगत मनोरूप में तथा लैगिंग रिश्तों की इच्छा पर छोड़ते हैं ।(डेविस 1990) वे अपनी इच्छा शक्ति, कार्यक्षमता व व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए आंदोलन के महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए आंदोलन के महत्व को मानते है । साहित्य, भाषा, अध्ययन सामग्री के माध्यम से चुनौती को स्वीकारने की बात करते है । 1980-1990 के मध्य प्रसिद्धि पायी । अधिकतर नारिवादियों ने इनका समर्थन नहीं किया ।

17.6 सारांश

लिंग भेद के सिद्धान्तों के आधार पर नारीवाद के प्रर्वतक प्रणेताओं ने विश्व में लम्बे समय से पुरूष और स्त्री के मध्य असमानता के प्रसंगो को उठाया व आंदोलन किए । पश्चिमी व पूर्वी देशों के आंदोलनों ने नारी की स्वतन्त्रता, समानता, काम के अवसरों कीं समान समानता व उपलब्धता का समर्थन एवं नारी के प्रति पुरूष प्रधानता शोषण का विरोध किया ।

विश्व में पश्चिमी देशों व पूर्वी देशों में व्याप्त बुराईयों, रूढ़िवादी का विरोध करते हुए शिक्षा के उन्नयन एवं की भावना जागरूकता व स्वावलंबन का समर्थन किया । अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अफ्रीका, भारत आदि देशों में सदियों से संघर्ष किया गया । 17वीं शताब्दी से हमने देखा व पढ़ा है ।

भारत में 19 वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, एम.जी. रानाडे, महर्षि कर्वे आदि ने स्त्रियों की स्थिति व दशा को सुधारने का संकल्प लेकर ऊँचा उठाने का प्रयास किया।

20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी, डी. राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण ने स्त्रियों की समस्या को समझा । स्वतंत्रता पश्चात् संविधान निर्माण हुआ जिससे देश के सभी नागरिकों को समानता तथा सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय का आश्वासन दिया । कानून के सम्मुख स्त्री पुरूष को समान घोषित किया गया और उनकी असमानता हीनता और पक्षपात की समस्या पर अंकुश लगाया । सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, विजयलक्ष्मी पंडित, रेणु चक्रवती, सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया ।

लिंग भेद के प्रमुख सिद्धान्त-

1. उदारवादी नारीवाद
2. आमूल परिवर्तन नारीवाद
3. समाजवादी मार्क्सिस्ट नारीवाद
4. पश्च संरचनावादी जैसे नारीवाद समर्थकों ने समाज में व्याप्त लिंग भेद को समाप्त करने में अपना अथक योगदान दिया ।

मूल्यांकन प्रश्न

1. नारीवादी दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं?
2. लिंग भेद की परिभाषा बतलाते हुए इसकी सामाजिक व्याख्या कीजिए !
3. लिंग भेद के निम्न प्रकार सिद्धान्तों पर टिप्पणी लिखें ।
   1 उदारवादी नारीवाद, 2. आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद
   3. समाजवादी नारीवाद ।
4. पश्च संरचनावाद से आप क्या समझते है? वर्तमान परिवेश इसकी सार्थकता बतलाइये ।
5. आप परिवार समाज, आर्थिक व राजनीतिक आधार पर अपने आस किस प्रकार से लिंग भेद पाते हैं? समझाईये ।

17.7 सन्दर्भ ग्रंथ

1. Some Questions on Feminism and its relevance in South Asia. Writer:kamala bhasin, Night Said khad. Pub. Kali for Women. B1/8 hauz khas. ND-110012.Edi.1986.
2. शिक्षा एवं उदीयमान भारतीय समाज, डी. सरोज शर्मा, श्याम प्रकाशन, जयपुर ।
3. सप्त क्रांति, डी. राम मनोहर लोहिया प्रकाशक. लोहिया विचार प्रकाशन 50/172 F नौघड़ा, कानपुर ।
4. अगर राम मनोहर लोहिया होते - डॉ. ओम प्रकाश मिश्रा प्रकाशक समय -प्रकाशन आई 1/16, शांति मोहन हाऊस, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली 110002.
5. 'भारत में नारी शिक्षा जेसी अग्रवाल, विद्या विहार नई दिल्ली ।
6. नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ, आशा कोशिक, पोईन्टर पब्लिशर्स जयपुर 302003

7. नारी सशक्तिकरण, हरिदास राम जी शेण्डे ग्रंथ विकास, सी-37 पंचवटी, राजा पार्क, आदर्श नगर, जयपुर ।
8. भारतीय नारी वर्तमान समस्याओं और भारी समाधान डॉ. द्वारा पी तिवारी एवं डॉ. डी.पी शुक्ला, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन 5, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-10002.
9. समाज ओर नारी मानचन्द खण्डेला, अरिहंत पब्लिशिंग हाउस, राज. विश्व विद्यालय के सामने, ज. ला.ने. मार्ग, जयपुर
10. समाजशारत्र विश्व कोश (Encyclopaedia Sociology) : हरिकृष्ण रावत, रावत पब्लिकेशन,जयपुर पी.ओ नई दिल्ली ।

इकाई 18

लिंग संवेदी अध्यापन - अधिगम प्रक्रिया

(Gender Sensitive Teaching - Learning arrangement)

इकाई की रूपरेखा (Structure of the unit)

18.0 उद्देश्य

18.1 प्रस्तावना

18.2 लिंग संवेदी अध्यापन अधिगम की आवश्यकता

18.3 नारीवादी शिक्षाशास्त्र. सम्प्रत्यय

18.4 नारीवादी शिक्षाशास्त्र : क्रियान्वयन

18.5 नारीवादी शिक्षाशास्त्र. नियंत्रण और मूल्यांकन

18.6 सारांश

18.7 संदर्भ ग्रंथ

18.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप -

- लिंग संवेदी अध्यापन-अधिगम की आवश्यकता को जान सकेंगे ।
- नारीवादी शिक्षाशास्त्र के सम्प्रत्यय से परिचित हो सकेंगे ।
- नारीवादी शिक्षाशास्त्र के क्रियान्वयन से अवगत हो सकेंगे ।
- नारीवादी शिक्षाशास्त्र के नियंत्रण व मूल्यांकन को समझ सकेंगे ।

18.1 प्रस्तावना (Introduction)

शिक्षा सामाजिक क्रांति का एक शक्तिशाली साधन है । समाज में परिवर्तन, लाने के लिए शिक्षा एक प्रभावशाली यन्त्र है । डी. राधाकृष्णन के अनुसार "शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है, जो कार्य समाज में परिवार, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाओं द्‌वारा होता था, वह आज शैक्षिक संस्थाओं द्‌वारा किया जाता है । समाज की शक्ति का आधार शिक्षा ही है।

कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार, "सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के पर ही नहीं बल्कि औसत कामगर की क्षमता बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि करने के भी हर बच्चे के लिए निशुल्क एवं सार्वजनिक शिक्षा सबसे ज्यादा अग्रता वाला शैक्षिक उद्देश्य है । "लोकतंत्र में सब सभी नागरिक शिक्षित व साक्षर होंगे, तभी वे देश व समाज के योग्य नागरिक बन सकते है तथा आवश्यक सामाजिक परिवर्तन हो सकता है ।

आधुनिक समय में प्रत्येक राष्ट्र में शिक्षा का लक्ष्य सभी लोगों को शिक्षा सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए उचित व समान अवसर प्रदान करना है । लेकिन यह सभी नवोदित तथा राष्ट्रों की एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र में पिछड़े वर्ग तथा आदिवासी जातियों के लोग रहते है जो शताब्दियों से पिछड़े हुए है तथा समाज का एक प्रमुख वर्ग स्त्री वर्ग भी उन्नत अवस्था में नहीं है। इनके लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध नहीं है । इनके लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना प्रत्येक राष्ट्र का प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए । इसी में समाज व राष्ट्र का हित निहित है ।

लोकतांत्रिक समाज के निर्माण एवं विकास के लिए भारतीय संविधान में पुरूष एवं महिला को समान नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हैं । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्रियों की दशा में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी इस दिशा में पूर्ण सफलता नहीं मिली है । इसके विभिन्न कारण हैं जैसे माता-पिता की बालिका शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच, शिक्षा में गुणात्मकता की कमी, विद्यालय भवनों की दूरी, महिला शिक्षिकाओं का अभाव, बाल विवाह एवं लिंग भेद ।

जैसे कि हमने इस खण्ड के प्रथम इकाई में देखा कि लिंग भेद का प्रभाव किस प्रकार शिक्षा पर पड़ता है ।

अत: शिक्षा में लैंगिक समानता एवं लिंग संवदेनशीलता लाने हेतु रूढ़िगत विचारों से ऊपर उठकर बालक एवं बालिकाओं को समान शैक्षिक व्यवस्थाएं उपलब्ध करवानी होंगी । ताकि उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर लिंग भेद का प्रभाव न हो सकें ।

18.2 लिंग संवेदी अध्यापन अधिगम की आवश्यकता (Need of Gender-Sensitive Teaching Learning)

लिंग संवेदी अध्यापन अधिगम की आवश्यकता को जानने से पहले आवश्यक है कि हम लिंग एवं लिंग संवेदना के सम्प्रत्यय को जान ले ।

18.2.1 लिंग (Gender)

लिंग पुरुषों और स्त्रियों की उन भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों की और संकेत करता है । जिनकी रचना हमारे परिवार, समाज और संस्कृति द्वारा की गई है ये भूमिका एवं उत्तरदायित्व अधिगमित है जो कि समय के साथ और विभिन्न संस्कृतियों के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं।

Gender- Gender refers to the role and responsibilities of women and men that are created in our families, societies and cultures. These roles and responsibilities are learned. They can change over time and according cultures.

18.2.2 लिंग संवेदना (Gender Sensitivity)

लिंग संवेना लिंग से संबंधित मुद्दों तथा विभिन्न सामाजिक स्थितियों और लिंग सम्बन्धी भूमिकाओं के कारण उत्पन्न हुई स्त्रियों की धारणाओं और रूचियों को पहचानने की योग्यता है ।

Gender Sensitivity- Gender sensitivity is the ability to recognize gender issues women's different perceptions and interest arising from their different social location and gender roles.

समाज की संरचना, संगठन और व्यवस्था में लिंग की समानता और असमानता विशेष महत्व है। लिंग की असमानता समाज की सन्तुलन व्यवस्था और विकास को प्रभावित करती है । पुरूषों और स्त्रियों को विकास हेतु पर्याप्त समान अवसर प्राप्त न होने की स्थिति को लिंगीय असमानता कहा जाता है ।वर्तमान युग में विश्व में लिंगीय समानता की स्थापना को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जा रही है तथामानवाधिकार संरक्षण के समर्थकों ने स्त्रियों के प्रति होने वाले किसी भी प्रकार के अन्याय, शोषण, अत्याचार तथा भेदभाव का अधिकाधिक विरोध करना प्रारम्भ किया है । पश्चिम से शुरू हुए नारी स्वातन्त्र आन्दोलन ने आज सम्पूर्ण विश्व की महिलाओं को आन्दोलित किया है तथा उनमें व्यापक रूप से सामाजिक एवं राजनैतिक जागरूकता उत्पन्न की है ।

विश्व के विकसित देशों में लिंगीय समानता जहां वास्तविकता का ले रही है, विकासशील एवं अविकसित देशों में अभी भी यह कोरे आदर्श के रूप में ही स्वीकृत है और अभी पुरूषों की बराबरी करने में महिलाओं को काफी समय लगेगा ।

पिछले कुछ वर्षो में सामाजिक विज्ञानों में लिंग के सामाजिक पक्षों (Gender) को उसके जैविकीय पक्षों (Sere) से अलग कर जेण्डर के रूप में समझने और अध्ययन करने की एक नई शुरूआत हुई है । जेन्डर सम्प्रत्यय स्त्रियों और पुरूषों के बीच सामाजिक रूप से निर्मित भिन्नता के पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करता है । किन्तु आजकल जेण्डर का प्रयोग व्यक्तिगत पहचान और व्यक्तित्व को इंगित करने के लिए ही नहीं किया जाता, अपितु प्रतीकात्मक स्तर पर इसका प्रयोग सांस्कृतिक आदर्शो तथा पुरूषत्व एवं स्त्रीत्व संबंधी रूढ़िबद्ध धारणाओं और संरचनात्मक अर्थो में संस्थाओं और संगठनों में लिंग भेद के रूप में भी किया जाता है ।

लिंगभेद हमारी व्यवस्था का प्रमुख अंग है । परिवार में लड़की एवं लड़के के पालन पोषण में भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है । जैसा कि हम जानते हैं लिंग से सम्बन्धित भूमिकाएं परिवार, माता-पिता, समाज आदि के द्वारा अधिगमित होती है । सामान्यतया यह देखा गया कि बालिकाएं व स्त्रियों का स्वसम्प्रत्यय (Self concept) नकारात्मक होता है । वे अपने आपको आवश्यक, महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान नहीं समझती हैं । हमारी संस्कृति में बच्चों के साथ उनके लिंग के आधार पर व्यवहार किया जाता है ।

परिवार में बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। बालिकायें ये देखते हुए ही बड़ी होती है कि हमारे घरों, रितिरिवाजों त्यौहारों आदि में अतिमहत्वपूर्ण पुरूष ही

होते हैं । जैसे कि छोटी लडकियाँ अच्छे पति प्राप्ति के लिए व्रत रखती है, स्त्रियाँ अपने पति की लम्बी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं । हमारे कई त्यौहारों जैसे रक्षाबन्धन, भाईदूज आदि में भी केन्द्रीत पात्र भाई अर्थात् लड़का ही होता है । इस भेदभाव पूर्ण व्यवहार के कारण बालिकाओं के संर्वागीण विकास में बाधा पहुंचती है । पुरूष प्रधान समाज होने से स्त्रियां अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाती है । स्त्रियों में बचपन से ही असुरक्षा एवं हीन भावना का विकास हो जाता है । शिक्षा के अभाव व भेदभाव के कारण हीनता की भावना उनके स्वभाव का स्थाई लक्षण बन जाती है ।

अत: वर्तमान में आवश्यकता है कि लिंग भेद को समाप्त कर स्त्रियों के अन्दर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता एवं अपने अधिकारों के प्रति सजगता की भावना का विकास किया जाए । यह कार्य शिक्षा में व्याप्त असामनता को दूर कर तथा लिंग संवेदी अध्यापन-अधिगम को बढ़ावा देकर किया जा सकता है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न (Self Evaluation Question)

1 लिंग (Gender) और लिंग संवेदना (Gender Sensitivity) से आप क्या समझते है ?

2 लिंग भेद के सम्प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए ।

3 शिक्षा में लिंग संवेदी अध्यापन अधिगम की आवश्यकता क्यों है? व्याख्या कीजिए ।

18.3 नारीवादी शिक्षाशास्त्र : संप्रत्यय(Concept of Feminist Pedagogy)

नारीवादी शिक्षाशास्त्र एक सिद्धान्त है जो कि शिक्षण, संस्थाएं जहां पर अधिगम होता है और ज्ञान के लोकतांत्रिक सृजन से संबंधित है ।"

"Feminist Pedagogy is a theory about teaching, about institutions where learning occurs, and about the democratic creation of Knowledge."

शिक्षक जो कि नारीवादी शिक्षाशास्त्र का उपयोग अपने शिक्षण में करते हैं, वे कक्षा में एक सहयोगी अधिगम वातावरण स्थापित करने में विश्वास करते हैं जहां विद्यार्थियों के विचारों को भी महत्व दिया जाता है । उन शिक्षकों का यह विश्वास होता है कि विद्यार्थी अपने अधिगम हेतु स्वयं उत्तरदायी होना सीखते हैं । प्रोफेसर Hausman (Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksbury,Va) के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी पाठ्यक्रम सामग्री के प्रति अपनी समझ के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है ।

यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि एक कक्षा कक्ष में जहां नारीवादी शिक्षाशास्त्र का उपयोग किया जा रहा है, वहां विद्यार्थी अपने ज्ञान के सृजन हेतु अधिक उत्तरदायी होते हैं, बजाए अपने परम्परागत कक्षा-कक्ष के ।

Karen Warren Alison Rhinegold (1993) के अनुसार - " नारीवादी शिक्षाशास्त्र, नारीवादी सिद्धान्त का शैक्षिक स्पष्टीकरण है, जो कि एक कक्षा-कक्ष व्यवस्था में नारीवादी विचारों को अभ्यास में परिणत करता है ।

"Feminist pedagogy is the educational manifestation of feminist theory, transtating feminist thought into Practice into a classroom setting."

नारीवादी के विभिन्न सिद्धान्त हैं जैसे - उदारवादी नारीवाद सिद्धान्त, समाजवादी मार्क्सवादी नारीवाद सिद्धान्त, आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद सिद्धान्त आदि ।

उदारवादी नारीवाद एक विचारधारा है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कल्याण के महत्व में विश्वास करती है तथा जो इस बात पर बल देती है कि सामाजिक संगठन में परिवर्तन नवाचारों द्वारा संभव है । शिक्षा के दृष्टिकोण में उदारवादी नारीवाद इस बात पर बल देती है कि सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाए एवं उनके लिए समान अवसर व उद्देश्य हों । ये पाठ्यचर्या को पुरूषप्रधान नहीं मानते हुए एक समान पाठ्यक्रम पर बल देते हैं ।

मार्क्सवादी समाजशास्त्रीय सिद्धान्त स्थायीत्व की अपेक्षा परिवर्तन को अधिक महत्व होता है । मार्क्स ने अपने सामाजिक विश्लेषण में उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के माध्यम, वर्ग-चेतना, वर्ग-संघर्ष जैसी अनेक अवधारणाओं का प्रयोग कर उन्हें नया अर्थ प्रदान किया हैं ।

आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद को मूलत: एक संघर्ष सिद्धान्त माना गया है । यह उन वर्गो के अध्ययन पर ज्यादा जोर देता है जो शोषित एवं अपेक्षित रहे हैं । ये समतावादी समाज की रचना हेतु अतिवादिता तथा जन सहयोग की आवश्यकता पर विश्वास करते हैं । इन्होंने अपने आंदोलनों में वैचारिक आधार पर पुरूष नारी के समेकित प्रयास पर जोर दिया ।

एक अन्य नारीवादी सिद्धान्त है - रेडिकल नारीवाद । यह सिद्धान्त पाठ्यचर्या पर नियंत्रण करने एवं सैद्धान्तिक रूप से लिंग विरोधी सिद्धान्तों पर आधारित है । यह रूढ़िवादी तथा परम्परागत तरीकों का विरोध करता है ।

इस प्रकार नारीवादी शिक्षा शास्त्र का उपयोग एक कक्षा कक्ष व्यवस्था में करके हम उपर्युक्त विभिन्न नारीवादी सिद्धान्तों से सम्बन्धित विचारों को व्यावहारिक रूप प्रदान कर सकते हैं ।

एक नारीवादी कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों की समझ, पाठ्यक्रम संश्लेषण और उनके स्वयं के लक्ष्यों और उद्देश्यों हेतु विचार विमर्श पर जोर दिया जाता है । विद्यार्थियों का एक निश्चित दृष्टिकोण नहीं होता है । विद्यार्थियों को चाहिए कि उनके अपने दृष्टिकोण के साथ-साथ उन्हें उन दृष्टिकोणों के प्रति भी समझ हो जिनसे वो सहमत नहीं है ।

अधिकांश शिक्षाविद् शिक्षा में लिंग भेद को समाप्त करने हेतु शिक्षाशास्त्र का अनुमोदन करते हैं । नारीवादी शिक्षाशास्त्र का मुख्य सिद्धान्त है, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों पर न तो अधिक नियंत्रण रखना चाहिए और नहीं मतारोपण करना चाहिए ।

अत: यह शिक्षाशास्त्र शिक्षा को एक लोकतांत्रिक दिशा प्रदान करता है तथा कक्षा-कक्ष को व्यवहारिक बनाने का प्रयत्न भी करता है ।

18.4 नारीवादी शिक्षाशास्त्र : क्रियान्वयन (Implementation)

एक नारीवादी कक्षा (Feminist Classroom)वह स्थान है, जहां शिक्षक एवं विद्यार्थी एक साथ कार्य करते है तथा शिक्षक एवं विद्यार्थियों के सम्बन्धों के मध्य दूरी और विरोधाभास को कम किया जाता है । नारीवादी शिक्षाशास्त्र विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त रखता है जो कि शैक्षिक जगत को अधिक वास्तविक बनाता है ।

नारीवादी कक्षा इस बात से संबंधित होती है कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी किस प्रकार एक दूसरे से सम्बन्धित है तथा पाठ्यसामग्री को किस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है । विद्यार्थियों एवं शिक्षकों दोनों के ही व्यक्तिगत अनुभवों का समाकलन पाठ्यसामग्री में करके एक ऐसे वातावरणों का सृजन किया जाता है जहां पर अनेक तथा कभी-कभी विरोधाभासी आवाजें सुनाई देती है । इस प्रकार नारीवादी शिक्षाशास्त्र के उपयोग हेतु विद्यार्थियों की कक्षा के दौरान सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है ।

कक्षा में उन विद्यार्थियों पर विशिष्ट ध्यान दिया जाता है जो कि प्राय: खामोश रहते है एवं सभी विद्यार्थियों को बोलने और सुनने के समान अवसर प्रदान किये जाते है ।

कक्षा में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कक्षा का प्रत्येक सदस्य कक्षा में संरचित किये जाने वाले ज्ञान की संरचना में सक्रिय रूप से हिस्सा ले । कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी से एक ऐसा वातावरण सृजित होता है जहां विद्यार्थी यह महसूस करते है कि वे कुछ नये और भिन्न रूप से अधिगम कर रहे हैं । यह उनके सामान्य जीवन में भी सहायक होता है ।

"नारीवादी शिक्षाशास्त्र के कक्षा में उपयोग के समय शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनो स्वयं ही एक दूसरे को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया पाठ्यसामग्री जिसका वे अध्ययन कर रहे है के साथ सक्रिय रूप से व्यस्त रहते है । वे सभी जातिवाद, लिंगभेद, नस्लवाद आदि से परे ज्ञान की वृद्धि हेतु एक साथ कार्य करते है । वे समुदाय तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए आंदोलन के साथ व्यस्त रहते है ।" (Shrewsbury, 1987))

Students and teachers are engaged with self in continuing reflective process; Engaged actively with the Material being studies; ehgaded beyond sexism and racisourm and to work together to enhance our knowledge; engaged with the community and with movements for social change''

(Shrewsbury,1987)

विद्यार्थी स्वयं अपने अधिगम के साधन होते है । विद्यार्थी अपने अधिगम के अनुसार ही किया करते है । शिक्षक विद्यार्थियों के अधिगम हेतु दिशा निर्देश देने के लिए विभिन्न तरीकों का सृजन करता है । शिक्षक विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चलने वाली बहस से ध्यान हटाकर कक्षा-कक्ष में चलने वाली शिक्षक-अधिगम प्रक्रिया की और ध्यान केन्द्रित करता है । उदाहरणार्थ - कक्षा में जब विचार विमर्श (Discussion Method)) विधि का उपयोग किया जाता है तो शिक्षक विद्यार्थियों को मुख्य मुद्दे पर विचार विमर्श हेतु दिशा निर्देश प्रदान करता

है । इस विधि में भी छात्रों को। चिन्तन, क्रिया एवं सक्रिय सहभागिता का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है । इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में स्वतंत्र रूप से विचार करने की आदत का विकास होता है । विद्यार्थियों की तर्क एवं निर्णय शक्तियों का विकास होता है । विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता मात्र न रहकर सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते है । इस प्रकार यह विधि गहन, विस्तृत विचार की महत्वपूर्ण विधि है ।

अत: नारीवादी शिक्षाशास्त्र विद्यार्थियों की कक्षा में अपनी आवाज को प्राप्त करने, अपने लिए बोलने तथा सामग्री पर अपने प्रश्न उठाने के लिए आहवान करती है । विद्यार्थी अपनी आवाज तब अधिक स्वभाविक पाते हैं जब कि पाठ्यसामग्री जिसका कि वे अध्ययन कर रहे है वह प्रासंगिक तथा उनके जीवन से संबन्धित होते है । उदाहरणार्थ - एक रसायन विज्ञान की कक्षा में यदि "आइसोटोप (Isotopes) के सम्प्रत्यय को कैन्सर के उपचार और निदान के संदर्भ में पढ़ाया जाए तो विद्यार्थी अपने स्वयं के अनुभवों का योगदान देने में सक्षम हो सकेंगे।

यह शिक्षाशास्त्र परम्परागत कक्षा-कक्ष संस्कृति तथा वातावरण को परिवर्तित करने, विद्यार्थियों की समझ को वृहद रूप देने और विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष गत्यात्मकता के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयत्न करता है एवं कक्षा कक्ष को लोकतांत्रिक तथा व्यावहारिक बनाने में मदद करता है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न (Self Evaluation Question)

1. नारीवादी शिक्षाशास्त्र (Feminist Pedagogy) के सम्प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए।
2. नारीवादी शिक्षाशास्त्र के किन्हीं तीन सिद्धान्तों के नाम लिखिए ।
3. नारीवादी शिक्षाशास्त्र के एक कक्षा में उपयोग के समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? उल्लेख कीजिए ।
4. अधिकांश शिक्षाविद् शिक्षा में लिंग भेद को समाप्त करने हेतु नारीवादी शिक्षाशास्त्र का अनुमोदन करते है?

18.5 नारीवादी शिक्षाशास्त्र : नियंत्रण और मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation)

"नारीवादी शिक्षाशास्त्र कक्षा कक्ष में शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य होने वाली अन्त: क्रिया तथा एक नारीवादी शिक्षक उस ऊर्जा का सन्तुलन किस प्रकार करता है इस पर मुख्य रूप से ध्यान देता है। (Cohee, etal,1998) Shrewsberry (1993) के अनुसार नारीवादी शिक्षाशास्त्र का निर्देशन लोकतांत्रिक सिद्धान्त करते है एवं शिक्षक अपनी ऊर्जा को विद्यार्थियों के साथ साझा करता है ।

"feminist Pedagogy in education has focused on the interaction between teachers and students in the classroom and how feminist teacher should address balances of power” Cohee, etal, 1998

शिक्षक कक्षा में विभिन्न शिक्षण विधियों तथा उपागमों का प्रयोग करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के लिए क्या योजना बनाता है जैसे कि - वह उनको संवाद अर्थात् बातचीत में व्यस्त रखता है अथवा प्रत्येक विद्यार्थी की क्रिया के प्रति पृष्ठपोषण (feedback) प्रदान करते हुए व्यस्त रखता है ।

यद्यपि शिक्षक व शिक्षार्थियों के मध्य कक्षा-कक्ष में ऊर्जा के साझे का आदर्श सुनने में अच्छा लगता है । जैसा कि हम जानते है नारीवादी शिक्षाशास्त्र का जब कक्षा में उपयोग किया जाता है तो वहां एक लोकतांत्रिक वातावरण व लोकतांत्रिक भागीदारी होती है, लेकिन इस वातावरण में विद्यार्थियों का अधिगम कितना व कैसा हो रहा है? उनकी आवश्यकता की पूर्ति कहां तक हो रही है? यह सब ज्ञात करने के लिए एक नारीवादी शिक्षक को कक्षा में नियंत्रण बनाए रखने तथा समय-समय पर मूल्यांकन, करने की आवश्यकता होती है ।

18.5.1 नियंत्रण (Monitoring)

नारीवादी कक्षा में नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक विद्यार्थियों को मुख्य मुद्दे पर संवाद और विचार-विमर्श करने के लिए उचित दिशा निर्देश दे, उनका मार्गदर्शन करे ताकि वो मुख्य विषय से हटे नहीं । साथ ही इस बात का भी ध्यान रखे कि सभी विद्यार्थियों को बोलने और विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त हो । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कक्षा में विभिन्न व्यक्तित्व वाले विद्यार्थी होते हैं ।

जैसे - वहिर्मुखी (Extrovert), अंतर्मुखी (Introvert), और उभयमुखी (ambivert) । जो विद्यार्थी बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते वह अधिक बोलते है अर्थात उन्हें अपनी बात या विचार को व्यक्त करने में कोई झिझक नहीं होती है । कई बार ऐसे विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों जो कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते है उन्हें बोलने का अवसर प्रदान नहीं करते है अत: शिक्षक को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो विद्यार्थी नहीं बोलते है या कम बोलते है उन्हें संवाद के दौरान अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक भागीदारी हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए । अन्यथा वे इससे वंचित रह जायेंगे । साथ ही बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा यह समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए कि कक्षा में संवाद के दौरान सभी को बोलने का अवसर प्राप्त होना चाहिए ताकि सभी का समान रूप से विकास हो सके । इससे उन विद्यार्थियों को यह नहीं लगेगा कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तथा वे भी इससे सहयोग प्रदान करेंगे ।

इसी प्रकार यदि कक्षा में बालिकाऐं है जो कि कम बोलती है तो शिक्षक को उन्हे संवाद में भाग लेने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए । सामान्यतया यह देखा गया है बालिकाएं अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर पाती है क्योंकि हमारे समाज में स्त्रियों का अधिक बोलना मूल्यों खिलाफ माना जाता है तथा उन्हें परिवार व समाज में अपने विचारों को व्यक्त करने के बहुत कम अवसर प्रदान किये जाते है । जिसके कारण बचपन से ही ये बाते अनेक मन-मस्तिष्क के घर कर जाती है ।

अत: नारीवादी शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में इस प्रकार के लिंगभेद को समाप्त कर स्त्रियों कों स्वतंत्र निर्णय लेने व अपने विचारों को व्यक्त करने के अवसर प्रदान करे । एक

शिक्षक कक्षा में नारीवादी शिक्षाशास्त्र का उपयोग करके लिंग संवेदी अध्यापन अधिगम द्वारा तथा कक्षा नियंत्रण करके सभी विद्यार्थियों चाहे वे किसी भी जाति, लिंग अथवा नस्ल के हो, विकास के अवसर प्रदान कर सकता है एवं ज्ञान की वृद्धि एवं सृजन कर सकता है ।

18.5.2 मूल्यांकन (Evaluation)

Carolyn Shrewsrbury (1987) के अनुसार - नारीवादी शिक्षाशास्त्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में सिद्धान्त है जो कि हमें वांछित लक्ष्यों और परिणामों का मूल्यांकन करने हेतु विशिष्ट शैक्षिक व्यूहरचना और तकनीकी उपलब्ध कराती है ।

"Feminist Pedagogy is a theory about the teaching - learning process that provides specific educational strategies and techniques to evaluate desired goals and outcomes”

Carolyn shrewsbury (1987)

वेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक समावेशी संकल्पना है जो इच्छित परिणाम की गुणवत्ता, मूल्य एवं प्रमाणिकता को निश्चित करने के लिए सब प्रकार के प्रयासों एवं साधनों की और संकेत करती है । यह वस्तुनिष्ठ प्रमाण एवं आत्मगत निरीक्षण का यौगिक है । यह सम्पूर्ण और अन्तिम अनुमान है ।

मूल्यांकन, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं और क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करने में शिक्षक की मदद करता है ।

Hutchings 1992; Lambert, 1997, Musil,1992a, 1992b ने आकलन (assessment) हेतु नारीवादी सिद्धान्तों की निम्नलिखित सूची दी है -

नारीवादी आकलन के सिद्धान्त

Principal of feminist Assessment

सिद्धान्त 1	नारीवादी आंकलन मूल्य मे वृद्धि करता है !
सिद्धान्त 2	नारीवादी आंकलन विद्यार्थी केन्द्रित है !
सिद्धान्त 3	नारीवादी आंकलन भागीदारी पूर्ण है !
सिद्धान्त 4	नारीवादी आंकलन गहन रूप से संदर्भ से संबन्धित है !
सिद्धान्त 5	नारीवादी आंकलन प्रश्न मूल्यांकन से संबन्धित है !
सिद्धान्त 6	नारीवादी आंकलन विकेन्द्रीकृत है !

Lambert (1997) के अनुसार सूची में दिए गए सिद्धान्तों में विद्यार्थी का स्थान केन्द्र में है, लेकिन कक्षा-कक्ष में इन सिद्धान्तों का उपयोग करना कठिन है, क्योंकि ये अत्यन्त वृहद् और अस्पष्ट है । कुछ नारीवादी शिक्षाशास्त्रियों के अनुसार, नारीवादी शिक्षाशास्त्र (नारीवादी आकलन की व्यूहरचना के उपर्युक्त सिद्धान्तो सहित) विद्यार्थियों के अधिगम से सीधे तौर से सम्बन्धित है।

विद्यार्थियों की प्रगति के आकलन हेतु जिस उपकरण (Tool) का उपयोग ज्यादातर किया जाता है वह ग्रेडिंग सिस्टम है । एक साझित लोकतांत्रिक कक्षा में, शिक्षक विद्यार्थियों को

उनकी योग्यता व क्षमता के आधार पर ग्रेड (Grades) प्रदान करता है लेकिन वहां पर कुछ प्रश्न उठते है जैसे - क्या ग्रेड केवल निर्णय हेतु दिये गये है? क्या विद्यार्थियों को पृष्ठपोषण (Feedback) प्रदान करने हेतु दिए गये है? जिससे वे सुधार कर सके । यदि ग्रेड देकर विद्यार्थियों को यह स्पष्ट नहीं किया जाए कि वह किस प्रकार से सुधार कर सकते है तो ग्रेड देना पर्याप्त नहीं है, उदाहरणार्थ एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड देता है, जैसे

अच्छा - A Grade

बहुत अच्छा - B Grade

उत्तम - C Grade

माना शिक्षक ने विद्यार्थी के संवाद के दौरान प्रथम प्रदर्शन के आधार पर B Grade दिया तथा दूसरे प्रदर्शन के आधार पर भी B Grade दिया तो विद्यार्थी यह निर्णय नहीं ले सकेगा कि उनके प्रदर्शन में सुधार हुआ है या नहीं, क्योंकि यहां आकलन अथवा मूल्यांकन का विस्तार सीमित हो जाता है ।

अत: मानकीकृत परीक्षणों (Standardize tests) का उपयोग करना सही प्रतीत होता है । इस प्रकार के परीक्षण-प्रतिमान निर्देशित (Norm-Referenced) एवं मानक निर्देशित (Criterion-referenced) होते है । जिनका उपयोग करके विद्यार्थियों का आकलन मूल्यांकन किया जा सकता है। Willig, Harnisch, Hilland Maehr, 1983 के अनुसार प्रतिमान निर्देशित इन परीक्षणों के साथ भी एक समस्या है, इन परीक्षणों के द्वारा यह आकलन किया जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी की उपलब्धि उसी आयु के एक ही जैसे परिवेश में रहने वाले अन्य विद्यार्थियों की उपलब्धि से कितनी भिन्न है अर्थात् यहां एक विद्यार्थी की तुलना अन्य से की जाती है, इसलिए विद्यार्थी को यह डर होता है कि उसकी कमी सबके सामने जाहिर हो जायेगी इससे वे बैचेन व चिन्तित रहते है तथा परीक्षण में उनके प्रदर्शन में गिरावट आती है इन परीक्षणों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों द्वारा मानक निर्देशित (Criterion Referenced) परीक्षण का उपयोग किया जाना चाहिए । इन परीक्षणों के आधार पर विद्यार्थी की स्वयं से ही तुलना की जाती है कि उसके प्रदर्शन में कितना सुधार हुआ है । वह पहले किस स्थिति में था तथा अब किस स्थिति में है । इस प्रकार इन परीक्षणों के आधार पर किया गया आकलन सुधार हेतु सुअवसर प्रदान करता है ।

मूल्यांकन के मुख्य दो उपागम होते है - रूपदेय मूल्यांकन (Formative Evaluation) और योगात्मक मूल्यांकन (Sumnative Evaluation) । एक नारीवादी शिक्षक को कक्षा-कक्ष में रूपदेय मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन का यह उपागम किसी भी कार्यक्रम के दौरान उपयोग में लाया जाता है अत: इसके आधार पर उस कार्यक्रम में सुधार किया । जा सकता है । रूपदेय मूल्यांकन द्वारा शिक्षक व विद्यार्थियों को पृष्ठपोषण प्राप्त होगा, जिससे वे अपने कार्य की विशेषता व उत्कर्षता में लगातार सुधार कर सकते है ।

नारीवादी शिक्षक को विद्‌यार्थी की आवश्यकता का ध्यान रखने और उसे अधिगम हेतु प्रेरित करने में सन्तुलन बनाए रखना आवश्यक होता है । यह कार्य वह सतत्‌ नियंत्रण व मूल्यांकन द्‌वारा सरलता से कर सकता है ।

18.6 सारांश (Summary)

निष्कर्षत: वर्तमान समय में शिक्षा में व्याप्त असमानता को दूर कर तथा लिंग संवेदी अध्यापन- अधिगम के द्‌वारा लिंग भेद को समाप्त किया जा सकता है ।

यह कार्य शिक्षा में नारीवादी शिक्षाशास्त्र को अपना कर सरलता से किया जा सकता है । नारीवादी शिक्षाशास्त्र कक्षा में सहयोगी व लोकतांत्रिक वातावरण स्थापित करता है । यह अधिगमकर्ता को अधिगम करने तथा ज्ञान के लोकतांत्रिक सृजन हेतु आमंत्रित करता है । शिक्षाविद शिक्षा में लिंगभेद को समाप्त करने हेतु नारीवादी शिक्षाशास्त्र का अनुमोदन करते हैं । इसका मुख्य सिद्धान्त : है कि शिक्षक को अपने विद्‌यार्थियों पर न तो अधिक नियंत्रण रखना चाहिए और न ही मतारोपण करना चाहिए ।

कक्षा में नारीवादी शिक्षाशास्त्र के उपयोग के दौरान शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रूप में अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते है । वे सभी जातिवाद, लिंगभेद आदि से परे ज्ञान की वृद्धि हेतु एक साथ कार्य करते है । यह शिक्षाशास्त्र परम्परागत कक्षाकक्ष संस्कृति तथा वातावरण को परिवर्तित करने में सहायक है ।

नारीवादी शिक्षाशास्त्र के कक्षा-कक्ष में सफल उपयोग हेतु उचित नियंत्रण व मूल्यांकन की आवश्यकता होती है । एक नारीवादी शिक्षक को मानक-निर्देशित परीक्षण, रूपदेय मूल्यांकन (Formative Evaluation) आदि का उपयोग मूल्यांकन हेतु करना चाहिए ताकि शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों को ही सुधार हेतु सुअवसर प्राप्त हो सके ।

मूल्यांकन प्रश्न (Evaluation Question)

1 नारीवादी शिक्षक, शिक्षण अधिगम के समय कक्षा को किस प्रकार नियंत्रित (Monitor) करता है? प्रकाश डालिये ।

2 एक नारीवादी शिक्षक मूल्यांकन (Evaluation) हेतु किन उपकरणों एवं तकनीकियों का उपयोग करता है तथा क्यों? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए ।

18.7 संदर्भ ग्रंथ

1. Aggarwal, J.C. (2003), “Modern Indian Education(History, D\development and problem), Shipra Publication, Delhi.
2. Bhuimali, Anil (2004), “Education, Employment and Empowering Women”, Serial Publications, New Delhi
3. Sharma, Usha and Sharma , B.M. (1995), ‘’Women Education in Modern India “,Commonwealth Publishers, New Delhi.
4. सिंह, अमरेन्द्र (2006), "शिक्षण कला" विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली ।

5. सिंह, नरेन्द्र और दत्ता, संजय (2007), "शैक्षिक एवं उदीयमान भारतीय समाज", जैन प्रकाशन मन्दिर, जयपुर ।
6. शुक्ल रमाशंकर, डागर, बी.एस. और शुक्ल अनिल (1993) "शिक्षण एवं अधिगम के आधारभूत तत्व शिक्षक प्रकाशन, कोटा

Websites

1. http://filebox.vt.edu/users/bhausman/information/femped.html
2. http://radicalpedagogy.icaap.org/content/issue2-2/Schacht.html
3. http://www.csse.ca/CJE/Articles/full teret/CJE 17-3/CJE 17-3-01B
4. http://www.genderandhealth.ca/en/modules/introducation-glossary.jsp.
5. http://www.mynews.in/fullstory.aspx?storyid=17114.
6. http.//www.rowan.edu/mass/depts./biology/faculty/tahamont/themesin.html
7. http://f cis.oise. utoronto.ca/~daniel_schugurensky/faqs/qal7.html
8. www.danderson@fullerton.edu.

इकाई 19

पाठ्यचर्या निर्माण : लैंगिक परिपेक्ष्य
(Gender- Responsive Curriculum)

इकाई की रूपरेखा (Structure of the Unit)

19.0 उदेश्य

19.1 प्रस्तावना

19.2 शिक्षा में लैंगिक मुख्यधारा

19.2.1 लैंगिक मुख्यधारा : सम्प्रत्यय

19.2.3 शिक्षा में लैंगिक मुख्यधारा की आवश्यकता

19.3 शिक्षा में लैंगिक मुख्यधारा हेतु उद्देश्यों का निर्धारण एव व्यूहरचना की पहचान करना

19.4 लैंगिक पक्षपात से मुक्त पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकें तैयार करना

19.4.1 पाठ्यक्रम : सम्प्रत्यय

19.4.2 विभिन्न आयोगों, समितियों तथा परिषदों द्वारा लैंगिक समानता के संदर्भ में दिए गये पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुझाव

18.9.3 पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों को लैंगिक पक्षपात से मुक्त करने हेतु सुझाव

19.5 सारांश

19.6 संदर्भ ग्रंथ

19.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

- लैंगिक मुख्यधारा के सम्प्रत्यय से परिचित हो सकेंगे ।
- शिक्षा मे लैंगिक मुख्यधारा की आवश्यकता को जान सकेंगे ।
- शिक्षा में लैंगिक मुख्यधारा हेतु उद्देश्यों एवं व्यूहरचना की व्याख्या कर सकेंगे ।
- पाठ्यक्रम के सम्प्रत्यय को स्पष्ट कर सकेंगे ।
- विभिन्न आयोगों, समितियों तथा परिषदों द्वारा लैंगिक समानता के संदर्भ में दिए गए पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुझावों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।
- लैंगिक पक्षपात से मुक्त पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों की तैयारी से अवगत हो सकेंगे ।

19.1 प्रस्तावना (Introduction)

शिक्षा ही वह सीढ़ी है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आर्थिक व सामाजिक स्तर को उच्च बना सकता है तथा यह मानवाधिकारों को प्राप्त करने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है । इसके बिना समाज का विकास सम्भव नहीं है । समाज की शक्ति का आधार शिक्षा ही है । सिर्फ शैक्षिक कसर प्रदान करने से ही हमारा काम नहीं चल सकता, इसके लिए समान अवसरों के

समान वितरण से ही समानता लायी जा सकती है । विकसित देशों में आर्थिक,सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता का होना बहु त महत्वपूर्ण है ।

भारत में जातिगत, आर्थिक तथा स्त्री पुरूष सम्बन्धों का पदानुक्रम, सांस्कृतिक विविधता और असमान विकास से, जो कि भारतीय समाज की विशेषताएँ है शिक्षा की प्राप्ति और स्कूलों में बच्चों की सहभागिता प्रभावित होती है । स्कूल में नामांकित होने वाले और पढ़ाई पूरी करने वाले बच्चों के अनुपात के मामले में विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समुदायों के बीच गहरी विषमता में यह तथ्य प्रतिबिम्बित होते हैं । इसी प्रकार ग्रामीण व शहरी, गरीब वर्गो तथा धार्मिक एवं अन्यजातीय अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय की लड़कियों की शिक्षा भी प्रभावित होती है ।

महिला: शिक्षा का महत्त्व पं. जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में इस प्रकार है - "एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है किन्तु एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है ।" डॉ. राधाकृष्णन आयोग (1948) ने कहा है - "शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरूष हो नहीं सकता । यदि सामान्य शिक्षा को पुरूष या महिलाओं तक ही सीमित किया जाये, तो यह अवसर महिलाओं को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शिक्षा का प्रसार अगली पीढ़ी तक हो सकेगा ।"

केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर शिक्षा आयोगों जैसे - डॉ. राधाकृष्णन विश्वविद्यालय आयोग (1948-49), दुर्गाबाई देशमुख राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958-59), श्री मति हंसा मेहता स्त्री शिक्षा समिति (1962), आदि की स्थापना की थी । इन सभी ने, महिला शिक्षा का विकास हेतु आवश्यक अभिशंसाऐ की है ।

विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु महिला सशक्तिकरण अत्यन्त आवश्यक है! समाज में महिलाओं की-भूमिका परंपराओं, रीति-रिवाजों और मूल्यों आदि से प्रभावित हैं । स्त्रियाँ शायद ही शक्ति का प्रयोग करती है । वे जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरूषों की तुलना में असुविधाओं का सामना करती है। इसके अतिरिक्त वे सामाजिक व सांस्कृतिक मानदण्डों द्वारा निर्धारित परिस्थितियों के साथ समायोजन करके व लिंग आधारित हिंसा को चुपचाप सहन करके पीड़ित है ।

वर्तमान में ऐसे कई उपागम (Approach) है जिसके आधार पर महिलाओं का दर्जा बढ़ाने और उनकी पहु ँच में सुधार करने की आवश्यकता है, जैसे

1) वित्तीय स्थिरता उपागम - यह अतिरिक्त आय के उत्पादन पर केन्द्रित है ।
2) गरीबी उन्मूलन उपागम - यह जीवन की गुणवता में सुधार पर जोर देती हैं ।
3) सशक्तिकरण उपागम - यह विकास की प्रक्रियाओं में लैंगिक असमानताओं तथा लैंगिक मुख्यधारा (gender Mainstreming) से सम्बन्धित है ।

शिक्षा मानव संसाधन के विकास का महत्वपूर्ण साधन है । इसी कारण भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शिक्षा को एक मुख्य कारक माना गया है । स्त्रियों में शिक्षा और उनकी स्थिति के प्रति जागरूकता लाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था में लैंगिक समानता हेतु

आवश्यक परिवर्तन यथा - प्रभावी नीतियों का निर्धारण, पाठ्यक्रम परिवर्तन, समान शैक्षिक प्रावधान, शिक्षा में लैंगिक मुख्यधारा महत्वपूर्ण हैं ।

19.2 शिक्षा में लैंगिक मुख्यधारा (Mainstreeming Gender into Education)

वैश्विक रूप से यह स्वीकार किया गया है कि सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु शिक्षा एक मुख्य भूमिका निभा रही है । शिक्षा जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाती है । यह स्वास्थ्य रक्षा को प्रोत्साहन देती है, रोजगार प्राप्ति को सरल बनाती है तथा उसे विस्तार प्रदान करती है, और उत्पादकता को बढ़ाती है ।

भारतीय समाज पुरूष प्रधान है तथा महिलाओं का स्थान दूसरे स्थान पर आता है तथा उनका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से घर माना जाता है । महिलाओं को घर के निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं दिया जाता है इसलिए उनके विषय भी पुरूषों से भिन्न रखे जाते है, जिसके कारण पुरूष और महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर प्रदान नहीं कर पा रहे हैं ।

लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय विकास के परिदृश्य स्तर एक सम्प्रत्यय लैंगिक मुख्यधारा (Gender Mainstreaming) का उदय हुआ है।

19.2.1 लैंगिक मुख्यधारा : सम्प्रत्यय (Concept of Gender Mainstreamming)

लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, लैंगिक मुख्यधारा विश्वस्तर पर स्वीकार्य एक व्यूहरचना है । मुख्यधारा अपने आप में एक अन्त नहीं है बल्कि यह, लैंगिक समानता के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए –एक व्यूहरचना, एक उपागम, एक साधन है । मुख्य धारा सभी क्रियाओं जैसे- विकास, अनुसंधान, वार्ता, विधि निर्माण, संसाधनों का आवंटन एवं कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन और मोनिटरिंग के केन्द्र में लैंगिक दृष्टिकोण व लैंगिक समानता के लक्ष्य का होना सुनिश्चित करती है ।

''Gender Mainstreaming is a globally accepted strategy for promoting gender equality. Mainstreaming is not an end in itself but a strategy, an approach, a means to achieve the of gender equality. Mainstreaming involves ensuring that gender perspective and the goal of gender equality are central to all activities policy development, research, dialogue, legislation, resource allocation, and planning, implementation and monitoring of programmes and projects''

-OSAGI (Office of the special Adviser on Gender Issues)

19.2.3 शिक्षा मे लैंगिक मुख्यधारा की आवश्यकता (Need of Mainstreamming Gender into Education)

बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा हेतु निवेश करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । शिक्षित महिलाओं का परिवार छोटा होता है, शिशु मृत्यु दर कम होती है, और बच्चे स्वस्थ तथा शिक्षित होते हैं । शिक्षित महिलाएं अगली पीढी का सामाजीकरण करती है । राष्ट्रीय विकास के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में योगदान देने हेतु शिक्षा महिलाओं की क्षमता में वृद्धि करती है । शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाने में भी अहम् भूमिका निभाती है । यह पुरूषों एवं महिलाओं के मध्य और समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य उपस्थित विषमता व असंतुलन को समंजित करती है ।

हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में विचारणीय लैंगिक असमानता व्याप्त हैं । यह असमानता हमें विभिन्न सूचकों यथा - जनगणना प्रदत्तों, साक्षरता, नामांकन, उपलब्धि तथा शिक्षा के अन्य क्षेत्रों के सर्वेक्षण जो कि लैंगिक समानता व निष्पक्षता से सम्बन्धित है जैसे - शिक्षक शिक्षार्थी अत: क्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री एवं इसमें सुधार, नीतिगत निर्णयों सम्बन्धी भूमिका आदि के माध्यम से प्राप्त होती है ।

1. जनगणना प्रदत्त एवं साक्षरता

वर्ष 1951 से लेकर वर्ष 1981 तक महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि 7.93 से लेकर 24.82 प्रतिशत रही । लेकिन जनगणना प्रदत्तों के अध्ययन से पता चलता है कि जनसंख्या के परिणाम स्वरूप निरक्षर महिलाओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है । 1980-81 के उपलब्ध प्रदत्तों के अनुसार स्थिति इस प्रकार है - 1981 की जनगणनानुसार देश में उस समय महिलाएं 29.75 प्रतिशत साक्षर थी । जबकि पुरूषों का प्रतिशत 56.37 था अर्थात् लगभग पुरूषों से आधी संख्या में ही साक्षर थी जो कुल महिला जनसंख्या का एक चौथाई भाग ही था । वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल निरक्षरों में से लगभग 61 प्रतिशत महिलाएं थी । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निरक्षरों में से महिला का प्रतिशत बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया । महिला और पुरूष साक्षरता दर के मध्य वर्ष 1951 में अन्तर 18.30 प्रतिशत बिन्दुओं का था जो वर्ष 1981 में बढ़कर 26.62 प्रतिशत हो गया । वर्ष 2001 तक यह अन्तर घटकर 21.70 प्रतिशत बिन्दु तक हो गया है ।

1991 की जनगणनानुसार देश की महिलाएं 39.42 प्रतिशत साक्षर थी तथा पुरूष 63.85 प्रतिशत साक्षर थे । 2001 की जनगणनानुसार देश में महिलाएं 54.16 प्रतिशत साक्षर तथा पुरूष 75.85 प्रतिशत साक्षर थे । अर्थात् साक्षरता में लिंगभेद सार्थक रूप से मौजूद है । 2001 में निरक्षरों की संख्या 296 मिलियन थी जिसमें 190 मिलियन महिलाएं थी । 253 जिलों में महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम है ।

2. नामांकन व ठहराव -

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 6-11 वर्ष की उम्र की 96.3 प्रतिशत जनसंख्या विद्यालयों में नामांकित थी । लेकिन बालकों के मुकाबले बालिकाओं का नामांकन कम पाया

गया । वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार विद्यालय के बाहर रहे बच्चों में से 70 प्रतिशत बालिकाएं थी । वर्ष 1997-98 में प्राथमिक स्तर पर जहाँ बालकों की सकल नामांकन दर (GER) लगभग 100 प्रतिशत थी वहीं बालिकाओं की केवल 81 प्रतिशत थी । (वार्षिक प्रतिवेदन 1999, एम.एच.आर.डी.)

वर्ष 2002-2003 में बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात (Gross Eurolment Ratio 19.7) प्राथमिक स्तर से घटकर 56.22 मिडिल स्तर पर (कक्षा VI से VIII तक) रह गया । 2003-04 में प्राथमिक स्तर पर सभी बालिकाओं की ड्रोपआउट रटे 52.9 प्रतिशत थी जबकि SC और ST की बालिकाओं की ड्रापआउट रेट क्रमश: 62.2 और 71.4 थी । (Select Education Statisties, GoI 2004)

वर्तमान अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मुस्लिम बच्चों, विशिष्ट रूप से बालिकाएं और - वे जो कि निचले तकवे से सम्बन्धित है उनकी शैक्षिक स्थिति SC / ST के बच्चों से अधिक खराब है । तीन मुस्लिम बालिकाओं में से एक बालिका कभी भी स्कूल नहीं जाती है । (SRI Report 2005)

3. किशोरवय बालिकाओं की शिक्षा

उपर्युक्त प्रदत्तों से यह स्पष्ट है कि जैसे-जैसे बालिकाएं प्राथमिक स्तर से ऊपरी स्तर की और अग्रसर होती है शिक्षा तंत्र में उनकी संख्या में गिरावट आने लगती है । इसका कारण उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का उनकी पहुंच में न होना है । विद्यालयों की दूरी उनके घरों से अधिक होने तथा विद्यालयों की संख्या में कमी के कारण उनकी संख्या में गिरावट आती है ।

अधिकांश देशों में शैक्षिक संस्थानों विशेष रूप से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों पर महिलाओं का नामांकन पुरूषों के जितना अधिक नहीं है ।

4. उच्च शिक्षा में असमानता -

उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी महिलाओं की प्रवेशिता का प्रतिशत बहुत ही कम है । उदाहरणार्थ - BA करने वाली महिलाओं का प्रतिशत, 3.39 प्रतिशत (अनुसूचित जाति), 1.38 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति), 40 प्रतिशत अदलित महिलाएं) है । अधिस्नातक स्तर पर 38 प्रतिशत MA और 34 प्रतिशत M.Sc. अदलित महिलाओं का प्रतिशत है तथा दलित महिलाओं का प्रतिशत 3.8 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत है ।

स्पष्ट है कि वर्तमान समय में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति तुलनात्मक रूप से ठीक नहीं है । जैसा कि हम जानते है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक मुख्य साधन है । इसके द्वारा पुरूषों व महिलाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है एवं महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक स्तर को उच्च बनाया जा सकता है । अत: आज के इस युग में शिक्षा में लैंगिक मुख्यधारा की अत्यन्त आवश्यकता है !

स्वमूल्यांकन प्रश्न (Self Evaluation Questions)

1. लैंगिक मुख्यधारा Gender Mainstreaming के समप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए!
2. शिक्षा के क्षेत्र मे व्याप्त लैंगिक असमानता की जानकारी हमे किन सूचकों द्वारा प्राप्त होती है? नाम लिखिए !
3. शिक्षा मे लैंगिक मुख्यधारा की अवश्यकता क्यो है ? उल्लेख कीजिए !

19.3 शिक्षा मे लैंगिक मुख्यधारा हेतु उद्देश्यों का निर्धारण एवं व्यूहरचना की पहचान करना (Setting objectives and identifying Strategies)

शिक्षा में लैंगिक समानता के लिए अर्थात् रूढिगत विचारों से ऊपर उठकर बालक एवं बालिका को समान शैक्षिक व्यवस्थाएं एवं अवसर उपलब्ध करवाना जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धियाँ लिंग भेद के कारण प्रभावित न हो सकें, शिक्षा में लैंगिक मुख्यधारा लाने की आवश्यकता है । इससे स्त्रियों को अवसरों की समानता, शिक्षण प्रक्रिया में समानता, परिणामों में समानता की प्राप्ति हो सके ।

शिक्षा में लैंगिक मुख्यधारा लाने हेतु स्पष्ट उद्देश्यों के निर्धारण एवं व्यूहरचना की पहचान करना अत्यन्त आवश्यक है ।

लैंगिक मुख्यधारा की व्यूहरचना व उद्देश्यों के निर्धारण हेतु निम्न पांच पदों की योजना (Five-step plan), UNESCO के द्वारा दी गई, यह निम्न प्रकार है -

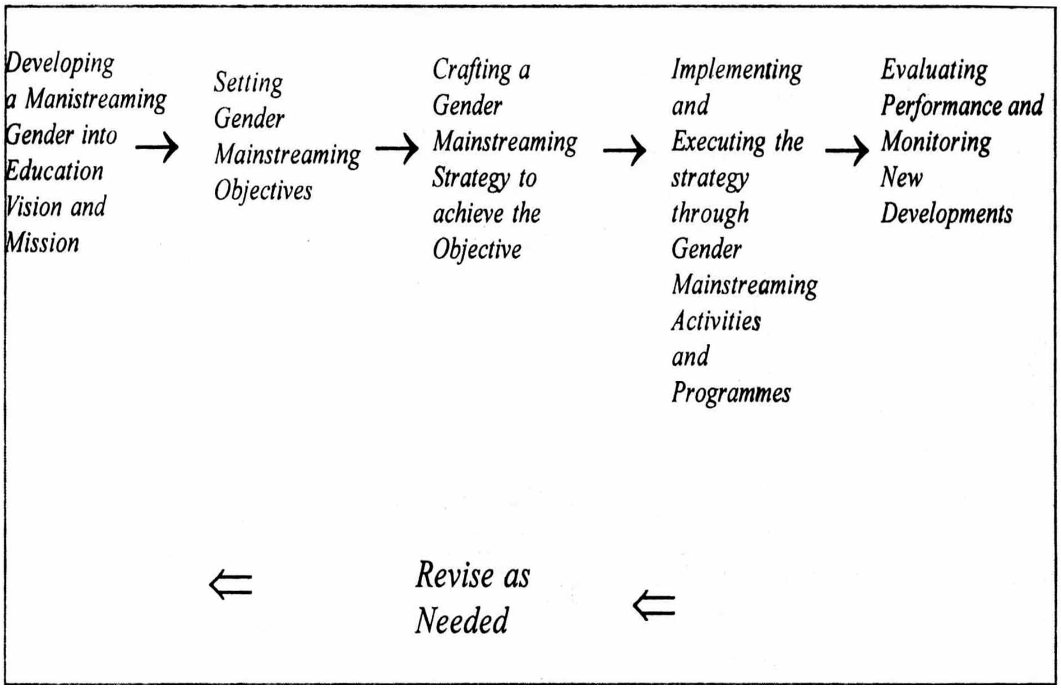

Step 1 Developing a Manistreaming Gender into Education, Vision and Mission

(शिक्षा में लैंगिक मुख्यधारा के लिए दृष्टि और लक्ष्य का विकास करना)

एक संगठन, कार्यक्रम अथवा कार्य समिति के लिए दृष्टि (Vision) दीर्घावधि निर्देशन को निश्चित करती है । लक्ष्य किसी संगठन और उसकी क्रियाओं के वर्तमान समय में होने वाले निर्देशन से सम्बन्धित है । दृष्टि और लक्ष्य, लैंगिक समानता की प्रगति और शिक्षा में लैंगिक मुख्यधारा के उद्देश्यों, व्यूहरचना, कार्यक्रमों, क्रियाओं, मोनिटरिंग और मूल्यांकन की रूपरेखा बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रारम्भिक बिन्दु है ।

Step 2 Setting Gender Mainstreaming Objectives

(लैंगिक मुख्यधारा के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करना)

उद्देश्यों के निर्धारण के कारण दृष्टि और लक्ष्य के कथनों को विशिष्ट निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में परिवर्तित करना है । उद्देश्य आवश्यकता निर्धारण और परिस्थिति विश्लेषण का भाग होते है । प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा तक पहुंचने की दर, नामांकन दर और पूर्णता की दर में सुधार के आधार पर उद्देश्यों का मापन सम्भव है ।

उदारणार्थ - सर्व शिक्षा अभियान (SSA) का मुख्य बल विभिन्न व्यूहरचनाओं के द्वारा विद्यालयों से बाहर रहने वाले बच्चों की शिक्षा में मुख्यधारा के विद्यालयों में नामांकित करने एवं 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को आठ वर्ष की जिम्मेदार शिक्षा उपलब्ध कराने पर है । इसमें लिंग एवं सामाजिक भेदों को पाटने एवं विद्यालयों में सभी बच्चों के शत-प्रतिशत ठहराव पर जोर दिया गया है ।

SSA के निम्नलिखित उद्देश्य है -

- सभी बच्चे विद्यालयों, शिक्षा गारण्टी केन्द्रों, वैकल्पिक विद्यालयों तथा "रोक टू स्कूल" कैम्पों में वर्ष 2003 तक नामांकित हो जायें ।
- वर्ष 2007 तक सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा के पांच वर्ष पूर्ण कर लेवें ।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा के आठ वर्ष पूर्ण कर लेवें ।
- जीवन के लिए शिक्षा पर जोर देते हु एसंतोषजनक गुणवत्ता वाली प्रारम्भिक शिक्षा पर जोर दिया जाए ।
- वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर एवं वर्ष 2010 तक प्रारम्भिक स्तर पर सभी लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों के भेद को पाट दिया जाए ।
- वर्ष 2010 तक सार्वजनीन ठहराव हो जाए ।

Step 3 Crafting a Gender Mainstreaming Strategy to achieve the Objective

(उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लैंगिक मुख्यधारा व्यूहरचना का निर्माण करना)

विभिन्न कार्य और क्रियाओं की पहचान करने से पहले व्यूहरचना उपागम को निश्चित कर लेना चाहिए । उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यूहरचना निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता होती है । ताकि हम उन्हें व्यावहारिक रूप में ला सके ।

उदाहरणार्थ - सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लाने के लिए निम्नलिखित व्यूहरचनाओं का निर्माण किया गया है -

संस्थागत सुधार (Institutional Reforms)

SSA के एक भाग के रूप में राज्यों में संस्थागत सुधार किये गये है । राज्यों ने उनकी प्रचलित शिक्षा प्रणाली जिसमें शैक्षिक प्रशासन, विद्यालयों में उपलब्धि स्तर, वित्तीय मुद्दों, विकेन्द्रीकरण, सामुदायिक स्वामित्व, शिक्षकों की नियुक्ति, मोनिटरिंग और मूल्यांकन, बालिकाओं की शिक्षा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और वंचित समूहों की शिक्षा, निजी विद्यालयों की नीति, का उद्देश्य आकलन करने के लिए संस्थागत सुधार किये है ।

सामुदायिक स्वामित्व (Community Ownership)

प्रभावी विकेन्द्रीकरण के द्वारा विद्यालय आधारित हस्तक्षेप से सामुदायिक स्वामित्व के लिए कार्यक्रम कॉल करता है । यह महिलाओं के समूहों पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की भागीदारी के द्वारा संवधित किया जाएगा ।

संस्थागत क्षमता निर्माण (Institutional Capacity Building)

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) राष्ट्रीय और राज्य स्तर की विभिन्न संस्थाओं जैसे NIEPA, NCERT, SCERT, SIEMAT, SIE'S आदि के लिए एक प्रमुख क्षमता निर्माण भूमिका की कल्पना करता है । गुणवता में सुधार हेतु संसाधन युक्त व्यक्तियों की सतत् समर्थन प्रणाली की आवश्यकता है ।

शैक्षिक प्रशासन मुख्यधारा में सुधार (Improving Mainstream Educational Administration)

यह संस्थागत विकास, नये उपागमों और प्रभावी एवं कारगर विधियों के द्वारा शैक्षिक प्रशासन मुख्यधारा में सुधार हेतु कॉल करता है ।

पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित मोनिटरिंग (Community Based Monitoring with full transparency)

इस कार्यक्रम की मोनिटरिंग प्रणाली समुदाय आधारित होगी । शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली (EMIS), सूक्ष्म योजना और सर्वेक्षण से प्राप्त समुदाय आधारित सूचना के विद्यालय स्तर के प्रदतों से सहसंबधित होगी । इस के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय के पास एक नोटिस बोर्ड होगा, जिस पर विद्यालय द्वारा प्राप्त अनुदान और अन्य विवरण प्रदर्शित किये जाएंगे ।

समुदाय के प्रति जवाबदेही (Accountability to Community)

SSA अध्यापकों तथा अभिभावकों के मध्य सहयोग के साथ-साथ पादर्शिता के साथ जवाबदेही की भी कल्पना करता है ।

बालिकाओं के लिए शिक्षा (Education for Girls)

बालिकाओं की शिक्षा, विशेष रूप से वे जो अनुसूचित जाति ओर जनजाति से संबन्धित है, SSA से प्रमुख रूप से संबंधित है ।

विशेष समूह पर बल (Focus on Special Group)

इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों, वंचित समूहों और विकलांग बच्चों की शैक्षिक सहभागिता पर बल दिया जाता है ।

समानता पर जोर (Thrust Equality)

SSA पाठ्यक्रम में सुधार, विद्यार्थी केन्द्रित क्रियाओं और प्रभावी शिक्षण पद्धतियों के द्वारा प्राथमिक स्तर की शिक्षा को उपयोगी एवं प्रासांगिक बनाने पर विशेष जोर देता है ।

शिक्षकों की भूमिका (Role of Equality)

SSA शिक्षकों की भूमिका की पहचान करता है और उनके सतत विकास की आवश्यकताओं पर बल देता है । योग्य अध्यापकों की नियुक्ति करना, सतत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सम्बन्धी सामग्री के विकास को भागीदारी तथा सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षकों के विकास करने पर बल देता है ।

Step 4 - Implementing and Executing the strategy Through Gender Mainstreaming Activities and Programmes

(लैंगिक-मुख्यधारा क्रियाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से व्यूहरचना का क्रियान्वयन एवं निष्पादन करना)

लैंगिक मुख्यधारा व्यूहरचना निर्माण के पश्चात् धीरे-धीरे उसका क्रियान्वयन भी आवश्यक है, ताकि स्त्री और पुरूष (बालक और बालिकाएं) एजेण्डा बनाने एवं निर्णय लेने में हिस्सा ले सके ।

Step 5-Evaluation Performance and Monitoring New Development

(उपलब्धियों का मूल्यांकन और नये विकास की मोनिटरिंग करना)

व्यवस्थित मोनिटरिंग के लिए लैंगिक मुख्यधारा सूचकों जो कि लिंग प्रदतों से एकत्रित किये जाते है कि आवश्यकता होती है । यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के होते है ।

इस प्रकार उपर्युक्त (Five-Step Plan) का अनुसरण करते हुए उद्देश्यों का निर्धारण करके एवं उचित व्यूहरचना का निर्माण करके हम शिक्षा में लैंगिक मुख्यधारा को स्थापित कर सकते हैं ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न (Self Evaluation Questions)

1 शिक्षा में लैंगिक मुख्यधारा हेतु पाँच पदों की योजना (Five-Step Plan) के पांचों पदों का नाम लिखिए !

2 शिक्षा में लैंगिक मुख्यधारा के लिए उद्देश्यों के निर्धारण के महत्व को स्पष्ट कीजिए !

3 सर्व शिक्षा अभियान के तहत उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लाने के लिए किन -किन व्यूहरचनाओं का निर्माण किया गया है ?

19.4 लैंगिक पक्षपात से मुक्त पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकें तैयार करना (Preparation of Curriculum and Textbooks fress from Gender bias)

एक राष्ट्र की गुणवता उसके नागरिकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है तथा नागरिकों की गुणवत्ता काफी हद तक उनकी शिक्षा पर निर्भर करती है । अत: शिक्षा को सामाजिक विकास की रीढ़ की हड्डी और सभ्यता का निष्कर्ष माना जाता है । शिक्षा की औपचारिक संस्थाएं अपने नियोजित और संरचित पाठ्यक्रम के द्वारा न केवल बच्चों को साक्षर करती है, बल्कि उनके चारों और होने वाले परिवर्तनों को अपनाने तथा उनके प्रति अनुकूलित होने में मदद करती है ।

18.4.1 पाठ्यक्रम : सम्प्रत्यय (Concepet of Curriculum)

एक विद्यालय का पाठ्यक्रम, विद्यालय द्वारा किये जाने वाले सभी प्रयासों का संग्रह है जिसके द्वारा विद्यालय के अन्दर और विद्यालय के बाहर की परिस्थितियों में वांछित परिणाम प्राप्त किये जाते हैं । अन्य शब्दों में पाठ्यक्रम विद्यार्थी के सम्पूर्ण विद्यालयी जीवन का प्रतिनिधित्व करता है । यह बालक का बौद्धिक, शारीरिक, भावनात्मक, अध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक विकास करता है ।

इस प्रकार हम कह सकते है कि पाठ्यक्रम बालक के संर्वागीण विकास में सहायक होता है । सैमुअल के अनुसार "पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के वे समस्त अनुभव समाहित होते हैं जिन्हें वह कक्षा कक्ष में, प्रयोगशाला में, पुस्तकालय में, खेल के मैदान में, विद्यालय में सम्पन्न होने वाली अन्य पाठ्येत्तर क्रियाओं द्वारा तथा अपने अध्यापकों एवं साथियों के साथ विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से प्राप्त करता है । "पाठ्यक्रम का निर्धारण, जीवन की सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराएं, राजनैतिक विचारधारा, दर्शन और एक निश्चित समय में समाज की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है ।

19.4.2 विभिन्न आयोगों. समितियों तथा परिषदों द्वारा लैंगिक समानता के संदर्भ में दिए गए पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुझाव

प्राचीन भारत में महिलाओं और पुरूषों के लिए सार्वजनिक शिक्षा की परम्परा थी । दुर्भाग्यवश कालान्तर में महिला शिक्षा की दशा अवनत होती गई । सार्वजनिक शिक्षा की यह व्यवस्था सामाजिक परिवर्तनों (आर्य संस्कृति के साथ अनार्य संस्कृति के मिश्रण) के कारण लगभग: पूर्णतया लुप्त हो गई । मुस्लिम काल में अनेक कुरीतियों जैसे पर्दा बाल विवाह आदि के कारण महिला शिक्षा बाधित हुई। अग्रेंजी शासन काल में इस परिस्थिति में कुछ सुधार हुआ । स्वाधीनता से पूर्व की महिला शिक्षा, सीधे तौर पर महिलाओं की भूमिका जैसे गृहिणी और माता से जुड़ी थी । शिक्षा पुरूषों को रोजगार हेतु प्रशिक्षित करने से सम्बन्धित थी, क्योंकि महिलाओं से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह घर से बाहर कार्य करे । अत: पाठ्यक्रम भी उनकी सामाजिक भूमिका के अनुसार ही था । इसी दौरान कुछ विषयों का नारीवादी विषयों

की तरह उदय हुआ, यथा - संगीत, गृह विज्ञान आदि । जबकि भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान गणित आदि विषयों को पुरूषों से सम्बन्धित माना जाता था । इसलिए बालकों एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग विद्यालय खोले गये ।

स्वाधीनता के पश्चात् के समय को महिलाओं की उनके घरों से मुक्ति के समय के तौर पर इंगित किया जाता है । शिक्षित लोगों के धार्मिक आडम्बर और सामाजिक रूढ़िवादी विचारो से गिरावट आने लगी । स्वाधीनता के पश्चात् महिला शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण विकास 1959 में दुर्गाबाई देशमुख राष्ट्रीय समिति की स्थापना से हुआ, जिसने विस्तृत रूप से महिलाओं की समस्याओं की जांच की ।

इसके बाद 1961 में महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद् ने हंसा मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम की विस्तृत रूप से जांच की । इस समिति के अनुसार एक लोकतांत्रिक, समाजवादी समाज मे शिक्षा व्यक्तिगत क्षमता, अभिवृत्ति, रूचि से होनी चाहिए ना कि लिंग से- ।

पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता सम्बन्धी शिक्षा में अन्य उपलब्धि, कोठारी (1964-66) द्वारा दी गई सिफारिशों के द्वारा प्राप्त हुई। इस कमीशन के अनुसार -

1. बालिका शिक्षा के विरूद्ध परम्परागत पूर्वाग्रहों को कम करने हेतु जनसामान्य को शिक्षित करना होगा ।
2. जहां तक सम्भव हो सके मिश्रित प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए । उच्च स्तर पर बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोले जाने चाहिए ।

कोठारी कमीशन (1964-66) ने राष्ट्र निर्माण में बालिका शिक्षा की महता को भी पहचाना । इस कमीशन के अनुसार “मानव संसाधनों के पूर्ण विकास, घरों की स्थिति में सुधार, बच्चों के चारित्रिक विकास हेतु महिलाओं की शिक्षा पुरूषों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है !’’ इस कमीशन के अनुसार, पाठ्यक्रम जैसे संगीत, गृह विज्ञान, फाइन आर्ट आदि माध्यमिक स्तर पर उपलब्ध करवाये जाने चाहिए तथा बालिकाओं के लिए यह अनिवार्य नहीं होने चाहिए । माध्यमिक स्तर पर गणित अथवा विज्ञान विषयों को पढ़ाने हेतु बालिकाओं को विशिष्ट रूप से उत्साहित करना चाहिए । उच्च माध्यमिक स्तर पर महिला विद्यार्थियों को कला, मानविकी, विज्ञान और तकनीकी में से किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्वतंत्रता होनी चाहिए । हालांकि तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों पर जोर देना चाहिए ।

19.4.3 पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों को लैंगिक पक्षपात से मुक्त करने हेतु सुझाव -

वर्तमान समय में पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में सुधार का कार्य बहुत ही गम्भीर रूप से किया जाता है ।NCRT ने 124 पृष्ठों का दस्तावेज तैयार किया है जिसे National Curriculum framework 2005 कहा जाता है । NCF (2005) दस्तावेज के अनुसार "समानता के लिए हमें पाठ्यपुस्तकों का प्राथमिक उपकरण की तरह उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा हेतु बहुत बड़ी संख्या में विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए भी प्राप्य संसाधन है । "

NCERT के अनुसार नई पाठ्यपुस्तकें लिखते और तैयार करते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि बच्चों को कम उम्र से ही लैंगिक संवेदनशील बनाना है तथा उन्हें लैंगिक रूढ़िवादिता से दूर रखना है । इसके पीछे सम्पूर्ण भावना है कि - विद्यार्थी यह महसूस कर सकें कि महिलाएं पुरूषों से कम योग्य अथवा समर्थ है इस सोच का कोई आधार नहीं है ।

NCF मे सुधार प्रस्तावित होने के बावजूद, अनेक समितियों की रिपोर्ट के अनुसार - हालांकि अधिकांश पाठ्यपुस्तकों में कम से कम महिलाएं दिखाई तो देने लगी है परन्तु अनेकों राज्यों की रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता और पूर्वाग्रह अभी भी कायम है ।

वर्तमान संदर्भ में उठने वाले मुद्दों के आधार पर कहा जा सकता है कि NCF (2005) में प्रस्तावित सुधार स्वागतयोग्य है, लेकिन अभी भी पाठ्यपुस्तकों व पाठ्यक्रमों से लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करने की आवश्यकता है । कुछ सुझाव निम्नलिखित है, जो इस संदर्भ में मददगार हो सकते हैं -

- पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों में वहां संशोधन करने की आवश्यकता है, जहां महिलाओं का चित्रण केवल अच्छी गृहणियों की तरह किया गया है । पुरूषों के समान महिलाओं की उपलब्धियाँ तथा वीरोचित अवसरों को शामिल करने की आवश्यकता है ।
- विद्यार्थियों की गलत धारणाओं को दूर करने के लिए शिक्षकों को लैंगिक संवेदना सम्बन्धी तकनीकी का उपयोग करना चाहिए । इस हेतु शिक्षक प्रशिक्षित होने चाहिए ।
- पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें एक लैंगिक समिति जिसमें अकादमिक, नारीवादी, इतिहासकार सरकार आदि शामिल हो, में से होकर जाने चाहिए । विद्यार्थियों तक पहुंचने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि पाठ्यपुस्तक लिंग भेद से मुक्त है ।
- बालिकाओं के स्थान के बारे में सतही सोच से लिखने के बजाए लेखकों को परिवार में बालिकाओं की वास्तविक स्थिति को महसूस करके लिखना चाहिए ।
- पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन को एक साधारण क्रिया की तरह नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि इस पर राज्य सरकार का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण होना चाहिए ।
- शैक्षिक सामग्री का उत्पादन संविधान में निहित भावना यथा - मौलिक अधिकार एवं समानता के अनुरूप होना चाहिए ।
- पाठ्यपुस्तकों को मोनिटर करने के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक समिति का गठन किया जाना चाहिए ।
- यह हम सभी के द्वारा स्वीकार्य है कि समाज की संस्कृति को बच्चों तक, स्थानान्तरित करने में पाठ्यपुस्तकें व पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है अत: पाठ्यक्रम निर्माण व पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन का कार्य जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न (Self Evaluation Question)

1 पाठयक्रम के सम्प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए ।

2 विभिन्न आयोगों तथा समितियों द्वारा -लैंगिक समानता के संदर्भ में दिए गए पाठयक्रम संबंधी सुझावों की व्याख्या कीजिए ।

3 पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों को लैंगिक पक्षपात से मुक्त रखने के लिए इनके निर्माण के समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?

19.5 सारांश (Summary)

शिक्षा को महिला सशक्तिकरण का अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन माना गया है । शिक्षा व्यवस्था में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु लैंगिक मुख्यधारा जैसी व्यूहरचना को अपनाना आवश्यक है ।

शिक्षा में लैंगिक मुख्यधारा को स्थापित करने के लिए उचित उद्देश्यों के निर्धारण व इन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप देने हेतु आवश्यक व्यूहरचनाओं को पहचान कर उनके क्रियान्वयन की जरूरत है ।

ऐसे बहुत से कारक है जो कि महिला शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते है, इनमें से एक कारक है पाठयक्रम व पाठ्यपुस्तकों में व्याप्त लैंगिक पक्षपात । इस लैंगिक पक्षपात को दूर करने हेतु पाठ्यपुस्तकों व पाठ्यक्रमों का संशोधन कर लैंगिक रूढ़िवादिताओं एवं पूर्वाग्रहों को कम करने की आवश्यकता है ।

निष्कर्षत - वर्तमान समय में शिक्षा से संबंधित सभी क्रियाओं नीतिविकास, विधि निर्माण, पाठ्यक्रमों व पाठ्यपुस्तकों का निर्माण व उत्पादन, योजना निर्माण, क्रियान्वयन और मोनिटरिंग में लैंगिक दृष्टिकोण एवं लैंगिक समानता के लक्ष्य को केन्द्र में शामिल करना चाहिए । जिससे शिक्षा में व्याप्त लैंगिक पक्षपात को समाप्त किया जा सके ।

मूल्यांकन प्रश्न (Evaluation Question)

1. शिक्षा में लैंगिक मुख्यधारा हेतु Five - step plan की विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए ।
2. लैंगिक मुख्यधारा के अर्थ को बताते हुए शिक्षा में इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिये।

19.6 संदर्भ ग्रंथ (Reference)

1 Aggarwal,J.C (2003), “Modern Indian Education (History, development and problems)”s, Shipra Publication, Delhi.

2 Bhuimali, Anil (2004), “Education, Employment and Empowering Women”, Serial Publications, New Delhi

3 Prasad, JANARDAN AND Kaushik, Vijay (1997), “ Advanced Corriculum Construction, “Kanishka Publishess, New Delhi

4 Sharma, Usha and Sharma, B.M(1995) , “Women Education in Modern India”, Commonwealth Publishers, New Delhi.

5 सिंह, नरेन्द्र और दत्ता, संजय (2007), "शैक्षिक एवं उदीयमान भारतीय समाज", जैन प्रकाशन मन्दिर, जयपुर ।

Websites

1. http://India-seminar.con\m/2004/536/536%20geetha%20b%
2. http://Cities.expressindia.com/fullstory,phy?newsid
3. http://www.education.nic.in/cd50year\9\T\HP\OTHPOIOI.htm
4. http:/Jharkhand.gov.in\new-Depts\healt/healt-intervention3.html
5. http://www.genderandhealth.ca/en/modules/intoroductional introduction-glossary.jsp
6. http://www.education.nic.in\cd50year/Z/51/75/51750col.
7. http://www.Un.org/women watch/daw/cedaw/text/econvention.htm
8. http://www.coe.int/T/E/Human-Rights/Equality/02-Gender-manstreaming
9. http://www.thecommonwealth.org/shared-asp-files\upfolded-files
10. http://www.desk.inc.in/schemes/SSA.html
11. 11http://www.Unescobkk.org/education/appeal/programme-themes/gender/themes/gender-resp.
12. http: www.wadanatodo.net/images/160407/Gender Ncmp-Eng.pdf
13. http://www.Un.org/women watch/osagi/gendermainstreaming.htm

इकाई 20

लिंग संवेदी शिक्षक प्रशिक्षण

(Gender Sensitive Teacher Training)

इकाई की रूपरेखा (Structure of the Unit)

20.0 उद्देश्य

20.1 प्रस्तावना

20.2 लिंग संवेदी शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता

20.3 शिक्षा में लैंगिक समानता

20.4 सामान्य लैंगिक रूढिबद्व धारणाएं

20.5 शिक्षक की परिवर्तित भूमिका

20.6 शक्तियो में विभेद एंव शिक्षक शिक्षार्थी सम्बन्ध

20.7 सारांश

20.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

20.0 उद्देश्य (Objecties)

आधार पाठ्यक्रम के एम. एड खण्ड 5 के शिक्षा: नारी वादी दृष्टिकोण के अन्तर्गत इकाई लिंग संवेदी शिक्षक प्रशिक्षण से सम्बन्धित विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । इस इकाई को पढने के बाद आप-

- लिंग संवेदी शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता को जान सकेंगे ।
- शिक्षा में लैंगिक समानता का अर्थ समझ सकेंगे ।
- समाज में प्रचलित सामान्य लैंगिक रूढिबद्व धारणाओं से अवगत हो सकेंगे ।
- शिक्षक की परिवर्तित भूमिका से परिचित हो सकेंगे ।
- शक्तियों में विभेद एवं शिक्षक शिक्षार्थी सम्बन्धो को समझ कर कालान्तर में अपना सकेंगे ।

20.1 प्रस्तावना (Interoduction)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी 102.70 करोड़ है जिससे 53.13 करोड़ पुरूष एवं 49.57 करोड़ महिलाएं सम्मिलित है । तथा लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरूष के विपरीत 933 है । राष्ट्र की पुरूष साक्षरता दर 75.8 प्रतिशत व महिला साक्षरता दर 54.1 प्रतिशत रही है। वर्ष 2001 की जनगणनानुसार राजस्थान राज्य की कुल जनसंख्या 5.65 करोड़ है, जिसमें 2.94 करोड़ पुरूष एवं 2.71 करोड़ महिलाएं सम्मिलित है । महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 44.34 व पुरूषों की साक्षरता 76.46 रही हैं राज्य में महिलाओं का लिंगानुपात 922 है । उक्त वर्णित मानव संसाधन के समंक अनुसार देश व राज्य में पुरूषों की

संख्या के लगभग समरूप ही महिलाओं की संख्या है । पुरूष एवं महिलाओं के सहयोग से विकास चक्र को गतिमान बनाकर विकास की ऊंचाई तक पहुँच बनाई जा सकती है ।

भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए पुरूष वर्ग का एकाधिकार माना जाता है । महिला अपने घर-परिवार के लिए सर्वस्व समर्पित करती है किन्तु पुरूष घर एवं स्त्री पर अपना अधिकार आरोपित करता है । स्त्री और पुरूष की सामाजिक एवं पारिवारिक भूमिकाओं में भिन्नता होने से स्त्री को अनुगामिनी माना जाता है ।

लोकतान्त्रिक समाज के निर्माण एवं विकास के लिए उसमें विभेदों को समाप्त किया जाना आवश्यक है अत: समाज विकास के उत्कर्ष को प्राप्त कर सके इसके लिए जाति आधारित, लिंग आधारित, वर्ण आधारित भेदों को समाप्त कर समानता स्थापित करनी होगी । भारतीय संविधान में इस प्रकार के विभेदों को नकारकर पुरूष एवं महिला को समान नागरिक अधिकार प्रदान किए है !

महिलाओं में लैगिक समानता की स्थापना के लिए स्त्रियों में शिक्षा को आवश्यक माना गया है । स्त्रियों में शिक्षा और उनकी स्थिति के प्रति जागरूकता लाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में लैंगिक समानता हेतु आवश्यक परिवर्तन- यथा प्रभावी नीतियों का निर्धारण, पाठ्यक्रम परिवर्तन, समान शैक्षिक प्रावधान एवं लिंग संवेदी शिक्षक प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है । इसके लिए रूढ़िगत विचारों से ऊपर उठकर बालिका शिक्षा का समुचित विकास करना होगा तथा बालिकाओं का उनके अधिकारों का बोध करना होगा ।

20.2 लिंग संवेदी शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में महिला शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सुविचारित प्रयत्न की आवश्यकता बताई गई है । शिक्षा नीति में यह प्रतिबद्धता दर्शाई गई है कि नए सामाजिक मूल्यों के विकास के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों को पुन: सृजितकर निर्णयकर्ताओं प्रशासकों व अध्यापकों का आमुखीकरण किया जाएगा । उपर्युक्त प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इस नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नाकिंत हैं-

(1.) सरकार बालिकाओं की शिक्षा को विशेष महत्व देने के लिए वचनबद्ध है । यह स्वीकार करती है कि यदि सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा को यथार्थ रूप में साकार करना है तो बालिकाओं की प्रवेश संख्या को बढाना होगा तथा उनकी स्कूल छोड़ने की दर को कम करना होगा । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संक्रमण कोल में विभिन्न पद्धतियों को अपनाना होगा जैसे औपचारिक, अनौपचारिक, संक्षिप्त कार्यक्रम एवं रात्रि स्कूल आदि प्रारंभ करने होंगे ।

(2.) स्कूलों के लिए प्रावधान करना ही पर्याप्त नहीं होगा । उन कठिनाइयों पर सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा जिनके कारण बालिकाएं स्कूल में उपस्थित होने से रोक दी जाती हैं । घरेलू काम के बोझ को ढोने तथा कई घण्टों तक काम करने के बाद थक जाने से, बालिकाओं के प्रति स्कूल में विशेष ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है । बालकों को विशेषकर बालिकाओं की स्कूल में उपस्थिति बनाए रखने के लिए स्कूल के

वातावरण को सुखद एवं सुरक्षित बनाना, शिक्षण कार्य को आनन्दमय बनाना आवश्यक है ।

(3.) जिन बालिकाओं के ऊपर अपने छोटे भाई-बहिनों की देख रेख की जिम्मेदारी है, उनके लिए स्कूल या शिशु पालन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, जिससे ऐसी बालिकाओं के लिए स्कूल में प्रवेश व लम्बे अंतराल तक शिक्षा संभव हो सके ।

(4.) महिलाओं के सकारात्मक चित्रण को प्रोत्रत करने, परिवार एवं समाज के भीतर उनके योगदान को स्वीकार करने, तथा उनके अधिकारों को सम्मान देने की दृष्टि से विद्‌यमान पाठ्‌यपुस्तकों एवं शैक्षिक सामग्री की समीक्षा करना ।

(5.) बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए आदर्श भूमिका प्रस्तुत करने की दृष्टि से, महिला शिक्षकों की विशिष्ट रूप से ग्रामीण विद्‌यालयों में नियुक्ति एवं प्रशिक्षण आदि को प्रोत्साहित करना ।

(6.) बालिकाओं की विशेष स्थिति के बारे में समस्त अध्यापकों, महिलाओं एवं पुरुषों का आमुखीकरण करना, जैण्डर मुद्दों के प्रति उन्हे संवेदनशील बनाना तथा बालिका शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए उन्हें सक्षम व समर्थ बनाना ।

(7.) महिला शिक्षकों एवं शैक्षिक कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ताकि नियमित सेवा पूर्व एवं सेवान्तर्गत प्रशिक्षण के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। पुरूषों की तरह उन्हें भी समान स्तर पर लाने के लिए यह कदम अति आवश्यक है ।

(8.) सभी कार्यकर्ताओं के लिए जैण्डर प्रशिक्षण चालू करना ।

(9.) विद्‌यालयों में एवं अभिमानित पंचायतों में बालिकाओं एवं उनके माता-पिताओं के लिए व्यावसायिक एवं कैरियर गाइडेंस की व्यवस्था करना ।

(10.) विभिन्न पाठ्‌यपुस्तकों अथवा अन्य इस प्रकार की शिक्षा सामग्री में बालिकाओं व महिलाओं की दकियानूसी भूमिका चित्रित करने वाले लेखन व द्राष्टिक माध्यमों को प्रगतिशील छवि प्रस्तुत करें ।

(11.) बालिकाओं के लिए उच्चतर एवं तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं में सीटे बढ़वाना तथा उन्हें आवास की सुविधाएं देना ।

(12.) प्रत्येक जिले में केवल बालिकाओं के लिए महाविद्‌यालय स्थापित करने को बढ़ावा देना, तथा महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के साथ, कॉलेजों, पोलीटेक्नीक एवं औद्‌योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए अवसरों मे वृद्धि करना ।

(13.) नियमित पाठ्‌यक्रम या पाठ्‌येत्तर कार्यक्रम के रूप में जैण्डर अध्ययन प्रारम्भ करना, उदाहरण स्वरूप, विश्व विद्‌यालयों में महिला अध्ययन केन्द्र के द्‌वारा जैण्डर अध्ययन

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से वर्ष 1990 में जोमीटन सम्मेलन (थाईलैण्ड) एवं डकार, (सेनेगल) में वर्ष 2000 मे आयोजित वर्ल्ड एज्यूकेशन फोरम की बैठक में लिंग असमानता को शिक्षा से समाप्त किए जाने का निश्चय महत्वपूर्ण है । इसके

अन्तर्गत वर्ष 2005 तक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा से लिंग विभेद को दूर किए जाने का लक्ष्य था । इसके अतिरिक्त इसका मुख्य लक्ष्य वर्ष 2015 तक सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना एवं पूर्ण रूप से शिक्षा में लैंगिक समानता प्राप्त करना है । जिसमें बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने पर विशेष बल दिया गया है । राष्ट्रीय नीति एवं अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के उपरान्त भी यदि हम बालिका शिक्षा की स्थिति पर एक नजर डाले तो इसे संतोषप्रद स्थिति में नहीं पाते हैं ।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम नामक संस्था द्वारा 2005 में किए गए एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 6- 10 वर्ष की आयु समूह की बालिकाओं में 5.1 प्रतिशत बालिकाएं विद्यालय में नामांकित नहीं है । 11 से 14 वर्ष की आयु समूह की बालिकाओं में व 11 प्रतिशत बालिकाएं अनामांकित है । इन अनामांकित बालिकाओं में एक बड़ा समूह (लगभग 6.3 प्रतिशत) ऐसा है जिससे विद्यालय का परित्याग कर दिया है । एक अन्य सर्वेक्षण (आईएमआरबी-इन्टरनेशल) के संख्यात्मक आकड़ों के अनुसार 6- 14 वर्ष की कुल बालिकाओं की संख्या 84.41 मिलियन है । जिसमें से लगभग 669 मिलियन बालिकाएं अनामांकित हैं अनामांकित बालिकाओं में एक बडा समूह उन बालिकाओं का है जिन्होंने विद्यालय परित्याग कर है । शेष बालिकाओं ने विद्यालयों में कभी प्रवेश नहीं लिया है ।

बालिका शिक्षा की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों तथा-माता-पिता की बालिका शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच, विद्यालय भवन की दूरी स्थिति, शिक्षा में गुणात्मकता की कभी, बालिका विद्यालयों व महिला शिक्षिकाओं का अभाव, बालिकाओं की सुरक्षा में कमी, गरीबी के साथ ही विद्यालय में शिक्षकों की रुढिवादी परम्परागत सोच एवं लिंग भेद भी है जिनके कारण बालिकाएं विद्यालय त्याग देती है ।

20.3 शिक्षा मे लैंगिग समानता

शिक्षा में लैंगिक समानता का अर्थ होगा रूढ़िगत विचारों से ऊपर उठकर बालक एवं बालिका को समान शैक्षिक व्यवस्थाएं एवं अवसर उपलब्ध करवाना जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर लिंग भेद के कारण प्रभाव न हो सके । शिक्षा में लिंग संवेदनशीलता लाना आवश्यक है । इस हेतु बालिकाओं का निम्नांकित स्तरों पर समानता प्राप्त होनी चाहिए ।

अवसरों की समानता :

बालिका को शिक्षा प्राप्ति के अवसर बालक के समान उपलब्ध हों अर्थात अभिभावक, अध्यापक एवं समाज उस हेतु किसी प्रकार की लिंग विभेद की अभिवृति न रखे ।

शिक्षण प्रक्रिया में समानता

शिक्षण प्रकिया अन्तर्गत विद्यालय एवं कक्षा कक्ष में बालिका को बालक के समान व्यवहार दिया जाए । इस हेतु एक समान पाठ्यचर्चा, शिक्षण पद्धतियाँ एवं शैक्षिक व शिक्षण सामग्री हो जो किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह तथा लैगिंक रूढ़िवादिता से मुक्त हो । शिक्षकों के लिए इसके लिए अकादमिक पुनश्चर्या एवं परामर्श उपलब्ध करानी होगी ।

परिणामों में समानता

लैंगिक संवेदनशीलता के लिए यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि बालिका की शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय काल के वर्षो की संख्या, अकादामिक योग्यता डिग्री / डिप्लोमा आदि का लैंगिक कारणों से भेद न हो ।

शिक्षा प्राप्ति उपरान्त अवसर व उपलब्धि में समानता

बालिकाओं की शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात उन्हें रोजगार हेतु अवसर, पूर्ण कालिक शिक्षा के बाद रोजगार प्राप्त होने में लगा समय, वेतन एवं अनुभव में पुरूषों के समान उपलब्धियाँ अर्जित करने के अवसर प्रदान करने होंगे ।

यह समानता अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि इसमे असमानता के परिणाम गंभीर होते है । रोजगार में अवसरों को असमानता से पुरूष एवं महिला की शिक्षा प्राप्ति, प्रक्रिया एवं परिणाम सभी में असमानता आ जाती है जिससे समाज एवं अभिभावक द्वारा बालिका शिक्षा पर खर्च में कटौति एवं संभावित श्रेष्ठ रोजगार व आय में कमी की संभावना रहती है ।

20.4 सामान्य लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाएं

भारत के विकास में महिलाओं का असीम योगदान रहा है, किन्तु शिक्षा के अभाव में उनका कार्यक्षेत्र सीमित कर दिया गया । शनैः-शनैः महिलाओं की शारीरिक क्षमताओं एवं मानसिक योग्यताओं को पुरूषों की तुलना में कम आका जाने लगा । फलत: पुरूषों द्वारा ही नहीं स्त्रियों द्वारा भी महिला के प्रति अनेक भ्रान्तियाँ को विकसित कर प्रचारित किया गया । बालिकाओं की शिक्षा खेल कूद, विषय चयन, घरेलू कार्य, पोषण से सम्बन्धित अनेक भ्रान्तियाँ सुनने को मिलती है ।

जैसे-

लड़कियाँ गणित, विज्ञान नहीं पढ़ सकती यह तो लड़के पढ़ते हैं ।

लड़कियाँ पढ़ लिख कर क्या करेंगी उन्हें तो शादी के बाद चूल्हा-चौका करना है ।

क्यों लड़कियाँ जैसे रोते हो?

क्रिकेट, टैनिस आदि खेल लड़कों के होते हैं ।

लड़कियों की पढ़ाई पर पैसा खर्च करना व्यर्थ है, आदि ।

इन धारणाओं को हमारे भीतर इतना गहरा उतार दिया जाता है कि हम कभी इनकी प्रमाणिकता पर प्रश्न ही नहीं करते । यदि हम इन्हें अपनी धारणाओं का अंग नही भी बनाते हैं तो हमारे चारों ओर के वातावरण से प्राप्त इन सन्देशों से हमें प्रेरित किया जाता है कि 'पुरूष' अथवा 'महिला' होने का क्या अर्थ है । वास्तव में पुरूष हो अथवा महिला सभी मनुष्य है सभी समान संवेदनाएं यथा- खुशी, दुख, प्रेम, क्रोध आदि महसूस करते हैं । अत: लैंगिक भ्रान्तियाँ विनाशकारी होती है क्योंकि यह क्षमताओं को सीमित करती है । लैंगिक भ्रान्तियाँ जहाँ बलपूर्वक पुरूष व स्त्री के कार्यो का पृथक करती हैं वहीं वह व्यक्ति को निर्णय लेने से भी रोकती है अत: आवश्यकता यह है प्रत्येक महिला स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके ।

भारतीय समाज एक परम्परावादी समाज है । भारतीय संविधान अन्तर्गत महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार व स्वतन्त्रता प्राप्त होने के उपरान्त भी अधिकांश पुरूष व महिलाएं

भी महिलाओं की परम्परावादी घरेलू छवि की ही अधिक पक्षधर हैं । लिंग भेद हमारी व्यवस्था का एक प्रमुख अंग है । परिवार में लड़की एवं लड़के के पालन पोषण में भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है । इससे उसके सर्वतोमुखी विकास में बाधा पहुँचती है । पुरूष प्रधान समाज होने से स्त्रियाँ अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाती ।

महिलाओं में बचपन से ही असुरक्षा एवं हीन भावना का विकास हो जाता है । उनके मन मस्तिष्क में यह बात स्थाई रूप से बैठ जाती है कि वे पुरूषों से हीन हैं । शिक्षा का अभाव एवं भेदभाव के कारण हीनता की भावना उनके स्वभाव का स्थाई लक्षण बन जाती है ।

शिक्षा का सीधा सम्बन्ध जागरूकता से होता है शिक्षा मनुष्य के अन्दर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता एवं अपने अधिकारों के प्रति सजगता की भावना का विकास करती है । शिक्षा में असमानता से लिंग भेद को समाप्त किया जाना असंभव है जिससे समाज को गंभीर दुष्परिणाम का सामना करना होता है ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न

1 डकार सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है ?

2 सामान्य लैंगिक रुढिवध धारणायें क्या है ?

20.5 शिक्षक की परिवर्तित भूमिका

शिक्षक परिवर्तन के प्रमुख नियामक है । वे विद्यालय में बच्चों के रोल मॉडल होते है विद्यार्थी उनका अनुसरण करते है । शिक्षक को विद्यालय में लैंगिक संवेदनशीलता के लिए कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना होगा । स्वयं उन्हें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा जिससे वे समानता का वातावरण विद्यालय में उत्पन्न कर सकें । विद्यालय में शिक्षण कार्य के दौरान उन्हे कार्य-व्यवहार में लैंगिक संवेदनशीलता की समझ उत्पन्न करनी होगी । अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक को निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं को शिक्षण प्रक्रिया में स्थान देना होगा।

लैंगिक समानता की समझ का विकास

बालिका केन्द्रित शिक्षा एवं बालिकाओं का सशक्तिकरण

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली परम्पराओं का विकास

बालिका शिक्षा में आने वाली समस्याओं की पहचान कर निवारण हेतु क्रियात्मक अनुसंधान

बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना एवं प्रचार-प्रसार

शिक्षक की परिवर्तित भूमिका की जानकारी देने के लिए आवश्यक प्रशिक्षणों को आयोजन भी जरूरी है । प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षको को विद्यालयों में लिंग समानता के लिए वातावरण निर्मित करने के लिए तैयार करना होगा । विभिन्न शैक्षिक संगठन भी इसके प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका का निर्वहन कर सकते है । शिक्षकों ने इस विषय के प्रति जागरूकता लाने के लिए आवश्यक होगा कि -

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में लैंगिक समानता हेतु संवैधानिक कानूनों की जानकारी दी जाए ।

लिंग संवेदी मुद्दों का प्रशिक्षण इस सन्दर्भ में उन्हे उदाहरण एवं सबूत दिए जाएँ जिससे वे समाज के विकास में सहायक हों ।

निर्देशन सामग्री उपलब्ध कराई जाए ।

लिंग विभेद के गंभीर परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाए ।

विद्यालय विकास योजनान्तर्गत सार्थक योजनाओं का निर्माण करने हेतु प्रेरित किया जाए ।

विद्यालय निरीक्षण के दौरान उक्त योजनाओं का आवश्यक रूप से निरीक्षण हो ।

इसी के साथ ही शिक्षक की लिंग पृथकता की रूढ़िवादी मान्यताओं को समाप्त करना होगा । उन्हे समाज, अभिभावक, विद्यालय प्रशासन एवं अन्य शिक्षकों में भी क्रमिक बदलाव हेतु कार्य करना होगा ।

स्वमूल्यांकन प्रश्न - 2

1 शिक्षा मे लैंगिक समानता लाने के लिए शिक्षकों को किन विषयों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है?

2 लिंग संवेदी अध्यापन में अध्यापक की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें ।

20.6 शक्तियों में विभेद एवं शिक्षक विद्यार्थी सम्बन्ध

पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में पुरूष एवं महिलाओं की शक्तियों के बंटवारे में पुरूषों के पास महिलाओं की अपेक्षा अधिक शक्ति रही है । अत: व्यवहार में भारतीय समाज पुरूष आधिपत्य प्रधान समाज रहा है । प्रजातान्त्रिक समाज व्यवस्था के सन्दर्भ में हमारे देश का संविधान हमारे देश का संविधान महिलाओं को लाभ पहुँचाने की मंशा रखता है । संविधान महिलाओं और पुरूषों में लैंगिक भेदभाव मिटाने थी मंशा रखता है तथा महिलाओं को हित में सरकार को विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है ।

संविधान में महिला को पुरूष के समान अधिकार प्राप्त होने के बावजूद बेटा पाने की परम्परावादी चाह में कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध होते है, शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाने के बाद भी सामाजिक व पारिवारिक स्थितियाँ के चलते लड़कियाँ स्कूल जाने से वंचित रहती हैं । उच्च शिक्षा तक महिलाओं की पहुँच अत्यन्त सीमित है । सह शिक्षा होने पर भी उनके पाठ्यक्रम अलग-अलग होते है ।

लड़कियों का शिक्षा में मुख्य रूप से उन्हे विवाह के लिए तैयार करने पर बल दिया जाता है न कि समाज और देश की उत्पादक जिंदगी में पूर्ण भागीदारी के लिए । माता-पिता की सम्पति मे बराबर का हक होने के बावजूद प्राय: महिला को इससे वंचित रहना होता है । महिलाओं के बारे में पुरूष प्रधान समाज में अभी तक स्पष्ट व ठोस धारणा नहीं बन पाई । हमारी पुरानी मान्यताएँ, प्रतिमान, नियम और मर्यादाएँ पुरूषों के द्वारा निर्मित हैं, महिला की स्वतंत्रता और समानता को बाधित करती है । सामाजिक, एवं आर्थिक स्तर पर महिला एवं पुरूष के लिए नियम व सीमाएं अलग-अलग हैं । बचपन से वृद्धावस्था तक नारी पराश्रिता व परावलम्बी जीवन जीती हैं। उसमें आत्मरक्षा और स्वावलम्बी का विकास नही हो पाता । परिवार व समाज में पुरूष नियंत्रणकर्ता होता है । वहीं महिला अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं का

दमन करती हैं । परिणाम स्वरूप लिंग भेद पर्दाप्रथा, पारिवारिक भेदभाव, बालिका श्रम, कन्या आ हत्या जैसी हिंसा का शिकार हैं । बाल विवाह, -दहेज प्रथा आज भी व्यापक रूप से प्रचलित हैं । महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता की अपेक्षा निम्न स्तर पर है । अल्प आयु में ही घर-गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ का भार आ पडता है । सामाजिक संरचना में लिंग विभेद एक स्वीकार्य तथ्य है जो स्त्री पुरूष की असमानता को प्रश्रय प्रदान करता है । स्वाधीनता के उपरान्त भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार एवं दर्जा प्रदान किया गया । इस संवैधानिक व्यवस्था के बावजूद विकास एवं सामाजिक स्थिति के सन्दर्भ में आज भी महिलाएं पुरूष से पिछडी हुई हैं ।

आर्थिक कार्यो में महिलाओं की सहभागिता न्यून है । महिलाओं की स्थिति पुरूषों की तुलना में द्वितीयक मानी जाती है तथा विकास के वास्तविक अर्थो में वह बहुत दूर है । महिलाओं की पिछड़ी हुई स्थिति में सुधार करने उन्हें अपने अधिकारों व शक्तियों के प्रति जागरूक करने व अत्यन्त महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन को विकास कार्य में नियोजित करने के लिए उन्हें शिक्षित करने एवं समान अधिकार प्रदत्त करने की आवश्यकता है । महिलाओं को शिक्षा के माध्यम सें समानता, न्याय, स्वतन्त्रता आदि सामाजिक लक्ष्यों को प्रदान किया जा सकता है । महिलाओं की अपनी संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों के प्रति चेतना प्रदान कर आत्मबल का विकास करना तथा ज्ञान व कुशलता के उच्च स्तरों को अर्जित करना हो सकता है।

लिंग संवेदी शिक्षण में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है । अध्यापक अपने विद्यार्थी के साथ कैसे व्यवहार करे एवं उसके सम्बन्ध कक्षा-कक्ष में तथा कक्षा-कक्ष के बाहर विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार हो इसको **राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा- 2005** के बिन्दु संख्या 2. 'सीखना और ज्ञान' के उपबिन्दु 'विवेचनात्मक शिक्षाशास्त्र' में इस प्रकार वर्णित किया गया है-

"अध्यापक की भूमिका है बच्चों की अभिव्यक्ति के लिए एक सुरक्षित स्थान व अवसर देना और साथ ही निश्चित प्रकार की अन्त: क्रिया स्थापित करना । उन्हे 'नैतिक सत्ता' की परम्परागत भूमिका से बाहर निकलना होगा और यह सीखना होगा कि बिना निर्णयात्मक हुए सहानुभूति के साथ कैसे सुनते हैं । बच्चों को एक दूसरे को सुनने में सक्षम बनाना होगा । शिक्षार्थियों की समझ को समेकित कर रचनात्मक रूप से उस समझ की सीमाएँ बढ़ाते हुए इस बात के प्रति सचेत भी करना होगा कि मतभेद या अंतर किस प्रकार व्यक्त किए जा सकते हैं । परस्पर विश्वास का वातावरण कक्षा के बच्चों के लिए एक ऐसा सुरक्षित स्थान बना देगा जहाँ वे अनुभव बाँट सकें, जहाँ विवाद को स्वीकार कर उन पर रचनात्मक प्रश्न उठाए जा सकें, और जहां विवादों के हल, परस्पर सहमति से निकाले जा सकें चाहे वह हल कितने ही अस्थाई क्यों न हों । विशेषकर लडकियों व वंचित सामाजिक वर्ग से आए बच्चों के लिए कक्षा व स्कूल ऐसे स्थान पर होने चाहिए जहाँ वे निर्णय लेने की प्रक्रिया पर चर्चा कर सकें, अपने निर्णय के आधार पर प्रश्न उठा सकें तथा सोच समझ कर विकल्प चुन सकें ।"

लिंग संवेदी एवं लैंगिक समानता हेतु विभिन्न शिक्षण प्रतिविधियां कक्षा-कक्ष में बालक-बालिका सम्बन्धों तथा अध्यापक विद्यार्थी सम्बन्धों पर आधारित हैं । यह मुख्य रूप से निम्नाकिंत बिन्दुओं पर आधारित है -

लैंगिक रूढ़िवादी विचारों का चुनौती प्रदान करना यथा-बालिकाओं को उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है । गणित, विज्ञान, तकनीकी आदि विषयों का पढने की उनमें कम योग्यता होती हैं ।

लैंगिक हिंसा, अपशब्द आदि के विरूद्ध जागरूकता उत्पन्न करना एवं अध्यापकों के माध्यम से विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाना ।

विद्यालय का संगठन, वातावरण एवं अनुशासन बालिका के प्रति सहयोगात्मक हो ।

सहशैक्षिक गतिविधियों यथा-खेलकूद, वाद-विवाद, नाटक मंचन आदि में बालकों के साथ बालिकाओं को अवसर प्रदान करना ।

महिला शिक्षिकाओं को प्रोत्साहन एवं सम्बल देना क्योंकि वे विषम सामाजिक परिवेश में कार्य करती हैं । प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यवस्तु को लिंग संवेदी बनाना जिसमें महिलाओं की सकारात्मक भूमिका दर्शाना चित्रों व उदाहरणों में लैंगिक समानता को दर्शाना ।

लिंग संवेदी मुद्दों की पहचान कर, लिंग विभेद को दूर करने का प्रयास करना ।

बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना । राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित नीतियों की जानकारी रखना एवं उनका पालन पूर्ण दृढ़ता से करना ।

लिंग संवेदी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक की निर्णायक की भूमिका के स्थान पर निर्णय प्रक्रिया में सहयोगी की भूमिका का निर्वहन करना होगा । शिक्षक अपनी कक्षा में पढने वाली प्रत्येक बालिका को प्रेरित करे कि वह शिक्षा में श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त करें ।

बालिका की योग्यता को कम न आंके, उन्हे, उन्हें स्वयं की इच्छानुरूप विषय चयन में सहयोग करें । कक्षा-कक्ष में उन्हें बालकों के समान ही महत्व दें, बालिका द्वारा किए गए कार्य की सराहना करें एवं उन्हें बेहतर कार्य हेतु प्रेरित करें ।

बालिका के अध्ययन में आने वाले अवरोध को दूर करने का प्रयास करें जिससे वे सरलता से ज्ञानार्जन कर सकें । उनकी प्रगति को रोकने वाले मुद्दों को आगे न बढ़ाए ।

कक्षा-कक्ष में बालिकाओं द्वारा दिए गए सुझावों एवं विचारों को महत्व दें । उनके साथ विनम्र व समानता का व्यवहार रखें ।

बालिकाओं में आत्म सम्मान, आत्म विश्वास व सकारात्मक सोचा विकसित करें । कक्षा- कक्ष की निर्णय प्रक्रिया में उन्हे भी भागीदार बनाएं ।

बालिकाओं द्वारा अनुभूत समस्याओं को नजर अंदाज न करें । ऐसी बालिकाएँ जो समस्याग्रस्त हो उनसे तदनुभूति रखें । जो संभावित रूप से विद्यालय परित्याग करने वाली हों उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे । अनेक बालिकाएं शिक्षा देर से प्रारंभ कर पाती हैं । उन्हे उनकी शैक्षिक यात्रा में यथा संभव सहयोग प्रदान करें जिससे वे अपनी उस की अन्य बालिकाओं के बराबर आ सकें ।

किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं में सही मार्गदर्शन प्रदान करें ।

20.7 सारांश -

राष्ट्र के आर्थिक विकास हेतु महिलाओं की क्षमता का उपयोग पूर्ण रूप से किया जाना होगा । इसके लिए उनके नामांकन के साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाली नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त हो यह आवश्यक है जिससे वह अपनी शैक्षिक योग्यता में सरलता से अभिवृद्धि कर सके अर्थात कक्षा पुनरावृत्ति एवं विद्यालय परित्याग की दर कम हो सकें । शिक्षा में गुणवत्ता महिला पुरूष समानता को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है । गुणात्मक शिक्षा मात्र संसाधन जुटाने से प्राप्त नहीं होती है बल्कि लैगिक विभेद को कम किए जाने के लिए लैगिक संवेदनशीलता के साथ अध्यापन कार्य, समुदाय के सहयोग व सृजनात्मक समाधानों की आवश्यकता होगी । शिक्षक को रूढ़िवादी विचारों का परित्याग कर चेतना जागृत करनी होगी एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान खोजने होंगे ।

कोई भी व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यताओं का विकास शिक्षा के बिना नहीं कर सकता है और न ही वह सुयोग्य नागरिक के रूप में अपना योगदान दे सकता है । शिक्षित महिला अपने परिवार को सीमित रखती है जिससे वह अपने जीवन स्तर को सुधारने के साथ ही राष्ट्र व समाज में आर्थिक व सामाजिक योगदान भी देती है । विभिन्न लिंग भेदी रूढ़िवादी विचारधाराओं एवं मुद्दों को शिक्षा से समाप्त करने के लिए शिक्षकों की मानसिकता में परिवर्तन तथा उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है । बालिकाओं को अधिकाधिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लिंग संवेदी शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यकता है । इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षका को अपनी भूमिका निर्धारित कर विद्यालय एवं कक्षा-कक्ष में ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा जिसमें बालिकाओं का आत्म विश्वास एवं उनमें सकारात्मक सोच विकसित हो । बालिकाएं शिक्षार्जन के दौरान स्वयं निर्णय ले सकें, अपनी रूचि अनुरूप विकल्प चुन सकें इस हेतु सक्षम बनानें का प्रयत्न शिक्षक को करना होगा ।

मूल्यांकन प्रश्न :

1. भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिंग संवेदी शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है?
2. परम्परावादी समाज में रूढ़िबद्ध धारणाएं विकास में किस प्रकार बाधक होती हैं, वर्णन कीजिए?
3. शिक्षा के द्वारा लैंगिक समानता लाने के लिए शिक्षक की परिवर्तित भूमिका क्या हो सकती है, व्याख्या करें ।
4. शक्तियों में विभेद का क्या आशय है? शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार इस विभेद को दूर किया जा सकता है, स्पष्ट करें ।
5. लिंग संवेदी शिक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी सम्बन्धो की विवेचना करिए ।

20.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. NCERT , New Delhi, National Focus Group-Position Paper, National Concern- Gender Issues in Education.

2. Unesco, Education for all -Global monitoring Report 2003,04,07

3. Arun C. Mehta- Student Flow at Primary Level National university of Educational Planning and Administration, 2007

4. Pratham Resource Center “Annual Status of Education Report 2005” Pratham, Mumbai, 2006

5. शिक्षा एवं उदीयमान भारतीय समाज: डॉ. सरोज शर्मा, श्याम प्रकाशन, जयपुर ।

6. भारत में नारी शिक्षा': जेसी अग्रवाल, विद्या विहार नई दिल्ली ।

7. नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ: आशा कौशिक, पोईन्टर पब्लिशर्स जयपुर ।

8. नारी सशक्तिकरण हरिदास राम जी शेण्डे, ग्रंथ विकास, सी-37 पंचवटी, राजा पार्क, आदर्श नगर, जयपुर ।

9. भारतीय नारी: वर्तमान समस्याओं और भारी समाधान : डॉ. आर. पी तिवारी एवं डॉ. डी.पी शुक्ला, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली ।

10. समाज और नारी मानचन्द खण्डेला, अरिहंत पब्लिशिंग हाउस, जयपुर ।

11. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005